

# वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

Peace Education शान्ति शिक्षा



# वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

		$-\sigma\sigma$
पाठ्यक्रम अ	ाभकल्प	र सामात

संरक्षक

प्रो. अशोक शर्मा

कुलपति

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

अध्यक्ष

प्रो. एल.आर. गुर्जर

निदेशक (अकादिमक)

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

संयोजक एवं सदस्य

\*\* संयोजक

डॉ. अनिल कुमार जैन

सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा \* संयोजक

डॉ. रजनी रंजन सिंह

सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

सदस्य

प्रो. (डॉ) एल.आर. गुर्जर

निदेशक (अकादमिक)

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रो जे के जोशी

निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

प्रो. दिव्य प्रभा नागर

पूर्व कुलपति

ज.रा. नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर

प्रो. दामीना चौधरी (सेवानिवृत्त)

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रो. अनिल शुक्ला

डॉ. अनिल कुमार जैन

सह आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ

आचार्य शिक्षा,

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

डॉ. रजनी रंजन सिंह

सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

डॉ. कीर्ति सिंह

सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

डॉ. पतंजिल मिश्र

सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

डॉ. अखिलेश कुमार

सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

\*डॉ. रजनी रंजन सिंह ,सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ 13.06.2015 तक

\*\* डॉ. अनिल कुमार जैन, सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ 14.06.2015 से निरन्तर

#### समन्वयक एवं सम्पादक

#### समन्वयक (बी.एड.) डॉ. कीर्ति सिंह

सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

#### सम्पादक डॉ. कीर्ति सिंह

सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

#### पाठ्यक्रम लेखन

1.	डॉ. कीर्ति सिंह (इकाई सं. 1, 2, 3, 4) सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	2.	<b>डॉ. गीता चतुवेर्दी</b> (इकाई 5, 6, 7) महाराणा प्रताप टी.टी. कॉलेज, कोटा
3.	<b>डॉ. जितेन्द्र सिंह</b> ( इकाई 8, 9, 10 ) महाराणा प्रताप टी.टी. कॉलेज, कोटा	4.	

आभार	
प्रो. विनय कुमार पाठक	
पूर्व कुलपति	

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

#### अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

#### प्रो. अशोक शर्मा

कुलपति

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

#### प्रो. करण सिंह

निदेशक

पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण प्रभाग वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

#### प्रो. एल.आर. गुर्जर

निदेशक (अकादमिक)

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

#### डॉ. सुबोध कुमार

अतिरिक्त निदेशक

पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण प्रभाग वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

उत्पादन 2016, ISBN: 978-81-8496-541-4

इस सामग्री के किसी भी अंश को व.म.खु.वि.वि., कोटा, की लिखित अनुमित के बिना किसी भी रूप में अन्यत्र पुनः प्रस्तुत करने की अनुमित नहीं है। व.म.खु.वि.वि., कोटा के लिए कुलसचिव, व.म.खु.वि.वि., कोटा (राजस्थान) द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।



# वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

# अनुक्रमणिका

इकाई सं.	इकाई का नाम	पेज न.
1	शांति शिक्षा: अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र	1
2	शांति शिक्षा: एक दृष्टिकोण	21
3	मानव आधिकार और शांति शिक्षा	50
4	महात्मा गाँधी और शांति शिक्षा	94
5	शान्ति शिक्षा और विद्यालय में संघर्ष निवारण	106
6	कार्यक्रम निर्माणपाठ्यक्रम में शान्ति शिक्षा का स्थान , विद्यालय शान्ति के रूप में , शिक्षक शान्ति वाहक के रूप में , पाठ्यक्रम में कौशल और तरीके , कक्षा –कक्ष में शान्ति	118
7	शिक्षा में शान्ति का निहितार्थ—व्यक्तित्व निर्माण , सौहार्दपूर्ण वातावरण ,जिम्मेदार नागरिक , शिक्षा शान्ति के लिए	131
8	शांति शिक्षा में आलोचनात्मक मुद्दे	142
9	शांति के लिए शिक्षा – मूल्य और कौशल	157
10	''शांति के शिक्षाविद्'	173



# वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

# पाठकों से आग्रह

प्रिय पाठकों,

शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 एवं 2010 में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए दी गई अनुशंसाओं के क्रम में एनसीटीई द्वारा 2014 में तैयार किये गये पाठ्यक्रम की अनुपालना में विश्वविद्यालय ने अपनी विद्या परिषद् की स्वीकृति के पश्चात अन्तिम रूप में बने बी.एड. (ओडीएल) पाठ्यक्रम के अनुसार प्रथम वर्ष की स्व-अधिगम सामग्री (SLM) तैयार की है। यह पाठ्यसामग्री विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के सदस्यों और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए अन्य शिक्षाविदों के अथक प्रयास से तैयार की गई है। यह एनसीटीई द्वारा 2014 में सुझाये गये नये पाठ्यक्रम के प्रकाश में किया गया प्रथम प्रयास है। आप प्रबुद्ध पाठक हैं। आपको इस SLM के किसी विषय, उप विषय, बिन्दु या किसी भी प्रकार की त्रुटि दिखाई पड़ती है या इसके परिवर्द्धन हेतु आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो शिक्षा विद्यापीठ सहर्ष आपके सुझावों को अगले संस्करण में सम्मिलित करने का प्रयास करेगा। आप अपने सुझाव हमें निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, रावतभाटा रोड, कोटा - 324010 या मेल soe@vmou.ac.in पर भेजने का कष्ट करें।

धन्यवाद

Bryun

(डॉ. अनिल कुमार जैन)

निदेशक शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

# इकाई – 1

# शांति शिक्षा: अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र

# Peace Education: Meaning, Nature and Scope

# इकाई की रुपरेखा

- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 उद्देश्य
- 1.3 शान्ति की अवधारणा
- 1.4 शान्ति शिक्षा का अर्थ
- 1.5 शान्ति शिक्षा के उद्देश्य
- 1.6 शान्ति शिक्षा का पाठ्यक्रम
- 1.7 शान्ति शिक्षा प्रदान करने के साधन
- 1.8 शान्ति शिक्षा की प्रकृति
- 1.9 शान्ति शिक्षा का महत्त्व
- 1.10 शान्ति शिक्षा की उपयोगिता
- 1.11 सारांश
- 1.12 अभ्यास प्रश्न
- 1.13 संदर्भ ग्रंथ सूची

#### 1.1 प्रस्तावना

"Man can fly in the air like birds, man can swim in the water like fishes, but how to walk on earth, he has not yet learnt". -C.E. M. Joad.

एडवर्ड बेंटवर्थ बैटी, चांसलर मैकगिल विश्वविद्यालय, कनाडा ने विश्वविद्यालय के स्नातकों के समक्ष 26 मई 1926 को अपने भाषण में कहा था-''हमने उन आध्यामित्मक मूल्यों पर ध्यान देना लगभग बन्द कर दिया है, जिनके द्वारा ही मानव की सम्पूर्ण प्रगित को आँका जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध ने मानवता की प्रगित के सर्वोत्कृष्ट युग का अन्त कर दिया और युद्ध का कारण इतना ही था कि हम भौतिकता के प्रति अपनी लालसा को नियंत्रित करके अधिक ऊँचे न उठ सके। मुझे यह न बताइये कि युद्ध जर्मनी की विजय-लोलुप्ता या अंग्रेजों की साम्राज्यवादिता या फ्रांसीसी सांग्रामिकता या लाभ प्राप्त करने की पूँजीवाद लालसा के कुपरिणाम से अधिक कुछ न था। ब्रिटेन ने संसार को व्यवस्था और भौतिक सभ्यता प्रदान की। जर्मनी और फ्रांस ने कला और संगीत से संसार कीशोभा बढ़ाई, विज्ञान और साहित्य से

उसका कोष भरा। पूँजीवादियों को लाभ युद्ध के कारण मिला-वह स्वयं युद्ध का कारण नहीं था। हमें और गहराई में उतरना ही चाहिये। जिस पागलपन ने संसार को महायुद्ध के रक्तपात तथा विभी षिकाओं में डुबो दिया, वह आत्मा का विकार है - मिस्तिष्क का नहीं।" इन शब्दों के कहे जाने के बाद भी एक और विश्वयुद्ध हो चुका है तथा हम भविष्य के प्रति आशंकित हैं।

डा0 सर्वपल्ली राधाकृकृष्णन् ने कहा, कि बैटी के इस कथन कि "हमारी आत्मा में विकार है, मिस्तष्क में नहीं" का अर्थ यह है कि शरीर, मिस्तष्क तथा आत्मा तीनों के स्वाभाविक सामंजस्य के निर्वाह से ही व्यक्ति और राष्ट्र सुखी हो सकते हैं | आज के युग में आध्यात्मिक मूल्यों को भुलाकर हम मिस्तष्क की उपलब्धियों पर अधिक बल देते हैं, और इसी कारण हम दुखी हैं | आत्मिक शक्तियाँ कम होती जा रही हैं तथा मिस्तष्क की उपलब्धियों का अनुपात भयोत्पादक सीमा तक पहुँच गया है | प्रत्यक्षत: हम पृथ्वी और आकाश को अपने अधिकार में किये हुए हैं और परमाणु तथा तारों के रहस्यों को समझाने लगे हैं | फिर भी हम आशंका से घिरे हुए हैं | इसी आशंका ने विश्व को "शांति शिक्षा" (Peace education) के लिए मांग करने को बाध्य कर दिया हैं|

# 1.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप समझ सकेगें-

- शांति की अवधारणा एवं अर्थ
- शांति शिक्षा के उद्देश्य
- शांति शिक्षा का पाठयक्रम
- शांति शिक्षा प्रदान करने के साधन
- शांति शिक्षा की प्रकृति महत्व एवं उपयोगिता

# 1.3 शान्ति की अवधारणा

प्राय: हम यह कहते रहते हैं कि हाइड्रोजन बम शान्ति-स्थापना का अस्त्र बन सकता है क्योंकि उसकी विनाश-क्षमता युद्ध को रोकने में समर्थ हैं | वस्तुत: युद्ध की अनुपस्थिति ही शान्ति नहीं है | यह एक सुढ़ृढ़ बंधुत्व-भावना का विकास है, अन्य लोगों के विचारों तथा मूल्यों को ईमानदारी से समझने का प्रयास है | बैटी ने अपने समय के नौजवानों को सलाह दी थी कि वे क्रोध कम करें, दूसरों की भर्त्सना न करें, दूसरों के उत्कृष्ट अंश पर विश्वास करने को तैयार रहें, सहज ज्ञान और करुणा जैसे गुणों का विकास करें | ये सभी गुण शान्ति एवं संतोष के आधार हैं|

शान्ति शिक्षा को 1980 के प्रारम्भ में वेल्स के अंतरराष्ट्रीय कॉलेज में प्रस्तावित किया गया | प्राय: शान्ति शिक्षा को तीन रूपों में प्रस्तुत किया गया है, यथा –

- (अ) शान्ति के विषय में शिक्षा (Education about Peace) इस दृष्टिकोण से शान्ति शिक्षा 'युद्ध की समालोचना' (Criticism of war) हैं | इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन मितबक ओकामोटो (Mitbuc Occamoto) ने किया |
- (ब) शान्ति के लिए शिक्षा (Education for Peace) यह एक सकारात्मक अवधारणा है | इसके द्वारा व्यक्ति में अहिंसा की आधारशिला का निर्माण किया जाता हैं | यह अर्थ इस तथ्य पर अवलम्बित है जब युद्धों को मानव मस्तिष्कों में जन्म दिया जाता है तब उनमें शान्ति की दीवारों को क्यों नहीं निर्मित किया जाना चाहिए | अत: शान्ति शिक्षा का इस दृष्टिकोण से अभिप्राय यह है कि मानव के मस्तिष्क में शान्ति की दीवारों का निर्माण किया जाय |
- (स) सकारात्मक शान्ति (Positive Peace) इसका अभिप्राय है अहिंसात्मक सामाजिक पद्धति (A non-violent social system) | अथार्त ऐसा समाज जिसमें हिंसा, शोषण, असमानता आदि न हों वरन् वह शोषण एवं अन्याय से मुक्त हो | इस दृष्टि से शान्ति शिक्षा एक सहयोगी समाज की स्थापना हैं |

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् का कहना है, "हम सार्वभौम मानवतावादी नये युग के ऊषा: काल में हैं | आशा की उत्तेजना हैं, आकां क्षाओं की हलचल है, जैसा प्रात:काल में होता है। जब भोर की किरणें पृथ्वी को जगाती हैं | हम चाहे या न चाहें रहते एक संसार में ही हैं और हमें मानव के उद्देश्य और भाग्य की समान धारणा अपनानी हैं | विभिन्न राष्ट्रों को मानव जाति के सदस्यों के रूप में, शत्रु-इकाइयों के समान नहीं बल्कि संभ्यता को विकसित करने के प्रयास में संलग्न मित्र-भागीदारों के समान रहना होगा | शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर की सहायता करेगा और सारे मानव स्वतन्त्र राष्ट्रों के विश्वव्यापी संघटन के सदस्य होंगे | यदि हम गैर जिम्मेदार व्यक्तियों के नियंत्रण और अब तक अकल्पनीय शक्ति-स्रोतों के खतरे से बच गये तो हम सभी जातियों को एकत्र करके एक उदार, विशाल, सहयोगी समाज की स्थापना कर सकेंगे | " शान्ति शिक्षा इन खतरों से बचाने में मानव की सहायता करती हैं |

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि शान्ति की अवधारणा के विभिन्न अर्थ हैं –

- 1. युद्ध की अनुपस्थिति ।
- 2. मन की शान्ति |
- 3. शोषण एवं अन्याय से मुक्ति।

# 1.4 शान्ति शिक्षा का अर्थ

शान्ति शिक्षा वह विज्ञान है जो मानव की मौलिक आवश्यकता तथा समाज की यथार्थ प्रकृति या स्वरुप का अध्ययन करता है जिसमें इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है | यह शिक्षा या विज्ञान लोगों को मानव अधिकारों के विषय में जागरूक बनाता हैं | शान्ति शिक्षा वह शिक्षा है जो अशोषित (Non-exploitative), अहिंसक (Non-Violent) तथा न्यायप्रिय (Just) समाज का निर्माण करती हैं | के. एस. बासवराज के अनुसार, "शान्ति शिक्षा एक कार्यक्रम एवं प्रक्रिया है जिससे लोगों (नवयुवक तथा प्रौढों) में शान्ति के मूल्य की सराहना तथा समझदारी की भावना का विकास

किया जाता है | यह वह तैयारी है जिससे सामुदायिक जीवन को न्यायप्रिय, व्यवस्थित तथा सामं जस्यपूर्ण बनाया जाता हैं। "

डॉ. मर्सी अब्राहम-"शान्ति शिक्षा शान्तिप्रिय लोंगों के लिये शिक्षा है जो कि इस पृथ्वी पर शान्ति कायम करने के योग्य होंगे | ...... यह विशेषत: भावात्मक (Affective) शिक्षा है | यह धार्मिक शिक्षा है | साथ ही यह स्वयं में शिक्षा है | "

शान्ति शिक्षा के चार भेद किये जा सकते हैं, यथा -

- (अ)युद्ध-निवारक शिक्षा (Anti- war education) |
- (ब) शान्ति शिक्षा मुक्ति है (Peace education as liberation) |
- इस शिक्षा के द्वारा मानवाधिकारों की प्रोन्नति, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सामाजिक गरीबी, सामाजिक भेदभाव, कुपोषण, निरक्षरता तथा रोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है।
- (स) शान्ति शिक्षा सीखने व सिखाने की प्रक्रिया हैं | यह शिक्षा शैक्षिक पर्यावरण के माध्यम से व्यक्तियों में सिहण्णुता तथा सृजनात्मक (Creativity) का विकास करती हैं |
- (द) शान्ति शिक्षा एक जीवन-शैली (Life style) है | यह लोगों कार्यशैली एवं क्रियाओं में परिवर्तन लाकर अन्तराष्ट्रीय समाज में शान्ति की स्थापना करती है |

# 1.5 शान्ति शिक्षा के उद्देश्य

डॉ. पी. वी. नायर ने शान्ति शिक्षा के निम्नलिखित तीन उद्देश्यों पर बल दिया है –

- 1. छात्रों को धार्मिक सिहष्णुता, अन्य प्रजापितयों का आदर तथा धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों को आदर की दृष्टि से देखने के योग्य बनाना।
- 2. छात्रों में उदार मस्तिष्क (Open mindedness), विवेकपूर्ण चिन्तन तथा विश्वव्यापी ज्ञान की खोज के लिये रुचि विकसित करना
- 3. छात्रों में सह-अस्तित्त्व (Co-existence) की भावना का विकास करना |
- प्रो. के. एस. बासवराज ने शान्ति शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों पर बल दिया है –
- 1. शान्तिप्रिय मानव के प्रति सकारात्मक द्रष्टिकोण विकसित करना |
- 2. मानव जीवन में शान्ति के मूल्य को समझने तथा उसकी सराहना करने के लिये छात्रों को तत्पर बनाना।
- 3. नवयुवकों में शान्ति के आध्यात्मिक मूल्य को विकसित करना जिससे उनमें आंतरिक शान्ति या मन की शान्ति प्राप्त हो सके |
- 4. बच्चों में उपयुक्त एवं अनुपयुक्त, न्याय एवं अन्याय के विषय में जागरूकता विकसित करना।
- 5. छात्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सदभावना तथा भ्रातृत्व का विकास करना |
- 6. युद्ध, हिंसा, संघर्ष आदि के परिणामों से अवगत कराना जिससे वे उनसे बचने के लिये कदम उठाने में समर्थ हो सकें।
- 7. छात्रों को परिवार, देश तथा विश्व में शान्ति कायम रखने में उनकी भूमिका के प्रति जागरूकता बनाना |

# 1.6 शान्ति शिक्षा का पाठ्यक्रम

प्रो. के. एम. साइमन ने विद्यालय के विभिन्न स्तरों के लिये शान्ति शिक्षा के पाठ्यक्रम को इस प्रकार निर्धारित किया है –

#### पाथमिक स्तर

- 1. जीवन के नैतिक मूल्यों से सम्बन्धित कहानियाँ, कविताएँ तथा नाटक |
- 2. विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों तथा संस्कृतियों से सम्बन्धित कहानियाँ।

#### जूनियर स्तर

- 1. महात्मा गाँधी, पं. जवाहरलाल नेहरु, विनोबा भावे, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग, कार्ल मार्क्स, नेल्सन मण्डेला, मदर टेरेसा, जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध की जीवनियाँ तथा शान्ति स्थापना में उनके कार्य।
- 2. इसाई धर्म, हिन्दू धर्म, इस्लाम तथा बौद्ध धर्म की विश्व शान्ति की स्थापना में भूमिका

#### हाईस्कूल स्तर

- 1. शान्ति की अवधारणा।
- 2. शान्ति की आवश्यकता एवं महत्त्व।
- 3. परिवार, समाज तथा विश्व में शान्ति कायम करने के साधन |
- 4. संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को, रेडक्रॉस, स्काउट एवं गाइड आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियाँ, विश्व शान्ति में विभिन्न दर्शनों की भूमिका |
- 5. युद्ध एवं हिंसा के कारण एवं उनके परिणामों की समालोचना |

# पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएँ/व्यावहारिक अनुभव

- 1. यू. एन. ओ. दिवस, पृथ्वी दिवस (Earth Day), शान्ति दिवस (Peace day) आदि का मनाना |
- 2. जूनियर रेडक्रॉस तथा स्काउटिंग एवं गाइडिंग की क्रियाओं में भाग लेना
- 3. सामाजिकी वानिकी (Social Forestry) श्रमदान आदि में भाग लेना |
- 4. पेन-मित्रता कायम करना | साथ ही बच्चो द्वारा फोटो, चित्र, कलेण्डर,स्टाम्प, सिक्के आदि का आदान-प्रदान |
- 5. शैक्षिक फिल्मों का प्रदर्शन जिससे छात्रों के मानसिक अन्तरिक्ष को उन्नत बनाया जा सके।
- 6. महान विभूतियों के जन्म दिवस मनाना |
- 7. अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर सिम्पोजियम, वाद-विवाद प्रतियोगिता, संसद आदि का आयोजन करना |
- 8. विभिन्न विषयों पर देश तथा विदेश के विजिटिंग प्रोफेसरों के भाषणों का आयोजन करना।
- 9. शान्ति के दूतों की एलबम तैयार करना |

#### अनौपचारिक शिक्षा पद्धति में शान्ति शिक्षा का पाठ्यक्रम

अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली में शान्ति शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को स्थान प्रदान किया जाना चाहिये –

- 1. **शांतिवाद की अवधारणा** यह सिद्धांत शान्ति में आस्था तथा युद्ध के प्रति घृणा पर आधारित हैं| यह मानव जीवन की पवित्रता में आस्था रखता हैं|
- 2. **शान्ति-शक्ति** गांधीजी का 'सत्याग्रह' तथा विनोबा भावे का भूदान आन्दोलन इस सिद्धांत पर आधारित हैं। अत: इनका ज्ञान दिया जाय।
- 3. **विश्व मानव की अवधारणा** यह सिद्धांत विश्व नागरिकता तथा व्यापक अन्तर्राष्ट्रीयता पर आधारित हैं | इसमें संकुचित राष्ट्रवाद के दोषों एवं दुष्परिणामों को बताकर विश्व नागरिकता की स्थापना पर बल दिया जाए |
- 4. **आर्थिक आत्मिनर्भरता तथा उत्पादन का विकेन्द्रीकरण -** इसमें गाँधीजी के आर्थिक दर्शन का ज्ञान कराया जाय और उनके 'सर्वोदय समाज' की कल्पना को बताया जाय | साथ ही 'अपरिग्रह' के सिद्धांत से अवगत कराया जाय |
- 5. नागरिक शिक्षा।
- 6. शक्ति का लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण इसमें प्लेटो के नगर-राज्यों, गाँधीजी के 'ग्राम्य राज' तथा विनोबा भावे के 'ग्रामदान की अवधारणाओं से व्यक्तियों को अवगत कराया जाय।

#### 1.7 शान्ति शिक्षा प्रदान करने के साधन

विभिन्न विचारकों एवं शिक्षाविदों का मत है कि शान्ति शिक्षा को विद्यालयों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में एक अतिरिक्त विषय के रूप में प्रतिपादित नहीं किया जाना चाहिए वरन् विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों का ऐसे ढंग से पुनर्गठन किया जाय कि विश्वशांति विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रियाओं तथा कार्यानुभवों का एक अभिन्न अंग बन जाय | इनके माध्यम से छात्र स्वयं को विश्व का एक अभिन्न अंग मानना सीख जायेंगे, पाठ्यक्रम में निहित शान्ति विषयों का अध्यापन औपचारिक ढंग से किया जा सकेगा | इसके अतिरिक्त छात्रों को विश्वशान्ति, विश्व-बंधुत्व, भ्रातृत्व-भावना आदि के प्रति सजग बनाने के लिए जन-संचार के साधनों-रेडियो, टी. वी. आडियो कैसेट, चलचित्र, समाचार-पत्र, एवं पत्रिकाएँ आदि का भी प्रयोग किया जाना चाहिये।

जन-साधारण को शान्ति-सन्देश प्रदान करने के लिए एच्छिक संगठनों का भी प्रयोग किया जाना चाहिये | इसके लिये शान्ति प्रचार केन्द्रों की स्थापना, शान्ति-सेना का संगठन, 'शान्ति यात्रा' आदि की व्यवस्था की जानी चाहिये | समाज के संघर्षों एवं तनावों को दूर करने के लिये अहिंसक साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिये | जनसाधारण को शान्ति-सन्देश देने के लिये नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जाय |

# 1.8 शान्ति शिक्षा की प्रकृति

शान्ति शिक्षा की प्रकृति से तात्पर्य यह है कि शान्ति के किस रूप को माना जाए। सामान्यत शान्ति की नकारात्मक प्रकृति और सकारात्मक प्रकृति में भेद किया गया है।

शान्ति शिक्षा की नकारात्मक प्रकृति

#### शान्ति शिक्षा का सकारात्मक प्रकृति

#### नकारात्मक प्रकृति

सामान्यत: यह माना गया है कि शान्ति स्पष्ट हिंसा की अनुपस्थित (जैसे युद्ध की अनुपस्थित) है जो भौतिक बल से तोड़ मरोड़ करने की अपेक्षा संधि-वार्ता या मध्यस्थता से प्राप्त की जा सकती है यह अहिंसात्मक उपायों, पूर्ण निशस्त्रीकरण और सामाजिक-आर्थिक अन्योन्याश्रित के प्रयोग की संस्तुति करता है। नकारात्मक शान्ति अध्ययन में युद्ध रोकने के लिए ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों और संस्थाओं की विशाल सारिणी की भी आवश्यकता होती है जो राष्ट्रों के बीच स्थायी संबंधोंकी सहायता कर सके। नकारात्मक शान्ति नीतियाँ, वर्तमान अल्पकालिक- या निकट भविष्य कालिक होती है। इनका संरचनात्मक हिंसा से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। अर्थात् हम यह कह सकते है कि शान्ति अध्ययन की नकारात्मक प्रकृति केवल यहीं तक सीमित हो जाती है कि शान्ति अध्ययन में इन बातों का अध्ययन किया जाए जिनमें प्रत्यक्ष हिंसा जैसे युद्ध के कारणों का पता लगाया जा सके तथा उनके निवारण का अहिंसात्मक उपाय खोजा जा सके।

#### सकारात्मक प्रकृति

सामाजिक शान्ति की अवधारणा पर आधारित सकारात्मक शान्ति की अवधारण का अभिप्राय केवल प्रत्यक्ष हिंसा की अनुपस्थिति ही नहीं है अपितु संरचनात्मक हिंसा भी हटाना है। जॉन गाल्टुंग ने सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से सकारात्मक शान्ति के संदर्भ में इस बात पर जोर दिया कि असमान सामाजिक संरचना का उन्मूलन तथा समान दशाओं के विकास के बिना सकारात्मक शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। समानता शान्ति का महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि इसका अभाव सभी प्रकार के तनावों को स्थायी बनाता है। सभी समूहों के लोगों को समाज के आर्थिक लाभों की तथा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विकास के लाभों की भी पहुँच सुलभ होनी चाहिए।

लोगों के पिछड़े वर्गों के लिए समानता का अभिप्राय संस्थागत, सांस्कृतिक, मनोवृत्तिक और व्यवहार संबंधीभेदभाव से संबंधितबाधाओं को दूर करना है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुतरस घाली के अनुसार दमन और गरीबी का उन्मूलन शान्ति के आवश्यक तत्व है। समान अवसरों से अपनी प्रतिभा और दक्षता का विकास कर सकते है तािक वे विकास के विभिन्न पहलुओं में भाग ले सके।

शान्ति की व्यापक धारणाएँ बहुत से उन मुद्दों का उल्लेख करती है जो प्रगति, स्वतन्त्रता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, पूर्ण एकता, स्वायत्तता और सहभागिता जीवन की कोटि को प्रभावित करती है। संयुक्त राष्ट्र और महिलाओं की प्रगति 1945-1995 पर संयुक्ता घोषणा संख्या 84, 1996 के अनुसार "समाज में आर्थिक और सामाजिक न्याय, समानता और मानव आधिकारों की संपूर्ण श्रेणी तथा आधारभूत स्वतंत्रता के उपभोग" के लिए ऐसी शान्ति आवश्यक है जो राष्ट्रीय और स्तरों पर हिंसा और विद्वेष से परे हो। सभी प्रकार के शोषण को कम से कम करके ही संबंधों के लिए उपयुक्त स्थितियां प्राप्त होती है। जैसा कि पृथ्वी को शोषण का उद्देश्य माना जाता है, उसी प्रकार सकारात्मक शान्ति में विस्तार प्रकृति के सम्मानकी धारणा को शामिल किया गया है।

नकारात्मक शान्ति के विचारक यह तर्क देते है कि मानव स्वभाव और विश्व शक्ति संरचना पर विचार करते समय यह अवास्तविक है और इसलिए सामाजिक न्याय से शान्ति की तुलना निरर्थक है। यदि हिंसा के लक्षणों के नियंत्रण पर संकीर्ण दृष्टि से विचार किया जाता है तो रहन-सहन का स्तर सुधारने के व्यापक आधार युक्त संघर्ष की अपेक्षा इसका अधिक सुनिश्चित प्रभाव होता है। युद्ध के दौरान केनेथ बोल्डिंग जैसे शान्ति अनुसंधानकर्ताओं ने यह चिन्ता व्यक्त की थी कि शान्ति की धारणा निशस्त्रीकरण की समस्याओं से ध्यान हटा सकती है और "विश्व विकास के महान अस्पष्ट अध्ययन" की ओर ले जा सकती है जो मुख्य रूप से युद्ध स्थित की कमी और उन्मूलन में रूचि रखते हैं, वे शान्ति के लिए न्याय की आवश्यकता कम मानते हैं। इसलिए इस अनुसंधान परम्परा में लोकप्रिय विषय रहा है – हिंसात्मक सामाजिक व्यवहार और अस्त्र दौड़ पर नियंत्रण। युद्ध के खतरों की कमी, निशस्त्रीकरण, आकस्मिक युद्ध निवारण, परमाणु शस्त्रों का अप्रसार और संधिवार्ता से अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों के समाधान से संबंधिततरीकों के अन्वेषण को प्राथमिकता दी गई है।

सकारात्मक शान्ति परम्परा के विद्वानों में सबसे अधिक लब्धप्रतिष्ठ विद्वान, जाँन गाल्टुंग दावा करते हैं कि युद्ध से बचने और उसे सीमित करने के खास मामलों या खास शस्त्र प्रणालियों में कटौती के रूप में ऐसे संकीर्ण मुद्दों की अपेक्षा हिंसात्मक संघर्ष की संरचनात्मक जड़ों का अध्ययन अधिक गंभीरता से किया जाना आवश्यक है। शान्ति प्राप्त करने के लिए परिस्थितियों की जानकारी हिंसा के संस्थानिक रूप पर विजय पाने की रणनीतियां स्पष्ट की जानी चाहिए। सकारात्मक शान्ति का अध्ययन उन दशाओं की पहचान करना है जो मनुष्य की उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न कर सकती है। इनमें पर्यावरण संबंधी मुद्दे और गरीबी और आर्थिक असमानता भी शामिल है। यह स्वीकार किया जाता है कि ये समस्याएं विश्व की वर्तमान आर्थिक और राजनीति संरचना में हल नहीं की जा सकती है, इसलिए वर्तमान प्रणाली की किमयों का विश्लेषण स्वाभाविक रूप से उस नीति और संस्थागत परिवर्तनों की ओर ले जाता है जो मानव कल्याण का काम करती है।

अहिंसा के क्षेत्रों में कुछ लोग दमन की सरंचनात्मक दशाओं में हुए परिवर्तनों पर अधिक ध्यान दिये बिना शत्रुओं के विरूद्ध शस्त्रहीन संघर्ष में अंतर्निहित संहार तंत्र और युद्धनीतिक मुद्दे से मुख्य रूप से चिन्तित है। जिन शार्प जैसे शान्ति के विचारक केवल अहिंसक कारवाई को निश्चित राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा गैर घातक उपायों से विजयी होने के लिए प्रभावी रणनीतिक साधन के रूप में देखते हैं। अन्य विचारक, जैसे ज्योफ्री ओस्टरगाड जो महात्मा गाँधी की परम्परा का अनुसरण करतें हैं, अन्यायपूर्ण सामाजिक और आर्थिक प्रणाली की उत्पत्ति या अस्तित्व रोकने के सक्षम सिद्धान्त के रूप में अहिंसा पर बल देते हैं। अहिंसक सामाजिक संरचना समतावादी सामाजिक संबंधोंको स्थापित कर प्राप्त हो सकती है।

यद्यपि शीत युद्ध के दौरान युद्ध विरोधी आन्दोलनों का ध्यान परमाणु युद्ध के भयंकर परिदृश्य रोकने पर था साथ ही नकारात्मक शान्ति परम्पराओं में कार्यरत बहुत से शान्ति समूहों ने शान्तिवादी समुदायों के इस आदर्श का समर्थन किया कि शान्तिपूर्ण व्यवस्था के लिए सामाजिक न्याय आवश्यक है। यदि शान्ति का अध्ययन नीति परिवर्तन और किया के लिए तैयार किया है तो उसका अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव जीवन की बेहतरी के लिए सामाजिक परिस्थितियां उत्पन्न करना है। इसलिए सकारात्मक शान्ति निर्माण नकारात्मक शान्ति प्रयोग का सम्पूरक होना चाहिए। शारीरिक बल का प्रयोग रोकना कुछ सामाजिक संरचनात्मक दशाओं के अधीन अधिक सफल रहा है। यदि समाज में न्याय है तो हिंसा के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं होगी। युद्ध की संस्थाएं प्रभुत्व पर टिकी हुई है और ये हिंसा की संस्कृति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उस दृष्टि से शान्ति युद्ध की संस्था के उन्मूलन समानार्थी है।

## शान्ति शिक्षा के मुख्य क्षेत्र

सामान्यतया पारम्परिक रूप में यह माना जाता है कि हिंसात्मक संघर्ष का प्रबन्धन एवं निवारण का अध्ययन शान्ति शिक्षा है इसीलिए शान्ति की शिक्षा पर जब चर्चा होती है तब सर्व प्रथम अस्त्रों की होड़ एवं निशस्त्रीकरण पर बल दिया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा शत प्रतिशत नहीं है कि शान्ति शिक्षा को केवल इस संकुचित अर्थ में ही समझा जाए। पिछले कुछ वर्षों में शान्ति शिक्षा उन बहुत से क्षेत्रों से सम्बन्धित रह है जिसके आधार पर विश्व को बेहतर बनाया जा सके। शान्ति शिक्षा के कई क्षेत्र है जिसके आधार पर बेहतर विश्व का निर्माण किया जा सकता है जिनमें कुछ प्रमुख निम्न है।

- आर्थिक क्षेत्र
- पर्यावरणीय क्षेत्र
- नारीवादी क्षेत्र

#### आर्थिक क्षेत्र

मार्क्सीय उपागम के अन्तर्गत यह माना गया है कि समाज आर्थिक व्यवस्था द्वारा नियमित होता है इतिहास की प्रत्येक अवस्था में समाज में दो वर्ग रहे हैं, पूंजीपती वर्ग व श्रमिक वर्ग अर्थात् पूंजीपति वर्ग द्वार श्रमिक वर्ग का शोषण किया जाता रहा है यह शोषण भी अपने-आप में एक हिंसा है। जो कि एक समाज में विभाजन पैदा करती है। यह विभाजन कई तरीकों से दर्शाया जा सकता है। जैसे:-

#### अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर

आज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय विश्व शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित है। जिसे उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। आखिर यह दक्षिणी या तृतीय विश्व है क्या ? हालांकि यह विभाजन भौगोलिक आधार पर किया गया है। लेकिन इनमें मूलभूत अन्तर आर्थिक आधार पर है अमीर देशों का समूह जिन्हें पूर्वी विश्व के नाम से जाना जाता है का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में लगभग 20-25 प्रतिशत है। लेकिन वैश्विक संसाधनों का 80 प्रतिशत उपयोग इन्हीं देशों के द्वारा किया जाता है इसी कारण विश्व की एक बड़ी जनसंख्या न्यूनतम आवश्यकताओं का उपयोग तक नहीं कर पाती है। भोजन जैसी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति भी दक्षिण के देशों में नहीं हो पाती है। इसी कारण आज पोषण से वंचित और पीड़ित लोगों की संख्या लगातार बढ रही है। दक्षिण के बहुत से देशों मे जन समुदाय की निरक्षरता का उच्च स्तर है। जीवन की ये दयनीय परिस्थितयां आर्थिक प्रणाली की विफलता के कारण हुई है। यह सब हिंसा का ही एक रूप है।

#### मुक्त बाजार अर्थ व्यवस्था और वर्ग सम्बन्ध

यह बात सही है कि यदि हमें वंचित वर्ग के लिए सुविधाएं देनी है तो समान आर्थिक व्यवस्था आवश्यक है, परन्तु यदि अमीरी व गरीबी की खाई को कम करना है तो इस संदर्भ में कई तर्क दिए जा सकते है। पारम्परिक आर्थिक उदारवाद में सार्वभौम नियम हैं कि सभी के लिए समुचित सुख व्यक्तिवाद और सम्पति के अर्जन द्वारा पूरा किया जा सकता है। सरकार की भूमिका मुक्त बाजार समाज को प्रोत्साहित करने के लिए और निजी सम्पति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए राजनीतिक वातावरण विकसित करने की होती है। लेकिन इस पूरे चक्र में इस बात पर कोई चिन्ता नहीं होती है कि इससे कोई शोषित समाज निर्माण तो नहीं हो रहा है। क्योंकि यह खुली प्रतियोगिता उन लोगों के लिए अनुकूल होती है। जो कानून नियम निर्धारित करते हैं। नैतिक मान्यताओं का इस पूंजीवादी समाज में कोई प्रभाव नहीं है। मार्क्सवादी सिद्धान्त के अनुसार "अतिरिक्त मूल्य (Surplus value) के आधार पर पूंजीपित वर्ग कामगारों का शोषण करते हैं। अर्थात पूंजीपित वर्ग कामगारों को उतना भुगतान नहीं करते हैं जिनके वे पात्र है उससे कम भुगतान कर पूंजीपितवर्ग श्रमिकों द्वारा उत्पादित अधिशेष मूल को ले-लेते हैं। इसलिए इस असमान वितरण से समाज में संघर्ष होता है जिससे इन वर्गों के बीच हिंसा होती है। इस वर्ग संघर्षवाद का समाधान समान समाज की प्राप्ति से हो सकता है। जिसमें कोई शोषणकारी आर्थिक सम्बन्ध नहीं है।

#### वैश्वीकरण

1991 के पश्चात् यदि विश्व की सबसे प्रमुख कोई विशेषता है तो वह है, वैश्वीकरण (भूमण्डलीकरण)। भूमण्डलीय आर्थिक एकीकरण ने वैश्वीकरण को मजबूत किया है। पूंजीवाद का नए सामाजिक मूल्यों की स्थापना तथा सूचना प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक प्रगति ने भूमण्डलीय विश्व को मजबूत किया है। आज भूमण्डलीकरण की दिशा में सबसे ज्यादा योगदान निजीकरण की है। जिसमें उदार नीतियों के माध्यम से आर्थिक व्यवस्था को संचालित किया जाता है। जिससे पूंजीवाद को प्रधानता मिलती है। और इसके कारण समाज में स्थायी सामाजिक-आर्थिक असमानता को बल मिलता है। इससे समाज में शान्ति की प्रक्रिया को आघात लगा है। भूमण्डलीकरण की आर्थिक प्रणाली ने राज्यों की नीतियों को प्रभावित किया है। जिसके कारण राज्य अपने स्तर पर समाजवादी या संरक्षणकारी नीतियां नहीं बना पा रहा है जो कि आर्थिक असमानता को दूर कर सके। वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण आज मजदूरी के दरें बहुत ज्यादा उपेक्षित है, कम मजदूरी पर कार्य करना भूमण्डलीकरण की सबसे बड़ी कमी है। मजदूरी संरक्षण अधिकार पर तरह-तरह की संविदाएं कर प्रतिबन्ध लगाए जा रहे हैं, जो अपने-आप में हिंसा का ही रूप है। इससे शान्ति की प्रक्रिया बाधित होती है।

#### सामाजिक संक्रमण:-

तृतीय विश्व के कई देश आज आर्थिक दृष्टि से यूरोपीय देशों के उपनिवेश है। इस आर्थिक उपनिवेशीकरण ने कई देशों की अर्थव्यवस्था को लगभग नष्ट कर दिया है। तृतीय विश्व की आत्म निर्भर अर्थव्यवस्था को दर किनारा कर दिया है। स्थानीय विनमय सम्बन्ध लगभग समाप्त कर दिए गए हैं। विश्व व्यापी आर्थिक विस्तार ने देश के अन्दर सामाजिक बिखराव और विखण्डन की दशाएं -उत्पन्न की है। आर्थिक निर्णय परिवार, लिंग और सामाजिक सबंधों से तथा सास्कृतिक सम्बन्धों से भी अलग रखे गए हैं।

#### पर्यावरणीय क्षेत्र

शान्ति अध्ययन के लिए पर्यावरणीय क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो इस बात की ओर इंगित करता है कि जैव पर्यावरणीय प्रणाली से मानव का क्या सम्बन्ध है तथा मनुष्य किस तरह से संकट ग्रस्त हो रहा है और आगे होगा यदि जैव पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। गाँधीजी ने आज से 100 वर्ष पूर्व ही यह कहा था कि इस प्रकृति के द्वारा सभी मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है लेकिन एक मनुष्य की भी स्वार्थ पूरी नहीं हो सकती है। आज प्रकृति के अनुचित दोहन से पर्यावरण की इतनी विकट स्थिति हो चुकी है कि मानव सभ्यता को चुनौती मिल रही है जो अपने आप में एक हिंसा का रूप है। आज पृथ्वी और उसके पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति शान्ति की परस्थितियों की जांच का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आज हिंसात्मक संघर्ष के स्त्रोत के रूप में पर्यावरणीय संसाधनों की दुर्लभता पर भी अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है। आज विश्वव्यापी पर्यावरणीय समस्या पर सबसे अधिक जोर देने के कारण ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन कोपेनहेगन (डेनमार्क) में नवम्बर 2009 में आयोजित किया गया है। क्योंकि यदि शीघ्र ही पर्यावरणीय समस्याओं का हल नहीं खोजा गया तो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में खतरा हो सकता है, आज दिनों दिन ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, पीने का पानी कम हो रहा है, तापमान में असंतुलित रूप से परिवर्तन हो रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव, नदी और महासागर प्रदूषण, वनों का नष्ट होना व जैव विविधता की विकृति मनुष्य के कार्य कलापों के विस्तार से जुड़े हुए हैं। जो जीवनदायी पारिस्थितिकी तंत्र को संकट में डाल सकते हैं। आखिर यह सब क्यों हुआ तथा इसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं। तथा इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है। यह सब शान्ति अध्ययन विषय क्षेत्र में शामिल है।

ग्लोबल वार्मिंग जिससे पूरा विश्व ग्रसित है, नई-नई बीमारियाँ जैसे स्वाइन पलू, जीका वायरस जिनत रोग आदि पनप रही है, आखिर इनके होने के पीछे क्या कारण है। यह मुख्य रूप से वाहनों और उद्योगों द्वारा जीवाश्म ईधनों के जलाने के कारण होता है। यह विश्व में उन जंगलों के कटाव से बढ़ा है इसमें वायुमण्डल से कार्बन हटाने की प्राकृतिक क्षमता थी। घरों में बढ़ते विलासता के साधन जैसे फ्रीज, कूलर, एसी. आदि में प्रयुक्त गैस क्लोरो-फलोरो कार्बन्स (CFCs) का समताप मण्डलीय ओजोन की क्षित में महत्वूपर्ण योगदान है जिसके परिणामस्वरूप हानिकारक सौर किरणों के स्तर बढ़ जाते हैं। इस संपूर्ण चक्र से जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो रहा है। वनों की क्षित प्रत्यक्ष रूप से विश्व की जैविक विविधता को प्रभावित करती है। इसके कारण पादपों और जन्तुओं की विशाल संख्या लुप्त हो रही है। आज विश्व की लगभग एक तिहाई जनसंख्या को शुद्ध जल नहीं मिल रहा है। विषाक्त केमिकल तथा वायुमण्डलीय प्रदूषण में जल की गुणवता पर प्रभाव डाला है।

पर्यावरण के समक्ष एक अन्य प्रमुख चुनौती है जनसंख्या का विस्फोट। खासकर तृतीय विश्व में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उससे इन देशों की प्रत्येक तरह की प्रगित रूक रही है यह जीवन स्तर को बिगाड़ देती है। लाखों -करोड़ों गरीबों को भूमि का अत्यधिक उपयोग करना पड़ता है तथा भूमि की लूट खसोट करनी पड़ती है, जबिक भूमि की वहन क्षमता तो यह निर्दिष्ट करती है कि क्षेत्र अपनी क्षमता से समझौता किए बिना कितने लोगो का भविष्य में भी निर्वाह कर सकती है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या से पृथ्वी धीरे-धीरे वहन क्षमता से अतिभार की ओर बढ़ रही है।

मानव में संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करने की प्रवृत्ति होती है जिससे पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता है यदि मानव समाज अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करता है तो यह गलत है। आज कई जीव अपनी लुप्त अवस्था है।

इसी सीमित या असमान रूप से वितरित संसाधनों के कारण हिंसात्मक संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। संसाधनों की दुर्लभता बढ़ने के कारण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संघर्ष उत्पन्न हो रहा रहा। जिसके कारण समाजिक अशान्ति ओर युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। विश्व के बहुत से क्षेत्रों में जहां संसाधन मानव जनसंख्या का भरण पोषण करने में अक्षम है इसके कारण राज्यों के बीच संघर्ष हो रहा है। अरब-इजरायल के बीच जल संघर्ष जॉर्डन नदी के उपयोग से जुड़ा हुआ है।

#### पर्यावरणीय सुरक्षा

हाल ही के वर्षों में संसाधनों की पर्यावरण संबंधी दुर्लभता का सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों को कम करना राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। हालां कि सुरक्षा की परम्परागत अवधारणा की राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट चिन्ताएं है। फिर भी पृथ्वी की सुरक्षा संपूर्ण प्रणाली की संरचना पर निर्भर करती है। पृथ्वी पर शान्ति पारिस्थितिकीय संतुलन के बिना प्राप्त नहीं हो सकती है। राष्ट्र-राज्य और सुरक्षा के परम्परागत सिद्धान्त से किसी भी प्रकार का संयोजन परम्परा के स्थाई नियन्त्रण के लिए बाधा प्रस्तुत कर सकता है। वास्तव में देखा जाये तो हिंसात्मक रणनीतियों जैसे अस्त्र परीक्षण कार्यक्रमों द्वारा पर्यावरण पर अत्याचार किया जा रहा है। औद्योगिक विश्व की उपभोक्तामूलक समृद्धि और विकासशील विश्व की गरीबी दोनों पर्यावरण विनाश कर रही है। क्षत विक्षत पर्यावरण विश्वव्यापी समानता की संभावना को एक ओर रखते हुए अमीर व गरीब दोनों के भावी विकास की संभावनाओं का समान रूप से विनाश कर रही है क्योंकि पारिस्थितिकीय समस्याएं किसी भी प्रकार की भौगोलिक सीमाओं को नहीं मानती है।

## नारीवादी क्षेत्र

शान्ति अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में नारियों के विरूद्ध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की हिंसा, अध्ययन का प्रमुख केन्द्र रहा है। पिछले लगभग चार दशकों में यह विषय शान्ति अध्ययन का प्रमुख केन्द्र रहा है। सामान्यता यह माना जाता है और सही भी है कि नारी "शान्तिवाद" से जुड़ी रही है। प्यार, करूणा और प्रशिक्षण नारी सुलभ गुणों ने शान्ति की अवधारणा को समृद्ध किया है। इसके अलावा दमनकारी सामाजिक व्यवस्था के आमूल-चूल रूपान्तरण के लिए नारी सुलभ मूल्यों के अनुप्रयोग शान्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष में महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में कार्य करता है।

#### महिलाओं के खिलाफ हिंसा

लिंग भेद, जातिवाद या मानव अधिकार इन सभी ने महिला व पुरूष दोनों को अपना शिकार बनाया है, लेकिन तुलनात्मक रूप से महिलाएं पुरूष की बजाय ज्यादा शोषित हैं, हिंसा हो या यौन शोषण महिलाओं की एक मुख्य समस्या रही है। महिलाओं के विरूद्ध प्रत्यक्ष में बलात्कार और असंगठित मनमाना दुर्व्यवहार और संगठित तरीके में महिलाओं पर आक्रमण भी शामिल है।

तृतीय विश्व में महिलाएँ संरचनात्मक हिंसा से भी पीड़ित रही है। गरीबों में भी वे महिलाएँ जो या तो बुर्जुर्ग है या विधवा है इनके समक्ष अपना घर का खर्च चलाने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अत्यन्त गरीब और कठोर कार्य की दशाओं ने भी परिवार की महिला मुखिया पर उस परिवार का भारी

बोझ डाला है। इन घरों में इनकी सहायता करने के लिए कोई वयस्क पुरूष नहीं होता है। आज भी कई महिलाओं को भारी काम करने के बाद न्यूनतम वेतन मिल रहा हैं। उन्हें समुचित वेतन नहीं मिल रहा है। लिंग समस्या

सामान्यत: यह माना जाता है कि ईश्वर की अनुपम कृति इस पृथ्वी पर यदि कोई है तो वह है मानव की रचना अर्थात व्यक्ति। निश्चत रूप से कोई भी व्यक्ति पुरूष अथवा महिला है वे स्थानीय रूप से परिभाषित पुरूष वर्ग या स्त्री वर्ग की विशेषताएँ प्राप्त करते हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर महिला वर्ग को एक संकीर्ण निगाह से देखा गया है और महिला को एक वस्तु माना गया। महाभारत में द्रोपदी प्रकरण हो या वर्तमान समय की सामाजिक संरचना, महिलाओं को ऐसी वस्तु माना गया जो कि किसी निश्चित उपभोग के लिए है। यहाँ तक कि इन्हें कभी स्वतंत्र विचार के लिए छोड़ा ही नहीं जाता है। ऐसा सुनने को भी मिलता है कि बचपन में माता-पिता, युवा में पित तथा बुढ़ापे में बेटा उसका संरक्षणकर्ता होता है। क्या यह महिलाओं के खिलाफ संरचनात्मक हिंसा नहीं है?

महिलाओं को बौद्धिक दृष्टि से भी दुर्बल समझा जाता है, लेकिन राजनीति और अन्य संस्थागत क्षेत्रों में महिलाओं के बढ़ते हुए प्रवेश व सफलता से यह स्पष्ट होता है कि आज महिलाओं द्वारा पुरूषोचित मूल्य अपनाने में वृद्धि हुई है। जैसा कि विदित है मारग्रेट थ्रेचर, इन्दिरा गाँधी इत्यादि को आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है। इजरायल की तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डमायर न केवल शान्ति निर्माताओं के रूप में रही, बल्कि युद्ध नायिका के रूप में रही है। इन्होंने अरबों के विरूद्ध युद्ध जीता, इसी तरह से इंदिरा गाँधी को पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए विवश होना पड़ा, और मारग्रेट थ्रेचर ने अर्जेन्टीना से विवाद में फॉकलेण्ड दीपसमूह पर पुन: अधिकार करने के लिए सैन्य बल भेजा।

आज सयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाएँ अप्रत्याशित संख्या में सशत्र सेनाओं में प्रवेश कर रही है। वे विभिन्न युद्धों में हाल ही की अमेरिकी सैनिक कार्यवाही की अपिरहार्य अंग सिद्ध हुई है। फिर भी सैन्य बलों में महिलाओं की अधिक भूमिका के विरोधी हमें यह बताते है कि महिलाएँ सैन्यवाद की शिकार रही है। राज्य की सेवाऐं असमानता की प्रणाली बनाए रखने के लिए संगठित की जाती है। अत: महिलाओं को सैन्यकरण द्वारा रूपांतरण किए जाने की अधिक सम्भावना है। नारीवादी लक्ष्य, अंहिसात्मक कार्यों के माध्यम से अच्छी तरह से प्राप्त किए जा सकते हैं।

नारीवाद, शान्तिवाद व समाजवाद तीनों एक ही कड़ी में पिरोए जाते हैं। शान्ति की नारीवादी अवधारणा का विस्तार सामाजिक ज्ञान, आर्थिक समता और परिस्थितिकीय संतुलन की परिस्थितियों तक किया गया है। भविष्य के सामाजिक परिवर्तन के लिए समानता और लोकतंत्र का मिश्रित महत्व होना चाहिए और यह समानता पुरूष व महिलाओं की समानता हो।

नारीवादी मूल्यों ने सुरक्षा की अवधारणा का विस्तार किया है। इसमें पूर्ण मानव परिवार में फैली हुई रिश्तेदारी की धारणा पर आधारित सभी लोगों और सभी राष्ट्रों को शामिल किया गया है। दूसरा वैचारिक रूप-रेखा का उद्देश्य ऐसी व्यापक परिभाषा ग्रहण करना है जो जीवन सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता वृद्धि की वकालत करता है। तीसरा, नारीवादी उपागम में विरोधी राज्य केन्द्रित प्रणाली, स्वास्थ्य और उत्तम जीवन स्तर के लिए सर्वाधिक आधारभूत आवश्यकताओं के संरक्षण की परिस्थितियों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। सैन्य आश्रित वर्तमान विश्व सुरक्षा प्रणाली स्वयं मानवता

के प्रमुख संकट के रूप में देखी जाती है। सेना पर अत्याधिक व्यय करने से सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ती पर दबाव पड़ता है। नारीवादी सुरक्षा एजेण्डा संगठित राज्य हिंसा से सुरक्षा और मानव सौहार्द्र की आधारभूत अवश्यकताओं की पूर्ती का प्रयास करता है?

## 1.9 शान्ति शिक्षा का महत्त्व

- 1. शान्ति शिक्षा विद्यार्थियों को विश्व नागरिकता के लिए तैयार करती है।
- 2. विश्व समाज के निर्माण हेतु मूल्यों एवं उद्देश्यों में आस्था रखने की प्रेरणा देती है।
- 3. सांस्कृतिक विभिन्नताओं के मध्य मानव हित के कल्याणकारी समाज तत्त्वों को खोजने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है।
- 4. विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिन्तन, लेखन भाषण योग्यता तथा निर्णय लेने की शक्ति का विकास किया जाता है।
- 5. विद्यार्थियों को शान्तिप्रिय समाज के निर्माण में सिक्रय भाग लेने के लिए तैयार किया जाता है।
- 6. सभी राष्ट्रीयताओं संस्कृतियों एवं प्रजातियों के व्यक्तियों को समान समझने की भावना का सृजन किया जाता है।
  - प्रसिद्ध दार्शनिक बरट्रेण्ड रसेल के मतानुसार, 'विश्वशान्ति का न होना हमारे युग की सबसे अधिक खतरनाक बुराई है।

अत: विश्वशान्ति की स्थापना में शान्ति को सर्वाधिक आवश्यकता है।

विश्व शान्ति के विकास के लिए भारतीय प्रयास :- भारतीय संस्कृति विश्व की समस्त संस्कृृृि तियों के लिए आदर्श एवं अनुकरणीय स्थान रखती है। भारतीय संस्कृति विश्व की समस्त संस्कृतियों के लिये आदर्श एवं अनुकरणीय स्थान रखती है। भारतीय संस्कृति की महानता के पीछे सबसे महत्त्वपूर्ण कारण इसके गुण हैं। इसमें सार्वजनिक हित, विश्व बन्धुत्व, अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं विश्व शान्ति की भावना आदि महत्वपूर्ण गुण हैं, जो इसको विश्व स्तर पर सम्माननीय दृष्टि एवं आदर्श स्वरूप् प्रदान करते हैं। भारत द्वारा प्राचीन समय से वर्तमान समय तक विश्व शान्ति के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में अहिंसा, सत्य, मानवता एवं नैतिकता का समावेश सदैव से ही रहा है। इसीलिए यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति में मानवीय संवदेना एवं विश्व शांतिकी भावना भरी हुई है। प्रो. एस. के. दुबे कहते है कि, '' भारतीय शैक्षिक सांस्कृतिक एवं आधात्मिक विचारधारा को विश्व स्तर पर इसीलिये स्वीकार किया गया है कि इसके द्वारा अशान्त मानव को शान्ति एवं आत्म सन्तोष से युक्त अद्भुत आनन्द की प्राप्ति है। शान्त मन कभी अशान्त विचार उत्पन्न नहीं करता है।' अत: यह स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज ने सदैव विश्व स्तर पर शान्ति के लिये प्रयास किये हैं। विश्व शान्ति के लिये भारत द्वारा किये गये प्रयासों को निम्नलिखत बिन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है -

1- पाकिस्तान से भारत के सम्बन्ध :- भारत एवं पाकिस्तान के सम्बन्धों पर विचार किया जाय तो यह तथ्य स्पष्ट हो जायेगा कि भारत ने सदैव आदर्शवादी दृष्टिकोण के कारण अनेक बार अशान्ति को समाप्त कर शान्ति स्थापित करने का प्रयास किया है। युद्ध के समय भी भारत द्वारा अपने कब्जे की गयी सम्पूर्ण भूमि को शान्ति प्रयासों के आधार पर ही छोड़ दिया, जिससे कि विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न न हो जाए। यह तथ्य स्पष्ट था कि रूस भारत का पक्ष लेता और

- अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष लेता तो विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती, जिसे भारत के प्रयासों ने ही रोक दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी एवं जनरल परवेज मुशर्रफ के बीच शिखर वार्ताओं के माध्यम से शान्तिस्थापित करने हेतु प्रयास किये गये।
- 2- श्रीलंका में शान्ति प्रयास :- श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति का भयावह रूप् देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी ने शान्ति सेना भेजकर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। इस प्रयास की कीमत उन्होंने अपना जीवन देकर चुकायी। इससे पूर्व भी भारत ने श्रीलंका सरकार एवंत मिल विद्रोहियों के बीच शान्ति वार्ता का आयोजन करके शान्ति स्थापित करने का प्रयास किया। इससे स्पष्ट होता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों में शान्ति एवं सद्भावना की स्थिति को देखना चाहता है।
- 3- चीन-भारत सम्बन्ध: चीन एवं भारत से 1962 में युद्ध होने के पश्चात् भारत ने अपने शान्ति प्रयासों में कमी नहीं छोड़ी। निरन्तर शान्ति प्रयासों के परिणामस्वरूप् आज चीन और भारत में मित्रतापूर्ण सम्बन्ध है। तिलस सीमा विवाद हल के लिए दोनों देश उच्च स्तरीय शान्ति वार्ताएँ करते रहते हैं, जोकि समस्या के समाधान के लिये आवश्यक होती हैं।
- 4- मालदीव की सुरक्षा:- मालदीव में आतं कवादी समूह द्वारा वहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम की सरकार को गिराकर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का पूर्ण प्रयास किया। भारतीय सेना ने उपद्रवियों के इस प्रयास को मालदीव की सहायता करके विफल कर दिया। इस कार्य के लिये विश्व पर भारतीय सेना एवं भारतीय सरकार की प्रशंसा की गयी क्योंकि आतं कवादियों एवं उपद्रवियों का सत्त में रहना विश्व शान्ति के लिए बहुत बड़ा आद्यात है। इस आघात को दूर करके भारत ने विश्व शान्ति में अपना योगदान दिया।
- 5- अफगानिस्तान की आर्थिक सहायता: विश्व शान्ति के प्रयासों में से भारत ने उग्रवादियों की सरकार को अफगानिस्तान से हटाने में सहयोग करने का वचन दिया। इसके बाद वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार को मान्यता प्रदान की। अफगानिस्तान के पुनर्निमार्ण में आर्थिक सहायता प्रदान करके भारत ने विश्व बन्धुत्व एवं विश्व शांति की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पग बढ़ाया है।
- 6- मानव अधिकारों का महत्त्व: अशान्ति को जन्म देने वाला प्रमुख कारण जनता का शोषण है। यदि विश्व स्तर पर जनता को शोषण से मुक्ति प्रदान कर दी जाय तो अशान्ति उत्पन्न नहीं हो सकती है। भारत ने प्रत्येक विश्व स्तरीय मंच पर मानव अधिकारों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। मानव अधिकार प्राप्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। अत: व्यक्ति को उसके आवश्यक अधिकार मिलेंगे तो व्यक्ति के मन में विद्रोह की भावना जन्म नहीं लेगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि मानव अधिकारों का समर्थन करके भारत ने विश्व स्तर पर शान्ति के प्रयासों में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
- 7- भारतीय निर्गुट नीति :- भारतीय विदेश नीति के रूप् में निर्गुट नीति भारतीय विदेश नीति का प्रमुख भाग है। यह नीति विश्व स्तर पर गुटबाजी एवं प्रतिद्वन्दिता को समाप्त करती है। इस नीति के अनुसार हमको किसी देश या गुट संकेतों पर कार्य करना है। हमकों उचित कार्य एवं व्यवस्था का समर्थन करना है तथा अनुचित तथ्यों की आलोचना करनी है। यह निर्गुट नीति इतनी प्रसिद्ध हुई कि श्रीमित इंदिरा गाँधी के समय में इसको 116 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। इस प्रकार

- भारत की निर्गुट नीति ने शान्ति व्यवस्था में प्रमुख योगदान दिया। यदि हम मानवीय एवं नैतिक तथ्यों का समर्थन करते हैं तो हम विश्व शान्ति के समर्थन हैं।
- 8- इराक एवं कुवैत विवाद: इराक ने कुवैत पर कब्जा करने को भारत ने सर्वप्रथम दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इराक को कुवैत से अपनी सेनाएं तुरन्त वापस बुलानी चाहिए। राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को पत्र लिखकर अपने विरोध से अवगत कराया।
- 9- इराक एवं अमेरिका विवाद: इराक एवं अमेरिका के युद्ध से पूर्व भारत ने पूर्णत: अमेरिका को समर्थन नहीं दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपित से बार-बार यही आग्रह किया था कि इस समस्या का हल बातचीत द्वारा ही सम्भव होना चाहिये। राष्ट्रपित सद्दाम हुसैन की हठधर्मिता के कारण भारत को अमेरिका के लिये समर्थन देना पड़ा क्यांकि यदि इस प्रकार के आक्रमण को नहीं रोका गया तो विश्व में साम्राज्यवादी नीतियों की वृद्धि हो जायेगी और प्रत्येक शक्तिशाली देश निर्बल देश को निगल जायेगा। इस प्रकार सम्पूर्ण विश्व में अशान्ति उत्पन्न हो जायेगी। इसीलिए विश्व शान्ति के हित को ध्यान में रखकर भारत ने अमेरिका की नीति का समर्थन किया तथा इराक की नीति का विरोध किया।
- 10-**इराक परमाणु विवाद :-** इराक द्वारा परमाणु परीक्षण करने को विश्व शान्ति के लिये आघात माना गया क्योंकि परमाणु शक्ति का प्रयोग सही हाथों में होना चाहिये। इस समस्या के समाधान को भी भारतीय प्रयासों से ही सहारा मिला तथा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दोनों पक्षों से शान्तिपूर्ण हल के लिये सुझाव प्रस्तुत किया। इस प्रकार प्रत्येक स्तर के विवादों के समाधान में भारत की भूमिका सराहनीय एवं महत्त्वपूर्ण रही है।
- 11-वर्ल्ड ट्रंड सेन्टर पर हमला: अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर पर हुए आतंकवादी हमले पर भारत ने ओसामा बिल लादेन की कड़ी निन्दा की तथा इसके लिये अमेरिका को आवश्यकता सहायता देने का वचन दिया। अफगानिस्तान से ओसामा बिल लादेन को हटाने के लिये अमेरिका को अपनी भूमि से विमानों को उड़ान भरने का प्रस्ताव भी भारत ने अमेरिका के पास भेजा। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत अशान्ति के स्त्रोतों को नष्ट करने तथा शान्ति स्त्रोतों को उत्पन्न करने में रूचि रखता है।
- 12-सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन :- भारत में अनेक प्रकार के विश्व स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिनमें विभिन्न देशों की सभ्यता एंव संस्कृति से परिचित होने का अवसर प्राप्त होता है: जैसे- भारतीय संस्कृति में मानवीय एवं नैतिक मूल्यों को महत्व प्रदान किया जाता है। यदि अन्य देश का व्यक्ति किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से परिचित होते हैं तो उन्हें भी इन मूल्यों में रूचि उत्पन्न होगी। इस प्रकार मानवीय और नैतिक दृष्टिकोण का विकास अन्य देशों के नागरिकों में भी हो जायेगा जो कि विश्व शांन्ति के लिये वरदान सिद्ध होगा।
  - उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्व शान्ति के क्षेत्र में भारत ने अनेक सराहनीय एवं महत्त्वपुर्ण कार्य किये हैं। यदि मूल्यों की सम्पनता की दृष्टि से भारत पर विचार किया जाय तो यह तथ्य सामने आता है कि कोई व्यक्ति एक बार भारतीय संस्कृति के सम्पर्क में आ जाता है तो वह अशांति की प्रक्रिया से सम्बन्धित बात नहीं कर सकता अर्थात् प्रत्येक स्तर पर शान्ति का

पुजारी बन जाता है। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को विश्व शान्ति का संरक्षक माना जाता है। भारतीय दर्शन में विश्व शान्ति की व्यवस्था, सर्व धर्म समभाव, सर्व कल्याण की भावना एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण को महत्त्व प्रदान किया, जो कि शान्ति प्रक्रिया के आधार स्तरम्भ हैं।

#### 1.10 शान्ति शिक्षा की उपयोगिता

शान्ति शिक्षा की उपयोगिता के बारे में संयुक्त राष्ट्रसंघ की अनेकानेक घोषणाएँ देखी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति दिवस 2013 को शान्ति शिक्षा के लिए समर्पित किया है तािक शान्ति शिक्षा के माध्यम से शान्ति संस्कृति पर लोगों का ध्यान केन्द्रित हो। यूनेस्कों के पूर्व मुख्य निदेशक कोइचीरोमत्सू ने शान्ति शिक्षा को 'यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र संघ में लक्ष्य का आधाभूत महत्त्व' करार दिया है। बैटीरेअरउन और डगलस राशि जैसे शान्ति के अन्वेषकों ने शान्ति शिक्षा को कुछ इस तरह का अधिकार बताया जिस पर अब कहीं अधिक बल दिया जा रहा है। आजकल शान्ति शिक्षा और मानवाधिकार शिक्षा का ताना-बाना तैयार हो चुका है। इआन टैरिस और जॉन साइनट ने शन्ति शिक्षा को 'शिक्षण की आवश्यक श्रृंखला' बताया है जिसका उत्कर्ष जनता में से हुआ है। शान्ति शिक्षा में (1) शान्ति की कमान (2) विवादों को अहिंसक तरीकों से सुलझाना और (3) एंसी संरचनात्मक व्यवस्थाओं के विश्लेषणार्थ आवश्यक कौशल निहित हैं जो अन्याय व असमानता को दूर करते हैं।

छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत :-जेम्स पेज के मतानुसार शान्ति शिक्षा, शान्ति को एक तयशुदा प्रवृति के रूप् में उत्साहित करने वाले संकल्प का सोचा-समझा विचार है जो छात्र को शान्ति दूत के रूप् में निरूपित करता है तथा उसे झगड़ों और अन्यायों से अवगत कराता है। यह शान्ति के मूल्य और न्यायपूर्ण सामाजिक संरचना के बारे में छात्र को अवगत कराता है और उसे दूसरों के बारे में हित चिन्तन के लिए न सिर्फ उत्साहित करता है बल्कि इस संसार से प्रेम करने व शान्तिमय भविष्य की कल्पना करने को भी प्रेरित करता है।

#### शान्ति की आवश्यकता

वर्तमान में संसार के प्रत्येक देश में हिंसात्मक प्रवृतियाँ सिर उठा रही हैं। सभी देशों के नागरिक अशान्त अनुभव कर रहे हैं।

विभिन्न देशों के मध्य सीमा-विवाद परस्पर संघर्ष का रूप् धारण करता जा रहा हैं। अनेकानेक प्रकार के राजनैतिक, सामरिक और व्यापारिक हितों के परस्पर टकराने से उत्पन्न विवादों ने मानव मन की शान्ति छीन ली है।

ऐसी स्थिति में शान्ति शिक्षा की पहले कहीं अधिक और व्यापक आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है। शान्ति शिक्षा को शिक्षण की आवश्यकता श्रृंखला बताया जा रहा है क्योंकि शान्ति शिक्षा के माध्यम से-

- 1) विवादों को अहिंसक तरीकों से सुलझाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- 2) ऐसे कौशल विकसित किये जाते हैं जो अन्याय और असमानता को दूर करते है।

- 3) छात्रों को शान्ति दूत के रूप् में प्रशिक्षित किया जाता है जो भावी नागरिक हैं।
- 4) संसार से प्रेम करना और भविष्य को शान्तिमय बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- 5) सिहण्णुता, सह-अस्तित्व और लैंगिक समानता का पाठ पढ़ाया जाता है।
- 6) विश्व नागरिकता के लिए छात्रों को तैयार किया जाता है।

शान्ति शिक्षा की उपर्युक्त विशेषताओं के कारण छात्रों के व्यवहार में सकारात्मकता परिवर्तन आते हैं और वे हिंसा व टकराव का रास्ता विचार-विमर्श, चर्चा-परिचर्चा तथा पारस्परिक वार्ताप को अपनी जीवन-शैली का आवश्यक अंग बना लेते है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सहनशीलता, जागरूकता आदि गुणों से उनका चरित्र परिपूर्ण हो जाता है और वे उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करने लगते हैं।

शान्ति शिक्षा-कार्यक्रम :- जॉन गल्तंग ने 1975 में कहा था कि शान्ति शिक्षा का सिद्धान्त अस्तित्व में नहीं और ऐसे सिद्धान्त की तत्काल आवश्यकता है। ऐसे सिद्धान्त की स्थापना का प्रयास सराहनीय है। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में 'शान्ति शिक्षा' कार्यक्रमों द्वारा परमाणुशक्ति के दुरूपयोग का विरोध, अन्तर्राष्ट्रीय समझ, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, संप्रेषण कौशल, अहिंसा, प्रजातंत्र, मानवाधिकारचेतना, विविधताओं के प्रति सहिष्णुता, सह-अस्तित्व और लैंगिक समानता की आवाज बुलन्द की गई। कुछ विद्वानों ने इसमें आन्तरिक तारतम्यता हेतु आध्यात्मिक विषय एवं विश्व-नागरिकता की बात जोड़ने का आग्रह किया। शान्ति शिक्षा को और भी अधिक व्यापक और उपयोगी बनाने पर बल दिया गया। इससे शान्ति शिक्षा सम्बन्धी तीन बातें उभरकर आई-

- 1) विवाद को सुलझाने के तरीकों का प्रशिक्षण देना।
- 2) प्रजातां त्रिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना।
- 3) मानवाधिकार शिक्षा।

स्पष्ट है कि नई-नई विधाएँ विश्व जनित सोच में रूपान्तरण करने पर केन्द्रित है।

शान्ति शिक्षा में अन्तर्निहित तत्त्व:- शान्ति शिक्षा कार्यक्रम सामाजिक व्यवहार से अपने लक्षणों पर केन्द्रित हैं और व्यक्ति को पारस्परिक विवादों को वार्तालाप के जिए एवं चिन्तन-प्रक्रिया के माध्यम से हल निकालने के पक्षधर हैं। इन कार्यक्रमों में क्रोध को नियंत्रित करने, भय से मुक्त होने, आवश्यकताओं को चिन्हित करने, भावना के स्थान पर तथ्यों को तरजीह देने आदि तत्त्व समाहित है। इसके साथ ही छात्रों को तथा व्यक्तियों को अपने कृत्यों की जवाबदेही के लिए प्रेरित किया जाता है। शान्ति शिक्षा कार्यक्रमों का उद्देश्य :- शान्ति शिक्षा के विविधरूपेण कार्यक्रमों का उद्देश्य व्यक्ति के

शान्ति शिक्षा कार्यक्रमों का उद्देश्य :- शान्ति शिक्षा के विविधरूपेण कार्यक्रमों का उद्देश्य व्यक्ति के विश्वास, दृष्टिकोण और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना है तािक हिंसा पर काबू पाया जा सके। विरोधात्मक सोच का होना एक आम बात है और यह स्वाभाविक भी है परन्तु इस तरह से जीवनभर तो संघर्षमय नहीं रहा जा सकता। निश्चित रूप् से हमें विरोधात्मक सोच को रूपान्तिरत करने के कामयाब तरीकों का इजहाद तो करना ही होगा। यही हितकर है।

शान्ति शिक्षा और प्रजातंत्र :- शान्ति शिक्षा कार्यक्रम प्रजातांत्रिक शिक्षा पर केन्द्रित है और समाज को हिंसा व युद्ध का/पारस्परिक झगड़ों का मार्ग त्यागकर विचार-विमर्श व बातचीत के माध्यम से समस्या-समाधान हेतु उत्साहित करते हैं। प्रजातांत्रिक समाज में विरोध की सम्भावना और सहिष्णुता की आवश्यकता आदि से इन्कार नहीं किया जा सकता। छात्रों को इस ढंग से प्रशिक्षित करने की

जरूरत है कि विरोधी विचारों को वे सृजनात्मकता और विकास का मंच समझने लगें। इससे उनमें सकारात्मक सोच, वाद-विवाद की प्रवृति तथा विचारों का संयोग जैसे कौशल विकसित होंगे जो उनमें उभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वैयक्तिकता, सहनशीलता एव जागरूकता जैसे प्रजातां त्रिक मूल्यों का विकास करेंगे।

इसका एकमात्र उद्देश्य 'उत्तरदायी नागरिकों' का निर्माण करना है जो अपनी सरकार को शान्ति स्तर पर जवाबदेह बना सकेंगे तथा ऐसे नागरिक की भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम होंगे जो निर्णय लेने, तर्क करने और दूसरों का सम्मान करने में समर्थ हो सकेंगे। ये वो कौशल हैं जो बहुदलीय प्रजातां त्रिक व्यवस्था नें नींव (आधार) का कार्य करते है तथा शान्ति-संस्कृति की संरचना के लिए जरूरी है। शान्ति-शिक्षा क कार्यक्रम मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता पर केन्द्रित होते हैं और व्यक्ति को

शान्तिप्रिय समुदाय के करीब लाते हैं। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करना तथा हिंसा, दमन व अनादर से व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना है।

#### 1.11 सारांश

इस इकाई में हमने शान्ति शिक्षा के अर्थ-प्रकृति तथा इसके विभिन्न क्षेत्र के बारे में विवेचन किया है। इसमें हमने मुख्य रूप से शान्ति अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक पर्यावरणीय व नारीवादी पर विशेष रूप से चर्चा की है। इस संपूर्ण इकाई के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शान्ति का अर्थ केवल प्रत्यक्ष हिंसा की अनुपस्थिति ही नहीं है। शान्ति की सकारात्मक अवधारणा में शान्ति हिंसा की अनुपस्थिति की अपेक्षा अधिक है। यह समान अवसरों, शान्ति और संसाधनों का सुस्पष्ट समान संरक्षण और कानून के निष्पक्ष प्रवर्तन के माध्यम से सामाजक न्याय की मौजूदगी है। इसलिए यदि संसाधनों की नकारात्मक अवधारणा का प्रयोग और प्रभाव तथा अस्त शान्ति है तो सकारात्मक शान्ति में युद्ध हिंसा और अन्याय के कारणों के मूल रूप से उन्मूलन और उसके पक्ष समर्थन में अंतनिर्हित है। इसमें इन प्रतिबद्धताओं को प्रतिबिम्बित करने वाले समाज के निर्माण के सतर्क प्रयास भी अंतर्निहित है। शान्ति प्राप्त करने के लिए शान्ति की इन अवधारणाओं के अनुयायिओं के प्रयास भिन्न होते । पूर्ववर्ती वास्तविक व संभावित हिंसा को नियमित करने, रोकने और कम करने के लिए वे और संगठनात्मक संघर्ष प्रबंधन पर अपने प्रयास केन्द्रित करते हैं। अन्त में, हम डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् के शब्दों में कह सकते हैं – ''सभी धर्मं पड़ौसी से प्रेम करने का उपदेश देते है, किन्तु प्रेम करने की क्षमता पा सकना कठिन काम हैं। आध्यात्मिक जीवन का विकास ही वह शक्ति है जो पडौसी को प्रेम करने की क्षमता प्रदान कर सकती है, फिर चाहे हम स्वाभवत: वैसा न करना चाहें | "ऐपिसिल ऑफ सेण्ट जेम्स" में कहा गया है, "तुम्हारे बीच युद्ध और संघर्ष कहाँ से आते हैं ? तुम चाहो भी तो तुम्हारे युद्ध यहाँ से (ईश्वर के यहाँ से) नहीं आते । मानवों की परस्पर विरोधी आकां क्षाओं से ही मानवों में तनातनी और संघर्षों का जन्म होता हैं | इससे बचने के लिए हमें अपने अन्तर में अनुरूपता रखना आवश्यक है | मानव के आन्तरिक जीवन के ज्ञान से ही सम्पूर्ण मानवता के ऐक्य की अनुभूति करायी जा सकती हैं । " अत: शान्ति शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों को यह अनुभूति करायी जाय कि सभ्यता के विकास में किसी जाति या जाति-समूह का एकाधिकार नहीं रहा है वरन् सभी राष्ट्रों का योगदान रहा है | उनको उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करना सिखाया जाये। इस प्रकार सार्वभौम बंधत्व के लिए कदम उठाये

जायें | उन्हें धार्मिक मामलों में दूसरे देशों तथा युगों के मनीषियों के योगदान को अवश्य समझाया जाना चाहिये |

#### 1.12 अभ्यास प्रश्न

- 1. शान्ति के अर्थ को स्पष्ट कीजिए।
- 2. शान्ति अध्ययन की सकारात्मक व नकारात्मक प्रकृति को स्पष्ट कीजिए?
- शान्ति अध्ययन के क्षेत्र से आपका क्या अर्थ है।
- 4. पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक पर्यावरणीय व नारीवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करें।

# 1.13 संदर्भ ग्रंथ सूची

- दाधीच, नरेश (सम्पादित), टुवर्डस् ए मोर पीसफुल वर्ल्ड : इन्टरनेशनल एण्ड इण्डियन परस्पेक्टिव, आलेख पब्लिशर्स, जयपुर, 2004
- सरस्वती, बैधनाथ (सम्पादित), कल्चर ऑफ पीस एक्सपीरियन्स एण्ड, इन्दिरा गाँधी नेशनल सेन्टर फॉर द आर्ट्स एवं डी.के. प्रिन्टवर्ल्ड, नई दिल्ली, 1999।
- प्रसाद, देवी, पीस एड्केशन ऑर एड्केशन फॉर पीस, गाँधीपीस फाउंडेशन, नई दिल्ली, 1984
- गंगराडे के.डी. एवं मिश्रा, आर.पी., कॉनिफ्लक्ट रेसोल्यूशन श्रू नॉनवायलेन्स, कानसेप्ट पब्लिशिन्ग कम्पनी, नई दिल्ली, 2007
- दास, दीप्ती मोई, डोकट्रीन ऑफ ट्रूथएण्ड नॉन वायलेन्स : ए क्रिटिकल, स्टडी, डॉमिनेन्ट पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2008।
- कुमार, महेन्द्र, थ्योरिटिकल आस्पेक्ट्स ऑफ इन्टरनेशनल पॉलिटिक्स, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा, 1981

# इकाई – 2

# शांति शिक्षा: एक दृष्टिकोण

# **Peace Education: An Outlook**

#### इकाई की रुपरेखा

- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 उद्देश्य
- 2.3 शान्ति का अर्थ
- 2.4 शान्ति के बारे में विचार
- 2.5 शान्ति शिक्षा के प्रति पश्चिमी दृष्टिकोण
- 2.6 नारीवादी शान्ति सिद्धान्त
- 2.7 शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की दिशा में प्रयास
- 2.8 विश्व शान्ति में बाधक एवं एकीकरण के तत्त्व
- 2.8 सारांश
- 2.9 अभ्यास प्रश्न
- 2.10 संदर्भ ग्रंथ सूची

#### 2.1 प्रस्तावना

शान्ति शिक्षा न कोई नवीन और न ही कोई प्राचीन शब्द है | जबिक 1970 के दशक के प्रारम्भ में अन्वेषणात्मक योजना थी जो शान्ति अध्ययन और शान्ति शिक्षा की अन्तर्निहित प्रकृति की रूपरेखा तैयार करती है और टिप्पणी करती है कि बहुत कुछ होना बाकी है । 1980 के दशक के मध्य में यह बहस भिन्न स्तर पर पहुंच गई और व्यवहार में काफी कुछ किया गया । यद्यपि अधिकतर साहित्य 'शान्ति शोध' ,'शान्ति शिक्षा' एवं 'शान्ति अध्ययन' में कोई भेद नहीं करता है । इन परस्पर सम्बन्धित परन्तु भिन्न आयामों के मध्य स्पष्ट विभेद करना आवश्यक है शिक्षा की प्रक्रिया से स्पष्ट सम्बन्ध है क्योंकि वह शिक्षा ही है जो ज्ञान के प्रसार, मूल्यों की समझ इत्यादि के लिए उत्तरदायी है । इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 'शान्ति शोध' ज्ञान के विकास एवं संकलन से सम्बन्धित है, 'शान्ति शिक्षा' शान्ति के विषय में शिक्षा की प्रक्रिया के विकास से सम्बन्धित है, जबिक 'शान्ति अध्ययन' विचार का ऐसा क्षेत्र है जो शान्ति के ज्ञान के प्रसार की प्रक्रिया के उद्देश्य और उसमें आने वाली समस्याओं के वास्तविक मुद्दों से सम्बन्धित है । अत: यह कहा भी जा सकता है कि शांति शिक्षा, शांति अध्ययन में ही समाहित है।

## 2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप समझ सकेंगे कि -

- शान्ति शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण
- शान्ति की अवधारणा का विकास
- शान्ति के बारे में मार्क्सवादी लेमिनवादी विचार
- शान्ति शिक्षा की दिशा
- शान्ति की अवधारणा
- विश्वशान्ति हेतु शिक्षा की भूमिका

# 2.2 शान्ति का अर्थ

पिछली इकाई में हम शांति और शांति शिक्षा के अर्थ को विस्तार से समझ चुके हैं | परन्तु एक बार पुन: शान्ति के विभिन्न अर्थों / धारणाओं / लक्षणों को समझना होगा । कुछ के लिए शान्ति अहिंसा की एक, विद्वेष की अनुपस्थिति हो सकती है । वृहद शब्दावली में इसे हिंसक अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष की समाप्ति कहा जा है; इस अन्तराष्ट्रीय संदर्भ में शान्ति युद्ध का विपरीत है । इसे विभिन्न दलों के मध्य ऐसे सम्बन्धों के में भी समझा जा सकता है जिनकी विशेषता है सम्मान, न्याय, और शुभेच्छा । अधिक सामान्य रूप में कहा तो शान्ति एक व्यक्ति के लिए पर्यावरण से सम्बन्धित भी हो सकती है क्योंकि शान्तिपूर्ण का अर्थ हो सकता है शान्त, शान्ति और खामोशी । शान्ति की यह बाद वाली व्याख्या एक व्यक्ति के स्वयं के ज्ञान के विषय भी उपयुक्त हो सकती है क्योंकि 'स्वयं के साथ शान्ति से होना' भी एक व्यक्ति के अर्न्तमन में उसी, शान्ति शान्त, और सन्तुलन को परिलक्षित करता है । वर्तमान समय में, शान्ति का वृहद रूप से पहचाना जाने वाला प्रतीक चिह्न निशस्त्रीकरण के लिए अभियान है ।

यदि शान्ति की पुरानी पारम्परिक राजनीतिक परिभाषा और इस शब्द विशेष पर जाएं तो पाएं में कि इसकी उत्पत्ति प्राचीन रोम में हुई, जिन्होंने शान्ति को युद्ध की अनुपस्थिति के रूप में किया था। परन्तु आज के वर्तमान समय में शान्ति का अर्थ मृत्यु भी है। यह एक ऐसे आदर्शवादी विश्व भी निरूपित करती है जो प्रकृति व मनुष्य के साथ सामंजस्य में रहता है। शान्ति की अवधारणा लोगों की भौगोलिक राजनीतिक अस्तित्व में प्रजा की स्थिति पर भी लागू होती है क्योंकि गृह युद्ध, राज्य द्वारा जाति संहार, आतंकवाद, और अन्य प्रकार की हिंसा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शान्ति के लिए धमकी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राज्यों के मध्य युद्ध कम हो गए हैं, जबिक आन्तरिक हिंसक संघर्ष अधिक केन्द्रीय का विषय बन गए हैं। उदाहरण के लिए, आज के सूडान में वृहद हिंसा और दुःख का परिदृश्य है, यद्यपि इसका किसी अन्य प्रभुसत्तात्मक राज्य के साथ युद्ध नहीं चल रहा है। इस संदर्भ में शान्ति, समूहों के मध्य हिंसा की अनुपस्थिति के रूप में समझा जा सकता है, ये समूह राज्य तन्त्र का हिस्सा हों या नहीं।

हिंसा की प्रत्यक्ष अनुपस्थिति के रूप में शान्ति की अवधारणा को भी कुछ लोगों द्वारा अपूर्ण मान कर चुनौती दी गई है। जॉन गाल्टुंग शान्ति की इस अवधारणा को 'नकारात्मक शान्ति' कहते हैं। वह सुझाव देते हैं कि वास्तिवक शान्ति के अस्तित्व के लिए संघर्ष के आधारभूत बिन्दुओं का सुलझना आवश्यक है।

शान्ति को न्याय से जोड़ते हुए महात्मा गाँधी ने विचार रखा कि यदि किसी दमनात्मक समाज में हिंसा की अनुपस्थित है तो भी वह समाज शान्तिपूर्ण नहीं है क्योंकि वहां दमन का अन्याय उपस्थित है। गाँधी ने शान्ति का ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जिसमें न्याय एक आवश्यक और अन्तर्निहित पहलू है। इसके अनुसार शान्ति के लिए केवल हिंसा की अनुपस्थिति ही नहीं अपितु न्याय की उपस्थिति भी आवश्यक है। जॉन गाल्ट्रंग, न्याय के साथ शान्ति को 'सकारात्मक शान्ति' कहता है, क्योंकि इस वातावरण में विद्वेष व हिंसा फल फूल नहीं सकते। महात्मा गाँधी के पश्चात, 1950 और 60 के दशक में मार्टिन लूथर किंग और दूसरे नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने अमरीका में पृथक्करण और प्रजातीय उत्पीड़न को समाप्त करने के ध्येय से विभिन्न अहिंसक आन्दोलन किए। ये शान्ति को हिंसा की अनुपस्थिति से अधिक कुछ मानते थे। उन्होंने देखा कि श्वेत व अश्वेत के मध्य कोई स्पष्ट संघर्ष नहीं था पर एक ऐसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था अस्तित्व में थी जिसके माध्यम से सरकार अफ्रीकी अमरीकियों को समान अधिकारों से वंचित रख रही थी। कुछ विरोधियों ने इन सक्रियतावादियों की शान्ति भंग करने के लिए आलोचना की, मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि 'तनाव की अनुपस्थिति जो नकारात्मक शान्ति है' की तुलना में 'न्याय की उपस्थिति जो सकारात्मक शान्ति है' अधिक वां छनीय है। शान्ति, संघर्ष न करने से कहीं अधिक है। शान्ति का अर्थ है एक दूसरे की सहायता करना। शान्ति हमेशा से मानवता के उच्चतम मूल्यों में से एक, कुछ के लिए तो सर्वोपरि, रही है। उनके अनुसार शान्ति किसी भी कीमत पर रहनी चाहिए। कुछ के अनुसार सर्वाधिक असुविधाजनक शान्ति सर्वाधिक न्यायपूर्ण युद्ध से बेहतर है।

#### 2.4 शान्ति के बारे में विचार

गाल्टुंग का नकारात्मक और सकारात्मक शान्ति का सिद्धान्त आज विस्तृत रूप से उपयोगी है। नकारात्मक शान्ति का अर्थ है प्रत्यक्ष हिंसा की अनुपस्थिति। सकारात्मक शान्ति का अर्थ है अप्रत्यक्ष और ढांचागत हिंसा की अनुपस्थिति। इस सिद्धान्त को विभिन्न शोधकर्ता अपनाते है। शान्ति अध्ययन को उन्नत बनाने के लिये विभिन्न विचार, मॉडल और शान्ति स्थापित करने के उपाय सुझाये गये हैं।

- शान्ति एक प्राकृतिक सामाजिक अवस्था है न कि युद्ध । शान्ति संबन्धी शोधकर्ताओं की मान्यता है कि विवादग्रस्त दलों को पर्याप्त जानकारी देकर युद्ध और विवाद को टाला जा सकता है।
- हिंसा पापपूर्ण और कौशल रहित है जबिक अहिंसा कौशलपूर्ण एवं गुणवान है, इस विचार को बढावा दिया जाना चाहिये। अधिकां शधार्मिक परम्पराओं का यही विश्वास है।
- तीसरा विचार शान्तिवाद का विचार है इसकी मान्यता है कि मानव व्यवहार में शान्ति एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति है।
- एक अन्य विचार है कि शान्ति स्थापित करने के लिये विभिन्न माध्यम संभव हैं।
- विवाद का त्रिभुज : जॉन गाल्टुंग का विवाद का त्रिभुज सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है
   कि शान्ति को स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके विपरीत हिंसा को परिभाषित

किया जाये। इसका सैद्वान्तिक लक्ष्य है हिंसा को रोकना, उसका प्रबंधन करना, उसे सीमाबद्ध करना और उस पर विजय प्राप्त करना।

- प्रत्यक्ष हिंसा जैसे प्रत्यक्ष, आक्रमण, नरसं हार आदि ।
- ढां चागत हिंसा, दूर िकये जा सकने वाले कारणों के कारण उत्पन्न हिंसा जैसे कुपोषण के कारण मृत्यु । ढां चागत हिंसा एक अप्रत्यक्ष हिंसा है जो अन्यायपूर्ण ढां चे के कारण उत्पन्न होती है और इसे ईश्वरीय इच्छा नहीं माना जा सकता ।
- सां स्कृतिक हिंसा वह हिंसा है जो व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अथवा ढांचागत हिंसा की ओर ध्यान नहीं देने के कारण होती है जैसे कोई व्यक्ति बेघर लोगों के प्रति असंवेदनशील हो सकता है और यहाँ तक कि उन्हें बाहर निकालने और उनकी हत्या करने के बारे में सोच सकता है।

#### शान्ति अध्ययनों का वर्गीकरण

अन्तरानुशासनात्मक शान्ति अध्ययन - इसके अंतर्गत राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र आते हैं। आलोचनात्मक सिद्धान्त भी शान्ति और विवाद अध्ययनों में विस्तृत रूप से उपयोगी हैं।

- 1. **बहु-स्तरीय शान्ति अध्ययन** यह शान्ति-अध्ययन, अंतर्वेयक्तिक शान्ति, व्यक्तियों, पड़ोसियों,जातीय समूहों, राज्यों एवं सभ्यताओं के बीच शान्ति का अध्ययन करता है।
- 2. **बहु-सां स्कृतिक शान्ति अध्ययन** गाँधीजी का शान्ति-अध्ययनों में एक महत्वपूर्ण योगदान है । किन्तु वास्तविक बहु-सां स्कृतिवाद अभी भी पश्चिमी देशों तक ही सीमित है।
- 3. विश्लेषणात्मक एवं सैद्धान्तिक शान्ति अध्ययन एक सैद्धान्तिक अध्ययन के रूप में शान्ति अध्ययन मूल्यों पर आधारित होता है।
- 4. सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक शान्ति अध्ययन निःशस्त्रीकरण पर लम्बे समय से चली आ रही बहस, शस्त्र उत्पादन, व्यापार और उनके राजनैतिक प्रभावों का परीक्षण करने, उनका वर्गीकरण और विश्लेषण करने के कई प्रयास हुए हैं। युद्ध के आर्थिक पहलुओं पर भी काफी विचार हुआ है।

शान्ति और विवाद अध्ययन अब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सुदृढ़ रूप से स्थापित हो चुके हैं। शान्ति और विवाद अध्ययन से सम्बंधित कई पत्रिकायें महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों विभाग, शान्ति अनुसंधान संस्थान, गोष्ठियां आदि शान्ति और विवाद अध्ययन की उपयोगिता बताते हैं।

# 2.4 शान्ति शिक्षा के प्रति पश्चिमी दृष्टिकोण

इस विषय में सर्वाधिक प्रचलित पश्चिमी दृष्टिकोण है मतभेद, हिंसा व युद्ध की अनुपस्थिति। यह न्यू टैस्टामेन्ट में पाया जाता है और संभवत: शान्ति के लिए प्रयुक्त ग्रीक शब्द Irene का मूल अर्थ भी यही है। शान्तिवादियों ने नई व्याख्या अपनाई है, उनके लिए समस्त हिंसा बुरी है। इस अर्थ को सिद्धान्तवादियों व अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विद्यार्थियों ने वृहद स्वीकृति दी है। यह प्राथमिक शब्दकोषीय परिभाषा है। शान्ति को सामंजस्य, समन्वय, एवं प्रशान्ति के रूप में भी देखा जाता है।

विशेषकर पूर्व में, इसे मानसिक शान्ति अथवा प्रशान्ति के रूप में देखा जाता है। इसे कानून के राज्य अथवा नागरिक सरकार के रूप में पिरभाषित किया जाता है या न्यायपूर्ण राज्य और शक्तियों के संतुलन के रूप में। शान्ति के ये अर्थ विभिन्न स्तरों पर कार्य करते हैं। शान्ति विरोधात्मक संघर्ष, हिंसा अथवा युद्ध की विरोधी या विलोम भी हो सकती है। यह आन्तरिक स्थितियों (मन अथवा राष्ट्र की) के विषय में हो अथवा बाह्य सम्बन्धों के। यह अवधारणा संकीर्ण भी हो सकता है, विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट सम्बन्धों के बारे में (जैसे कोई शान्ति सिन्ध) अथवा एक पूर्ण समाज का घेरे में लेते हुए, वृहद प्रसारित भी (जैसे विश्व शान्ति में)। शान्ति द्विभाजन हो सकती है (इसका अस्तित्व है अथवा नहीं है) अथवा सतत, निष्क्रिय अथवा सिक्रय, अनुभवजन्य अथवा अमूर्त, वर्णनात्मक अथवा नियामक या सकारात्मक अथवा नकारात्मक। समस्या यह है कि शान्ति अपने अर्थ और विशेषताओं को एक निश्चित सिद्धान्त अथवा ढांचे से प्राप्त करती है। इसाई, हिन्दू और बुद्ध धर्म अनुयायी शान्ति अलग दृष्टिकोण से देखेंगे, जैसे कि शान्तिवादी व अन्तर्राष्ट्रवादी। समाजवादी, फासीवादी अथवा उदारवादी भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं जैसे कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के शक्ति अथवा आदर्शवादी सिद्धान्त। अर्थों की इस विभिन्नता में शान्ति वास्तव में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, शक्ति, संघर्ष, वर्ग, जैसे समस्त अन्य धारणाओं से भिन्न नहीं है।

सभी धारणाओं को एक सिद्धान्त अथवा ज्ञानात्मक ढांचे में परिभाषित किया जाता है। एक दृष्टिकोण के अन्तर्गत शान्ति को अपना अर्थ यथार्थ एक विशिष्ट बोध के अन्दर अन्य धारणाओं से जुड़ कर एवं हिंसा, इतिहास, दैवीय कृपा, न्याय इत्यादि विचारों व पूर्वधारणाओं के साथ उसके सम्बन्धों से प्राप्त होता है। इस प्रकार शान्ति हमारे यथार्थ और एक दूसरे के विषय में विवरणात्मक दृष्टिकोण में निहित है। शान्ति स्वयं में एक साध्य नहीं है। शान्ति मानव अस्तित्व की प्राथमिकता पर निर्भर करती है। हम शान्ति की खोज में नहीं जीते हैं अपितु हम जीने के लिए शान्ति को खोजते हैं। जैसे-जैसे लोगों में उनके जीवन के मूल्य का शान बढ़ता है उसी अनुपात में शान्ति व सुरक्षा के लिए इच्छा तीव्र होती है। शान्ति मात्र युद्ध अथवा हिंसा की अनुपस्थिति नहीं है। यह एक गतिमान प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति व समुदायों के मध्य शान्ति व आनन्द प्राप्त करने हेतु संवाद एवं क्रियायें सिम्मिलित हैं।

#### ऐतिहासिक परिदृश्य

यूरोप के महायुद्ध को मित्र देशों के प्रचार में समस्त युद्धों का अन्त करने वाले युद्ध' का नाम दिया गया। यद्यपि मित्र देशों ने युद्ध जीत लिया, उसके परिणामस्वरूप प्राप्त की गई शान्ति, यथा 'वर्साई की सिन्ध' ने केवल और अधिक रक्तरंजित युद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध के लिए मंच तैयार किया। मित्र देशों की विजय के पूर्व बोल्शेविकों ने रूसी जनता को 'शान्ति, भूमि, और रोटी' का वचन दिया था। यद्यपि लेनिन ने शक्तियों के विरुद्ध विनाशकारी युद्ध का अन्त कर दिया परन्तु उसके तत्काल बाद होने वाले गृहयुद्ध के कारण लाखों की जनहानि हुई। ये असफलताएं युद्ध को शान्ति प्राप्त करने के प्रयास के रूप में प्रयुक्त करने की, समस्या को उद्धत करती हैं।

प्रजातां त्रिक शान्ति सिद्धान्त के प्रस्तावक तर्क देते हैं कि इस बात का साक्ष्य है कि प्रजातंत्र एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध कभी-कभी ही या कभी भी नहीं छेड़ते। औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात देश प्रजातंत्र बनते जा रहे हैं, और ऐसा दावा किया जाता है कि यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो विश्व शान्ति सम्भव हो जाएगी।

तथापि, आलोचकों ने इसका प्रतिवाद किया है, जैसे कि यह तर्क देना कि यह ऐसे राष्ट्र की, जो प्रजातंत्र बनने की ओर प्रवृत हैं, समृद्धि, शक्ति एवं स्थिरता से सम्बन्धित अन्य कारकों द्वारा समझाया जा सकता है जैसे कि वैश्विक व्यापार पर बढ़ती हुई निर्भरता और परस्पर आश्वासित विनाश के तथ्य। इतिहास संघर्षों से भरपूर है परन्तु कतिपय जनभागों, क्षेत्रों व राष्ट्रों ने पीढ़ियों तक चलने वाले शान्तिकाल देखे हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

- स्वीडन (1814-वर्तमान) सर्वाधिक लम्बे सतत शान्ति के इतिहास वाला वर्तमान काल का राष्ट्र स्वीडन है। 1814 में इसके द्वारा नार्वे पर आक्रमण के पश्चात स्वीडन कभी युद्धरत् नहीं हुआ है।
- स्विटजरलैण्ड (1815-वर्तमान) तटस्थता पर कठोर मुद्रा अपनाने के कारण स्विटजरलैण्ड को लम्बी अविध की शान्ति बनाए रखने की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है।
- कोस्टारिका (1949-वर्तमान) 1944 में 44 दिन के गृह युद्ध के बाद, 1949 में कोस्टा रिका ने अपनी सेना समाप्त कर दी। उसके बाद से इसका इतिहास शान्तिपूर्ण रहा है, विशेषतया उसके पड़ोसी केन्द्रीय अमरीकी देशों के सम्बन्ध में। इस कारण से इस देश को 'अमरीका का स्विटजरलैण्ड' नाम दिया गया है।
- पेनीसिलवेनिया (1682-1754) पेनीसिलवेनिया उपनिवेश में 72 वर्ष तक शान्ति काल रहा। इस अविध में इसने सेना नहीं रखी और कोई युद्ध नहीं िकया। मित्र धार्मिक समाज (रिलीजियस सोसायटी ऑफ फ्रैंड्स) के सदस्य विलियम पैन के स्वामित्व (1644-1718) में इस उपनिवेश ने धार्मिक व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एवं देशज अमरीकनों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार के कारण प्रतिष्ठा अर्जित की। यद्यपि यह कुछ हद तक यूटोपियन (आदर्शवादी) प्रयोग था परन्तु यह उपनिवेश आदर्श राज्य नहीं था। दासता, करारबद्धता एवं वर्गसंघर्ष ने इसका स्वरूप बिगाड़ रखा था। इसके साथ ही विलियम पैन के उत्तराधिकारियों का देशज अमरीिकयों के प्रति व्यवहार, विशेषकर 1737 के वॉकिंग परचेज' में, कम न्यायपूर्ण था। तथापि, पेनीसिलवेनिया का औपनिवेशिक प्रयोग शान्तिपूर्ण समाज के उदाहरण के रूप में अच्छा अध्ययन विषय है
- अमीष (1693-वर्तमान) मुख्य रूप से स्विस / जर्मन वंश वाला एनाबैपटिस्ट अथवा मैनॉनाइट्स का पंथ, अमीष एक शान्तिपूर्ण जीवनशैली संधारित करता है। इसमें धार्मिक निष्ठा, तकनीकी प्रगति का प्रतिरोध, एवं अप्रतिरोध शामिल है। वे शायद ही कभी स्वयं की शारीरिक अथवा न्यायालय में रक्षा करते हैं। युद्ध काल में वे नैतिक आपित्त स्थिति अपनाते हैं। वर्तमान में 150,000 से अधिक अमीष संयुक्त राज्य अमरीका के 47 राज्यों, कनाडा और बेलीज में सघन समुदायों में निवास करते हैं।

# 2.6 शान्ति की अवधारणा का विकास : पश्चिमी शान्ति शोध की छ: अवस्थाएं

'शान्ति की संस्कृति' शब्दावली यूनेस्को के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रबिन्दु बन गई है। शैक्षिक क्षेत्र में भी यह महत्वपूर्ण बन गया है। जैसा कि 'शान्ति की संस्कृति में विश्व के धर्मों का योगदान' पर 1993 बार्सीलोना अधिवेशन। प्रायोगिक धरातल पर यूनेस्को द्वारा दक्षिण में इस धारणा पर आधारित फील्ड परियोजनाएं का प्रारम्भ किया गया है। यदि संक्षिप्तता के कारण हम शान्ति चिंतन का अतिसरलीकरण करें तो कम से कम छ: व्यापक श्रेणियों की पहचान करना सम्भव है जो कि एक विस्तृत अर्थ में पश्चिमी शान्ति शोध में शान्ति चिंतन के विकास के समनुरूप हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक समय में सभी विद्वान एक प्रकार से सोचते थे और अब दूसरी तरह से सोचने लगे हैं। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि शान्ति शोधार्थियों के बहमत ने अब एक समग्र प्रतिमान अपना लिया है।

## शान्ति युद्ध की अनुपस्थिति के रूप में

यह राज्यों के मध्य अथवा उनके भीतर हिंसक संघर्षों- युद्ध व गृह युद्ध- पर लागू होता है। सामान्य जन एवं राजनीतिज्ञों में शान्ति की यह अवधारणा अभी भी व्यापक रूप से मान्य है। कतिपय स्थितियों में यहां बहस की गुंजाइश है, यह अभी भी एक वैधानिक उद्देश्य है, कम से कम जब तक हत्याएं बन्द न हो जाएं और जिन्दगी से युद्ध में मृत्यु से अधिक कुछ अपेक्षा करना सम्भव हो जाए। साथ ही, यहां चर्चित शान्ति की सभी छ: परिभाषाएं युद्ध की अनुपस्थिति को शान्ति की पूर्वस्थिति मानती हैं। दूसरे शब्दों में यदि शान्ति मात्र राज्यों के मध्य व राज्य के भीतर युद्ध की अनुपस्थिति ही है तो शान्ति की संस्कृति वह संस्कृति होगी जो राज्यों के मध्य व राज्य के भीतर युद्ध अधिकाधिक असंभाव्य होते जाएंगे जब तक कि अंतत: ऐसे युद्ध सर्वथा समाप्त न हो जाएं। शान्ति की ऐसी संस्कृति लम्बे समय से विश्व के कतिपय हिस्सों में कुछ राज्यों के मध्य स्थापित की जा चुकी है। जैसे कनाडा और संयुक्त राज्य अमरीका, युनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैण्ड के मध्य। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पिछली कुछ शताब्दियों में इस प्रकार की शान्ति संस्कृति की ओर विश्वस्तरीय प्रवृति दिख रही है। उदाहरणस्वरूप, यूरोप में अन्तर्राज्यीय युद्ध की निरन्तर कम होती प्रवृत्ति कुछ सौ वर्षो में घटित हुई है और अब यूरोपीय समुदाय के सदस्यों के मध्य इस की शान्ति संस्कृति है। इसी प्रकार से, विश्वपर्यन्त अन्तर्राज्यीय युद्ध से परे जाने की प्रवृत्ति एक प्रभावी प्रथा रही है जैसा कि 1938 से पूर्व था। विदेशी सैन्य हस्तक्षेप के साथ राज्यों के भीतर सशस्त्र संघर्ष प्रमुख प्रथा रही उदाहरणस्वरूप वियतनाम व अफगानिस्तान युद्ध, जैसा कि 1980 के दशक के मध्य तक था। इस प्रकार एक स्तर पर, जो कि राज्यों के मध्य है, शान्ति की संस्कृति की ओर (युद्ध की अनुपस्थिति) काफी प्रगति हुई। राज्यों के भीतर संघर्ष के विषय में यह सत्य नहीं है, विशेषकर जहां सांस्कृतिकरूप से भिन्न राष्ट्र अथवा समूह सम्बन्धित हों। इस समस्या के अन्वेषण के लिए शक्तियों के संतुलन के रूप में शान्ति की संस्कृति पर विचार करना आवश्यक है।

## शान्ति अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्तियों का संतुलन

क्विन्सी राइट (1941) ने युद्ध की अनुपस्थिति विचार में किंचित परिवर्तन किया। उसने सुझाव दिया कि शान्ति एक सक्रिय संतुलन है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी कारक सम्मिलित हैं और जब यह संतुलन टूटता है तब युद्ध होता है। राइट तर्क देता है कि अन्तर्राष्ट्रीय में यह संतुलन बना जिसको राज्यों एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजकीय संगठनों के मध्य व राज्यों के मध्य व राज्य के भीतर सम्बन्धों के सम्पूर्ण प्रतिरूप के अनुसार परिभाषित किया गया है। राईट राज्य के भीतर आन्तरिक जनमत की भूमिका की भी चर्चा करता है - जिसमें सामुदायिक स्तर का विश्लेषण सम्मिलित है । उसका मॉडल मानता है कि शान्ति संतुलन को पुर्नस्थापित करने के लिए शान्ति संतुलन में शामिल किसी कारक में अर्थवान परिवर्तन के साथ अन्य कारकों में तदनुरूप परिवर्तन आवश्यक होता है। उदाहरणस्वरूप, गलतफहमी के शिकार । ' परमाण् बम के जनक' रॉबर्ट ऑपनहैमर ने जब उसने परमाण् बम बनाने की प्रक्रिया जारी रखने पर जोर दिया तब उसने राईट का दृष्टिकोण अपनाया, जिससे कि नवीन वैश्विक सैन्य तकनीकी को नियंत्रित करने हेत् वैश्विक राजनीतिक संस्था संयुक्ता राष्ट्र का निर्माण करना आवश्यक हो जाए। शक्तियों के सन्तुलन की शान्ति संस्कृति की विभिन्न सिद्धान्तवादियों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्यों के मध्य बढ़ी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अन्तर्निभरता के कारण उनके मध्य संघर्ष की घटी हुई सम्भावना के संदर्भ में व्याख्या की है। इस प्रकार अब फ्रांस और जर्मनी के मध्य युद्ध दोनों पक्षों द्वारा सोचा नहीं जा सकता। इस तथ्य के बावजूद कि केवल 50 वर्ष पूर्व इन दोनों देशों मानव इतिहास के सर्वाधिक रक्तरंजित युद्धों के लिए युद्धक्षेत्र उपलब्ध करवाया था । यही बात शायद भारत और पाकिस्तान, अर्जेनटीना और चिली, अथवा उत्तरी व दक्षिणी कोरिया के विषय में सत्य नहीं है, यद्यपि एकीकरण सिद्धान्तवादी तर्क देंगे कि इन में से किन्हीं देशों के मध्य युद्ध का खतरा कम हो गया है और भविष्य में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अन्तर्निभरता के साथ साथ निश्चित रूप से समाप्त ही हो जाएगा। यह कार्यात्मक एकीकरण तर्क, जिसका शक्तियों के सन्तुलन के साथ निकट सम्बन्ध है, सुझाव देता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शान्ति को शक्तियों के सन्तुलन के रूप में देखा जाता है जो परिवर्तन को राज्य स्तर पर अहिंसक रूप से निपटाना सम्भव बनाता है। ऐसा वैश्वीकरण प्रक्रिया की तुलना में अधिक है और यह ऊपर दिए गए एकीकरण तर्क के अनुसार है। इससे शान्ति संस्कृति को बल मिलना चाहिए। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल के लिए विशेषतया सत्य है जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई और अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी संगठनों, अन्तर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों व बहुराष्ट्रीय एवं पराराष्ट्रीय निकायों में नाटकीय विस्तार हुआ। इस अवधि में, 'शक्तियों में संतुलन' शान्ति संस्कृति में पर्याप्त वृद्धि हुई है जैसा कि राज्यों के मध्य सीमापार युद्धों में नाटकीय कमी आने से सूचित होता है। इस अर्थ में शान्ति संस्कृति उन संरचनाओं, मानकों एवं प्रथाओं की ओर इंगित करता हैं जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था और राज्यों के भीतर वृद्धि हुई है और जिन्हें यद्यपि राज्यों के समुदाय का स्वीकार्य सदस्य बनने के लिए आवश्यक नहीं माना जा रहा पर अधिकाधिक उपयुक्ता माना जा कर स्वीकार किया जा रहा है। कैनेथ बॉल्डिंग जैसे सिद्धान्तवादी मानते हैं कि युद्ध की अनुपस्थिति के अर्थ में शान्ति के साथ शान्ति के क्षेत्रों का विकास 'शान्ति के लिए आन्दोलन' का परिणाम हैं। बॉल्डिंग के लिए शान्ति के लिए आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्यों के मध्य बढी हुई आर्थिक एवं सामाजिक अन्तर्निभरता का

परोक्ष परिणाम है, जबिक शान्ति आन्दोलन का ऐसे व्यक्तियों और समूहों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है जो युद्ध, परमाणु हथियारों और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अन्य अवांछित तत्वों के विरुद्ध सिक्रय अभियान चलाते हैं। शान्ति के क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिनमें उस क्षेत्र के अन्दर आने वाले राज्यों व राष्ट्रों में बहुल अन्तर्निभरता के कारण राज्यों के मध्य और उनके भीतर युद्ध अधिकाधिक असम्भव होता जा रहा है।

#### शान्ति : युद्ध की अनुपस्थिति और संरचनात्मक हिंसा की अनुपस्थिति

गाल्टुंग (1969) ने राईट के दृष्टिकोण में आगे परिवर्तन करते हुए 'नकारात्मक शान्ति व सकारात्मक शान्ति नाम से दो श्रेणियों का प्रयोग किया जिनका 28 वर्ष पूर्व राईट ने प्रतिपादन किया। गाल्टुंग ने एक तृतीय स्थान का विकास किया और कहा कि नकारात्मक शान्ति युद्ध की अनुपस्थिति है और सकारात्मक शान्ति संरचनात्मक हिंसा की अनुपस्थिति है। संरचनात्मक हिंसा की अनुपस्थिति की अवधारणा का अभिप्राय है वे परिहार्य मौतें जिनका कारण मात्र सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य संरचनाओं के संगठन का तरीका हो। इस प्रकार यदि विश्व में कहीं अन्न उपलब्ध होने पर भी यदि लोग भूख से मरते हैं अथवा इलाज हेतु दवा उपलब्ध होने पर भी लोग बीमारी से मरते हैं तो संरचनात्मक हिंसा का अस्तित्व है क्योंकि सैद्धान्तिक रूप से वैकल्पिक संरचनाएंऐसी मौतों को रोक सकती हैं। इस दृश्यावली में शान्ति नकारात्मक व सकारात्मक दोनों प्रकार की शान्ति की उपस्थिति सम्मिलित है। गाल्टुंग का प्रतिमान (विश्लेषण के समुदाय, राज्यों के मध्य, राज्यों के भीतर और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के साथ साथ) में विश्लेषण का वैश्विक स्तर सम्मिलित है जैसे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था जो कि बहु राष्ट्रीय कम्पनियों जैसे अराज्यीय अभिनेताओं से प्रभावित है।

यदि हम गाल्तुंगीय ढां चे में शान्ति संस्कृति की ओर देखें ओर हम संरचनात्मक हिंसा के मुद्दे पर केन्द्रित करें तो विश्व का चित्र कुछ कम सकारात्मक है परन्तु पूर्णतया नकारात्मक भी नहीं है। गैर सरकारी स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक समूह उदित हुए हैं जो आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संदर्भ निर्मित करने के लिए संघर्ष कर रहे है जिनके द्वारा संरचनात्मक हिंसा की सर्वाधिक कठोर अभिव्यक्तियों जैसे गरीबी, भुखमरी, एवं रोकथाम योग्य रोगों आदि को जीता जा सके। इसके साथ साथ विश्वपर्यन्त कई सरकारें मानवीय मिशनों में योगदान करती हैं। रोज टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली दुखां तिकाओं के लिए कुछ हद तक उत्तरदायी महसूस करते हुए वे ऐसा कर्तव्यस्वरूप करती हैं। कुछ वैधानिकता के साथ यह तर्क दिया जा सकता है कि वैश्विक आर्थिक व राजनीतिक संरचनाएं बहुराष्ट्रीय व पराराष्ट्रीय निकायों के एवं वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के अपरिहार्य परिणामों के माध्यम से वैश्विक संरचनात्मक हिंसा में योगदान देती है। इस तथ्य को मान्यता देनी चाहिए कि अनेक करोड़ों डालर सम्पत्ति वाले निजी उद्यम, एवं हजारों छोटे समूह आर्थिक, सामाजिक, व राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए संरचनात्मक हिंसा को जीतने के लिए काम करते है। यद्यि शान्ति की संस्कृति की इस व्याख्या अभी तक मूल्यों अथवा आर्थिक, राजनीतिक, एवं सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन करने में सफल नहीं हुई है जिससे ऐसे विश्व का निर्माण किया जा सके जिसमें संरचनात्मक हिंसा की सम्भावना उत्तरोत्तर कम होती जाए, परन्तु इस प्रकार की संस्कृति के उदय होने के काफी साक्ष्य दिखाई देते हैं। मानवीय सहायता के लिए

नागरिकों व सरकारों के प्रयास यद्यपि अक्सर अपर्याप्त होते हैं परन्तु फिर भी ये अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का स्थापित भाग हैं। इन्हें अपवाद नहीं अपितु मानक कहा जा सकता है।

# 2.5 नारीवादी शान्ति सिद्धान्त

1970 एवं 1980 के दशकों के दौरान, नारीवादी शान्ति शोधकर्ताओं द्वारा चौथा दृष्टिकोण प्रारंभ किया गया। इन्होंने सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार की शान्ति में हिंसा और संरचनात्मक हिंसा को व्यक्तिगत स्तर को सम्मलित किया। इस नई परिभाषा ने न केवल युद्ध जैसी वृहद स्तर की संगठित हिंसा का, अपितु युद्ध में बलात्कार एवं घरेलू झगड़े जैसी लघुस्तरीय असंगठित हिंसा का भी उन्मूलन शामिल है। इसके साथ संरचनात्मक हिंसा की धारणा भी समान रूप से विस्तृत की गई है। जिसमें व्यक्तिगत, लघु व वृहद् स्तरीय ऐसी संरचनाएं सम्मिलित हैं जो विशिष्ट समूहों और व्यक्तियों के साथ विभेदीकरण करती हैं। नारीवादी शान्ति प्रतिमान ने लोगों, समूह, और विश्व स्तर की हर प्रकार की हिंसा को शामिल किया है क्योंकि यह शान्तिपूर्ण धरती की स्थापना के लिए आवश्यक है।

यदि शान्ति की संस्कृति की अवधारणा की नारीवादी ढांचे में व्याख्या की जाए तो पाएंगे कि शान्ति के लिए आवश्यक स्थितियां किसी भी देश में नहीं हैं। लघुस्तर पर शारीरिक व संरचनात्मक हिंसा समुदाय व परिवार में, गलियों और विद्यालयों में व्यापक रूप से फैली हुई है। नारीवादी शान्ति संस्कृति की स्थापना के लिए आवश्यक सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, व आर्थिक परिवर्तन दुनिया के प्रत्येक राष्ट्रीय समाज के लिए प्रमुख चुनौती प्रस्तुत करते हैं। ऐसा ही कुछ धार्मिक संस्थाओं के साथ साथ, अधिकतर संस्थाओं के लिए भी कहा जा सकता है। जबकि पहले चर्चित तीन शान्ति मॉडल शान्ति के वृहद स्तरीय विश्लेषण पर बल देते हैं, नारीवादी मॉडल व्यक्तिगत अनुभव में अवस्थित है और इस तथ्य पर आधारित है कि शान्ति 'को व्यक्ति कैसे अनुभव करता है। शान्ति अवधारणा के समग्र शान्ति, जिसमें आन्तरिक व बाह्य पक्ष दोनों शामिल हैं, की ओर विकास के लिए यह परिवर्तन आवश्यक था। इसे नारीवादी शान्ति सिद्धान्त का प्रमुख योगदान कहा जा सकता है। जबिक पूर्व के तीन प्रतिमानों की प्रवृत्ति शान्ति को विश्वस्तर पर लागू होने वाली अमूर्त, सामान्य अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए विचारित करने की थी, नारीवादी प्रतिमान ने इन अवधारणाओं को उलट दिया और स्पष्ट रूप से शान्ति को व्यक्तिगत्, अनुभवजन्य स्तर से परिभाषित किया । नारीवादियों की संरचना की धारणा एक 'वृत्ताकार जटिल' नमूने पर जोर देती है जबिक संरचनात्मक हिंसा की गाल्ट्रंग की परिभाषा पदानुक्रमीय है। इस सम्बन्ध में नारीवादी सिद्धान्ती शान्ति के मूल्यों में सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर परिवर्तन दिखाते हैं, 'जो मनुष्यों के मध्य समग्रवादी गैर-पदानुक्रमीय संवाद पर बल देता है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि इस प्रकार दृष्टिकोण प्रयुक्त करते हुए वैश्विक समस्याओं को संबोधित नहीं किया जा सकता। ऐसा हो सकता है जैसा कि नीचे दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है। 'एशियाज रिस्पॉन्स दु एड्स मार्क्स बाय फियर, डिनायल' शीर्षक वाले लॉस एंजेल्स टाईम्स (लॉस एंजेल्स टाईम्स, 1994) में छपे एक लेख में वर्णित है कि कैसे 1993 में विश्वव्यापक 14 लाख एड्स मामलों में एक तिहाई महिलाएं थीं और शताब्दी के अन्त तक हम प्रत्येक वर्ष में महिला व पुरुष एड्स रोगियों की संख्या के समान होने जाने की आशा कर सकते हैं। अगस्त 1994 में जापान में होने वाले एड्स विशेषज्ञों के सिम्मलन की रिपोर्ट करते हुए यह लेख दर्शाता है कि महिलाएं पिताओं, भाइयों, पितयों और दलालों की समक के

शिकार हैं और उन्हें तलाक अथवा उत्तराधिकारी का अधिकार नहीं होते। पुरुष बहुधा महिलाओं को सम्पत्ति से अधिक नहीं मानते और उनके प्रति कोई उत्तरदायित्व महसूस नहीं करते इस कारणवश पुरुष कण्डोम अथवा अन्य सुरक्षित सैक्स की अन्य प्रथाएं प्रयोग में लाने के प्रबोधनों से अप्रभावित रहते हैं। लॉस एंजेल्स टाइम्स हारवर्ड विश्वविद्यालय के डॉ जोनाथन मान, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एड्स कार्यक्रम के पहले प्रमुख थे, को उद्धृत करते हुए कहता है, 'यदि विकासशील देशों में सभी सोचे हुए शैक्षिक व नियंत्रण कार्यक्रमों को लागू कर दिया जाए तो भी आसन्न महाविपत्ति को रोकने में असफल होंगे क्योंकि वे मानवाधिकारों, विशेषकर महिलाओं के अधिकारों को विचार की परिधि में नहीं रखते। इस भावना को विश्व स्वास्थ्य संगठन एड्स कार्यक्रम के प्रमुख डॉ माइकल मर्सन ने आगे विस्तार देते हुए कहा शक्तिविहीन लोग असुरक्षित होते हैं, उन अनिगनत स्त्रियों के विषय में सोचिए जिन्हें अपने साथी से संक्रमणका खतरा होता है, परन्तु कण्डोम के प्रयोग के लिए जोर देने की शक्ति अथवा रिश्ते को छोड़ देने लायक आर्थिक शक्ति जिनके पास नहीं है।' डी मर्सन आगे कहते हैं कि 'हम चाहे जितना अधिक प्रयास करें, पारम्परिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सामाजिक स्तर और अधिकारों के प्रयोग में इस भेद के नकारात्मक प्रभाव को दूर नहीं कर सकते।

यदि नारीवादी अर्थ में शान्ति के निर्माण के लिए सहायक स्थितियां प्राप्त करनी हों, तो व्यक्तिगत, अनुभवजन्य विश्लेषण पर आधारित नारीवादी शान्ति संस्कृति उत्तर और दक्षिण दोनों में सामाजिक मूल्यों में मूलभूत परिवर्तन चाहती है। लघुस्तर पर संरचनात्मक हिंसा पर विजय पाने में संस्कृति की केन्द्रीय भूमिका एड्स मुद्दे से स्पष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से घरेलू हिंसा और बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार जैसे मुद्दे, जिन पर नारीवादी विद्वानों द्वारा बल दिया गया है, भी सांस्कृतिक मूल्यों में मूलभूत परिवर्तन चाहते हैं। जबिक अधिकतर नारीवादी विद्वानों ने पत्नी प्रताड़ना जैसे लघुस्तरीय हिंसा पर बल दिया है, पितृसत्तात्मक संरचनाओं के व्यापक प्रभाव जैस वृहद स्तरीय हिंसा के मुद्दों पर भी उनका केन्द्रीकरण रहा है। परिणामस्वरूप, नारीवादी शान्ति संस्कृति की अवधारणा में व्यक्तिगत सांस्कृतिक मूल्यों में सामाजिक व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है।

## समग्रवादी (Gaia) शान्ति सिद्धान्त

1990 के दशक में दो प्रकार की समग्रवादी शान्ति विचारधारा का उदय हुआ (ड्रैकर 1991, मेसी 1991) स्मोकर 1991)। यहां जैसा कि नारीवादी मॉडल में है, लोगों के मध्य शान्ति विश्लेषण के हर स्तर पर लाग होती है- परिवार एवं व्यक्ति के स्तर से वैश्विक स्तर तक। इसके साथ साथ गाइया शान्ति सिद्धान्त मनुष्यों के जैवपर्यावरणीय व्यवस्थाओं के साथ सम्बन्धों को अत्याधिक महत्व देता है - विश्लेषण का पर्यावरणीय स्तर। इस प्रकार के समग्रवादी शान्ति सिद्धान्त में पर्यावरण के साथ शान्ति को केन्द्रीय माना गया है। इसमें इन्सानों को धरती पर निवास करने वाली अनेक प्रजातियों में से एक माना गया है और पृथ्वी ग्रह के भाग्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है। इस प्रकार की समग्रवादी शान्ति विचारधारा का आध्यात्मिक आयाम नहीं है और शान्ति को मनुष्यों व पर्यावरण के विरुद्ध हर प्रकार की शारीरिक हिंसा के संदर्भमें परिभाषित किया गया है।

शान्ति संस्कृति की एक समग्रवादी गाइया-शान्ति व्याख्या विचार करने योग्य शेर भी व्यापक चिन्ताओं को प्रस्तुत करती है। कुछ दिन पूर्व तक पश्चिमी संस्कृति में पर्यावरण को शोषण किए जाने योग्य ऐसा

संसाधन माना जाता था जिसका अस्तित्व मनुष्य से पृथक है, उसे अब हमसे सम्बन्धित माना जा रहा है। बाह्य शान्ति का विस्तार जिसमें कि पर्यावरण के साथ शान्ति सम्मिलित है, शान्ति अवधारणा के महत्वपूर्ण व आवश्यक विकास को दर्शाता है। इसमें पर्यावरण को दृढ़ता से एकीकृत जैवरसायनिक व्यवस्था के रूप में देखा जाए अथवा देवी गाइया के रूप में, एक जीवित प्राणी, कार्यात्मक और अर्थवान दोनों प्रकार से एकीकृत एक सम्पूर्ण व्यवस्था। पर्यावरण के साथ शान्ति के प्रति चिन्ता अभी तक सांस्कृतिक मूल्यों में व्यापक व मूलभूत परिवर्तन नहीं ला सकी है परन्तु शायद प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। बीस वर्ष से भी कम की कालाविध में, विश्व के अधिकतम समाजों में पर्यावरणवाद की ओर झुकाव हुआ है। हिरत शान्ति एक महत्वपूर्ण दबाव समूह के नाम से अधिक हो चुका है। अब पर्यावरण के साथ सामंजस्य बना कर रहने की आवश्यकता को व्यापक पहचान मिल चुकी है। एक ऐसी आवश्यकता जो कुछ लोगों के लिए पूर्णतया क्रियात्मक हो सकती है पर अधिकतर के लिए पृथ्वी गृह को पवित्र मानने के विचार पर आधारित है।

## समग्रवादी (Gaia) आन्तरिक शान्ति - बाह्य शान्ति सिद्धान्त

शान्ति का यह छठा दृष्टिकोण शान्ति के आन्तिरक, गूढ़ (आध्यात्मिक), पक्ष के आवश्यक मानता है। आध्यात्मिकता पर आधारित शान्ति सिद्धान्त सभी वस्तुओं के मध्य पारस्पिरक संवाद और सह-उत्थान एवं आन्तिरिक शान्ति की केन्द्रियता पर बल देता है। मनुष्यों के परस्पर एवं विश्व के साथ सम्बन्ध-जिसमें पर्यावरण भी शामिल है- के साथ-साथ गाइया शान्ति सिद्धान्त में आध्यात्मिक आयाम भी जोड़ दिया गया है। सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर इसे शान्ति शोधकर्ताओं द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार से अभिव्यक्त किया गया है। जैसे कि ताओं ऑफ फिजिक्स में, जहां भौतिकी के नए प्रतिमान पूर्वी रहस्यवाद में पाए जाने वाले विश्वदृष्टिकोण के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, शान्ति शोध का यह नया प्रतिमान विश्व की आध्यात्मिक व धार्मिक़ परम्पराओं के विचारों के साथ प्रतिध्वनित होता है। शान्ति सच्चे अर्थों में अविभाज्य हो चुकी है।

पश्चिमी शान्ति शोध के लिए इसका अर्थ है धर्मनिरपेक्ष से आध्यात्मिक शान्ति प्रतिमान की ओर स्थानपिरवर्तन। यह एक बोध है कि आन्तिरक एवं बाह्य शान्ति, आध्यात्मिक एवं भौतिक शान्ति अन्तः सम्बन्धित और अन्योन्याश्रित हैं। यहां विश्व की धार्मिक और आध्यात्मिक परम्पराओं का योगदान हमे समग्रवादी शान्ति की बेहतर समझ में सहायता कर सकता है। उदाहरणस्वरूप, यह विचार कि बाह्य शान्ति का सामूहिक बाह्य विश्व आध्यात्मिक शान्ति के आन्तिरक विश्व का प्रतिनिधित्व करता है अथवा उसकी छवि है, समग्रवादी आन्तिरक और बाह्य वैश्विक शान्ति संस्कृति के निर्माण के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। मानवता के धार्मिक जीवन का वैविध्य और भिन्नताएं, जैसा कि सार्वभौम परम्परा में माना गया है, इस स्थिति में आन्तिरक और बाह्य दुनिया के मध्य सिक्रय कड़ी का कार्य करेंगी। इस कार्य से शान्ति की संस्कृति के हर पक्ष में आन्तिरक-बाह्य शान्ति व्यक्त होगी- जैसे लघु व वृहद् सामाजिक व आर्थिक संस्थाएं, स्थानीय व वैश्विक मूल्य कला, साहित्य, संगीत, तकनीकी, ध्यान एवं प्रार्थना। इसके पिरणामस्वरूप उत्पन्न शान्ति संस्कृति में गाइया कं समान वैश्विक प्रतिमान दिखाई देगा, जहां परस्पर संवाद में लिप्त स्थानीय संस्कृतियां आन्तिरक एकता का प्रकटीकरण हैं और बाह्य भिन्नता का सिद्धान्त सम्पूर्ण व्यवस्था में प्रसारित रहेगा। ऐसे प्रतिमान के अन्तर्गत यथार्थ की परिभाषाएं मूलभूत रूप से भिन्न

होंगी। पश्चिमी शान्ति सिद्धान्त में 'यथार्थ' पूर्व में भौतिक विश्व के संदर्भ में पिरभाषित किया गया जिसमें आर्थिक, सैन्य एवं राजनीतिक प्रश्नों पर केन्द्रीकरण था। समग्रवादी शान्ति प्रतिमान में भौतिक व आध्यात्मिक दोनों ही घटक सिम्मिलित है। शान्ति की समग्रवादी संस्कृति (आन्तिरक व बाह्य, स्त्रियोचित व पुरुषोचित, भौतिक व आध्यात्मिक दोनों ढां चों को संतुलित करती हुई) शान्ति सिद्धान्तों के पूर्णतया भिन्न पिरणाम की ओर ले जाएगी जो आन्तिरक विश्व को पिरवर्तित करने पर केन्द्रित होगा परन्तु ऐसी चिन्ताओं को आन्तिरक विश्व के समानान्तर व अन्तः निर्भरता के अन्वेषण से संतुलित नहीं करेगा।

#### युद्ध के परिणाम

विश्लेषणात्मक अध्ययन में तीन प्रमुख विचार सामने आते हैं:

- युद्ध की ऐतिहासिक भूमिका जो अपने औचित्य के आधार पर सुधारात्मक एवं प्रतिक्रियात्मक हो सकती है।
- किसी युद्ध का व्यक्तियों पर पड़ने वाला प्रभाव।
- लडे गये युद्धों के पिरणाम : दोनों विश्वयुद्धों ने पूंजीवादी प्रणाली को कमजोर किया और समाजवादी क्रांति के लिये अनुकूल पिरिस्थितियाँ तैयार कीं । युद्ध के पिरणाम संबन्धी विचारों को विभिन्न प्रकार से विभक्त किया गया है
  - 1) आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय।
  - 2) आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, आदर्शवादी, मनोवैज्ञानिक और जनसंख्या सम्बन्धी।
  - 3) प्रत्यक्ष और दूगामी परिणाम : युद्ध के प्रत्यक्ष परिणामों के विश्लेषण में निम्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।
- विनाश एवं क्षिति ।
- युद्ध के लक्ष्यों की प्राप्ति ।
- समाज के समस्त सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक ढां चे में पिरवर्तन ।

## युद्ध के नियम

मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्त के अनुसार युद्ध के नियम विभिन्न परिस्थितयों में भिन्न हो सकते है। ये नियम युद्ध की प्रकृति और अन्य घटकों पर आधारित होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि परंपरागत नियम ही अपनाये जायें। ये नियम वैयक्तिक ना होकर सार्वजनिक हित के लिये होते हैं व्यक्तिगत इच्छाओं और आकां क्षाओं से परे होते हैं। इसके उद्देश्य निम्न है:

- अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक स्थिति ।
- जनसंख्याका आकार।
- तकनीक विज्ञान और आर्थिक स्थिति का स्तर।
- क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थितियाँ।
- समाजिक विकास के नियम।

- सैन्य कौशल का स्तर।
- सैन्य शक्ति का आकार और गुणवत्ता ।

## युद्ध के गुणधर्म

प्रथमत: युद्ध का राजनैतिक चिरत्र उसकी सामाजिक सामाजिक शक्तियों का परिचायक। ये शक्तियाँ युद्ध लड़ती हैं एवं राजनैतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करती हैं। इसके बाद ऐतिहासिक गुणधर्म हैं जो इतिहास में सामाजिक उन्नित का आकलन करते हैं और युद्ध को सुधारात्मक तथा बताते हैं और अंत में युद्ध के नैतिक आकलन में उसके औचित्य का आकलन होता है। युद्ध के का निर्धारण युद्धरत सामाजिक शक्तियों एवं उनके लक्ष्यों से होता है उचित युद्ध सुधारात्मक माने है और अनुचित युद्ध प्रतिक्रियावादी।

## युद्ध का राजनैतिक वर्गीकरण

युद्ध का मार्क्सवादी राजनैतिक वर्गीकरण मार्क्स और एंजिल की पुस्तकों किया जा सकता है। उन्होंने युद्ध को दो प्रकारों में बांटा है:

- रक्षात्मक युद्ध: अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिये, विदेशी शासकों से मुक्ति के लिये और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिये किये गये युद्ध रक्षात्मक युद्ध माने जाते है।
- आक्रामक युद्ध : इनका उद्देश्य दूसरे क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त करना और वहाँ के लोगों को यातनायें देना है।

## युद्ध एक परिवर्तनशील घटना

युद्ध के मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्त की एक प्रमुख अवधारणा यह है कि एक परिवर्तनशील घटना है। एक समय ऐसा था जब कोई युद्ध नहीं होते थे और एक समय ऐसा आयेगा कोई युद्ध नहीं होगा। प्राचीन समाज में युद्ध नहीं होते थे उस समय व्यक्तियों में आपसी झगड़े जरूर होते। उस समय का आर्थिक ढां चा जानवरों के शिकार पर आधारित था। उस समय भी सशस्त्र संघर्ष होते थे किन्तु ये संघर्ष किसी राजनैतिक रणनीति से प्रेरित ना होकर स्वंय उत्पन्न होते थे और समाप्त होते थे। मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्त वर्ग-हित को प्राथमिकता देता है जो प्राचीन समय में विद्यमान नहीं था। किसी संघर्ष में पूरी जनजाति कूद पड़ती थी। उस समय कोई ऐसा संगठन नहीं था जो संघर्ष को रोक सके, अत: यह माना जाना चाहिये कि प्रथम युद्ध का जन्म प्रथम राज्य की स्थापना के साथ हुआ होगा। उस समय राज्य की सामाजिक आर्थिक नींव दास-प्रथा पर आधारित थी और युद्ध दास बनाने का एक माध्यम बन गया। ये दास उत्पादन सम्बन्धी सभी कार्य करते थे। इस प्रकार के समाजों में कुछ वर्गो का शोषण एवं दोहन होता था। यदि दोहन एवं शोषण की अवधारणा समाप्त हो जाये तो युद्ध स्वत: समाप्त हो जायेगें कहने का तात्पर्य है कि सारे विश्व के साम्यवादी बन जाने पर युद्ध स्वत: ही समाप्त हो जायेगें। सभी राष्ट्र समान रूप से समप्रभु होंगे और उन्हे सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास के समान अवसर उपलब्ध होंगे।

## शान्ति का मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्त स्थिर शान्ति की विशेषतायें एवं उसके लिये उपयुक्त परिस्थितियाँ

स्थिर शान्ति निम्न विशेषताओं एवं दशाओं से जानी जाती है:

- स्थिर शान्ति लोकतांत्रिक न्यायपूर्ण शान्ति है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में इसके लिये उपयुक्त परिस्थितियों के सिद्वान्त सोवियत संघ के संविधान में अभिव्यक्त हैं। समस्त राज्यों की सम्प्रभुता एवं समानता, सशस्त्र हिंसा का त्याग, राज्यों की सीमाओं पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना होना, समस्त विवादों का शान्तिपूर्ण हल, दूसरे राज्यों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, मानवाधिकारों एवं राज्य के विकास के लिये उसके द्वारा स्थापित व्यवस्था का सम्मान, राज्यों के बीच आपसी सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन ये सभी शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्वान्त है।
- स्थिर शान्ति आसानी से भंग नहीं होती वास्तिवक विश्व-शांति क्षेत्रीय संघर्षों के साथ नही चल सकती है इतिहास से यह पता चलता है िक विश्व युद्धों से अधिक मृत्यु स्थानीय युद्धों में हुई है। द्वितीय, तकनीकी विकास ने स्थानीय युद्धों में प्रयुक्त होने वाले अस्त्र शस्त्रों को आण्विक अस्त्रों की तरह विनाशकारी बना दिया है। तृतीय, स्थानीय युद्ध आसानी से विश्वयुद्ध का रूप ले सकते हैं। यद्यपि विश्व शान्ति विभिन्न क्षेत्रों में शान्ति स्थापना के बिना संभव नहीं है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि विश्व शान्ति विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित शान्ति ही है। यह वैश्विक विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान पर विश्वास करती है।
- स्थिर शान्ति अंतर्राज्यीय आर्थिक, सांस्कृतिक और विज्ञान और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देती है। राजनैतिक दृष्टि से इसका अर्थ है शस्त्रों की दौड समाप्त करना और निःशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास करना। वास्तविक शान्ति सम्पूर्ण विश्व पर समाजवाद की विजय से ही संभव है मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्त में विश्वास करने वाले लोगों का यही मत है शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व समस्याओं के अंतिम समाधान का प्रयास करता है। स्थिर शान्ति पूंजीवादी देशों की आंतरिक शान्ति नहीं है। सकारात्मक शान्ति के विचार से राज्यों के बीच हिंसा नहीं होनी चाहिए किन्तु वर्गों के बीच संघर्ष संभव है।

सकारात्मक शान्ति आंतरिक वर्ग संघर्षके लिय उपयुक्त परिस्थितियाँ उत्पन्न करती हैं क्योंकि यह शोषक वर्ग से शोषण के विभिन्न माध्यम छीन लेती है। ऐसा माना जाता है कि सहयोग की भावना का विकास वर्ग विभेद को समाप्त नहीं करता।

## 2.6 शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की दिशा में प्रयास

साम्यवादी आन्दोलन के प्रारंभ में उसके नेता शान्ति के लिये संघर्ष को समाजवादी क्रांति के लिये संघर्ष की तुलना में कम महत्व देते थे और वे शान्ति को सिद्धान्त एवं व्यवहार का स्वतंत्र एवं आधारभूत बिन्दु नहीं मानते थे उनका विश्वास था कि समाजवाद और साम्यवाद युद्ध के कारणों को समाप्त कर देंगे और मानव जाति को सैन्यीकरण. शस्त्रों की दौड और विनाशकारी सशस्त्र संघर्षों से मुक्ति दिलाकर सदैव के लिय शान्ति स्थापित कर देंगे। पूंजीवाद में स्थायी शान्ति प्राप्त करना संभव नहीं है जबिक समाजवाद में

यह संभव है इसी कारण एक ऐसे विश्व में जहाँ पूंजीवाद और समाजवाद दोनो का अस्तित्व है अत: शान्ति के बारे में कोई विचार विमर्श नही हुआ। समाजवादियों के लिये कांति का अर्थ था सभी विकसित औद्योगिक समाजों पर सम्पूर्ण विजय। मार्क्स और एंजल ने अपने समय उन युद्धों की निंदा की जिन्हें वे आक्रामक और प्रतिक्रियावादी मानते थे उन्होंने युद्ध की तैयारियों के विरोध में संघर्ष का समर्थन किया। सन् 1890 के दशक के प्रारम्भ में एंजल ने लिखा कि समाजवादी और लोकतांत्रिक दलों को शान्तिपूर्ण माध्यमों द्वारा विजय प्राप्त करनी चाहिए इसके बावजूद मार्क्सवाद के स्थापनाकर्ताओं का मानना था कि सामान्य दशाओं में शान्ति के लिये संघर्ष का कोई अर्थ नही था कुछ लोगों द्वारा युद्ध के खतरे को समाप्त करने और निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास करने के आहवान को व्यर्थ बताया। मार्क्स ने भी इन सारे प्रयासों की आलोचना की और कहा कि मात्र समाजवादी कांति ही हमें शान्ति और निशस्त्रीकरण की ओर ले जा सकती है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अन्त में मार्क्स ने पूंजीवाद के साथ सहअस्तित्व के सिद्धान्त का सहारा लिया यही सिद्धान्त आगे चलकर सह अस्तित्व का सिद्धान्त बना जो शान्ति के मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्त का आधार है।

## शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व :सिद्धान्त एवं नीति

मार्क्सवादी- लेनिनवादी सिद्वान्त में शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिये अपनाये जाने वाले कुछ सिद्वान्त ही नही था। इसका अर्थ था लम्बे समय के लिये सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक प्रणालियों का एक साथ अस्तित्व में बने रहना। शान्ति स्थापना की दिशा यह पहला कदम था और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढाने के लिये एक महत्वपूर्ण प्रयास।

शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व विश्व इतिहास में अपनी तरह का पहला विचार । मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा में यह सामाजिक विकास की दिशा में एक पड़ाव मात्र है। वास्तव में शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। यह समाजवादी राज्यों की ऐसी नीति थी जिसके माध्यम से वे अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की स्थापना करते थे और अपने निश्चित राजनैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करते थे।

#### शान्ति और सामाजिक विकास

मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्वान्त शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व का समर्थन मात्र इसलिये नहीं करता क्यों कि युद्धों के परिणामत: मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का भारी विनाश होता है। बल्कि इसलिये भी करता है क्यों कि मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारों के अनुसार सामाजिक विकास के नियमों का उपयोग शान्तिकाल में ही संभव है जिससे समाजवाद और साम्यवाद को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। समाजवादी देशों के संदर्भ में शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व समाज की आर्थिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवश्यक है। इसी प्रकार यह समाजवादी लोकतंत्र, नागरिक आधिकार और स्वतंत्रताओं के लिए भी आवश्यक है। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय तनाव, पूंजीवाद के खतरों, आक्रमणों और लगातार बढते हुए आर्थिक और राजनैतिक दबाव के कारण समाजवादी शासन अपने संसाधनों का बड़ा भाग सुरक्षा में खर्च करते है। इसका आर्थिक विकास और सामाजिक जीवन के पहलुओं पर विपरीत प्रभाव पडता है। जिसके कारण समाजवाद का स्वयं का विकास बाधित होता है।

नव स्वतंत्र राज्यों' के संदर्भ में शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व और समाजवादी राज्यों के साथ आर्थिक सहयोग उनकी पूंजीवादी दबावों का विरोध करने की क्षमता को बढ़ाता है। परिणामस्वरूप वे अपनी उचित शर्तों पर व्यापार कर पाते हैं और नई तकनीकी और आधुनिक औद्योगिकी प्राप्त करने का प्रयास भी करते है ताकि आर्थिक और सांस्कृतिकदूरियाँ कम हो सके।

## शान्ति और मानवता की वैश्विक समस्यायें

शान्ति मात्र सामाजिक विरोधाभासों का समाधान कर सामाजिक उन्नति को ही सुनिश्चित नहीं करती बल्कि यह मानवता की सभी गंभीर समस्याओं और आवश्यकताओं के समाधान का भी पहला कदम है। इन समस्याओं में पहली समस्या है मानव-जीवन और बढती हुई जनसंख्या के लिये भौतिक संसाधन सुनिश्चित करना। यदि शान्ति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग निरंतर बढते रहते हैं तो संयुक्ता प्रयासों द्वारा ऊर्जा के नवीन और गैर परंपरागत स्त्रोतों की भी खोज की जा सकती है। मानवता की दूसरी बडी आवश्यकता है आर्थिक रूप से विकसित देशों और अविकसित एवं विकासशील देशों के बीच के अंतर को समाप्त करना।

मार्क्सवादी लेनिनवादियों का मानना है कि यदि कुछ शर्तें पूरी की जाती है तो यह समस्या भी सुलझाई जा सकती है पहला, विकासशील देशों के संसाधनों का आर्थिक उन्नति को ध्यान में रखते हुए उपयोग हो । यह तीव्र सामाजिक परिवर्तन पर निर्भर करता है जो कुछ आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को स्थापित करने का प्रयत्न करता हो । इसके साथ ही सामाजिक न्याय पर आधारित कुछ ढांचागत परिवर्तन भी आवश्यक है । तीसरी शर्त यह है कि एक ऐसी न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हो जो अल्पविकसित राज्यों के आर्थिक उत्थान में मदद करे ।

यह सारी मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा मूल रूप से सोवियत संघ के विचारकों की है जिनका लक्ष्य यह दिखाना है कि -

- मानवता की कोई भी गंभीर आवश्यकता भविष्य में किसी विनाशकारी परिस्थिति का कारण नहीं बन सकती।
- कोई भी समस्या हमें विश्वयुद्ध की ओर नहीं ले जा सकती।
- यदि सिक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित हो जाये तो इनका आशिक रूप से और कुछ समय के लिये समाधान संभव है।
- यह सभी आवश्यकतायें सम्पूर्ण रूप से समाजवादी और साम्यवादी विश्व में ही संतुष्ट हो सकती है। मनुष्य की आवश्यकतायें उसे युद्ध की ओर धकेल सकती हैं और यही बिन्दु शान्ति की आवश्यकता को रेखां कित करता है।

#### शान्ति शिक्षा की दिशा

• 1989, शान्ति की संस्कृति की अवधारणा का प्रतिपादन कोटे डि आयोरे में आयोजित हुई इन्टरनेशनल कांग्रेस ऑन पीस इन द माइंड्स ऑफ मैन' में किया गया था। कांग्रेस ने अनुशंसा करी कि 'यूनेस्को जीवन के प्रति सम्मान स्वतंत्रता, न्याय, एकात्मता, सहनशीलता मानवाधिकार, एवं स्त्री पुरुष में समानता जैसे सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित शान्ति संस्कृति का विकास कर शान्ति का नया दर्शन निर्मित करने में सहायता करे।' इस पहल ने बर्लिन दीवार

के पतन एवं शीत युद्ध सम्बन्धित तनावों के विलुप्त हो जाने जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भों में आधार स्थापित किया।

- 1994, यूनेस्को एक्ज्यूकेटिव बोर्ड संयुक्त राष्ट्र के शान्ति स्थापना के प्रयासों में योगदान हेतु शान्ति संस्कृति के विशिष्ट कार्यक्रम के लिए निवेदन करता है। यूनेस्को केन्द्रीय अमरीका, (अल सल्वाडोर), और अफ्रीका (मोजाम्बिक, बुरुण्डी) एवं फिलीपीन्स में प्रारम्भ किए गए युद्धोत्तर शान्ति स्थापना के राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव देता है।
- 1994. प्रथम इन्टरनैशनल फोरम ऑन द कल्चर ऑफ पीस सन सल्वाडोर में आयोजित
- 1995, यूनेस्को की 28वी सामान्य सभा में शान्ति की संस्कृति की अवधारणा का 1996-2001 के लिए मध्याविध रणनीति में आरम्भ(28C/4)
- 1996-2001, शान्ति की संस्कृति की ओर बन्तरअन्तुशासनात्मक परियोजना (द ट्रांसडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट टुवर्डस अ कल्चर ऑफ पीस) 28०इ 74 दस्तावेज के अनुरूप लागू की गई। गैर सरकारी संगठन, संघ, युवा एवं वयस्क, मीडिया नेटवर्क, सामुदायिक रेडियो एवं धार्मिक नेता शान्ति, अहिंसा और सहनशीलता के लिए कार्य करते हुए विश्वव्यापी शान्ति संस्कृतिको विकसित करने में सक्रिय भागीदारी करेंगे।
- 1997,यूनेस्को के शान्ति संस्कृति के अनुभव के महत्व को पहचान कर संयुक्ता राष्ट्र के साधारण सभा ने 52वे सत्र में शान्ति संस्कृति की ओर नामक पृथक कार्यावली की स्थापना की । साधारण सभा ने आर्थिक व सामाजिक परिषद की वर्ष 2000 को शान्ति की संस्कृति का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने की अनुशंसा पर प्रतिक्रिया व्यक्त की ।
- 1998, संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के 53वे सत्र में 2001 से 2010 के दशक को "विश्व के बच्चों के लिए शान्ति संस्कृति एवं अहिंसा का अन्तर्राष्ट्रीय विश्व दशक' घोषित किया गया(A/53/25) । यह नोबल पुरस्कार विजेताओं द्वारा निर्मित प्रस्ताव के आधार पर किया गया। नवम्बर 1998 में ताशकन्द में हुए 155वे सत्र में यूनूस्को के एक्जिक्यूटिव बोर्ड ने शान्ति संस्कृतिकी ताशकन्द घोषणा और सदस्य देशों में यूनेस्को कार्य को अपनाया।
- 1999, संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा में 'डिक्लरेशन एण्ड प्रोग्राम ऑफ ऐक्शन ऑन अ कल्चर 'ऑफ पीस (A/53/243)' को अपनाया गया । इसमें आठ कार्यक्षेत्र(नीचे देखिए) परिभाषित किए गए जिन्हें शान्ति की संस्कृति और अहिंसा को जोड़ कर एक सुसंगत दृष्टिकोण का निर्माण किया जाना था।
- 2000, संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा द्वारा निश्चित किए गए अनुसार शान्ति की संस्कृति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष को यूनेस्को के साथ मिल कर मनाना केन्द्रीय बिन्दु बना।

#### आठ कार्य क्षेत्र

1. बालिकाओं पर विशेष ध्यान देते हुए ,सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना; शान्ति की संस्कृति में अन्तर्निष्ठ गुणात्मक मूल्यों, मनोवृत्ति और व्यवहार में विकास करने के लिए पाठ्यक्रमों

- संशोधनः; संघर्ष की रोकथाम और सुलझाना, संवाद, मतैक्य-निर्माण और सक्रिय अहिंसा के लिए प्रशिक्षण।
- 2. गरीबी के उन्मूलन को लक्ष्य करते हुए, बच्चों और महिलाओं की विशिष्ट अवश्यकताओं पर केन्द्रित करते हुए, पर्यावरणीय संरक्षण हेतु प्रयास करते हुए, आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करने का प्रयास करना।
- 3. प्रत्येक स्तर पर सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा और मानवाधिकारों के प्रपत्रों को पूर्णतया लागू करके मानवाधिकरों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना।
- 4. लिंग दृष्टिकोण का समाकलन करके और आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक निर्णय लेने में समानता को प्रोत्साहन दे कर; स्त्रियों के विरुद्ध हर प्रकार के विभेदीकरण एवं हिंसा को दूर करके; युद्ध एवं अन्य प्रकार की हिंसा से उत्पन्न हुई संकटकालीन स्थितियों में स्त्रियों को समर्थन और सहायता देकर स्त्री पुरुष में समानता सुनिश्चित करना।
- 5. उत्तरदायी नागरिकों को शिक्षित करके; प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों और प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सिक्रयता लाकर; प्रजातंत्र को बनाए रखने वाली राष्ट्रीय संस्थाओं व प्रक्रियाओं की स्थापना व सुदृढ़ीकरण कर प्रजातांत्रिक परम्पराओं का विकास करना।
- 6. सभ्यताओं के मध्य संवाद स्थापित करके; अतिसंवेदनशील समूहों, शरणार्थियों एवं विस्थापितों के पक्ष में कार्य करके; एकात्मता, सहनशीलता और समझ को विकसित करना।
- 7. शान्ति की संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए स्वतंत्र मीडिया का समर्थन जैसे के माध्यम से प्रतिभागीय संवाद और सूचना एवं ज्ञान के मुक्त प्रवाह का समर्थन करना; मीडिया जनसंचार के माध्यमों का प्रभावी उपयोग; मीडिया में हिंसा के मुद्दे को संबोधित करने के उपाय; नई तकनीक के माध्यम से ज्ञान एवं सूचना का आदान प्रदान।
- 8. सामान्य एवं सम्पूर्ण निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहन जैसे कार्यों के माध्यम से अंन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा को बढ़ावा देना; संघर्ष की रोकथाम एवं समाधान में स्त्रियों की अधिक भागीदारी और संघर्ष पश्चात की स्थितियों में शान्ति की संस्कृति को बढ़ावा देना; संघर्ष की स्थितियों में पहल करना; विश्वास निर्माण के उपायों को प्रोत्साहन देना और शान्तिपूर्ण समझौते के लिए वार्ता करने हेतु प्रयास।

## शान्ति के लिए चुनौतियां

युद्ध और हिंसा मानव समाज के लिए स्वभावगत या अपिरहार्य लक्षण प्रतीत होते हैं यद्यपि उदारता और परामर्श शायद प्रबल हैं। इस प्रवृत्ति से, शान्ति की कामना को मानवीय अन्तर्सम्बन्धों के विकास के उत्पाद के रूप में देखा जा सकता है। सपष्टत: शान्ति ही मानवजाति के लिए स्वधारणीय पसन्द है। तथापि, व्यावहारिक रूप से शान्ति ओर न्याय को परस्पर विरोधी कहा जा सकता है। यदि यह माना जाए कि अन्याय को रोकने और न्याय लागू करने का एकमात्र उपाय शक्तिप्रयोग है, तो यह भी मानना होगा कि न्याय संधारण से विद्रेष उत्पन्न होता है, जिसमें शान्ति प्रतिबाधित होती है। इसी प्रकार राजनीतिक स्वार्थों के टकराव को अक्सर युद्ध को न्यायोचित ठहराने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। शक्ति एवं लाभ

की कामना समूहों को परस्पर विरोधी बनाती है। जब एक पक्ष और फिर दूसरा पक्ष लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है तो सहज ही विरोध बढ़ता है और कभी कभी इसकी परिणति युद्ध में हो जाती है। यह प्रभाव धार्मिक एवं जातीय समूहों में भी देखा जाता है। ऐसे समूह स्वयं को दिमत मानते हैं और हिंसा एवं युद्ध को संस्कृतिव धर्म की प्रतिरक्षा हेतु कह कर न्यायोचित ठहराया जाता है।

परमाणु शस्त्रों के संग्रहण जैसे मुद्दे, बिजली, पानी; जीवाश्मीय ईधनों जैसे प्राकृतिक एवं ऊर्जा संसाधनों की कमी; पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों का आवश्यकता से अधिक उत्सर्जन; और जनसंख्या में लगातार वृद्धि आदि भी हमारे लिए अत्याधिक चिन्ता का विषय हैं क्योंकि उत्तरजीविता के लिए आवश्यक स्थान एवं अन्य संसाधन अत्यन्त सीमित हैं और उनकी बड़ी मात्रा में आवश्यकता होगी। ऊपर वर्णित तथ्यों एवं कारणों से मनुष्य अपने अस्तित्व मात्र की रक्षा के लिए एक दूसरे से संघर्ष करेंगे।

## शान्ति के लिए अन्तराष्ट्रीय मत

चीका सिल्विया-ऑल्योम एवं अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति संस्थान द्वारा निर्मित 'शान्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मत' समस्त मनुष्यों व राष्ट्रों के लिए शान्ति को बढ़ावा देने हेतु एक कार्यावली एवं नैतिक संहिता प्रस्तुत करता है। इस मत के अनुसार इस बोध के पश्चात कि स्वतंत्रता व न्याय सबके लिए अन्तर्निहित हैं, शान्ति तब प्राप्त होती है जब लोग चयन करने, जीने ओर दूसरों का सम्मान करने के अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हैं।

#### शान्ति-अध्ययन का भविष्य

शान्ति और विवाद अध्ययनों पर विभिन्न क्षेत्रों तथा सामाजिक विज्ञानों के विद्वानों के बीच एक आम सहमित बन चुकी है। विश्व के कई बड़े प्रभावषाली नीति-निर्माता भी इस अध्ययन के महत्व को समझ चुके है। शान्ति और विवाद अध्ययन आज सम्पूर्ण विश्व के विभिन्न संस्थानों में पढाया जाता है। शान्ति और विवाद अध्ययन के पाठ्यक्रम वाले विश्वविद्यालयों की संख्या की ठीक गणना संभवनही है क्योंकि ये विभिन्न विभागों में विभिन्न नामों से पढाये जाते हैं: "इंटरनैशनल हेरॉल्ड ट्रिब्यून" सन् 2008 की रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व में शान्ति और विवाद अध्ययन पर शिक्षण एवं शोध पर 400 से ज्यादा कार्यक्रम चलाये जा रहे है। इनमें से प्रमुख संस्थान इस प्रकार है। "यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेजेज, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द अमेरिकन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटीज ऑफ ब्रैडफोर्ड, कोस्टिश्का जॉर्ज मैसन, लण्ड, मिशीगन, नोटर डेम क्वींसलैण्ड, उप्पसाला, वर्जीनिया और विस्कनिसन"।

रोटरी फाउन्डेशन और टोक्यों विश्वविद्यालय विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण और शोध कार्यक्रमों का सहयोग करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम "यूनिवर्सिटीज ऑफ हिरोशिमा (जापान), किंग्स कॉलेज (लन्दन), साबांसी (इस्टम्बूल), मोरबर्ग (जर्मनी), सांइसेज पीओ.(पेरिस), ओटेगो (न्यूजीलैण्ड), सैन्ट एन्ड्रयूज और योर्क (यू.के.) में चलाये जाते हैं।

ऐसे कार्यक्रम और शोध विषय अब लगभग सभी विकसित, विकासशील और पिछड़े देशों में उपलब्ध है। यद्यपि इमान्युएल कांट जैसे विचारकों ने शान्ति अध्ययनों के महत्व को पूर्व में ही रेखां कित कर दिया था किन्तु 1950 और 1960 के दशकों में अध्ययन के एक स्वतंत्र और विकासशील क्षेत्र के रूप में इसकी स्थापना हुई। तभी से यह निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।

शांति शिक्षा के साथ-साथ विश्व शांति की अवधारणा एवं उसकी शिक्षा के क्षेत्र में क्यों आवश्यकता है, यह जानना भी आवश्यक हो जाता है |

विश्वशान्ति की अवधारणा :- व्यक्ति एवं समाज द्वारा सत्य तथ्य को किसी-न-किसी रूप् में स्वीकार करना ही पड़ता है। मानव सभ्यता एवं विकास की दौड़ में बहुत अधिक आगे बढ़ गया है। आज विश्व में अनेक प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण परमाणुशक्ति, अणुशक्ति एवं सैन्यशक्ति में अत्यधिक विस्तार हुआ है। सुविधाओं का ढेर लगा हुआ है। विश्वस्तर पर आंतकवादी गतिविधयों का संचालन एवं अशान्तिजनक खुली छूट ने मानव समाज का कलंकित कर दिया है। व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह जिस खाई को दूसरों के लिए खोद रहा है वह उसी में गिर सकता हैं। समय बहुत प्रभावशाली परिवर्तन उपकरण है। वह व्यक्ति को सत्य एव तथ्य का ज्ञान कराता है। संकीर्ण सोच की भावना ही मानवीय मन को अशान्त बनाती है। जब हम दूसरों के हित और कल्याण की बात सोचते हैं तो हमारा मन शान्त एव निर्मल होने लगता है। भारतीय संस्कृतिका मूलमंत्र है-

## 'सर्वे भवन्तु सुखिन:'

अर्थात् सभी सुखी हों। इस सकारात्मक सोच से विश्वशान्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इस प्रकार संसार की भयावहता, मारकाट, आतंकवाद, गृहयुद्ध, विश्वयुद्ध आदि से मुक्ति प्राप्त करने हेतु विश्वशान्ति की अवधारणा का उदय हुआ। आज हर कोई इस बात से सहमत है कि शान्ति के द्वारा ही विश्व का कल्याण सम्भव है।

विश्वशान्ति का अर्थ एव परिभाषाएँ :- विश्वशान्ति का सम्बन्ध मानवता, त्याग, सहानुभूति, समानता एवं स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता से है। सभी व्यवस्थाएँ विश्वस्तरीय समाज में जब उपयुक्त रूप् से पाई जाती हैं तो यह माना जाता है कि विश्वशान्ति की दशा विश्व समुदाय में उपस्थित है।

- 1. प्रो. एस. के. दुबे, 'विश्वशान्ति का आशय विश्व की उस श्रेष्ठ व्यवस्था की ओर संकेत करता है जो कि समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता, त्याग एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित होती है तथा सार्वजनिक हित को सर्वोपिर मानती है।''
- 2. श्रीमती आर.के.शर्मा :- 'विश्वशान्ति का आशय विश्व के सभी धर्मों, संस्कृति, सभ्यता एवं समाज को एक सूत्र में पिरोना है ताकि सभी समस्याओं का समाधान शान्तिपूर्ण एव सद्भावना से युक्त वातावरण में सम्पन्न किया जा सके।
- 3. डॉ. ए. बरौलिया, 'विश्वशान्ति एक ऐसी प्रक्रिया हैं जो मानव कल्याण एव सर्वांगीण विकास में सभी की सहभागिता को निश्चित करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना का मार्ग प्रशस्त करती है।

अत: स्पष्ट है कि एकता, निष्पक्षता और समानता का विश्वशान्ति स्थापना में अत्यधिक महत्व है जिसके लिए व्यक्ति में व्यापक दृष्टिकोण के विकास की जरूरत है।

## विश्वशान्ति हेतु शिक्षक की भूमिका

1. छात्र शिक्षक अभिभावक सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रहित एवं विश्वशान्ति के कार्यों की सबको शपथ ग्रहण कराई जाए।

- 2. प्रार्थना सभा कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।
- 3. पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जाए।
- 4. पाठ्यक्रम का पुनर्गठन कर उसमें अन्तर्राष्ट्रीय महापुरूषों के पाठ एवं नैतिक कहानियाँ जैसी विषय-वस्तु रखी जाएं।
- 5. विश्वबन्धुत्व का भाव विकसित किया जाया जिसका लक्ष्य विश्व पिरवार हो।

## 2.7 विश्व शान्ति में बाधक एवं एकीकरण के तत्त्व

हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पर विभिन्न जातियाँ, उपजातियाँ, प्रजातियाँ, सम्प्रदाय, धर्म, संस्कृति, भाषाएँ एवं भू-भाग आदि पाये जाते हैं। इनके फलस्वरूप् प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता, जातिवाद तथा राजनीतिक दल आदि विश्व शांति में बाधा उत्पन्न करतें हैं और हम यह भी विस्मृत कर देते हैं कि हम एक ही राष्ट्र के निवासी हैं, हमारी एक ही संस्कृति एवं धर्म है, भाषा है तथा भावनात्मक सम्बन्ध एक ही हैं। यदि निम्नलिखित तत्त्वों को विकृत न होने दिया जाय तो हम भावनात्मक रूप् से एक सूत्र में बँध सकते हैं-

- 1- जातिवाद की समाप्ति: विश्व शान्ति के लिए जातिवाद को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि इस भावना से व्यक्ति अपनी जाति के हित को सर्वोपिर समझता है और राष्ट्रीय हित के लिए अपने को समर्पित नहीं करता। यदि उसमें राष्ट्र के लिए जाति के ऊपर उठकर समर्पण की भावनाएँ है तो निश्चय ही वह व्यक्ति विश्व शान्ति का पोषक होगा। समाजशास्त्री श्री जी.एस. घुरिये के अनुसार, ''यह जाति-प्रेम की भावना ही है,जो अन्य जातियों में कटूता उत्पन्न करती है और राष्ट्रीय चेतना विकास के लिए अनुपयुक्त वातावरण तैयार करती है।
- 2- प्रान्तीय के बोध उपचार:- प्रान्तीयता भी विश्व शांति में बाधक है। यदि सभी व्यक्ति अपने को एक ही राष्ट्र के निवासी मानें तो वे एक-दूसरे के निकट आयेंगे, जिससे सुख-समृद्धि तथा एकता में अभिवृद्धि होगी। प्रान्तों की सरकारें इसिलए ही बनायी गयी हैं कि प्रशासन द्वारा राष्ट्र की नीति प्रत्येक प्रान्त में क्रियान्वित हो सके परन्तु प्रान्तों ने अभी तक एक-दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखा। इस प्रकार केन्द्रीय शासन की नीति को या उनकी योजनाओं को क्रियान्वित करने में ये रूचि नहीं लेते।
- 3- साम्प्रदायिकता की समाप्ति :- यदि हिन्दु-मुस्लिम तथा ईसाई एवं अन्य जातियों में परस्पर सद्भाव है तो एकता निश्चित रूप् से स्थापित की जा सकती है। यदि इन सम्प्रदायों में वैमनस्यता रहती है तो वे अपने सम्प्रदाय के हितों की ओर अग्रसर होते हैं और एक-दूसरे के हितों की उपेक्षा कर देते हैं। डॉ. आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव न इस सम्बन्ध में कहा है, ''आज एकता की मुख्य समस्या मुस्लिमों और गैर-मुस्लिमों के बीच उपयुक्त सम्बन्धों की स्थापना की हैं।''
- 4- राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय बोध:-यदि हमारे देश में समस्त राजनीतिक दल राजनीतिक विचारधाराओं में तो पृथक्- पृथक् विचारधाराएँ रखते हों परन्तु क्षेत्रीयता तथा स्वार्थपरता का अभाव हो तो वह राजनीतिक दल राष्ट्र की एकता में सहायक सिद्ध होगा। हमारे यहाँ लोकतन्त्रात्मक शासन पद्धति है। इसके अन्तर्गत सभी नागरिकों का जागरूक

होना आवश्यक है तथा अपने कर्त्तव्यों एवं अधिकारों को जानकर ही वे राष्ट्र का भला कर सकते हैं।

5- भाषा सम्बन्धी समस्या का उपचार:- हमारे देश में भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। हमारे देश का राजभाषा या राष्ट्रीय भाषा हिन्दी है परन्तु अहिन्दी भाषी क्षेत्र (दक्षिण) के लोग हिन्दी की उपेक्षा करते हैं, वे कहते हैं हिन्दी हम पर थोपी जा रही है। इस प्रकार वे भाषा के बारे में विरोध भी करते हैं। इससे विश्व शान्ति निर्बल होती है। अत: भाषा जो कि पारस्परिक सम्पर्क का माध्यम है, हमें उससे घृणा नहीं करनी चाहिए और उसी को अपनाकर विश्व शान्ति हेतु प्रयास चाहिए।

## विश्व शान्ति हेतु शिक्षा की भूमिका

शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो हमें पहले भारतीय बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और भाषा, धर्म तथा राजनीति की बात, इसके बाद मस्तिष्क मे आने देगा। 'माध्यमिक शिक्षा आयोग' के अनुसार शिक्षा तभी तक विश्व शान्ति के विकास में सहायक हो सकती है, जबिक इसका उद्देश्य 'देश-प्रेम' हो। आयोग ने देश-प्रेम के अन्तर्गत निम्नलिखित चार तथ्यों का समावेश किया है-

- 1) राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत हित का त्याग।
- 2) देश की दुर्बलताओं को स्वीकार करने की तत्परता।
- 3) देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्राप्तियों का उचित मूल्यां कन।
- 4) व्यक्ति की योग्यतानुसार देश की सर्वोत्तम सेवा।

विश्व शान्ति की समस्या पर विद्वानों ने विचार किया तथा अनेक सुझाव सरकार के सामने रखे। विद्वानों ने अपने प्रतिवेदन में कहा है-विश्व शान्ति के निर्माण में शिक्षा महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। यह अनुभव किया जाता रहा है कि शिक्षा केवल ज्ञान ही प्रदान नहीं करती अपितु वह छात्र के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास करती है। यह व्यक्ति के दृष्टिकोण को विकसित करती है, एकता एवं राष्ट्रयता की भावना का विकास करती हैं, त्याग एवं सहनशीलता की भावना का निर्माण करती है, जिससे समूहों के संकीण स्वार्थ बड़े स्वार्थों में निहित हो सकें।

विश्व शान्ति के लिए विद्वानों ने अनेक सुझाव रखे थे। इनमें मुख्य रूप् से निम्नलिखित हैं-

- 1) इस तथ्य पर बल दिया गया है कि वर्तमान पाठ्यक्रम अनुपयोगी है। अत: एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए इसका पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है।
- 2) विद्वानों ने सुझाव दिया कि वर्ष में एक या दो बार छात्रों, शिक्षकों तथा अभिभावकों का सम्मेलन बुलाया जाय और राष्ट्र हित एवं अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के कार्यों की सबको शपथ ग्रहण करायी जाय।
- 3) विद्वानों ने इस तथ्य पर बल दिया कि शाला का दैनिक कार्यक्रम प्रार्थना से आरम्भ हो तथा सामूहिक रूप् से राष्ट्रीय गीत का गायन करवाया जाय।
- 4) पाठ्य सहगामी क्रियाएँ अत्यन्त उपयोगी होती हैं। इन्हें सुनियोजित ढंग से आयोजित किया जाय। इन क्रियाओं के अन्तर्गत महापुरूषों की जन्मतिथियाँ, राष्ट्रीय उत्सव, शैक्षणिक-भ्रमण, स्काउटिंग शिविर, वाद-विवाद नाटक एवं एन.सी.सी. आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इन क्रियाओं से बालक-बालिकाओं में विश्व बन्धुत्व तथा एकता का भाव उत्पन्न होता है, उनमें सहनशीलता,

विशाल हदयता तथा विश्व शान्ति का दृष्टिकोण भी विकसित होता है। यह आदर्श नागरिक होने के लिए आवश्यक है।

- 5) विद्वानों ने सामाजिक विज्ञान के शिक्षण पर विशेष बल दिया है। इसके माध्यम से बालक-बालिकाओं को अपनी ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस विषय को प्राथमिक स्तर की शिक्षा तक अनिवार्य रूप् से पढ़ाया जाय। इस विषय की पुस्तकों में रामायण, महाभारत की कहानियों के अतिरिक्त अनेक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के महान् पुरूषों के पाठ रखें जायें।
- 6) वर्तमान पाठ्-पुस्तके भी बदली जायें। नवीन पुस्तकें उपर्युक्त तथ्यों पर लिखी जायें। ऐतिहासिक तथ्य ऐसे हों ताकि विश्व शान्ति के लिए वातावरण बन सके।

विश्व शान्ति तथा शिक्षा:-शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रीयता का विकास करना रहा है। संकीर्ण तथा विकृत अन्तर्राष्ट्रीयता ने राष्ट्र-राष्ट्र में, मानव-मानव में विभेद कर दिया, महायुद्धों में झोक दिया और जीवन की निरन्तरता को समाप्त कर दिया। सुप्रसिद्ध दार्शनिक बरट्रेन्ड रसेल ने लिखा है, ''विश्व शान्ति का न होना हमारे युग की सबसे अधिक खतरनाक बुराई है, मद्यपान, व्यापारिक बेईमानी या अन्य किसी भी बुराई की अपेक्षा अधिक खतरनाक है।''

विश्व शान्ति के लिए शिक्षा की आवश्यकता :- आज अन्तर्राष्ट्रीय युग है, आवगमन एवं दूसंचार के माध्यमों ने भौगोलिक दूरी को भी निकट ला दिया है। औद्योगीकरण तथा नागरीकरण और जैसी विकासमय स्थितियों ने मानव, समाज एवं राष्ट्र का जीवन व्यस्त एवं जिटल बना दिया है। अत: यह आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक मानव, समाज, राष्ट्र दूसरे मानव, समाज एवं राष्ट्र के सम्पर्क में आये तभी सुख शान्ति एवं समृद्धि स्थापित की जा सकती है। अत: हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मनन किया जाय और इस मनन द्वारा सद्भाव उत्पन्न किया जाय ताकि शिक्षा का अभीष्ट उद्देश्य पूर्ण किया जा सके। युद्ध होते हैं लाखों व्यक्ति बेघरबार हो जाते हैं। अनेक परिवारों की सुख, समृद्धि एवं शान्ति छिन जाती है, यदि हम पूर्व में ही इस समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हल कर लें तो प्रत्येक राष्ट्र में सुख एवं शान्ति दृष्टिगोचर होगी।

शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी ने सद्भावना को निकट लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। समाचार-पत्र, रेडियों प्रसारण, दूरदर्शन कार्यक्रम एवं चलचित्र आदि भी दूसरे देशों की आर्थिक एवं राजनैतिक दशा पर प्रतिबिम्बित करते हैं। प्रत्येक प्रगति के लिये तीव्रता एवं निरन्तरता आवश्क है। प्रत्येक राष्ट्र एक-दूसरे पर निर्भर होता है। राष्ट्र की बहुत-सी आवश्यकताएँ दूसरे राष्ट्र के सहयोग द्वारा हल होती हैं। अतः अन्तर्राष्ट्रीय भावनाओं के विकास के लिये शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिये। विश्व बन्धुत्व का भाव जगाने के लिये यह आवश्यक है कि हम छात्रों के समक्ष आरम्भ से ही विश्व परिवार का लक्ष्य रखें। प्रारम्भ से ही छात्रों में यह भावना भरने का प्रयत्न करें कि विश्व बड़े से बड़े तथा छोटे से छोटे देश, शिक्षित और अशिक्षित, उन्नतिशील तथा पिछड़े हुए अथवा पद-दिलत सभी इस महान विश्व रूपी परिवार के सदस्य हैं। इस विश्व रूपी परिवार में सभी को भाईचारे के रूप् में पारस्परिक प्रेम से रहना चाहिए। यदि ऐसा सम्भव हो सका तो विश्व में पारस्परिक द्वेष, घृणा तथा ईष्ट्या न पनपने पायेगी और विश्व में सुख शान्ति समानता तथा स्वतन्त्रता स्थापित हो सकेगी। हमारा अपना परिवार अन्य परिवारों से प्रेम

करके ही सजीव और अक्षुण्ण रह सकता है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार एक राष्ट्र का कल्याण राष्ट्र के सभी व्यक्तियों के समुचित विकास पर निर्भर रहता है उसी प्रकार विश्व राष्ट्र का कल्याण सभी राष्ट्रों की उत्तम भावनाओं के विकास तथा उनके पारस्परिक मैत्रीपूर्ण,प्रेमपूर्ण तथा शान्तिपूर्ण व्यवहार पर निर्भर करता है।

गोल्ड स्मिथ के अनुसार, '' प्रत्येक नागरिक को यह समझना चाहिए कि वह विश्व का एक सदस्य है तभी वसुधैव कुटुम्बकम् का सिद्धान्त प्रतिफलित हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह मानकर चलना चाहिए कि सम्पूर्ण मानव एक है, विश्व एक इकाई है। यद्यपि विश्व के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में विभिन्न रूप् रंग, जाति एवं धर्म के लोग निवास करते हैं परन्तु उन सबकी मानवीय आत्मा एक है। शिक्षा द्वारा मानवीय गुणों की प्राप्ति की जा सकती है तथा उन्हें उत्साहित किया जा सकता है। शिक्षा द्वारा ही बालक मानव जाति के प्रति प्रेम तथा सहानुभूति रखना सीख सकेंगे।''

विश्व शान्ति के लिये शिक्षा के उद्देश्य :- छात्रों में विश्व शान्ति के विकास के लिये शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिये -

- 1) उन्हें इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें समस्त व्यक्तियों के रहन-सहन के ढगों, मूल्यों और आकां क्षाओं का ज्ञान हो सके।
- 2) छात्र/छत्राओं को समाज के निर्माण में सक्रिय रूपू से भाग लेने के लिये तैयार किया जाता है।
- 3) शिक्षा द्वारा उन्हें एक साथ रहने के लिये आवश्यक तथ्यों का ज्ञान प्रदान किया जाता है।
- 4) शिक्षा द्वारा सभी राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों एव प्रजातियों के व्यक्तियों को समान समझने की भावना का सूजन किया जा सकता है।
- 5) उन्हें अपने स्वयं की सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय पक्षपात को महत्त्व न देने के लिए शिक्षा प्रदान की जाए।

विश्व शान्ति के लिये शिक्षा का महत्त्व :- विश्व शान्ति के लिये शिक्षा का महत्त्व निम्नलिखित प्रकार है -

- 1) शिक्षा द्वारा छात्रों को विश्व नागरिकता के लिये तैयार किया जाय।
- 2) विश्व की उन सभी समस्याओं से परिचित कराया जाय, जो सभी देशों के लिये सामान्य रूप् से सम्बन्धित हैं और उनका समाधान करने के लिये जनतन्त्रीय पद्धतियों का ज्ञान कराया जाये।
- 3) उन्हें विश्व समाज के निर्माण के लिये मूल्यों एवं उद्देश्यों में आस्था रखने की शिक्षा प्रदान की जाय।
- 4) सांस्कृतिक विभिन्नताओं में मानव हित के लिये कल्याणकारी समान तत्त्वों को खोजने के लिये प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाय।
- 5) उन्हें समस्त आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक तत्त्वों की पूर्ण जानकारी कराया जाना शिक्षा द्वारा ही सम्भव है, जिनके कारण ही विश्व के समस्त राष्ट्र एक-दूसरे पर आधारित हैं।
- 6) शिक्षा द्वारा उनमें स्वतन्त्र चिन्तन, लेखन-भाषण योग्यता तथा निर्णय लेने की शक्ति का विकास किया जाय।

- 7) शिक्षा प्रक्रिया द्वारा समस्त राष्ट्रों की उपलिब्धियों का आधार तथा मूल्यां कन करना सिखाया जाय, जिससे मानव संस्कृति तथा विश्व नागरिकता का विकास हो सके। संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व शान्ति :- संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी शक्तिशाली देश सदस्य हैं। इनकी सदस्य संख्या निरन्तर बढ़ रही है। संघ की स्थापना विश्व शान्ति के लिये हुई हे किन्तु आज की परिस्थितियों में देशों गुटवाद तथा शक्ति प्रदर्शन की होड़ ने इसके उद्देश्यों को विकृत कर अवरोध उत्पन्न कर दिया है, खाड़ी युद्ध सन् 1991 तथा सन् 1993 इसी का परिणाम है। संयूक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्त (कार्य) तथा उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
  - 1) युद्ध विभीषिका के अवसर न आने देना।
  - 2) देशों के झगड़े का परस्पर शान्ति एवं सहयोग तथा सुलह द्वारा किया जाना।
  - 3) मानवीय दुष्टिकोण की पहल करना तथा विश्व संघ निर्मित मानवीय मानूनों का उल्लंघन न होने देना।
  - 4) समूची मानव जाति हेतु कल्याणपरक विचार उत्पन्न करना।
  - 5) संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
  - 6) इसके सभी सदस्य किसी भी देश की आन्तरिक सुरक्षा में परस्पर हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे न ही किसी छेटे देश के प्रति धमकी अथवा शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे।
  - 7) प्रत्येक सदस्य यू.एन.ओ. के चार्टर का ईमानदारी से पालन करेगा और जो देश इसका उल्लंघन करेगा, उसके साथ अन्य सदस्य असहयोग का रवैया अपनायेंगे तथा उचित कार्यवाही करेंगे।

### 2.8 सारांश

अभी तक हमने शान्ति की अवधारणाओं/आयामों/दृष्टिकोणों की विभिन्न व्याख्याओं का अध्ययन किया। इनमें कुछ राज्यों के मध्य युद्ध को असंभव बनाने के लिए सांस्कृतिक स्थितियों के निर्माण पर जोर देने जैसे संकीर्ण थे, दृष्टिकोण हैं और कुछ व्यापक दृष्टिकोण जो प्रत्येक संस्कृति का रूपान्तरण ऐसे राज्य में चाहते हैं जो समग्रवादी आन्तरिक शान्ति-बाह्य शान्ति को निष्पाद्य बनाए। यदि हम इस ढां चे को व्यावहारिक रूप से प्रयोग करें तो शान्ति के वैश्विक दृष्टिकोण/संस्कृतियों की रचना करने हेतु कम से कम तीन रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। पहली रणनीति शान्ति के वैश्विक दृष्टिकोण के निर्माण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के महत्व पर बल देती है। संक्षिप्त समय में, अन्तर्राष्ट्रीय समाज की दिशा में वर्तमान प्रवृत्तियां, जिनके अनुसार राज्यों के मध्य युद्ध मान्य नहीं है, को सुदृढ़ किया जा सकता है। दीर्घ काल में ये शान्ति की व्यापक परिभाषाओं जैसे नारीवादी विचार, जो व्यक्तियों एवं राष्ट्रों के साथ लघुस्तरीय संरचनात्मक हिंसा को समाप्त करने का समर्थन करते हैं, का समर्थन करने हेतु स्थानीय सांस्कृतिक स्थितियों के निर्माण के लिए कार्य करने को सम्मव बनाएंगी। दूसरी रणनीति शान्ति की वैश्विक संस्कृतियों के निर्माण हेतु बाटम अप दृष्टिकोण पर बल देगी, यह कहते हुए कि व्यक्तियों के रूप हमें स्थानीय, संस्कृतियों को शान्ति की संस्कृति में करने हेतु लघु अवधि के लिए अपने सांस्कृतिक समुदायों व संदर्भों में कार्य करना चाहिए और इस प्रकार अवधि में वैश्विक शान्ति की संस्कृतिका निर्माण होगा। तीसरी रणनीति अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय संगठनों एवं समूहों के साथ कार्य करते हए

शान्ति के लिए उपयुक्त सांस्कृतिक स्थितियां बनाकर स्थानीय व वैश्विक दोनों को प्रकार की पहल को संयुक्त करती है। वैश्विक स्तर पर शान्ति को अधिक उपयुक्तता से वृहद् स्तरीय शारीरिक व संरचनात्मक हिंसा को समाप्त करने के अर्थ में परिभाषित किया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर शान्ति को पहले व्यक्तिगत एवं लघु स्तरीय शारीरिक व संरचनात्मक हिंसा को समाप्त के अर्थ में और फिर शान्ति के आन्तरिक एवं बाह्य पक्षों का निर्माण करने के अर्थ में परिभाषित किया जा सकता है। राजनैतिक शिक्त शान्ति स्थापना की दिशा में एक पहला कदम है। हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि हम परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करें। आज हमें आवश्यकता है कि गाँधीजी और उनके समान व्यक्तियों के समान सिद्धान्तों को पोषित करें तािक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शान्ति स्थापित हो सके। हमें देखना होगा कि संसाधनों का समान रूप से बंटवारा हो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विश्व में व्यक्ति अपना स्थान और उसका महत्व समझें।

राजनैतिक शोषण के अलावा विश्व में आर्थिक, बौद्धिक, धार्मिक, पर्यावरणीय और लैंगिक शोषण भी हैं। जब हम शान्ति की बात करते हैं तो हमें विनाश और जनहानि को गरीबी, अशिक्षा, धार्मिक असिहष्णुता, पर्यावरणीय संकट और लैंगिक शोषण से अलग रखकर नहीं देखना चाहिए। समस्याओं की पहचान करने के उपरान्त उनका समाधान भी ढूंढना आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि केवल राजनैतिक शक्ति ही शान्ति स्थापित नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शान्ति स्थापना के लिये क्या करना चाहिये? किस प्रकार हम ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जिसमें समस्त लोगों के लिये शान्ति की धारणा केन्द्रीय स्वरूप में हो?

सत्ता में शामिल लोगों चाहे वे राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, नागरिक या प्रशासनिक सत्ता से सम्बंधित क्यों ना हों, उन्हे शान्ति के बारे में एक सम्पूर्ण दृष्टि विकसित करनी होगी यदि हम अपनी आने वाली पीढीयों को एक बेहतर विश्व देना चाहते हैं तो हमें गाँधीवादी विचारों को अपनाना होगा तभी हम स्थायी शान्ति स्थापित कर पायेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि समाज अहिंसा जैसे गाँधीवादी सिद्धान्तों को आत्मसात् करें। हमें अपनी योग्यता और धन का उचित उपयोग कर समाज को भविष्य की चुनौतियों के लिये तैयार करना होगा।

### 2.9 अभ्यास प्रश्न

- 1. शान्ति से आप क्या समझते हैं ?
- 2. शान्ति के विभिन्न सिद्धान्तों को समझाइए।
- 3. शान्ति अध्ययन का भविष्य क्या है ?
- 4. शान्ति प्राप्त करने में क्या प्रमुख वैश्विक बाधाएं हैं ?
- 5. वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा वैश्विक स्तर पर शान्ति को सुदृढ़ किया जा सकता है ? शान्ति से आप क्या समझते हैं ?
- 6. 'शान्ति' के विभिन्न सिद्धान्त क्या हैं ?
- 7. गाँधीजी के अनुसार 'शान्ति' क्या है ?
- 8. शान्ति के लिए गाँधीवादी और मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्तों की तुलना कीजिए।

## 2.10 संदर्भ ग्रंथ सूची

- बराष, डेविड पी., एप्रोचेज़ दु पीस : अ रीडर इन पीस स्टडीज, आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रैस, न्यूयॉर्क,
   2000
- दास, समीर कुमार (सम्पादित), पीस प्रोसेस एण्ड पीस अकॉर्ड्स, सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली,वॉल्यूम 2, 2005
- गाल्टुंग , जोहन, पीस बाय पीसफुल मीन्स, सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1996
- रैनी, लिंडा एण्ड प्रैगर, फोर्सी (सम्पादित), पीस : मीनिंग्स, पॉलिटिक्स, स्ट्रैटिज़ीस प्रैगर लन्दन, 1996
- समादार रनबीर (सम्पादित), पीस स्टडीज : एन इन्ट्रोडक्शन दु द कॉन्सैप्ट, स्कोप एण्ड थीम्स, सेज पिंक्लिकेशन्स, न्यू दिल्ली, 2004
- िस्प्रंग, अर्सुला ओसवॉल्ड (सम्पादित), पीस स्टडीज फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपैक्टिव : ह्यूमन नीड्स इन अ कोऑपरेटिव वर्ल्ड, माध्यम बुक सर्विस, दिल्ली, 2000
- बोस, अनिमा डायमेनशन्स ऑफ पीस एण्ड नान वायलेन्स. द गाँधीयन पर्सपैक्टिव, ज्ञान पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली, 1987
- बाल्टीमार, टाम (सम्पादित), ए डिक्शनरी ऑफ मार्क्सिस्ट थोट, आक्सफोर्ड, 1983
- सरस्वती, बैधनाथ (सम्पादित) कल्चर ऑफ पीस : एक्सपीरियन्स एण्ड एक्स्पीरिमेन्ट, इन्दिरा गाँधी नेशनल सेन्टर फॉर द आर्ट्स एवं डी.के. प्रिन्टवर्ल्ड, नई दिल्ली, 1999
- प्रसाद, देवी, पीस एडुकेशन ऑर एडुकेशन फॉर पीस, गाँधीपीस फॉउन्डेशन, नई दिल्ली, 1984
- गंगराड़े के. डी एवं मिश्रा, आर. पी., कॉनिफ्लक्ट रेसोल्यूशन थ्रू नॉनवायलेन्स कानसेप्ट पब्लिशिन्ग कम्पनी, नई दिल्ली, 2007
- दास, दीप्ती मोई, गाँधीस डोकट्रीन ऑफ ट्रुथ एण्ड नॉन वायलेन्स : ए क्रिटिकल स्टडी, डॉमिनेन्ट पिंक्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2008 के. डी. गंगराडे एवं आर. पी. मिश्रा, कॉनिफल्क्ट रेसोल्यूशन थ्रू नॉनवायलेन्स कानसेप्ट पिंक्लिशिन्ग कम्पनी, नई दिल्ली, 2007
- पारीक, रामलाल (प्रकाशक), परस्पेक्टिवस् ऑफ पीस रिसर्च, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, 1972
- जोसफ, सिबी के., जे. मूलाकाट्ट एवं महोदया भरत (सम्पादित), नॉन वायलेन्ट स्ट्रगल्स, इंस्टीट्यूट ऑफ गाँधीयन स्टडीज, वर्धा एवं गाँधी पीस फाऊँडेशन, नई दिल्ली, 2009
- जिल्लेंट, निकोलस, मेन अगेंस्ट वार, गाँधी बुक हाउस, नई दिल्ली, 1991

- अय्यर, राघवन एवं अन्य, गाँधी एण्ड ग्लोबल नॉनवायलेन्ट ट्रान्सफोर्मेशन, गाँधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली, 1994
- मश्रुवाला, के. जी., गाँधी एण्ड मार्क्स नवजीवन पब्लिशिंग हॉउस, 2007

# इकाई – 3

# मानव आधिकार और शांति शिक्षा

## **Human Rights and Peace Education**

## इकाई की रुपरेखा

- 3.1 प्रस्तावना
- 3.2 उद्देश्य
- 3.3 मानव अधिकार
- 3.3 मानवाधिकार की अवधारणा
- 3.4 मानव अधिकार पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण
- 3.5 मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा
- 3.6 मानवाधिकार: शिक्षा की आवश्यकता महत्व व कार्य
- 3.7 भारतीय संविधान में मूल अधिकार
- 3.8 मानवाधिकार शिक्षा के लक्ष्य
- 3.9 भारतीय शिक्षा पर मानवाधिकार का प्रभाव
- 3.10 सारांश
- 3.12 अभ्यास प्रश्न
- 3.13 संदर्भ ग्रंथ सूची

#### 3.1 प्रस्तावना

मानव समाज में कई स्तर पर कई तरह से विभेद मौजूद हैं। भाषा, रंग, मानसिक स्तर, प्रजातीय स्तर आदि स्तरों पर मानव समाज में भेदभाव का बर्ताव किया जाता रहा है। इन सबके बावजूद कुछ अनिवार्यताएं सब समाजों में समान हैं। यही अनिवार्यता मानव अधिकार है, जो एक व्यक्ति को मानव होने के कारण मिलना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य के रूप में स्थायित्व के लिए जिन मानव उपयोगी मूल्यों की तथा उच्च मर्यादाओं की आवश्यकता होती है उनको ही हम मानव अधिकार कह सकते हैं।

मानवाधिकार एक ऐसा अधिकार है। जिसके बिना एक मानवीय समुदाय का समुचित विकास सम्भव नहीं है और ये मानविधकार आदिकाल से जब सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, तब से हमारे समाज में किसी न किसी रूप में व्याप्त है। इन मानवाधिकारों की महत्व का वर्णन अनेक विद्धानों ने अपने कतव्यों में किया है हैराल्ड लास्की ने इनकी महत्ता की बात करते हुए कहा था कि ये ऐसे अधिकार है जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर नहीं सकता है।

वैदिक काल से ही हमारे देश में सबको शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने पर बल दिया गया था।कालान्तर में समाज में व्याप्त कुरीतियों के परिणामस्वरूप शिक्षा प्रदान करने में भेदभाव रखा जाने लगा। कुछ विशेष जाति विशेषकर निम्न जातियों के सदस्यों एवं महिलाओं को शिक्षा देना उस समय कठिन हो गया। परिणामस्वरूप ऐसी जातियाँ शिक्षा क्षेत्र में पिछड गई। स्वतंत्रता के बाद नए संविधान के अन्तर्गत शैक्षिक अवसरों की समानता से हमारा तात्पर्य जाति, धर्म, रंग, लिंग तथा क्षेत्र के आधार पर पक्षपात न करते हुए सबके लिए शिक्षा के उपयुक्त अवसर प्रदान करना है। इन अवसरों को अतिरिक्त सुविधाएँ जुटाकर प्रदान किया जाना राज्य के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया गया है ताकि जो वर्ग किन्हीं कारणों से शिक्षा में पिछड़ा है उसे अतिरिक्त अवसर प्रदान कर सामान्य धारा में मिलाया जा सके। शिक्षा आयोग ने भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है मुख्य —िशक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करना है एवं पिछड़े अथवा अपर्याप्त सुविधाएँ प्राप्त वर्ग या व्यक्तियों को अपने विकास के लिए शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाना है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है. अन्य व्यक्तियों के साथ जीवन यापन करता है। समाज में ही उसके व्यक्तित्व का विकास होता है तथा वह पूर्णता को प्राप्त करता है। यदि उसे विकास के लिए समुचित अवसर व सुविधाएँ न मिलें तो वह अपूर्ण रह जायेगा। इसके लिए राज्य व्यक्ति को सुविधाएँ प्रदान करता है। कुछ सुविधाएँ व्यक्तिगत होती हैं, कुछ सार्वजनिक कल्याण की। प्राय: समाज उन मांगों को स्वीकार कर लेता है जो समाज के हित में होती हैं। समाज सम्मत इन मांगों को ही अधिकार कहते हैं। समाज से बाहर अधिकारों की सृष्टि नहीं होती है। अधिकार का मूलभूत आधार 'सामाजिक कल्याण का भाव'' है। समाज का प्रमुख आधार स्तम्भ मानव अधिकार है।

## 3.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप जान सकेगे कि '

- मानव अधिकार का अर्थ एवं अवधारणा
- मानव अधिकारों का वर्गीकरण
- मानव अधिकार शिक्षा की अवश्यकता , महत्व व कार्य
- मानव अधिकार एवं शान्ति की और संक्रमण
- मानव अधिकार एवं शान्ति शिक्षा

## 3.3 मानव अधिकार

मानव अधिकारों को सामान्यत: ऐसे अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका उपयोग करने और जिनकी रक्षा की अपेक्षा रखने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को है। सभी समाजों और संस्कृतियों में कुछ ऐसे अधिकारों की अवधारणा को विकसित किया है जिनका आदर करना आवश्यक समझा गया है। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में मानवतावादी परम्परा और सिहण्णुता की परम्परा तथा विविधता व

अनेक रूपता के प्रति आदर की परम्परा रही है। वसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा इसका उदाहरण है। भारतीय दर्शन में बंधुत्व और सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखने जैसे मूल्य अन्तिनिहत हैं। ये अवधारणाएं अनेक धार्मिक एवं समाज सुधार आदोलनों में भी प्रतिबिम्बित हुई हैं। इसी प्रकार के विचार अन्य संस्कृतियों और सभ्यताओं में भी विकसित हुए हैं। यूरोप में 'पुनर्जागरण' और 'ज्ञानोदय' मानवतावाद का मूलमंत्र बना है। मानवतावाद ने मनुष्य को सबसे ऊपर प्रतिष्ठित किया है। इस काल में जिस समय यूरोप में मानवतावाद की स्थापना हो रही थी लगभग उसी समय अमरीका के यूरोपीय—पूर्व संस्कृतियों के विध्वंस, इंसानों की तिजारत और विश्व के कई भागों में उपनिवेशीकरण के प्रारम्भ का भी काल था। मानवतावाद का सारा संदर्भ मानवाधिकार है।

मानवाधिकार की अवधारणा के विकास की प्रक्रिया 18वीं सदी में उदित क्रांतिकारी आन्दोलनों के परिणाम स्वरूप तेजी से फैली और 19वीं व 20वी शताब्दी में परवान चढ़ी। इसमें सबसे बड़ा योगदान अमरीकी स्वतंत्रता की घोषणा और फ्रांस की मनुष्य तथा नागरिक के अधिकारों की घोषणा का रहा। अमरीका और अन्य सभी देश जो मानवाधिकार की बात करते रहे सर्वाधिक अधिकारों का हनन उन्हीं प्रजातांत्रिक, समाजवादी जनवादी देशों में ही हुए हैं।1914 से 1945 दो विश्वयुद्धों तक का कालखण्ड 'विध्वसं का काल' था। इसी काल के अन्तिम वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की अवधारणा और अभिव्यक्ति वर्तमान अशों में की जाने लगी, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार—पत्र को लेकर कोई तीन वर्ष बाद जल्दी की गई। मानवाधिकारी की सार्वजनिक घोषणा (1948) वस्तुत: ऐसे मानवाधिकारों की एक लम्बी सूची है। जिनकी प्रगति सभी जन सभाओं और राष्ट्रों के लिए 'सामान्यत: आवश्यक मानी जाती है।

मानवाधिकार की इस अवधारणा की चर्चा सामान्य रूप से इसके तीन चरणों को ध्यान में रखकर की जाती है —

- 1. प्रथम चरण के अधिकार: स्वतंत्रता अभिमुख अधिकार इनका सम्बन्ध मुख्य रूप से व्यक्ति के नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों से हैं। इनका उद्देश्य सरकारों को व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए निषेधात्मक दायित्व आरोपित करना था।ये अधिकार 19वीं सदी से आरंभ हाने वाले सभी उदारवादी और लोकतांत्रिक आदोलनों के प्रमुख प्रयोजनों में से थे।
- 2. दूसरे चरण के अधिकार सुरक्षा अभिमुख अधिकार इनमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सुरक्षा की व्यवस्था है। इसकी प्रकृति सकारात्मक है। इनके कारण यह जरूरी हो जाता है कि राज्य इन अधिकारों की पालना सुनिश्चत करें।
- 3. तृतीय चरण के मानवाधिकार विकास का अधिकार इनका विकास हाल ही में हुआ है। वर्तमान में पर्यावरण सम्बन्धी, सांस्कृतिक तथा विकासात्मक अधिकारों का समावेश हुआ है। इनका सम्बन्ध व्यक्तियों की बजाय समूहों और जन—समाजों के अधिकारों से है। इनमें आत्म—निर्णय और विकास का अधिकार, आदि आते हैं। इन अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति पैदा करने में विकासशील देशों की महती भूमिका रही है।

## 3.3 मानवाधिकार की अवधारणा

मानव इतिहास इस बात का उदाहरण है कि प्रत्येक मानव समाज में व्यक्ति की गरिमा तथा व्यक्ति एवं समाज के मध्यम सम्बन्धों को परिभाषित करने का सिक्रय प्रयास किया गया है। सामाजिक नैतिकता, व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक पदक्रम, जन्म, लिंग, शासकीय या दैवीय शक्तियाँ इन मूल्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं।

इस प्रसंग में मानव अधिकार की अवधारणा जो कभी-कभी निजी अधिकारों पर बल देती है, समाज के साथ अन्तर्विरोध पैदा करती हैं। लेकिन इस संदर्भ में, जैसा कि मानव अधिकारों के प्रवर्तकों की धारणा है कि मानव अधिकार स्वयं में, अन्तर्निहित, अपृथकरणीय एवं वैश्विक है। सरल भाषा में कहें तो, कुछ मूलभूत मानव अधिकार हैं, जिन्हें व्यक्ति या समाज से अलग नहीं किया जा सकता है। 'निहित' इस अर्थ में है कि ये अधिकार जन्मजात हैं, 'न अलग किए जाने वाला' इस अर्थ में है कि इन्हें मानव से अलग नहीं किया जा सकता; तीसरे अपने प्रकृति (स्वभाव) में 'वैश्विक' है क्योंकि समस्त मानव समाज के लिए अनिवार्य है।

## ऐतिहासिक विकास

यद्यपि मानव अधिकार 20वीं शताब्दी में विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ, लेकिन इसकी जड़े सदैव मानव समाज में विद्यमान रही है। इसका चरित्र द्वंतत्मक रहा है और इसी आधार पर मानव विकास सम्भव हो सका है। मानव अधिकारों के विद्वान इसकी जड़ें प्राचीन यूनान एवं रोम में मानते हैं, जहाँ पर सर्व प्रथम स्टाईक दार्शनिकों ने प्राकृतिक कानून के रूप में मानव अधिकार की व्याख्या की थी। इस विचारधारा की स्थापना जेनो आफ सिटियम ने की थी, जिसका दृष्टिकोण था कि एक वैश्विक कार्यशक्ति सभी चीजों का निर्धारण करती है इसलिए प्राकृतिक कानून के अनुसार, सब कुछ परखा जा सकता है। इस प्रकार स्टोइक दर्शन ने प्राकृतिक अधिकारों के स्वरूप निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिक चिंतन में, यूनानी नगर राज्यों के समय से लेकर आधुनिक समय तक मानव अधिकार लगातार विचार-विमर्श का मुद्दा रहा है। सुकरात और प्लेटो के समय में मानव अधिकार सम्बन्धी विचार प्राकृतिक कानून और राजनीतिक आदर्शवाद से जुड़ा था। आगे चलकर, इन्हीं विचारों ने राजाओं एवं सम्राटों को भी प्रभावित किया। यह विचार बल पकड़ने लगा कि मानव जाति के कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं जो राज्य की स्थापना से पहले से ही विद्यमान थे। स्टोइक दार्शनिकों एवं मध्यकालीन ईसाई चिन्तक सेंट आगस्टाइन ने इसी बात पर बल दिया है।मध्यकालीन समय में, जिसकी कालावधि 13वीं सदी से वेस्टफेलिया की संधि (1648) तक विस्तृत है, पुनर्जागरण और सामंतवाद के पतन का दौर भी है। इसी कालावधि में मनुष्य के परम्परागत विचारों, विश्वासों में परिवर्तन हुआ है। जन समुदाय ने यह महसूस किया कि मानव अधिकार एक सामाजिक आवश्यकता है। थामस एक्विनास (1224-1274) और ह्याोग्रोशियश (1583-1645) की शिक्षाएं, मैग्नाकार्टा (1215) अधिकार पत्र (1628) और ब्रिटिश अधिकार पत्र (1689) इस बदलाव के प्रमाण थे। इन सभी घटनाओं में विचार इस विश्वास के आधार भूमि थे कि समस्त मानव जाति कुछ मूलभूत, शाश्वत प्राकृतिक अधिकारों से युक्त हैं, जो राज्य या समाज के उदय के पहले भी मौजूद थे। इन्हीं विचारों ने आगे चलकर, 17वीं एवं 18वीं शदी के प्राकृतिक अधिकारों की पृष्ठभूमि तैयार की थी।

17वीं शताब्दी के वैज्ञानिक एवं बौद्धिक उपलिब्धियों ने जिसमें, गैलिलियो, न्यूटन की खोजें, थामस हाब्स का भौतिकवाद, रेनेडेस कार्टेज और लीबनिब्ज का तर्कवाद, स्पिनोजाका सर्वेश्वरवाद और बेकन तथा लॉक के अनुभववाद ने प्राकृतिक कानून और समस्त विश्व की एक व्यवस्था की धारणा को पुष्ट किया। 18वीं सदी जो ज्ञानोदय की सदी भी है, में मानवीय तर्क और विश्वास की वृद्धि हुई। इंग्लैण्ड में जानलॉक, फ्रांस में मांटेस्क्यू वाल्टेयर और रूसो ने मानवीय तर्क तथा प्राकृतिक कानूनों को बल प्रदान किया है। जानलाक जो आधुनिक उदारवाद का पिता तथा गौरवपूर्ण क्रांति का शिशु था, वास्तव में प्राकृतिक अधिकारों की धारणा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बनाया। सामाजिक समझौता सिद्धान्त के अधिकारी विचारक होने के कारण लाक ने यह विचार दिया कि सामाजिक या राजनीतिक संगठन की स्थापना के पहले ही मनुष्य को कुछ मूलभूत प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, जैसे-जीवन का अधिकार, स्वतन्त्रता और सम्पत्ति का अधिकार इन अधिकारों में महत्वपूर्ण थे। उसने इन अधिकारों की रक्षा करते हुए राज्य द्वारा हनन किए जाने पर व्यक्ति को राज्य के खिलाफ विद्रोह करने का अधिकार दिया है। 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति के दौरान यह विचार इंग्लैण्ड में गूँज रहा था।

18वीं सदी के उत्तरवर्ती एवं 19वीं सदी के पूर्ववर्ती वर्षों में पश्चिमी संसार में जानलाक के विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा। 1776 का पेनसिलवानिया घोषणा-पत्र, 1789 का फ्रंच मानव अधिकार घोषणा पत्र तथा 1789 का मेसाच्यूट घोषणा पत्र आदि सभी मानव अधिकारों के विचारों से भरे पड़े थे। ये घोषणा-पत्र एक तरह से राजनीतिक सर्वाधिकारवाद के खिलाफ घोषणाएं थीं। मौरिस क्रेंसटन जैसे विद्वानों की धारणा है कि यह विचार राज्य सर्वाधिकारवाद का प्रत्युत्तर था।

19वीं शती के जर्मन आदर्शवाद एवं यूरोपीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि पर उदित माक्रसीय विचार पद्धति का व्यक्गित अधिकारों को नकारती रहीं लेकिन, अधिकारों को एक सामाजिक स्वीकृति का परिणाम मानती हैं।

इन सभी विचारधारात्मक आलोचनाओं एवं तर्कों के बावजूद प्राकृतिक अधिकार की धारणा किसी न किसी रूप में मानव समाज में जीती-जागती रही है। दासता के अंत की मांग, जनशिक्षा एवं सबके मताधिकार का आंदोलन इस बात का सबूत है। जर्मन नाजीवाद के उदय एवं पतन से मानव अधिकार के विषय में कुछ नए सवाल पैदा हुए। जर्मन आदर्शवाद ने मानव जाति पर भयंकर अत्याचार किए। जातीय उच्चता के सिद्धान्त ने जर्मन एवं यहूदियों के बीच नए सम्बन्धों को जन्म दिया। यहूदियों एवं अन्य लोगों की हत्या करना हिटलरकालीन जर्मन लोगों का अधिकार बन गया था। लेकिन अंततोगत्वा यह मानव अधिकार नहीं था।

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद गठित राष्ट्रसंघ (1919) के कारण मानव अधिकारों की अवधारणा का विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। यद्यपि राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा में मानव अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, फिर भी राष्ट्रसंघ ने इस दिशा में विशेषकर अल्पसंख्यकों एवं युद्ध प्रभावित लोगों के बारे में ध्यान दिया। राष्ट्रसंघ ने श्रमिकों के अधिकारों एवं बालश्रम पर भी ध्यान दिया। यही कारण था कि 1919 में ही अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन हुआ जो इस समय संयुक्त राष्ट्रसंघ की एक स्वायत्त संस्था के रूप में काम कर रहा है।

इस प्रकार बीसवीं शताब्दी में मानव अधिकार की धारणा विस्तृत हुई। बदलते विश्व ने वास्तव में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तरों पर एक मानवीय जीवन दर्शन का विकास किया तथा साथ ही इसके लिए संघर्ष भी चल रहा है। संविधानवाद की मांग प्रतिनिधिक सरकार, सार्विक मताधिकार, जनशिक्षा, एक तरफ से तथा दूसरी तरफ सोवियत समाजवादी गणतन्त्र के उदय ने मानव जाति के मध्य लोकतांत्रिक एवं सबसे अधिकारों के लिए मांग एवं संघर्ष का रास्ता चुना है।

### मानवाधिकार का अर्थ एवं परिभाषायें

मानव अधिकार शब्द की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी। मानव अधिकार को प्राकृतिक अधिकार या मनुष्य के अधिकारों की संज्ञा भी दी जाती है। मानव अधिकारों से आशय उन मनुष्यों को दिये जाने वाले उन अधिकारों से है जो कि उसे मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं।

अॉक्सफोर्ड शब्दकोष के अनुसार - ' 'मानव अधिकार सभी व्यक्तियों को बोलने, विचार करने व भ्रमण करने की स्वतन्त्रता से है। शिक्षा के संदर्भ में मानव अधिकार से आशय शिक्षा के द्वारा सभी के लिये खुले होने से है जिसमें जाति, भाषा, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो व प्राथमिक शिक्षा सभी के लिये निःशुल्क व अनिवार्य हो। विश्व में शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त साधन माना जाता है। सामाजिक परिवर्तन की श्रृंखला में विश्व के प्रत्येक विकसित एवं विकासशील राष्ट्र ने बुनियादी शिक्षा को एक आवश्यकता व अनिवार्यता के रूप में स्वीकार किया है। इसी कारण शिक्षा की सम्पूर्ण प्रणाली राज्य के वित्त पोषण एवं नियन्त्रण में रही है। इस विचारधारा में भी तीव्र गित से परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा है जिससे शिक्षा का निजीकरण एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में दिखाई दे रहे हैं।

शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सरकारी प्रयासों के साथ ही साथ निजी क्षेत्र में भी प्रयास तीव्र गति से चलाये जाते हैं जिनका मूल उद्देश्य शिक्षित समाज का निर्माण करना है।

अधिकार शब्द का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम यूरोप में 12वीं शताब्दी में हुआ। 14वीं शताब्दी के अन्त तक प्राकृतिक अधिकार पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। प्राकृतिक अधिकारों से कई नई विचारधाराऐ प्रसफुटित हुई जिससे सर्वप्रथम (1588- 1679) थॉमस हॉक की व दूसरी विचारधारा (1632- 1704) जॉन लॉक के विचारों से उत्पन्न हुई। व्यक्तियों को पूर्व राजनैतिक व्यवस्था में असीमित अधिकार हॉम्स ने प्रदान किये थे। हॉब्स के विचारों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि यह सिद्धान्त निरपेक्ष सरकारी सत्ता के अनुरूप है। जॉन ब्लॉक ने सरकार की निरपेक्ष सरकारी सत्ता को नियन्त्रित करने का प्रयास करते हुये अपने विचार व्यक्त किये। लॉक के अनुसार जब सभ्य समाज की रचना होगी तो अत्याज्य मानव अधिकार जन सामान्य के पास रहेंगे जिससे सरकार कभी भी निरपेक्ष सत्ता प्राप्त नहीं कर सकेगी।

लॉक के इस सिद्धान्त के परिणामस्वरूप मनुष्यों ने समता के अधिकार का उपयोग किया एवं व्यक्तियों के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा व अनुकरण ने सरकार की निरंकुश सत्ता को सीमित व नियन्त्रित किया। लॉक ने अपने सिद्धान्त में मनुष्यों को यह भी अधिकार दिया कि कोई भी सरकार यदि अपने नागरिकों के हितों व अधिकारों का उल्लंघन करती है तो ऐसी सरकार को विधिपूर्वक हटाया जा सकता है।

मानवाधिकार की प्रमुख परिभाषाएं निम्नवत् हैं:-

जे. सी. जौहरी के अनुसार, ''यह तथ्य है कि मानव समाज में कई रूतरों पर विभेद मौजूद है चाहे वह भाषा, वर्ण या लिंग के आधार पर हो किन्तु इनके बावजूद कुछ अनिवार्यताएं सब समाजों में विद्यमान है, यही मानव अधिकार है, जो एक व्यक्ति को मानव होने के कारण मिलना चाहिए।''

आर. जे. विंसेट के अनुसार ''मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त हैं। इन अधिकारों को आधार मानव स्वभाव में निहित है।''

डेविड सेलबाई के अनुसार ''मानव अधिकार संसार के समस्त व्यक्ति को प्राप्त हैं, क्योंकि यह स्वयं में मानवीय है, वे पैदा नहीं किये जा सकते, खरीद या संविदावादी प्रक्रियाओं से मुक्त होते हैं।''

ए.ए. सईद के अनुसार, ''मानव अधिकारों का सम्बन्ध व्यक्ति की गरिमा से है एवं आत्म-सम्मान का भाव जो व्यक्तिगत पहचान को रेखां कित करता है तथा मानव समाज को आगे बढाता है।''

सभी लेखकों का जोर मुख्यतः तीन बातों पर है, पहला मानव स्वभाव, दूसरा मानव गरिमा-तीसरा समाज का अस्तित्व। इनको ध्यान में रखते हुए प्लानो और ओल्टन ने एक संतुलित परिभाषा देने का प्रयास किया है जिसके अनुसार, ''मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य के जीवन उसके अस्तित्व एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं।''

इस प्रकार परिभाषाओं से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि मानव अधिकार, मानवीय स्वभाव में ही अन्तर्निहित हैं तथा इन अधिकारों की अनिवार्यता मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए सदैव से रही है। वस्तुतः मानवाधिकार की सभी परिभाषाएं मानवीय गरिमा से संबन्धित हैं और मान्व व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास के लिए ये नितांत आवश्यक हैं।

#### मानवाधिकार के सिद्धान्त

मानव अधिकारों के बारे में और गहरी समझ विकसित करने के लिए यह जरूरी है कि इस विषय पर उपलब्ध राजनीतिक सिद्धान्तों का खुलासा किया जाया इस संदर्भ में कई सिद्धान्त उल्लेखनीय हैं:

## प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त

यह अधिकारों के सिद्धान्त का सबसे प्राचीन सिद्धान्त है और इसका उदय प्राचीन ग्रीक में हुआ था। इस सिद्धान्त के अनुसार, अधिकार मनुष्य के स्वभाव से सम्बन्धित है इसलिए स्वतः प्रामाणिक सत्य है। यह इस बात पर भी बल देता है कि प्राकृतिक अधिकार राज्य एवं समाज की स्थापना के पहले से ही मानव के साथ रहे हैं या मानव उनका उपभोग करता रहा है। लाक इस सिद्धान्त का अधिकारी प्रवर्तक था।

## अधिकारों का कानूनी सिद्धान्त

प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त के प्रति क्रिया स्वरूप पैदा हुआ। इस सिद्धान्त के अनुसार, मानव अधिकार राज्य के कानूनी शक्ति द्वारा ही पैदा की जा सकती है। थॉमस ,हॉब्स और बेंथम तथा ऑस्टिन ने इस सिद्धान्त को विकसित किया। अधिकार पूरी तरह से उपयोगितावाद पर आधारित हैं। व्यक्ति को सामाजिक हित में कुछ अधिकार छोड़ने पड़ते हैं। केवल कानून अधिकारों का जन्मदाता नहीं हो सकता है। परम्पराएं, नैतिकता, प्रथाए मानव अधिकार के विकास में मुख्य भूमिका निभाती हैं। इस सिद्धान्त ने अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य की भूमिका स्वीकार की।

#### गैर उपयोगितावादी सिद्धान्त

द्वार्वाकिन नाजिक और जानराल्य इस सिद्धान्त के प्रवर्तक हैं। इस विचार पद्धित के अनुसार व्यक्तिगत एवं सामाजिक अधिकारों के मध्य कोई आपसी विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि एक समभाव जरूरी है।

#### विधिक यथार्थवादी सिद्धान्त

यह एक समकालीन विचार माला है। यह मूलतः अमेरिका में राष्ट्रपति रुजवेल्ट के 'न्यू डील पालिसी' के दौरान उद्भूत हुआ था। कार्ल लेवलेन तथा रेस्क्यू पाउण्ड जैसे न्यायविदों ने इस सिद्धान्त को आगे बढ़ाया। यह सिद्धान्त मानव अधिकारों के व्यावहारिक पक्ष पर बल देता है।

#### मार्क्सवादी सिद्धान्त

मार्क्स के अनुसार, ''अधिकार वास्तव में बुर्जुवा (पूँजीपित) समाज की अवधारणा है जो शासक वर्ग को और मजबूत बनाती है। राज्य स्वयं में एक शोषणपरक संस्था है, अतएव पूँजीवादी समाज एवं राज्य में अधिकार वर्गीय अधिकार है।''

मार्क्स का दृढ़ विश्वास था कि मानव अधिकार एक वर्गहीन समाज में पैदा और जीवित रह सकता है। इस तरह का समाज वैज्ञानिक समाजवादी विचारों के अनुसार ही गढ़ा जा सकता है। सामाजिक और आर्थिक अधिकार इस सिद्धान्त के लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं। इस सिद्धान्त ने 'आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र (1966) को भी प्रभावित किया है।''

## 3.4 मानव अधिकार पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण

वास्तव में अधिकार, मानव जीवन और उसके सामाजिक जीवन के समग्र सम्बन्धों को व्यक्त करता है। सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं विचारधारा के व्यापक फलक में ही अधिकारों को सही तरीके से देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में तीन महत्वपूर्ण विचार धाराओं पर प्रकाश डाला गया है:-

## उदारवादी दृष्टिकोण

पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के अनुसार, व्यक्ति स्वभाव से ही एक निजी एवं स्वायत्त गुणों से ओत-प्रोत रहने वाला प्राणी है। समाज एवं राज्य की स्थापना मानव व्यक्तिगत अधिकारों एवं गुणों के रक्षार्थ ही हुई है। सम्पत्ति के अधिकार तथा स्वतन्त्र प्रतियोगिता इस विचारधारा के मुख्य लक्षण हैं। यही लक्षण उदारवादी विचारधारा के लिए मानव के मूल अधिकार हैं। इस व्यवस्था में पूँजीवाद का विकास हुआ। पूँजीवाद व्यवस्था से अन्य परेशानियां पैदा हुई। इन सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का निपटारा करने के लिए बीसवीं सदी में सकारात्मक उदारवादियों ने कल्याणकारी राज्य का दर्शन दिया। राज्य अब केवल पुलिस छवि वाला राज्य ही नहीं रहा, वरन नागरिकों के लिए विविध सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी कार्यों की जिम्मेदारी भी निभाने लगा।

## समाजवादी दृष्टिकोण

समाजवादी विचारधारा यह मानकर चलता है कि मनुष्य का स्वभाव और उसके जीवन की दशाएं बहुत सीमा तक मानव के भौतिक जीवन से प्रभावित होती हैं। एजेंल्स का विचार है कि सभ्यता के विकास के पहले मनुष्य आदिम साम्यवाद की अवस्था में रहता था। समाजवादी विचारकों मार्क्स और ऐजेंल्स का स्पष्ट मत था कि एक समाजवादी राज्य में ही वास्तिवक रूप से मानव अधिकार अस्तित्व में रह सकता

है। मनुष्य केवल एक स्वार्थी प्रतियोगी प्राणी ही नहीं वरन् सामाजिक भाव से प्रेरित प्राणी भी है। इसलिए एक साम्यवादी व्यवस्था में सब मनुष्य अपना विकास कर सकता है।

## तृतीय विश्व का दृष्टिकोण

सर्वप्रथम यह जान लेना आवश्यक है कि तृतीय विश्व के अधिकांश देश उपनिवेशवादी चंगुल से स्वतन्त्र हुए हैं। इसलिए इन देशों के सामने अपना आर्थिक विकास, तथा राष्ट्र निर्माण की जबरदस्त चुनौती थी। इन्हीं परिस्थितियों में मानव अधिकारों के सम्बन्ध में इन देशों का दृष्टिकोण निश्चित हुआ है। राज्य एवं नगारिकों के मध्य सम्बन्ध क्या हो? कौन सा अधिकार नागरिकों को मिलना चाहिए? इन सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर खोजना ही तृतीय विश्व के देशों के महती चुनौती थी।

इन देशों में मानव अधिकारों की घोषणा उपर्युक्त दोनों विचारधाराओं को मिलाकर की गयी है। आर्थिक और सामाजिक विकास इन देशों की मुख्य चुनौती है इसलिए इन देशों के नीति निर्माताओं की मुख्य चिन्ता सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की थी।

## मानवाधिकारों का महत्व

मानवाधिकार एक ऐसा अधिकार है। जिसके बिना एक मानवीय समुदाय का समुचित विकास सम्भव नहीं है और ये मानविधकार आदिकाल से जब सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, तब से हमारे समाज में किसी न किसी रूप में व्याप्त है। इन मानवाधिकारों की महत्व का वर्णन अनेक विद्धानों ने अपने कतव्यों में किया है हैराल्ड लास्की ने इनकी महत्ता की बात करते हुए कहा था कि ये ऐसे अधिकार है जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर नहीं सकता है। यद्यपि के रोटी,कपडा, मकान, मनुष्य के जीवन के लिये अपरिहार्य है, अपितु मानवाधिकार ही है जो मनुष्य को मानवगरिमा के साथ जीवनयापन करने में मदद करते है। इस प्रकार मानवाधिकार व्यक्ति को गरिमायुक्त भयमुक्त भूखमुक्त जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करते है मानवाधिकार की यह महत्ता एवं प्रास्थिति व्यक्ति और राज्य के बीच संघर्ष का परिणाम है। मानवाधिकार वास्तविकता में मात्र हमारे जीवन को इस योग्य बना देते है, कि हम अपने जीवन की जैविक एवं न्यूनतम आवश्यकताओं की ही पूर्ति नही करते है। अपितु ये हमारे जीवन को इस योग्य बना देजे है कि हम अपने जीवन का सम्पूर्ण चहँमुखी विकास कर सकते है। मानवाधिकार के उल्लघंन या हनन की बात करें तो यह स्थिति तैयार करता है, या उस परिस्थिति को परिलक्षित करता है जो आपसी संघर्ष राज्य के विरूद्ध विद्रोह युद्ध राजनैतिक एवं सामाजिक तनाव जैसी स्थितियों को उत्पन्न करते है। इन्हीं कारणों से मानवाधिकार को बात इस तथ्य से जानी जा सकती है, कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सन् 1945 में वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की बात संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गयी। इस सार्वभौमिक घोषणा पर जिन देशों ने हस्ताक्षर किया उन पर इसका बाध्यकारी प्रभाव था। इसके पश्चात् सन् 1966 में संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा मानवाधिकारों के पालनार्थ निम्न दो प्रसंविदायें की गयी:- (1) सिविल एवं राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा। (2) आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा।

इनमें से पहली प्रसंविदा को निर्मित करने के पीछे उद्देश्य यह था कि संविदा पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों पर यह बाध्यता होगी की वे व्यक्तियों के मानवाधिकारों को कानूनी रूप से लागू करायें तथा दूसरी प्रसंविदा का उद्देश्य यह था कि राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों से सम्बन्धित विधि राष्ट्र स्तर पर बनाकर लागू की जायें। कई देशों ने इन प्रसंविदाओं का अनुसमर्थन 1981 के अन्त तक कर दिया। भारत भी इन प्रसंविदाओं का एक पक्षकार है। ''एन्थानी डी अमाती'' ने ''दी कन्सेप्ट आफ ह्यूमन राइट्स इन इन्टरनेशनल ला, कोलम्बिया ला रिव्यू, वाल्यूम 82 (1982) प्रष्ठ 111 में कहा है कि वर्तमान में मानवाधिकार को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करना और लागू करना, विदेशी सहायता प्राप्त करने की एक शर्त के रूप में स्थापित हो गया है, उदाहरणार्थ - संयुक्त राज्य अमेरिका की एक विधि के अनुसार वह उसे प्रत्येक राज्य की आर्थिक मदद नहीं करेगा, जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने यहां मानवाधिकारों को मान्यता नहीं प्रदान करते हैं या नहीं करते हैं। इस प्रकार मानवाधिकारों की आवश्यकता को देखते हुए एवं इसके अभाव में, उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों को स्मरण में रखते हुए मानवाधिकारों का महत्व प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।

मानवाधिकार सभ्य समाज की आधारशिला है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के मजबूत होने के साथ-साथ इन अधिकारों को आर्थिक सम्मान देना अनिवार्य हो गया है। निम्नलिखित कारणों से, मानवाधिकारों की रक्षा और प्रवर्तन करना जरूरी है ताकि मानव की गरिमा को कायम रखा जा सके- प्रथम, मानवाधिकार व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते है और उसके सर्वांगीण विकास के लिए इनकी रक्षा की जानी आवश्यक है। इन्हें मानवाधिकार इसीलिए कहा जाता है कि ये मानव के जन्मसिद्ध अधिकार है और इन्हें मानव से अलग कर देने पर वहीं मानव ही नहीं रहेगा। द्वितीय, व्यक्ति का स्थान अन्य सब संस्थानों से ऊंचा है इसीलिए उसके अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समाज, सरकार व अन्य संगठन तभी सफल माने जा सकते हैं जब वे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कर पायें। तृतीय, मानवाधिकारों की रक्षा इसीलिए जरूरी है कि इनकी रक्षा से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ी है। नाजी, जर्मनी, फासी इटली और अनेक कम्युनिस्ट सरकारों ने व्यक्ति के अधिकार की अवहेलना की फलतः उन्हें जनता के विरोध और अन्य राष्ट्रों से युद्ध का सामना करना पड़ा और अंततः सरकारें नष्ट हो गई। चतुर्थ, कल्याणकारी राज्य सिद्धान्त के अनुसार राज्य का पहला कर्तव्य है जनता का कल्याण और सुख की व्यवस्था करना। इसकी प्राप्ति के लिए मानवाधिकारों की रक्षा करना जरूरी है। पंचम्, आज के अन्तर्राष्ट्रीय के दौर में कोई भी देश इन अधिकारों को अनदेखा करके अपना अस्तित्व नहीं बचा सकता। संयुक्त राष्ट्रसंघ के दबाव और अन्य राष्ट्रों के बहिष्कार के चलते प्रत्येक देश को इन अधिकारों को मान्यता देनी पडती है।

मानवाधिकार शब्द का इस अर्थ में प्रयोग 1940 में श्रीमती इलेनोर रूजवेल्ट ने किया। उन्होंने पाया कि पूर्व में प्रयोग होने वाले शब्द ''मनुष्य का अधिकार'' में कुछ लोग महिलाओं का अधिकार शामिल नहीं मानतें। हलां कि इस अवधारणा का अस्तित्व इससे पहले भी रहा था।

प्राचीन काल के विश्व में किसी न किसी रूप में इस अवधारणा ने अपना स्थान बना लिया था। प्राचीन यूनान में अरस्तू का 'न्याय का सिद्धान्त' सामने आया जिसके अनुसार शुभों का बंटवारा अनुपातिक रूप में होना चाहिए। रोम में सिसरो ने जुस नेचुरल कानून सब लोगों पर हर समय लागू है। प्राचीन भारत में महाभारत में शांति पर्व में शासक के आचरण और राजस्व के सिद्धान्त के बारे में कहा गया है। अर्थशास्त्र में प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण बताया गया है। सम्राट अशोक ने कलिंग अभिलेख में प्रजा को संतान की तरह माना है और अधिकारियों को जनता पर अत्याचार न करने की चेतावनी दी है।

मध्यकाल में कैथोलिक धर्म ने प्राकृतिक कानून का सिद्धान्त दिया जिसके अनुसार ईश्वर का कानून ही प्राकृतिक कानून है, जो अन्य कानून से ऊपर है। उस काल में न्यायपूर्ण कानून को ही सम्मान देने की बात कही गई है।

आधुनिक काल में पुनर्जागरण के दौर के बाद प्राकृतिक न्याय और प्राकृतिक अधिकारों की स्थापना हुई। प्राकृतिक न्याय के अनुसार वे ही अधिकार माने जाने योग्य है, जो तर्कसंगत है और प्रकृति से संगति रखते है। मिल्टन ने प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात कही जो जान लाक ने सभी लोगों के लिए समान अधिकारों की बात कही। बेथम ने उपयोगितावाद का सिद्धान्त दिया और जे0एस0 मिल ने स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार के अधिकार की बात सामने रखी। 1776 में अमरीकी क्रान्ति के बाद स्वाधीनता की घोषणा की गइ जिसमें कहा गया कि ''हमारे लिए यह स्वयंसिद्ध सत्य है कि सभी मनुष्य जन्म से समान है।'' फ्रांस में 1789 में क्रान्ति हुई जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे दिये गये। फ्रांस में 1789 में संविधान बना जिसमें मनुष्य के जन्मजात अधिकारों को मान्यता दी गई।

मार्क्स ने मनुष्य के अधिकारों की अलग तरह से व्याख्या की है। संपत्ति के अधिकार को उन्होंने बुर्जुआ और पूंजीवादी मांग बताया तथा स्वतंत्रता की व्याख्या श्रमिकों की पूंजीवादी शोषण से मुक्ति के रूप में की। फिर भी कुछ ऐसे विचार अवश्य मार्क्सवाद और समाजवाद ने दिये, जो मानवाधिकारों में शामिल किये गये, जैसे-समाज कार्य के लिए समान वेतन, रोजगार का अधिकार, बेकारी की स्थित में सरकारी सहायता आदि। लेनिन ने कहा कि अधिकारों को समझने के लिए मनुष्य को समाज के अभिन्न अंग के रूप में समझना चाहिए और समाज की इच्छापूर्ति में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है।

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्र संघ चार्टर जारी किया गया। राष्ट्रसंघ के सहयोग में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ बना जिसने वेतन, कार्य-दशा, कार्य के घंटे और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में काम किया। 1925 में ''बालकों के अधिकार'' की जेनेवा घोषणा की गई और दासता व बलातश्रम के उन्मूलन हेतु कार्य किये।

अप्रैल 1945 में सान फ्रांसिस्को में चार महाशक्तियों ने एक ड्राफ्ट चार्टर पर विचार करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर स्वीकृत किया। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है- ''हम स्त्री पुरूषों के समान .......मूल मानवाधिकारों में, मानव जाति की गरिमा और मूल्य में, स्त्री पुरूषों के समान अधिकार में आस्था सुनिश्चित करने के लिए ...........'' इसी प्रकार अनुच्छेद 55 में कहा गया ''संयुक्त राष्ट्र'' मानवाधिकार और मूल स्वतंत्रताओं के लिए सार्वभौम सम्मान और पालन को, बढ़ायेगा।''

अधिकार को अनेक रूपों में परिभाषित किया गया है। एक तथ्य पर सभी विचारक सहमत है कि अधिकार कुछ करने या रखने की स्वाधीनता है जो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित है। अधिकार की अवधारणा की प्रगति कदम दर कदम हुई है। इसका अगला कदम है विधिक अधिकार जो किसी विशेष विधि के दायरे में आने वाले व्यक्ति को उस विधि के द्वारा प्राप्त होते हैं। ये अधिकार आत्यंतिक नहीं है और उस विधि द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से सीमित होते हैं। मूल अधिकार इस अवधारणा का अगला कदम है। ये ऐसे आधारभूत अधिकार है जो किसी नागरिक के बौद्धिक, नैतिक और आध्यत्मिक विकास के लिए अनिवार्य है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का विकास अवरूद्ध हो जायेगा और उसकी शक्तियां अविकसित रह जायेंगी। लेकिन यह अधिकार किसी देश के नागरिक को ही उपलब्ध

होते हैं और अ-नागरिक इन अधिकारों को प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता है। मूल अधिकारों पर भी तर्कसंगत प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं। अधिकार की अवधारणा का विकास और आगे जाकर मानवाधिकार के रूप में हुआ है।

आसान रूप में कहा जाये तो मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को समस्त प्राणियों में मानव होने के नाते प्राप्त है, भले ही उसकी राष्ट्रीयता, लिंग, व्यवसाय, वर्ग और सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में मानवाधिकारों को परिभाषित कियागया जो धारा 2(डी) में वर्णित है। इसके अनुसार मानवाधिकार का अर्थ व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता व गरिमा से संबंधित उन अधिकारों से है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है या अन्तर्राष्ट्रीय करारों में वर्णित है और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। इन अधिकारों के बिना व्यक्ति की स्थिति पशु की भांति हो जायेगी। इनके माध्यम से ही व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और आत्मिक आवश्यकताएं पूरी कर पाता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करने में समर्थ हो पाता है। मानव होने की धारणा के साथ ही कुछ अधिकार व स्वतंत्रताएं जुड़ी हुई हैं। जिनसे वंचित होने पर मानव अपनी मानवता से ही वंचित हो जाता है। इसीलिए मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को मानव जाति का महाधिकार पत्र ठीक ही कहा गया है।

## 3.5 मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा

वर्तमान समय में शान्ति, न्याय, स्वतन्त्रता कायम रखने के लिये मानव की जन्मजात गरिमा, सम्मान व प्राकृतिक अधिकारों की स्वीकृति दिया जाना अनिवार्य शर्त है।

इतिहास साक्षी है कि जब-जब मानव अधिकारों के प्रति उपेक्षा या अवहेलना हुई, तब-तब मनुष्य का बर्बरतापूर्ण व्यवहार स्पष्ट दृष्टिगत हुआ है। इन सभी बुराईयों से बचने के लिये एक ऐसे विश्व की स्थापना का संकल्प लिया गया जिसमें लोगों को भाषण और विश्वास की स्वतन्त्रता और भय व अभाव से मुक्ति मिलेगी। कानून के शासन के अन्तर्गत एक भयमुक्त निर्भीक समाज का निर्माण करने के लिये मानव अधिकारों की रक्षा किया जाना आवश्यक है।

## मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा निम्न प्रकार की गई है:-

अनुच्छेद: 1 - सभी मानव प्राणी गरिमा व अधिकारों की दृष्टि से स्वतन्त्र व समाज जन्में है, उन्हे बुद्धि व अन्तरात्मा की देन प्राप्त है। उन्हे परस्पर भाईचारे के भाव से कार्य करना चाहिये।

अनुच्छेद: 2 - सभी को इस घोषणा में निहित सभी अधिकारों और स्वतन्त्रताओं को प्राप्त करने का हक है और इस मामले में जाति, वर्ग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली किसी देश या समाज विशेष में जन्म, सम्पत्ति या अन्य प्रकार की मर्यादा आदि के कारण भेदभाव का विचार न किया जायेगा।

अनुच्छेद: 3 - प्रत्येक को ' 'जीवन, स्वाधीनता और वैयक्तिक सुरक्षा ' का अधिकार है।

अनुच्छेद: 4 - किसी भी मानव को दासता या सेवमत्व (सअमतल) में नहीं रखा जायेगा। दासता और दास व्यापार अपने सभी रूपों में निषिद्ध होगा।

अनुच्छेद: 5 - किसी को भी यातना नहीं दी जायेगी और किसी को क्रूर मानवीय सजा नहीं दी जायेगी।

अनुच्छेद: 6 - हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप स्वीकृति प्राप्त करने का अधिकार है।

अनुच्छेद: 7 - कानून के समक्ष सब समान है और सभी बिना भेदभाव के कानूनी सुरक्षा के अधिकारी हैं। यदि इस घोषणा का उल्लंघन करके कोई भेदभाव किया जाये, भेदभाव करने हेतु उकसाया जाये तो उसके विरूद्ध समान संरक्षण का अधिकार सभी को प्राप्त होगा।

अनुच्छेद: 8 - सभी को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कार्यों के विरूद्ध समुचित राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों की कारगर सहायता पाने का हक हैं

अनुच्छेद: 9 - किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबन्द या देश निष्कासन नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद: 10 - सभी को पूर्णत: समान हक है कि उनके अधिकारों व कर्त्तव्यों का निश्चय करने में और उनके विरूद्ध आपराधिक आरोप में स्वतन्त्र और निष्पक्ष अदालत में न्यायपूर्ण और सार्वजनिक सुनवाई हो।

अनुच्छेद: 11 (1) - प्रत्येक व्यक्ति जिस पर दण्डनीय अपराध का आरोप किया गया है, वह जब तक, निर्दोष माना जायेगा जब तक कि उसे ऐसी खुली अदालत में जहां उसे अपनी प्रतिरक्षा की आवश्यक सुविधा प्राप्त हो, कानून के अनुसार अपराधी न सिद्ध कर दिया गया हो।

अनुच्छेद:11 (2) - कोई भी किसी भी कार्य या कार्यलोप के आधार पर अपराधी नहीं ठहराया जायेगा जो उस समय अपराध नहीं बनता था जिस समय वह कार्य किया गया था। उस दण्ड की बजाय भारी दण्ड नहीं लागू किया जायेगा जो कि अपराध किये जाने के समय लागू था।

अनुच्छेद:13 (1) - प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक देश की सीमा के अन्दर आने-जाने व बसने का अधिकार है।

अनुच्छेद:13 (2) - प्रत्येक व्यक्ति को अपने या अन्य देश को छोडने और अपने देश में वापिस आने का अधिकार है।

अनुच्छेद: 14(1) - प्रत्येक व्यक्ति को सताये जाने पर दूसरे देश में शरण लेने व रहने का अधिकार

अनुच्छेद: 14(2) - इस अधिकार का लाभ ऐसे मामलों में नहीं मिलेगा जो वास्तव में गैर राजनीतिक अपराधों से सम्बन्धित है या जो संयुक्ता राष्ट्र के उद्देश्यों व सिद्धान्तों के विरूद्ध कार्य है।

अनुच्छेद:15 (1) - प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राष्ट्र विशेष की नागरिकता का अधिकार है।

अनुच्छेद:15(2) - किसी को भी मनमाने ढंग से अपने राष्ट्र की नागरिकता से वंचित नहीं किया जायेगा या नागरिकता परिवर्तित का करने से मना नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद :16(1) - सभी वयस्क पुरूषों को बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता या धर्म की रूकावटों के आपस में विवाह करने और परिवार की स्थापना करने का अधिकार है। उन्हें विवाह के विषय में वैवाहिक जीवन में तथा विवाह-विच्छेद के बारे में समान अधिकार है।

अनुच्छेद:16(2) - विवाह का इरादा रखने वाले सभी पुरूषों की पूर्ण स्वतन्त्र सहमति पर ही विवाह हो सकता है।

अनुच्छेद:16(3) - परिवार, समाज की स्वाभाविक और बुनियादी सामूहिक इकाई है और उसने समाज तथा राज्य द्वारा संरक्षणपाने का अधिकार है।

अनुच्छेद:17 (1) - प्रत्येक व्यक्ति को अकेले और दूसरों के साथ मिलकर सम्पत्ति रखने का अधिकार है।

अनुच्छेद:17(2) - किसी को भी मनमाने तरीके से उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता

अनुच्छेद :18 - प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अन्तरात्मा और धर्म की आजादी का अधिकार है। इस अधिकार के अन्तर्गत अपना धर्म विश्वास बदलने और अकेले या दूसरों के साथ मिलकर तथा सार्वजनिक रूप में अथवा शिक्षा क्रिया, उपासना तथा व्यवहार के द्वारा प्रकट करने की स्वतन्त्रता है।

अनुच्छेद: 19 - प्रत्येक व्यक्ति को विचार और उसकी अभिकर्ता की स्वतन्त्रता का अधिकार है। इसके अन्तर्गत बिना हस्तक्षेप के कोई राय रखना और किसी भी माध्यम के जिरये तथा सीमाओं की परवाह न करके किसी भी सूचना और धारणा का अन्वेषण, ग्रहण तथा प्रदान भी शामिल है।

अनुच्छेद :20(1) - प्रत्येक व्यक्ति को शान्तिपूर्ण सभा करने और समिति बनाने की स्वतन्त्रता का अधिकार है।

अनुच्छेद: 20(2) - किसी को भी किसी संस्था का सदस्य बनने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद :21 (1) - प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में प्रत्यक्ष रूप से चुने गये प्रतिनिधियों के जिरये हिस्सा लेने का अधिकार है।

अनुच्छेद: 21 (2) - प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने का समान अधिकार है।

अनुच्छेद:21 (3) - सरकार की सजा का आधार जनता की इच्छा होगी। इस इच्छा का प्रकटन समय-समय पर असली चुनावों द्वारा होगी।

अनुच्छेद:22 - समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के स्वतन्त्र विकास और गौरव के लिये जो राष्ट्रीय प्रयत्न या अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा प्रत्येक राज्य के संगठन और साधनों के अनुकूल है। अनवार्यत: आवश्यक आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का हक है।

अनुच्छेद: 23(1) - प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, इच्छानुसार रोजगार का चुनाव, काम को उचित और सुविधाजनक परिस्थितियों को प्राप्त करने और बेकारी से संरक्षण पाने का हक है।

अनुच्छेद:23(2) - प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लिये बिना किसी भेदभाव के समान मजदूरी पाने का अधिकार है।

अनुच्छेद:23 (3) - प्रत्येक व्यक्ति को जो काम करता है, अधिकार है कि वह अपनी उचित व अनुकूल मजदूरी पायें जिससे वह अपने लिये व परिवार के लिये आजीविका का प्रबन्ध कर सके जो मानवीय गारिमा के योग्य हो तथा आवश्यकता होने पर उसकी पूर्ति अन्य प्रकार के सामाजिक संरक्षणों द्वारा हो सके।

अनुच्छेद: 23(4) - प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों की रक्षा के लिये श्रमजीवी संघ बनाने और उसमें भाग लेने का अधिकार है।

अनुच्छेद: 24 - प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम व अवकाश का अधिकार, उसके अन्तर्गत काम के घण्टों की उचित सीमाबदी और समय-समय पर वेतन सहित छुट्टियां शामिल है।

अनुच्छेद. : 25(1) - प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य कल्याण के लिये पर्याप्त हो। इसके अन्तर्गत खाना, कपडा, मकान, चिकित्सा सुविधा व सामाजिक सेवाऐं सम्मिलित हैं।

अनुच्छेद :25(2) - जच्चा व बच्चा को खास सहायता व सुविधा का हक है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह विवाहित माता से जन्मा हो या अविवाहित माता से, समान सामाजिक संरक्षण प्राप्त होगा।

अनुच्छेद :26 (1) - प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारम्भिक और बुनियादी स्तरों पर निःशुल्क होगी। प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होगी। यांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षा साधारण रूप से प्राप्त होगी व उच्चतर शिक्षा सभी को योग्यता के आधार पर समान रूप से उ उपलब्ध होगी।

अनुच्छेद: 28(2) - शिक्षा का उद्देश्य होगा मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास व मानवाधिकारों व मूल स्वतन्त्रताओं के प्रति सम्मान की पुष्टि । सिहण्णुता व मैत्री का विकास होगा व शान्ति बनाये रखने के लिये के प्रयासों को. आगे बढ़ाया जायेगा।

अनुच्छेद: 26(3) - माता-पिता को सबसे पहले इस बात का अधिकार है कि वे चुनाव कर सकें कि किस किस्म की शिक्षा उनके बच्चों को दी जायेगी।

अनुच्छेद: 27(1) - प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रतापूर्वक समाज के सां स्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने, कला का आनन्द लेने तथा वैज्ञानिक उन्नति और उसकी सुविधाओं में भाग लेने का हक है।

अनुच्छेद: 27(2) - प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी ऐसे वैज्ञानिक साहित्यिक या कलात्मक दृष्टि से उत्पन्न नैतिक और आर्थिक हितों की रक्षा का अधिकार है जिसका रचयिता वह ख़ुद हो।

अनुच्छेद: 28 - प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति का हक है जिससे इस घोषणा में लिखित अधिकारों व स्वतन्त्रताओं को पूर्णत: प्राप्त किया जा सके।

अनुच्छेद: 29(1) - प्रत्येक व्यक्ति का उसी समाज के प्रति कर्त्तव्य है जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का स्वतन्त्र एवं पूर्ण विकास सम्भव हो।

अनुच्छेद. 29 (2) - अपने अधिकारों और स्वतन्त्रताओं का उपयोग करते हुये प्रत्येक व्यक्ति को केवल ऐसी ही सीमाओं द्वारा] बद्ध होगा जो कानून द्वारा निश्चित की जायेगी और जिनका एकमात्र उद्देश्य दूसरों के अधिकारों और स्वतन्त्रता के लिये आदर व समुचित स्वीकृति की प्राप्ति होगा तथा जिनकी आवश्यकता एक प्रजातान्त्रिक समाज में नैतिकता सार्वजनिक व्यवस्था और सामान्य कल्याण की उचित आवश्यकताओं को पूर्ण करना होगा।

अनुच्छेद :29(3) - इन अधिकारों व स्वतन्त्रताओं का उपयोग किसी प्रकार से भी संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्तों व उद्देश्यों के विरूद्ध नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद: 30 - इस घोषणा में उल्लिखित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिये जिससे यह प्रतीत हो कि किसी भी राज्य, समूह या व्यक्ति को किसी ऐसे प्रयास में लगने या ऐसा कार्य करने का अधिकार है जिसका उद्देश्य यहां बताये गये अधिकारों व स्वतन्त्रताओं में रो किसी का भी विनाश करना हो

#### मानव अधिकारों का वर्गीकरण

मानवाधिकारों का वर्गीकरण प्रमुख रूप से पाँच भागों में बांटा जा सकता है :-

- 1) सिविल अधिकार (Civil Rights) सिविल और राजनैतिक अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय करार के अनुसार प्रमुख सिविल अधिकार निम्नलिखित है –
- 1. जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 6)
- 2. यातना के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 7)
- 3. दासता के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 8)
- 4. स्वतन्त्रता व सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 9 तथा 26)
- 5. कानून के समक्ष समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14)
- 6. विचार, अन्तरात्मा व धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 18)
- 2) सामाजिक अधिकार (Social Rights) सामाजिक अधिकारों के अन्तर्गत निम्न अधिकार हैं :-
- 1. सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा का अधिकार (अनुच्छेद 9)
- 2. उचित जीवन स्तर का अधिकार (अनुच्छेद 9)
- 3. शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार (अनुच्छेद 12)
- 4. प्रत्येक को शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 13)
- 3) राजनैतिक अधिकार (Political Rights) राजनैतिक अधिकारों मे प्रमुख अधिकार निम्न हैं-
- 1. प्रस्ताव राय (Opinion) रखने का अधिकार (अनुच्छेद 19)
- 2. शान्तिपूर्ण समूह बनाने का अधिकार (अनुच्छेद 21)
- 3. सभा करने व संगठन बनाने की स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 22)
- 4. मत देने, निर्वाचित होने व लोक सेवा में चुने जाने का अधिकार (अनुच्छेद 25)
- 4) आर्थिक अधिकार (Economic Rights) आर्थिक, सामाजिक व सां स्कृतिक अधिकारों के अन्तराष्ट्रीय के अनुसार आर्थिक अधिकार प्रत्येक मानव को मुख्य रूप से प्राप्त हैं :-
  - 1. किसी भी व्यवसाय को चुनने का अधिकार (अनुच्छेद 5)
  - 2. कार्य करने का अधिकार (अनुच्छेद 6)
  - न्यायपूर्ण कार्यदशा का अधिकार (अनुच्छेद 7)
  - 4. श्रम संघ बनाने का अधिकार (अनुच्छेद 8)
  - 5) सांस्कृतिक अधिकार सांस्कृतिक अधिकारों में निम्न अधिकार सिम्मिलित हैं -

- 1. सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार
- 2. वैज्ञानिक प्रगति का लाभ लेने का अधिकार
- 3. वैज्ञानिक, कलात्मक साहित्यिक रचना के रचनाकारों को उसका लाभ लेने का अधिकार

मानव अधिकार-मानव भी अपनी इच्छानुसार एवं आवश्यकतानुसार जीने के लिये संघर्षरत रहता है मानव सिर्फ मानव रोटी से जीवित नहीं रह सकता। वह केवल भौतिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति के लिये नहीं वरन् बौद्धिक, नैतिक और सौन्दर्यात्मक पक्षों के विकास का भी प्रयास करता है। 25 सितम्बर, 1926 के पूर्व मानव अधिकारों की बात राष्ट्रीय विषय तक ही सीमित थी, बाद में यह अन्तर्राष्ट्रीय विषय हो गयी। मानव अधिकारों के प्रति विश्व प्रतिबद्धता इस बात से प्रमाणित है कि सन् 1948 से लेकर अब तक इस विषय पर विश्वस्तर पर कई सम्मेलन एवं घोषणाएं की गई मानव अधिकारों की रक्षा की शुंखला को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रसंघ ने स्त्रियों का व्यापार रोकने, विवाह आयु में वृद्धि, बाल कल्याण को सुनिश्चित करने एवं शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु अनेक बहुमूल्य कार्य किये। सन् 1941 में मानवाधिकारों की रक्षा हेतु रूजवेल्ट घोषणा पत्र में 'दुनिया में हर जगह चार स्वतंत्राओं 'भाषण की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता एवं भय से स्वतंत्रता का होना शान्ति के लिये आवश्यक शर्त रखी। भारत में आवश्यक मानवाधिकारों को संविधान के मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों वाले हिसों में सम्मिलित किया गया है। 10 दिसम्बर को पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसम्बर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बिना किसी असहमित वोट के मानवाधिकारों के विश्व घोषणा पत्र को अंगीकृत एवं घोषित किया। महासभा द्वारा इसे एक ऐसे प्रतिमान के रूप में ग्रहण किया गया, जिसे सभी व्यक्तियों एवं सभी राष्ट्रों द्वारा हासिल किया जाना था। यह मानवाधिकारों की एक लम्बी रखी है जो संक्षिप्तरूप में दी जा चुकी है।

## 3.6 मानवाधिकार: शिक्षा की आवश्यकता महत्व व कार्य

मानवाधिकार शिक्षा की सफलता के लिये सर्वप्रथम अनिवार्य शर्त शिक्षा व उच्चकोटि की सामाजिक चेतना है। मानवाधिकार शिक्षा हेतु जन चेतना व जन जागृति के साथ-साथ नागरिकों में राज्य के कार्यों में रूचि व समाज की समस्याओं की अनुभूति करने की क्षमता भी होनी चाहिये। समाज मे अव्यवस्था, अशान्ति व परेशानी का सबसे महत्वपूर्ण कारण शिक्षा व ज्ञान का अभाव होना होता है। शिक्षा के माध्यम से नागरिकों को जागरूक बनाने व उनमें देश, राष्ट्र व समाज के प्रति सम्मान व समस्याओं के समाधान ढूंढने के प्रति रूचि विकसित की जा सकती है। इन सभी भावनाओं के विकास से ही व्यक्ति मानवाधिकारों में अपना स्थान प्राप्त करता है। मानवाधिकारों के लिये शिक्षा की आवश्यकता बताते हुये प्रबुद्ध शिक्षाविद् ने लिखा है कि मानवाधिकार शिक्षा की मांग शिक्षित व्यक्ति है। जॉन डीवी. के अनुसार - ' 'समाज एवं राज्य में शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिये जिससे व्यक्तियों को सामाजिक सम्बन्ध और नियन्त्रण में व्यक्तिगत रूचि विकसित हो और उनमें ऐसी मानसिक आदतों का निर्माण हो जिनमें अव्यवस्था उत्पन्न हुये बिना सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करें। '

मानवाधिकारों की सफलता तभी सम्भव है जब देश के सभी व्यक्ति अपने कर्त्तव्यों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। यह कार्य शिक्षा के माध्यम से ही पूर्ण किया जा सकता है। नागरिकों में मानवीय गुणों का विकास करने हेतु शिक्षा एक परम् आवश्यकता है। मानवाधिकार तभी सफल हो सकते हैं जबिक नागरिकों में सामाजिकता, सहदयता, सिहण्णुता, धैर्य, जनिहत आदि की भावना बलवती हो व शिक्षा के माध्यम से उनमें मानवाधिकारों के प्रति विश्वास एवं सद्भावना का विकास किया जा सके। मानवाधिकारों के प्रति समझ विकसित करने के लिये सभ्यता एवं संस्कृतिका संरक्षण यदि प्रभावी ढंग से शिक्षा के माध्यम से किया जाये तो मानवाधिकारों के प्रति जनचेतना लाई जा सकती है।

#### मानवाधिकार: शिक्षा का उद्देश्य

## शिक्षा एवं मानव अधिकार

मानवाधिकारों का सम्बन्ध मानव से है, यदि मानव अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगा तो वह अधिकारों का पालन करने में सक्षम नहीं होगा। इसके लिये उसे शिक्षित होना आवश्यक है। अत: शिक्षा के इस प्रिरप्रेक्ष्य में अहम् भूमिका होगी। निरक्षर व्यक्ति को यही नहीं मालूम होगा कि उसके क्या अधिकार हैं, जो कि उसके जीवन के विभिन्न पक्षों को सुखी व सफल बनाने में सक्षम हैं। यदि उसे यह अधिकार नहीं मिलते हैं तो उसे कानूनन क्या कार्यवाही करनी चाहिये। जिससे उसके अधिकारों की रक्षा हो सके। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का अधिकार, विश्व मानवाधिकारों के तहत प्राप्त है। वर्तमान में रेडियों, खूदर्शन एवं अन्य मीडिया साधनों के माध्यम-से मानवाधिकारों के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। शिक्षित व्यक्ति अपने विवेक से उसको समझता है व जागरूक हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ स्वयंसेवी सगठन जनता के बीच जाकर मानवाधिकारों एवं उनकी सुरक्षा के उपाय के बारे में बताकर जागरूक करते है।

शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर विद्यार्थियों को उनके स्तरानुकूल सीमित दायरे में मानवाधिकारों को ज्ञान दिया जाये। पाठ्यक्रम में उपयुक्त विषय के माध्यम से मानवाधिकार की शिक्षा दी जानी चाहिये। उच्च स्तर पर (उच्चिशिक्षा) विश्वव्यापी मानवाधिकारों के बारे में विद्यार्थियों को शिक्षित किया जाना चाहिये, जिसे वयस्क होने पर वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रह सके। मानवाधिकारों के लिये शिक्षा अत्यधिक आवश्यक है, इसका व्यापक स्तर पर प्रचार एवं प्रसार होना चाहिये।

## मानव अधिकार शिक्षा

मानवाधिकारों से सम्बधित सभी दस्तावेजों में शिक्षा के अधिकार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उनमें मानवाधिकारों के अभिवर्षन में शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में ''मानवाधिकारों की इरा सार्वजनिक घोषणा का लक्ष्य यह बताया कि ''प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग. अध्यापन और शिक्षा द्वारा अधिकारों व स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की भावना का अभिवर्धन करेगा।

भारत जैसे राष्ट्र में जहां सामाजिक, संस्कृतिव आर्थिक विषमताएं अत्यधिक हैं। मानवाधिकर शिक्षा की आवश्यकता अधिक अनुभव की जा रही है। प्रात: दिन का प्रारम्भ होते ही समाचार पत्र अथवा दूदर्शन पर आने वाले कार्यक्रम एवं समाचारों से मानवाधिकारों के हनन की समस्या को उजागर करने वाले तथ्य हमें इस दिशा में सोचने के लिए बाध्य करते हैं कि इस शिक्षा को प्रदान करने के लिए बिन लक्ष्यों का निर्धारण किया जाना प्राथमिकता है? ऐसे ही कतिपय लक्ष्यों का वर्णन प्रस्तुत है।

### मानवाधिकार शिक्षा के लक्ष्य

मानवाधिकार शिक्षा के मूलभूत मूल्य आध्यात्मिकता, अहिंसा तथा नैतिकता हैं। इन्हीं के आधार पर इस शिक्षा के लक्ष्यों को भी निर्धारित किया जा सकता है -

- 1. शांतिस्थापना हेतु सामाजिक मूल्यों को प्रतिस्थापित करना।
- 2. सामाजिक मूल्यों के विकास हेतू ज्ञान, भावना एवं कौशलात्मक परिवर्तन लाना।
- 3. व्यक्ति की गरिमा को समझने की क्षमता उत्पन्न करना।
- 4. पारस्परिक सामंजस्य. स्थापित करने की निपुणता का विकास करना।
- 5. विवेकयुक्त एवं समाज सम्मत व्यवहार में कुशलता की प्राप्ति करना।
- 6. व्यक्तिगत विकास के साथ दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितों का संरक्षण करने की संवेदनशीलता उत्पन्न करना।
- 7. शोषण मुक्त समाज के निर्माण की आवश्यकता के प्रति अभिवृत्यात्मक का परिवर्तन करना।
- 8. सां स्कृतिक विरासत का ज्ञान प्राप्त कर अधिकार व कर्तव्य में समन्वय स्थापित करना।
- 9. मौलिक स्वतंत्रताओं का आदर करना सिखाना।
- 10. पूर्वग्रहों को त्यागने एवं दूसरों के प्रति दुर्भावनाओं को समाप्त करने हेतु तैयार करना।
- 11. कार्य-संस्कृति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, व्यक्तियों की गतिविधियों में सहयोग करना सिखाना।

### मानवाधिकार के प्रति जागरूकता हेतु प्रयास

मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता के कई स्तरों पर प्रयास किये जाते रहे हैं और किये जा रहे हैं कुछ प्रभावशाली प्रयास निम्न है:

- साक्षरता कार्यक्रमों में सम्मिलित करके
- पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना
- संचार माध्यमों का अधिकाधिक प्रयोग
- स्वैच्छिक संगठनों का गठन करके
- राजकीय विभागों में मानवाधिकर जागरूकता अभिनवीकरण द्वारा

### शिक्षा का अधिकार

वेदों में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा तीन पवित्र कर्तव्यों को निभाने का उल्लेख है। धर्म के अंश के रूप मे एक आधारभूत जीवन मूल्य कृतज्ञता से पवित्र कर्तव्य की भावना पैदा हुई। प्रत्येक व्यक्ति इरा स्रोत के प्रति उत्तरदायी है, जहां से उसे प्रत्येक प्रकार का लाभ प्राप्त होता है, जिसमें उसका अपना अस्तित्व भी सिम्मिलित है। वेदों में घोषित तीन पवित्र कर्तव्य है - 1 देव-ऋण, 2 पितृ-ऋण, 3 ऋषि-ऋण/आचार्य /शिक्षा शास्त्री। जिनमें भगवत गीता भी सिम्मिलित है। उनके अनुसार तीन पवित्र कर्तव्य अधूरे हैं उन्होंने

चौथे कर्तव्य ''मानव ऋण'' बताया है। चौथे कर्तव्य को पवित्र कर्तव्यों में सम्मिलित करने में महर्षि वेदव्यास का महत्वपूर्ण योगदान है।

प्रत्येक मनुष्य को चार पुण्य कर्तव्यों - देवऋण, पितृऋण और मानवऋण का पालन करना चाहिये। प्रत्येक पीढी के व्यक्ति अपनी पूर्व पीढी के विद्वानों, आचार्यों तथा शिक्षाविदों के प्रति ऋण को चुकाने को बाध्य है जिन्होंने ज्ञान को दूसरी पीढ़ी के लिए संचित, विकसित और हस्तान्तरित किया। ठीक वैसे ही पुत्र अपने पवित्र कर्तव्य को कृतज्ञतापूर्वक निभाता है जैसे उसके पिता ने अपने परिवार कल्याण के लिए अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाया था। यह व्यक्ति का पवित्र कर्तव्य बनता है कि वह उस शान को संचित करें, ग्रहण करें और तब उसमें उपयोगी सुधार, शोध, व्याख्या, शिक्षण तथा लेखन द्वारा नए विचारों का विकास करके उसे अगली पीढी को हस्तान्तरित करें।

इसीलिए सही शिक्षाग्रहण करना और ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। उसे प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर उच्च स्तर तक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

फिर भी, आचार्यो पर प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक अधिक उत्तरदायित्व है। आचार्यो का उत्तरदायित्व अपने छात्रों को न केवल ज्ञान प्रदान करना है अपितु उनके चरित्र को बनाना है जिससे वे प्राप्त ज्ञान का उपयोग वृत्तिसहिता तथा समाज के लाभ के अनुसार कर सके।

प्राचीन भारत में शिक्षा की महत्ता का वर्णन भर्तृहरि (ईसा रो पूर्व प्रथम शताब्दी) के श्लोक में मिलता है। शिक्षा मनुष्य की विशेष अभिव्यक्ति है, शिक्षा वह धन है जिसे हानि के भय के बिना सुरक्षित रखा जा सकता है। ' 'शिक्षा से भौतिक आनद सुख और ख्याति प्राप्त होते हैं। शिक्षा गुरूओं की गुरु है। " शिक्षा ही उसका मित्र है, शिक्षा परमात्मा का अवतार है। ' जब व्यक्ति विदेश जाता है, उधर राज्य से सम्मान की प्राप्ति शिक्षा से होती है न कि धन से। ' शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु तुल्य है। " भर्तहरि उज्जैन का नरेश जो दार्शनिक बन गया था के उपरोक्त श्लोक में शिक्षा की महता के साथ-साथ अशिक्षित व्यक्ति को पशु समान माना गया है। ऐसा कहकर उसने सभी को शान प्राप्त करने और अगली पीढ़ी को उसका प्रसार करने की प्रेरणा दी।

हमारी सभ्यता के इस पक्ष का संकेत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मोहिनी जैन के मुकदमे में किया गया जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। उन्नीकृष्णन के मुकदमे में आदेश दिया गया कि शिक्षा का अधिकार संविधान की इक्कीसवीं धारा के अधीन मौलिक अधिकारों का एक भाग है।

महर्षि पातं जिल ने संक्षिप्त मगर सार्थक अनुच्छेद में शिक्षा के इन चार महत्वपूर्ण सोपानों अथवा अवस्थाओं को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आदेश देते हुए कहा है -

- 1 अपने माता-पिता तथा आचार्यो से ज्ञान / शिक्षा प्राप्त करो।
- 2 स्वयं अध्ययन करके ज्ञान में वृद्धि करो।
- 3 महत्वपूर्ण ज्ञान को दूसरों को प्रदान करो। अर्थात् माता पिता के रूप में अपनी संतान को अध्यापक के रूप में छात्रों को अथवा अन्य किसी रूप में दूसरों को।

4 ज्ञान का उपयोग परिवार के लाभ के लिए तथा अपने व्यापार, पेशे या रोजगार से समाज के लाभ पहुंचाने के लिए करो।

शिक्षा के मानवीय अधिकार के उद्देश्य सुख प्राप्त करना है इसलिए इसे साक्षरता तक सीमित नहीं करना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य तो व्यक्ति का बौद्धिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक, अर्थात् सर्वागीण विकास कर व्यक्ति को समाज की संपदा बनाना है। जब राष्ट्र और समाज अधिक संख्या में ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करने में सफल होता है, तभी वह सुख प्राप्त करता है। इस तथ्य को तैतारीय उपनिषद् के शिक्षावली के आठवें पाठ में बताया गया है।

यह पाठ घोषित करता है कि शिक्षा का अर्थ बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक शिक्षा है। इसमें यह भी निहित है कि किसी भी राष्ट्र का सुख और उसकी समृद्धि लोगों की शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक शक्ति के अनुपात में होती है। शिक्षा के द्वारा सभी के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है।

इसलिए यह स्पष्ट है कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सभी के सुख के लिए न सिर्फ केवल आर्थिक नियोजन ही पर्याप्त है अपितु ऐसी मौलिक शैक्षणिक योजना भी आवश्यक है जो अधिक संख्या में चिरित्रवान, ज्ञानी, दृढ़, संकल्पी, नैतिक तथा शारीरिक रूप से योग्य युवकों का निर्माण करें। राष्ट्र का सुख ऐसी ही युवा पीढ़ी की संख्या के अनुपात में होगा जिसे हम राही शिक्षा द्वारा सर्जन कर सकते हैं। सभी शिक्षाशास्त्रियों और अध्यापकों को यह पवित्र ओर दुःसाध्य कर्तव्य है।

सभी लोगों के पास सुखी जीवन बिताने की क्षमता अथवा साधन नहीं होते। अनेक व्यक्ति घोर दिरद्रता, शिक्षा के अभाव, धनोपार्जन की अक्षमता, शारीरिक अपंगता, बीमारी, वृद्धावस्था तथा परिवार में कमाने वाले सदस्य के निधन आदि से पीड़ित होते हैं। परन्तु इस प्रकार के सभी लोगों को घोर दिरद्रता की अवस्था में भी, सुखी जीवन जीने का मूल मानव अधिकार है। उनके इस अधिकार की सुरक्षा उन लोगों तथा राज्य को, कर्तव्य बोध कराने से होता है जिन लोगों पर वे आश्रित हैं।

### बच्चों के अधिकार

इस वात को याद करते हुए कि मानवाधिकार की सार्वजनिक घोषणा में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐलान किया है कि बचपन विशेष देखभाल और सहायता पात्र है। भारत में बच्चे के अधिकार-संबंधी घोषणा में निर्दिष्ट किया गया है, ' 'अपनी शारीरिक तथा मानसिक अपरिपक्वता के कारण बच्चों को जन्म लेने रो पूर्व और उसके बाद भी विशेष संरक्षण और देखभाल की आवश्यकता है, जिसमें उपयुक्त कानूनी संरक्षण का भी समावेश है।

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लालन-पालन और गोद लेने की व्यवस्था के विशेष संदर्भ में बच्चों के संरक्षण एवं कल्याण के बारे में सामाजिक तथा कानूनी सिद्धान्तों से संबंधितघोषणा, बाल न्याय प्रशासन संबंधसंयुक्त न्यूनतम नियमों (बेंजिंग नियमों) तथा आपात और सशस्त्र संघर्ष की स्थितियों में महिलाओं एवं बच्चों के संरक्षण संबंधी घोषणा की व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया गया। प्रत्येक देश में, खास तौर से विकसित देशों में, बच्चों के जीवन की अवस्थाओं को सुधारे के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को स्वीकार किया।

वर्तमान अभिसमय के प्रयोजनों के लिए बच्चे का अर्थ अठारह साल से कम उम्र का प्रत्येक मनुष्य है, बशर्ते कि बच्चों के लिए लागू कानून के अनुसार वह इससे कम उम्र में ही वयस्क नहीं माना गया

- प्रत्येक राज्य अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के अन्दर, अभिसमय में उल्लिखित अधिकारों को प्रत्येक बच्चे के संदर्भ में बच्चे की याद उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक की नरल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य मत, राष्ट्रीय, नृजातीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, नियोग्यता जन्म या अन्य स्थितियों के आधार पर कोई विभेद किए बिना, सम्मान देंगे और सुनिश्चित करेंगे।
- 2 बच्चों से संबंधितसभी कार्यवाईयों में, चाहे कार्यवाहियां सरकारी या समाज कल्याण संस्थाओं द्वारा की जाए या न्यायालयों द्वारा अथवा प्रशानिक प्राधिकारियों द्वारा या विधायक संस्थाओं द्वारा बच्चों के वास्तविक हित मुख्य विचारणीय तत्व होंगे।
- 3 सभी राज्यों का कर्तव्य है कि वे बच्चे के माता-पिता, कानूनी अभिभावकों या उसके लिए कानूनन अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के अधिकारों तथा कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए उसके लिए ऐसा संरक्षण और देखभाल सुनिश्चित करेंगे जो उसके कल्याण के लिए आवश्यक हो और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी उपयुक्त वैधानिक तथा प्रशासनिक उपाय करेंगे।
- 4 राज्य यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे को उसके माता-पिता की इच्छा के विरूद्ध उनसे अलग नहीं किया जाएगा, जिसका अपवाद मात्र वह स्थिति होगी जब सक्षम प्राधिकारी लागू किए जाने योग्य कानून और प्रक्रियाओं के अनुसार यह निर्णय करें।
- 5 बच्चे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इस अधिकार में किसी प्रकार की सीमाओं की कोई बाधा माने बिना, मौखिक या लिखित अथवा मुद्रित रूप में कला के रूप में या बच्चे की पसंद के अन्य माध्यमों रो सभी प्रकार की जानकारी और विचार प्राप्त करने और संप्रेषित करने का प्रयत्न करने तथा उन्हें प्राप्त और संप्रेषित करने की स्वतंत्रता के अधिकार का समावेश होगा।
- 6 किसी भी बच्चे के निजी पन, परिवार या घर या पत्र -व्यवहार में मनमाना या गैर कानूनी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और न उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर कोई गैर-कानूनी प्रहार किया जाएगा।
- 7 बच्चे के अपने माता पिता या दोनों या कानूनी अभिभावकों या उसकी देखभाल के लिए जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति की देख-रेख में रहते हुए उसे सभी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हिंसा से चोट या दुरूपयोग से, उपेक्षा या उदासीन व्यवहार से, दुर्व्यवहार या शोषण से, जिसमें लैंगिक दुर्व्यवहार भी शामिल है, बचाने के लिए पक्षकार राज्य सभी उपयुक्त वैधानिक, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षिक उपाय करेंगे।
- 8 यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि मानसिक या शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चे को ऐसी परिस्थितियों में सर्वागीण ओर श्रेष्ठ जीवन जीना चाहिए जो मानवीय गरिमा सुनिश्चित करने वाली, स्वावलंबन को बढ़ावा देने वाली और समाज में ऐसे बच्चे की सक्रिय भागीदारी का मार्ग सुगम बनाने ' हो।
- 9 सभी राज्य बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकर पारंपिरक प्रथाओं को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी और उपर्युक्त उपाय करेंगे।

- 10 जिन राज्यों में नृजातीय, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय या मूलवासी समूहों के लोग रहते हैं
- 11 उसमें ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय या मूलवासी समूह के बच्चे को अपने समुदाय या समूह के अन्य सदस्यों के साथ अपनी संस्कृति का उपभोग करने, अपने धर्म को मानने या उसका आचरण करने अथवा अपनी भाषा का उपयोग करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।
- 12 नशीली दवाओं तथा मनः-प्रभावी (साइकोट्रॉपिक) पदार्थों की प्रासंगिक अन्तर्राष्ट्रीय संधियों में जो परिभाषाएं की गई है उन परिभाषाओं के अन्तर्गत आने वाली ऐसी दवाओं या पदार्थों के निषिद्ध उपयोग से बच्चों को बचाने के लिए तथा ऐसे पदार्थों के निषिद्ध उत्पादन तथा व्यापार में बच्चों के उपयोग को रोकने के लिए पक्षकार राज्य वैधानिक, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षिक सभी उपरोक्त उपयुक्त उपाय करेंगे।

### मानव अधिकार का बोध

सामान्यत: मानवाधिकार को धिकार के एक व्यापक विमर्श के रूप में देखा जाता है। वस्तुत: अधिकार की संकल्पना एक जटिल एवं बहुअर्थी संकल्पना है। अमूमन, अन्य लोगों के साथ संबंध में अधिकार प्राप्त लोगों के लिए अधिकार एक उपलिबध के समान है। विधिक सिद्धान्तकार हाफेल्ड के अनुसार अधिकार को व्यक्ति के दाबे और कत्रव्य के परस्पर संवाद के रूप में देखा जा सकता है। उनके अनुसार अधिकार को अधिकार प्राप्त व्यक्ति के दावे के रूप में देखा जा सकता है। इसका निहितार्थ है कि बदले में दूसरे लोगों का यह कत्रव्य है कि वह अधिकार प्राप्त व्यक्ति की मांग के दावे को स्वीकार करे। सामान्य शब्दों में, अधिकार विशेषाधिकार एवं शिकत से भिन्न एक विचार है जो व्यक्ति के परस्पर सकारात्मक, मूल्य तटस्थ एवं सामान्य संबंध की अपेक्षा करता है। इस प्रकार अधिकार किसीव्यक्ति के वे दावे हैं जो समाज में दूसरे व्यक्तियों द्वारा स्वीकार्य है।

मानवाधिकार की सार्वभौमिक स्वीकृति से संबंधी उपयुक्त तर्क-वितकों के विश्लेषण के पश्चात मानवाधिकार की धारणा की व्यापक समझ को विकसित करना सरल हो जाता है। इस धारणा को समझने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि उन तमाम तर्क-वितर्क को ध्यान में रखा जाए जो इसके विचारकों ने प्रस्तुत किए हैं। इस संदर्भ में, आरंभिक तौर पर सुभाष काश्यप ने मानवाधिकार की परिभाषा ऐसे मौलिक अधिकार के रूप में की है जो विश्व के प्रत्येक भाग में रहने वाले पुरूषों एवं महिलाओं को वहां मनुष्य के रूप में जन्म लेने से ही प्राप्त होते हैं

इस अर्थ में, मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को केवल मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं -उनकी जाति, राष्ट्रीयता या किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता के आधार पर नहीं। ये अधिकार मानवीय गरिमा और उपयुक्त जीवन स्तर के न्यूनतम शर्तों को व्यक्त करते हैं। ये न तो अर्जित किए जा सकते हैं न ही वंशानुगत होते हैं और न ही किसी समझौते के माध्यम से निर्मित किए जा सकते हैं।

दूसरी तरह से मानवाधिकार की परिभाषा व्यक्ति (सभी पुरूष एवं महिलाएं) के परस्पर संबंधों तथाव्यक्ति एवं राज्य के परस्पर संबंधों के संदर्भ में भी की जाती है। क्योंकिव्यक्ति के परस्पर व्यवहार को भी राज्य नियंत्रित करता है और राज्य के प्रति जो वे व्यवहार करते हैं उसी आधार पर राज्य बदले में उनके मानवाधिकार की रक्षा एवं स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करता है। बेनेट (ठमददमज) ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि व्यक्ति के मानवाधिकार का प्रश्न व्यक्ति के परस्पर संबंधों तथा व्यक्ति एवं सरकारी प्राधिकारों, स्थानीय से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक, के सह संबंधों के साथ सम्बद्ध है। मानवाधिकार मेंव्यक्तिगत एवं सामूहिक स्वतंत्रता के वे क्षेत्र शामिल है, जो सरकारी हस्तक्षेप से या तो मुक्त हैं, क्योंकि व्यक्ति की गरिमा एवं कल्याण के साथ उनका सरोकार है, अथवा वे उनकी गारंटी, संरक्षण एवं प्रोत्साहन के सशक्त माध्यम हैं

मानवाधिकार की इस तरह की परिभाषा इस अवधारणा को संकटपूर्ण स्थित में ला खड़ा करती है जहां समुदाय एवं सरकारी संरचना इसका प्रमुख केन्द्र-बिंदु बन जाते हैं। ऐसे परिदृश्य में खतरा यह बन जाता है कि यदि हम मानवाधिकार की परिभाषा समय एवं स्थान के संदर्भ में करते हैं तो कहीं यह नागरिकता अधिकार तक सीमित होकर नहीं रह जाए। ऐसी स्थिति और भी खतरनाक तब हो जाती है जब किसी व्यक्ति को अपने मानवाधिकार की रक्षा के लिए दूसरे राज्य में शरण लेना पड़ता है। उदाहरणार्थ, तस्लीमा नसरीन को न सिर्फ उसके अपने राज्य ने अवां छित घोषित कर दिया, बलिक जब उसने भारत में शरण ली तो भारत में भी उसे राजनीतिक दबाब के कारण अवांछित घोषित कर दिया। ऐसे में मानवाधिकार के बारे में सबसे उपयुक्त बात यह हो सकती है कि चूंकि मनुष्य एक मनुष्य है, पशु नहीं; इसलिए उसके साथ बरताव भी मानवीय होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह भी अपेक्षित है कि मानवाधिकार का उपभोग व्यक्ति मानव होने के नाते करें चाहे, वो किसी भी राज्य, क्षेत्र, स्थान एवं संस्कृति विशेष के हों।

द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में सकारात्मक उदारवाद के विकास के फलस्वरूप कई विद्वानों ने मानवाधिकार की परिभाषा लास्कीवादी विमर्श के रूप में करने की कोशिश की एवं व्यक्ति के गरिमामय एवं परिपूर्ण जीवन को सुनिशिचत करने के लिए मानवाधिकार के सहज विकासात्मक मूल्यों के संवर्द्धन पर बल दिया। इस संदर्भ में एक लेखक ने लिखा है कि मानवाधिकार की संकल्पना राज्य एवं सरकार की सत्ता के विरूद्ध व्यक्ति की रक्षा से निकट रूप में जुड़ी हुई है। यह राज्य द्वारा ऐसे सामाजिक वातावरण सृजित किए जाने पर भी बल देती है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव हो पाए। इसी प्रकार विकासात्मक मानवाधिकार के एक अन्य समर्थक ने यह तर्क दिया है कि मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को जीने के लिए, उसके असितत्व के लिए एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए परमावश्यक है।

इस तरह के वैचारीकरण के अंतर्गत मानव जाति को प्रमुखता दी गई है। इसमें मानवाधिकार की नकारात्मक अधिकार संबंधी धारणा जो व्यक्ति को अलग-थलग रखती है और राज्य के हस्तक्षेप को नकारती है, के विपरीत यह राज्य पर सकारात्मक दायित्व डालती है कि राज्य लोगों के अच्छे जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यक दशाएं तैयार करे तािक वे एक अच्छा जीवन ही नहीं, बलिक गरिमामयी जीवन जी सके। उनके मानवाधिकारों का संरक्षण एवं संवद्र्धन और उनकेव्यक्तित्व का विकास हो सके। जिन देशों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति दयनीय है वहां इस तरह का विचार ज्यादा कारगर साबित होता है

क्योंकि अच्छे जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यक दशाओं के निर्माण का दायित्व सरकार के कंधों पर होता है ताकि व्यक्ति समाज में एक अर्थपूर्ण एवं प्रभावी जिंदगी जी सकें।

समग्रत: यह कहा जा सकता है कि मानवीय जीवन के एक अनिवार्य, अनुलंघनीय तत्व एवं मूल्य के रूप में मानवाधिकार की अवधारणा को विभिन्न विचारकों द्वारा व्यक्त विभिन्न दृष्टिकोणों के संदर्भ में समझना होगा, क्योंकि मानवाधिकार का स्वरूप बहुआयामी एवं बहुअर्थी रहा है। इस संदर्भ में एकमतता के बावजूद मानवाधिकार के संयुक्त राष्ट्र संस्था (केन्द्र) ने इसे अंतिम रूप से उन अधिकारों के रूप में परिभाषित किया है जो हमारी प्रवृति में निहित हैं और जिनके बिना मानवीय जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मानवाधिकार को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है - एक ऐसे अधिकार जो गरिमामयी मानवीय जीवन के लिए आवश्यक है और दूसरे, ऐसे अधिकार जो मानवीय व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी हैं। उल्लेखनीय है कि चूंकि ये सभी अधिकार विश्व के सभी देशों के संविधानों द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखे गये हैं, अत: इनके पीछे कोई कानूनी शिकत नहीं, फिर भी न्यूनाधिक सभी देशों के प्रशासनिक क्रियाकलाप में इन्हें मूलभूत माना जाता है।

इसमें संदेह नहीं कि विश्व के कई देशों की विधिक प्रणाली में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। फलत: विश्व के कई देशों ने अपनी संवैधानिक प्रणाली के अंतर्गत मानवाधिकार की स्थित को सुदृढ़ करने के लिए, उसके स्तर को ऊपर उठाने के लिए ठोस प्रयत्न किए हैं तािक ना सिर्फ नागरिकों को, बलिक विदेशियों के साथ भी तर्कसंगत, उचित एवं सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जा सके। इसके अलावे, विभिन्न देशों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों एवं परिषदों का गठन भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा सकते हैं जो मानवाधिकार के संरक्षण एवं संवद्रधन हेतु किटबद्ध दिखते हैं, क्रियाशील हैं। फिर भी विश्व के कई ऐसे देश हैं जो मानवाधिकार के मौजूदा विमर्श को या तो स्वीकार नहीं करते या वहां मानवाधिकार का स्तर काफी खराब रहा है। यह अभी भी एक अन्तर्राष्ट्रीय चुनौती के रूप में खड़ा है।

### भारत में मानव अधिकार

मानवाधिकारों से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों में शिक्षा के अधिकार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उनमें मानवाधिकारों के अभिवर्षन में शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में "मानवाधिकारों की इस सार्वजिनक घोषणा का लक्ष्य" यह बताया है कि "प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग... अध्यापन और शिक्षा द्वारा इन अधिकारों व स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की भावना का अभिवर्धन करेगा।"

बच्चों के अधिकारों से सम्बन्धित कई अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के विभिन्न पहलूओं और शिक्षा की विषय—वस्तु के बारे में है। इसकी विषय—वस्तु में इस बात का भी समावेश है कि ''बच्चे की शिक्षा... मानवाधिकारों ओर स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की भावना का विकास करने की और अभिमुख होगी। बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार आज आधार भूत अधिकार है। इस मानवाधिकार के अन्तर्गत 14 वर्ष की आयु देश के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। यह इसलिए अनिवार्य है क्योंकि

शिक्षा का प्रभाव मानव विकास पर सर्वाधिक होता है। इस गुणात्मक सुधार का प्रभाव व्यक्तित्व निर्माण के साथ ही समाज के विकास से सीधा जुड़ा है। बालक क्योंकि भविष्य का नागरिक होता है अत: उसका शिक्षित होना, ज्ञानकाल होना और अब तक के अर्जित ज्ञान को अपनी अगली पीढ़ी को स्थानान्तरित करने का कर्तव्य होता है। ऐसे में स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के अतिरिक्त शिक्षा का अधिकार बच्चों का है। वह देश जो बच्चों की शिक्षा का अधिकार नियमित रूप से देता है वह विकास के उच्च स्तर पर रहता है।

संभवतः मानव अधिकारों से संबंधितभारतीय जीवन मूल्यों की उत्पत्ति सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन माने जाने वाले ऋग्वेद में यह घोषित किया गया है कि सभी मानव बराबर है और वे सब भाई—भाई हैं। अर्थवेंद के अनुसार खाद्य पदार्थों तथा जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर सभी मानवों का बराबर अधिकार है। उपनिषद (श्रुति) सहित वेद धर्म के मौलिक स्त्रोत हैं। 'धर्म' उन सभी मानव अधिकारों और कर्तव्यों के लिए एक ऐसा सारगर्मित शब्द है जिसका पालन करना व्यक्ति और समाज के सुख एवं शान्ति के लिए आवश्यक माना गया। स्मृति और पुराणों में धर्म के उन नियमों का संकलन किया गया है जिनमें नागरिक कर्तव्य, व्यवहार, धर्म तथा राज्य धर्म भी शामिल है और जो वेदों में निहित मूलभूत आदर्शों के आधार पर विकसित किए गये थे। इनके राजधर्म संबंधीअन्य अधिकृत ग्रंथ भी हैं जिनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कामण्डक, 'शुक्र नीति' तथा कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र हैं। इन सबका उद्देश्य सब को सुखी बनाना था। धर्म के नियमों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि अति प्राचीन काल से ही भारत में मूल्यवान मानव अधिकारों को निर्धारित कर मान्यता दी गयी और इन मानव अधिकारों की रक्षा राज्य तथा निश्चित व्यक्तियों का कर्तव्य माना गया। इससे यह भी जात होता है कि जीवन मल्यों में अनेक मानव अधिकार

अधिकारों को निर्धारित कर मान्यता दी गयी और इन मानव अधिकारों की रक्षा राज्य तथा निश्चित व्यक्तियों का कर्तव्य माना गया। इससे यह भी ज्ञात होता है कि जीवन मूल्यों में अनेक मानव अधिकार निहित थे जो अब "विश्व मानव अधिकार घोषणा" पत्र तथा भारतीय संविधान के तृतीय भाग में अनेक मूलभूत अधिकारों में सम्मलित किए गये हैं। यह विषय मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ वाले मुकदमे में (1978(1) एस.सी.सी. 248) नियम प्रकार उजागर किया है।

"ये मूल अधिकार उन आधारभूत मूल्यों के द्योतक हैं जिन्हें इस देश के लागों ने वेदों के काल से ही मूल्यवान समझा और जिन्हें व्यक्ति के मान की रक्षा के लिए ऐसी स्थितियाँ निर्मित करने के लिए आवश्यक माना गया जिनमें प्रत्येक मानव अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है।

इस देश की सभ्यता तथा संस्कृति को आदर्श रूप प्रदान करने वाले महान विचारकों ने प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए दूसरे व्यक्तियों के सहगामी कर्तव्य निर्धारित करने का अद्वितीय उपाय निकाला।

अतएव, इस देश के प्राचीन दार्शनिकों ने अधिकार पर आधारित समाज न बनाकर कर्तव्य आधारित समाज बनाना अधिक अच्छा समझा जिसमें व्यक्ति को दिया हुआ अधिकार उसकी कर्तव्य पूर्ति का अधिकार है।

मानव अधिकार जीवन का आधारभूत मूल्य है जो भगवतगीता की अत्यन्त लोकप्रिय तथा महत्वपूर्ण घोषणा है जो इस प्रकार है,

तुम्हारा अधिकार अपने कर्तव्य की पूर्ति करना है।

समानता का अधिकार सभी अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके बिना सुखी जीवन असंभव है। अन्यायपूर्ण भेदभाव से उन व्यक्तियों में दुख और संताप पैदा होता है जिनके विरूद्ध भेदभाव किया जाता है इसलिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में मान प्राप्त हो। अत्यंत प्राचीनकाल से ही मानवीय क्रियाकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में समानता और अवसर की समानता को आवश्यक माना गया है। ऋग्वेद और अर्थवेद में समानता के अधिकार की घोषणा की गयी है। वे उदाहरण है।

जैसे—"समाज में ऊँचनीच का भेदनहीं है, सभी भाई हैं। सबको सबकी भलाई और उन्नति करनी चाहिए।"

"मानव अधिकारों के घोषणापत्र (1948) की धारा 1 और 7 के अनुसार सभी मनुष्य जन्म से ही मान और अधिकारों में बराबर हैं। मनुष्य स्वभाव से ही तर्कशील और विवेकी है, इसलिए भाई—चारे की भावना के साथ उन्हें एक दूसरे के प्रति व्यवहार करना चाहिए।"

"सभी, कानून की दृष्टि से समान हैं। कानून बिना भेदभाव के उनकी समान संरक्षण प्रदान करेगा। इस घोषणा के उल्लंघन स्वरूप किसी भी भेदभाव के खिलाफ और भेदभाव से प्रेरित किसी भी व्यवहार के खिलाफ समान संरक्षण का सबको अधिकार है।"

# 3.7) भारतीय संविधान में मूल अधिकार

भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय संविधान में उन अधिकारों को मूल अधिकार कहा गया है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक एवं अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये गए हैं और जिनमें सामान्यतया राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। प्रमुख मौलिक अधिकार निम्न है:

- 1. समता का अधिकार (अनुच्छेद 14—18),
- 2. धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25—28),
- 3. स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19—22),
- 4. संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनुच्छेद 29—30),
- 5. शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23—24), और
- 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

# नवीन सामाजिक व्यवस्था के लक्षण(Characteristics of New Social System)

भारतीय —सामाजिक व्यवस्था का एक निश्चित, निर्धारित स्वरूप वर्तमान समय में तीव्र गित से परिवर्तित हुआ है। व्यक्ति, परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की आकां क्षाओं, उपेक्षाओं के परिवर्तित प्रतिमानों के कारण यह व्यवस्था तीव्र गित से नवीन सामाजिक स्वरूप को प्राप्त कर रही है। कुछ प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है:

₩ सामाजिक समानता

🕸 अस्पृश्यता निवारण

🕸 लैंगिक समानता

🕸 पिछड़े समुदायों का विकास

🕸 सामाजिक न्याय 💸 मानवतावादी दृष्टिकोण

🕸 पंथिनरपेक्षता 🕸 आधुनिकीकरण

🕸 बालिका शिक्षा 🔻 वैज्ञानिक चिन्तन

🕸 अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

प्रथम विश्वयुद्ध की व्यापक हिंसा के पश्चात् 'शान्ति स्थापना लीग नामक संगठन का गठन किया गया था। जून 1915 में फिलाडेल्फिया में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। 1920 में राष्ट्र संघ का गठन हुआ। 1941 में अमेरिका राष्ट्रपति फ्रेंकिलन रुजवेल्ट ने मनुष्य की चार मूलभूत स्वतन्त्रताओं की चर्चा की। 1948 में एलोनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। 10 दिसम्बर 1948 को इसे स्वीकार किया गया। इसीलिए 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।

### मानवाधिकार: एक विकासात्मक परिप्रेक्ष्य

मानवाधिकार का विचार विकास की एक लम्बी प्रक्रिया का परिणाम है। सामाजिक समझौतावादी चिंतन के विकास से लेकर अब तक मानवाधिकार के विचार ने विकास एवं विस्तार का एक लंबा रास्ता तय किया है। वस्तुतमानवीय संगठन के हर स्वरूप में शासकों द्वारा शासितों के शोषण की प्रव :ृति रही है। इसने लोगों के मानवाधिकार के संरक्षण एवं संवद्र्धन की आवश्यकता के तथ्य को उजागर किया। यही कारण है कि ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से मानवाधिकार के विचार के तत्व एवं सामाजिक क्रियाशीलता में परिर्वन होते रहे हैं

ऐसा तर्क दिया जाता है कि पाश्चात्य देशों में लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना से मानवाधिकार के विचार को बल मिला। मानवाधिकार के विकास की पहली पीढ़ी के अधिकार के रूप में लोगों को नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए जिनकी प्रकृति नकारात्मक रही, क्योंकि इनमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इस प्रकार इसमें दो प्रकार के अधिकार निहित थे -व्यक्तिगत अधिकार; जिसमें जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार; दासता व प्रताड़ना से सुरक्षा; बलात देश निकाला से संरक्षण; एकांतता, विवाह, परिवार बसाने, बच्चों के अधिकार, इत्यादि शामिल थे, तथा दूसरे, राजनीतिक सवतंत्रता एवं राजनीतिक अधिकार जिसमें सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में भागीदारी के अधिकार इत्यादि शामिल थे। इन अधिकारों को मुख्यतशास्त्रीय मानवाधिकार के रूप में जाना जाता है:, क्योंकि ये राज्य एवं व्यक्ति के परस्पर दायित्व के बारे में ज्यादा संवेदनशील नहीं हैं।

द्वितीय विश्व युद्धोपरांत एशिया एवं अफ्रीका में नयेराज्यों के उदय के फलस्वरूप मानवाधिकार -नये राष्ट्र-को आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की दूसरी पीढ़ी के अधिकारों को बल मिला तथा सामाजिक नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों की पूर्व शर्त माना गया। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि स्वतंत्रता का अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, आनेजाने की स्वतंत्रता के अधिकार -इत्यादि कभी भी वास्तविक नहीं हो सकते यदिव्यक्तिके पास काम पाने, शरण, भोजन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि के अधिकार के साथसाथ शोषण के विरूद्ध अधिकार-, सांस्कृतिक एवं धार्मिक अधिकार उपलब्ध ना हों। मानवाधिकार के इस पहलू पर समाजवादी राज्यों के चिंतन का प्रभाव रहा है जिसने नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार संबंधी पाश्चात्य धारणा को खोखली बताया क्योंकि यह व्यक्ति को सशक्त, सामध्र्यवान एवं गरिमामयी जीवन उपलब्ध कराने का झूठा दावा करती है। इसके विपरीत, मानवाधिकार की दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत राज्य पर यह सकारात्मक दायित्व डाला गया है कि वह सामान्य लोगों के खुशहाल एवं स्वायत्त जीवन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें समुचित सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध कराये।

मानवाधिकार की तीसरी पीढ़ी के अधिकारों का विकास वैयिकतक संदर्भ के विरूद्ध सामूहिक संदर्भ को प्राथमिकता दिये जाने पर बल देने के पिरणामस्वरूप हुआ। ऐसा महसूस किया गया कि विश्व के विभिन्न भागों में कई ऐसे समूह एवं समुदाय हैं जो अपने को दीनहीन, अवांछित एवं वंचित स्थिति में महसूस करते हैं, जिनकी आवश्यकता प्रणाली भिन्न हैं। अत: उनके अधिकार की मांग भी भिन्न प्रकृति की हैं। फलत: मानवाधिकार के समर्थकों एवं दार्शनिकों ने इन समूहों के विशेषाधिकारों पर बल दिया। इसके विकास में समाजवादी चिंतन ने बड़ा योगदान दिया। तृतीय विश्व के समाजवादी एवं विकासशील देशों के विद्वानों ने सामूहिक अधिकार के संदर्भ में विकास का अधिकार, शांति एवं सुरक्षा का अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों के अर्जन का अधिकार सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने का अधिकार इत्यादि पर बल दिया। मौजूदा उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के युग में राष्ट्र के सामूहिक अधिकार के रूप में पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अधिकार पर विशेष रूप से बल दिया गया। तीसरी पीढ़ी के अधिकारों के अंतर्गत समाज के दबे, कुचले, शोषित, प्रताडित, वंचित एवं हासिए पर रहे लोगों के अधिकारों पर बल दिया गया है। इसमें महिलाओं, बच्चों, अशक्त लोगों, शरणार्थियों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों, भूमिहीनों एवं बंधुआ मजदूरों, असंगठित श्रमिकों, किसानों, कैदियों, विस्थापितों इत्यादि के अधिकार की मांगें भी शामिल हैं।

# मानवाधिकार का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

मानवाधिकार की अवधारणा को व्यापक रूप से इसे इसके आधारभूत सैद्धां तिक परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। इसमें मानवाधिकार संबंधी शास्त्रीय एवं समसामयिक अभिमान्यताओं का उल्लेख किया जा सकता है, जिससे मानवाधिकार के विशद स्वरूप एवं वैचारिक विमर्श को समझना सरल हो जाता है।

### मानवाधिकार का उदारवादी परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण

मानवाधिकार के उदारवादी दृष्टिकोण की जड़ें प्राकृतिक अधिकार संबंधी सामाजिकसमझौतावादी सिद्धांत में ढूंढ़ी जा सकती है। जम लाक पहला विचारक था जिसने जीवनस्वतंत्रता एवं संपत्ति संबंधी-प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बाद में, जमीं बेंथम एवं जान राल्स जैसे विचारकों ने अधिकार की धारणा को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश की किन्तु, इसका केन्द्रीय विषय राज्य के विरूद्ध व्यक्ति का अधिकार ही रहा। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मानवीय जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए परमावश्यक एवं अनुल्लंघनीय है। प्राकृतिक अधिकार राज्य की सत्ता की सीमाएं भी बताते हैं।

उल्लेखनीय है कि उपयोगितावादी विचारकों ने भी प्राकृतिक अधिकारों को महत्व तो दिया है, किन्तु उन्हें उपयोगिता के मूल्य पर आधारित करने का प्रयास किया है। बेंथम जैसे उपयोगितावादी विचारक ने इसे सुख-दुख की कसौटी पर मापने की कोशिश की है। उनका तर्क है कि वही अधिकार व्यक्ति के लिए

उपयोगी हैं जिनसे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख की उपलिबध हो। यहां उपयोगितावादी विचार प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के विपरीत हो जाता है, जो वितरणात्मक और वैयिकतक प्रकृति का ज्यादा है। अत: उपयोगितावादी सिद्धांत में समतावादी रूझान ज्यादा दिखता है, फिर भी इसकी सबसे बड़ी सीमा यह है कि यह व्यक्तिगत हित को सामूहिक हित के लिए परित्याग कर देता है।

वर्तमान समय में अधिकार-संबंधी दर्शन का उदारवादी विमर्श मुख्यत: न्याय के सिद्धांत पर आधारित हो गया है। इसे जान राल्स ने दार्शनिक आधार प्रदान करने की कोशिश की है। राल्स ने सामाजिक-समझौते के सिद्धांत को पुनर्जीवित करते हुए अपने वितरणात्मक न्याय-सिद्धांत के अंतर्गत न्याय के दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उसका प्रथम सिद्धांत समान स्वतंत्रता के नियमों का प्रतिपादन करता है। उसका दूसरा सिद्धांत समान अवसर का सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। इसी सिद्धांत के अंतर्गत उसने भेदमूलक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जान राल्स भेदमूलक सिद्धांत को अंतिम विकल्प के रूप में देखता है। इस प्रकार, जान राल्स ने स्वतंत्रता एवं समानता की अवधारणाओं को समाविष्ट करते हुए सामाजिक न्याय के व्यापक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसके सिद्धांत में ममवाधिकार का ध्येय न्याय की उपलबब्धि है। वस्तुत:, जान राल्स ने एक सुव्यवस्थित समाज के अंतर्गत सामूहिक सहयोग के माध्यम से न्याय के सिद्धांत की उपलबिधयों की बात की है, उसका न्याय सिद्धांत तात्विक भी है और प्रक्रियात्मक भी।

हालांकि, राल्स के न्याय-सिद्धांत की आलोचनाएं भी हुई हैं फिर भी, उदार लोकतांत्रिक राज्यों मे यह आज भी चिन्तन, मनन एवं विश्लेषण का केन्द्र बना हुआ है।

### मानवाधिकार का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य

मानवाधिकार संबंधी मार्क्सवादी दृष्टिकोण मुख्यत: इसके उदारवादी दृष्टिकोण के विरूद्ध एक तीखी प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ। मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने ना केवल प्रकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर कुठाराघात किया बलिक इसे आदर्शवादी और अनैतिहासिक भी बताया। मार्क्सवादियों के अनुसार उदारवादी समाज में पूंजीपित उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार कर लेते हैं फलत: व्यक्ति के मानवाधिकार की धारणा एक बुजर्वावादी भ्रांति के अलावा और कुछ नहीं है। मार्क्स के अनुसार व्यक्ति का अधिकार एक अहंवादी व्यक्ति के अधिकार के सिवा कुछ नहीं है। यह व्यक्ति को, व्यक्ति से एवं व्यक्ति को समुदाय से विलग कर देता है। उदारवादी समाज में चूंकि व्यक्ति मुख्य रूप से निजी सम्पत्ति की संस्था के माध्यम से परिभाषित होता है और व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार की मान्यता का निहितार्थ ऐतिहासिक दासता के सिवा कुछ नहीं है। अस्तु, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार मानवाधिकार की उदारवादी धारणा ने व्यक्तिगत अधिकार की वेदी पर सामुदायिक एवं सामूहिक अधिकार की तिलां जिल दे दी है।

व्यक्ति मे आत्मविकास एवं अपनी आवश्यकताओं को समग्र रूप से प्रापित की उसकी क्षमता में मार्क्सवाद का अदम्य विश्वास है। मार्क्सवाद की यह मान्यता है कि चूंकि पूंजीवादी समाज आर्थिक लाभ एवं स्विहत के लिए कार्य करता है, अत: ऐसे समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास संभव नहीं है। इसके विपरीत, समाजवादी समाज में पुरूष एवं महिलाओं को अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष एवं वर्ग विभाजन नहीं होता। गैर-साम्यवादी समाज में इस तरह की संभावना नहीं होती। साम्यवादी समाज में प्राकृतिक दशा में निहित व्यक्तिगत अधिकारों को मान्यता नहीं दी जाती हैं, क्योंकि ये कुछ निशिचत शर्तों पर आधारित होते हैं और राज्य व्यक्ति पर कुछ दायित्व भी डालता है और समय-समय पर व्यक्ति पर व्यक्ति के अधिकारों को सीमित ही करता है।

मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत उदारवाद की व्यक्तिगत अधिकार संबंधी धारणा की जगह सामाजिक अधिकार के विचार को ज्यादा महत्व दिया जाता है। मानवीय प्रकृति एवं व्यक्ति के सामाजिक जीवन के विषय में भ्रांतिपूर्ण दृष्टि के कारण मार्क्सवाद को आलोचित भी किया गया है। आलोचकों ने इसे एक पैत्रिक सिद्धांत कहा है, क्योंकि ऐसे समाज में सर्वाधिकारवादी राजनीतिक आमसत्ता समाज के मूल्यचयन का दिशा-निर्देशन करती है। इतना ही नहीं, पुरूष एवं महिलाओं की इच्छाओं के विपरीत आमलोगों की सत्ता अपने विचारों को उन पर थोप देती है। इस प्रकार के जाति वर्ग का सृजन पितृसत्तावाद का ही एक प्रारूप है जो न केवल अनुभवातीत कारणों की अनदेखी करता है बलिक वैयकितकता को नजर अंदाज करता है। व्यावहारिक दृष्टि से साम्यवादी राष्ट्रों द्वारा समाज के पूर्ववर्ती दावे को स्थापित करने के प्रयत्न के कारण व्यक्तिगत नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार का व्यवसिथत दमन हो जाता है।

# मानवाधिकार का नारीवादी दृष्टिकोण

एक विचारधारात्मक ढांचे के रूप में नारीवाद मानवाधिकार विमर्श के अंतर्गत एक सशक्त बौद्धिक हस्तक्षेप है। एक विचारधारा के रूप में नारीवाद की जड़े 18वीं सदी में मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट (डंतल वससेजवदमबतंजि) की रचनाओं में ढूंढ़ी जा सकती है। आरंभिक चरण में नारीवाद एक उत्तर भौतिकवादी विचारधारा थी जिसका मुख्य बल जीवन के स्तर एवं गुणवत्ता पर रहा। राजनीतिक दृष्टि से नारीवाद ने इस तथ्य पर बल दिया कि सार्वजनिक जीवन सिर्फ पुरूषों के लिए ही क्यों और निजी जीवन जैसे बच्चों का पालन-पोषण, घरेलू रख-रखाव आदि महिलाओं के लिए ही क्यों? क्यों महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से निष्काषित किया जाता है? क्यों पुरूष घरेलू कार्यों का प्रबंध नहीं कर सकते? एक लेखक ने लिखा कि नारीवाद ने उदारवाद एवं उदारवादी राज्य की मुख्य अभिमान्यता - निजी और सार्वजनिक का भेद - पर सवाल खड़ा किया है। इस तरह के विभाजन को दो तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नारीवादियों का तर्क है कि सार्वजनिक जगत ने महिलाओं को इससे निष्काषित कर दिया और उन्हें निजी वस्तु बना डाला है; दूसरी तरफ निजी जीवन से मनुष्य के निष्कासन से घरेलू कार्य एवं बच्चों की देख-भाल प्रभावित होती है (उतवूपदह रू 2002 रू 282)। इस प्रकार मानवाधिकार संबंधी नारीवादी दृष्टिकोण मानवाधिकार को लैंगिक रूपसे तटस्थ नहीं मानता है।

नारीवादी दृष्टिकोण का मुख्य सरोकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लैंगिक दृष्टिकोण से मानवाधिकार के संरक्षण एवं संवद्गधन के तथ्य पर ध्यानाकर्षण करना है। नारीवादियों ने अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के राज्याभिमुख एवं व्यक्तिवादी स्वरूप को उजागर किया है। मानवाधिकार के अन्तर्राष्ट्रीय कानून संबंधी

नारीवादी आलोचना के कुछ प्रमुख तर्क हैं। प्रथम, मानवाधिकार कानून का ऐसा ढांचा, महिलाओं की विशिष्ट स्थिति, शरीर वैज्ञानिक भेद, उनकी सामाजिक व आर्थिक दशा एवं राजनीति में उनकी निशिचत भागीदारी इत्यादि को यदि पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करता, तो उन पर पूरी तरह बल भी नहीं देता। अत: मानवाधिकार कानून का मौजूदा ढांचा समाज में महिलाओं के लिए महत्वहीन है और पुरूषों की सत्ता को सुदृढ़ता प्रदान करता है। दूसरे, राज्य के आंतरिक व्यवहार और लोगों के निजी जीवन को एक साथ रखकर मानवाधिकार कानून की संस्था इसके महत्व को इतना कम कर देती है कि यह विश्व के तमाम लोगों के लिए निरर्थक हो जाता है। विभिन्न देशों के आंतरिक ढांचे के अंतर्गत जो मानवाधिकार का व्यवहार है वह मानवाधिकार संरक्षण एवं संबद्धधन संबंधी राज्य के प्रयत्नोंएवं कवायदों को किसी भी जांच से मुक्त कर देता है। नारीवादियों के लिए सबसे निराशाजनक बात तो यह है कि महिलाओं को या निजी जीवन को मानवाधिकार के संदर्भ में सार्वजनिक जीवन से पृथक रख दिया जाता है।

अत: नारीवादी दृष्टिकोण मानवाधिकार की पूरी संकल्पना को इस तरह से पुनर्परिभाषित किए जाने पर बल देता है कि वह लैंगिक दृष्टि से निजी जीवन के प्रति भी संवेदनशील हो। दूसरी तरफ, नारीवादी मानवाधिकार संबंधी दृष्टिकोण के संदर्भ में नारीवादियों की भिन्न मान्यताएं एवं सरोकार हैं। मानवतावादी महिला समूह ने अपना ज्यादा ध्यान महिलाओं के विरूद्ध हिंसात्मक कार्रवाही पर दिया है। पारंपरिक सामाजिक समूह ने महिलाओं की स्वास्थ्य समस्या, सामाजिक कुरीतियों, नारी उत्पीड़न आदि को अपना मुहं बनाया है। कुछ महिला समूहों ने घरेलू हिंसा, यौन शोषण, बलात्कार आदि को अपना प्रमुख सरोकार बनाया है। कुछ नारीवादी समूहों ने देह व्यापार एवं बलात वेश्यावृति के प्रश्न को उठा रखा है। इतना ही नहीं, नारीवादियों ने वर्तमान समय में इस्लाम धर्म के अंतर्गत धार्मिक अतिवाद के नाम पर महिलाओं के साथ जो दुख्यवहार किया जा रहा है और जिस प्रकार उनका शोषण एवं दमन हो रहा है, उनको अपने आंदोलन का मुहं बना रखा है। संक्षेप में नारीवादी मानवाधिकार कानून के विस्तृत ढांचे में उपयुक्त सभी मामलों को शामिल किए जाने की बात करते हैं, तथा राष्ट्रीय स्तर से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक मानवाधिकार कानून के ढांचे को लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील बनाने पर जोर देते हैं। इतना ही नहीं ये निजी जीवन के राजनीतिकरण का तथा पुरूष प्रधान समाज का विरोध करते हैं तथा महिला की विशिष्ट स्थित एवं भिन्न आवश्यकता प्रणाली के संदर्भ में मानवाधिकार को पुन: परिभाषित किए जाने पर भी बल देते हैं।

# मानवाधिकार एवं तृतीय विश्व कापरिप्रेक्ष्य

मानवाधिकार संबंधी तृतीय विश्व के दृष्टिकोण के विकास में मुख्यत: उन राष्ट्रों व विद्वानों का योगदान रहा है जो मानवाधिकार की पाश्चात्यवादी धारणा के विरोधी रहे हैं, क्योंकि पाश्चात्यवादी धारणा राष्ट्रों के बीच जटिल सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक-सांस्कृतिक विशिष्टता एवं विविधता को नजरअंदाज करते हुए पूरे विश्व में मानवाधिकार की यूरोपीय धारणा का सार्वभौमीकरण करना चाहती है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद के संदर्भ में तृतीय विश्व का दृष्टिकोण मुख्यत: दो सिद्धांतों से प्रभावित है। प्रथम, ऐसे सिद्धांतकारों के सिद्धांत से जो मानवाधिकार की पाश्चात्य धारणा के सार्वभौमीकरण के विरूद्ध हैं क्योंकि इसका प्रयोग यूरोपीय राष्ट्र यह दर्शाने के लिए करते हैं कि विकासशील देशों में मानवाधिकार के संरक्षण

एवं संवद्र्धन का रिकार्ड खराब रहा है। चीन ने इस तथ्य को उजागर कर तृतीय विश्व के संदर्भ में मानवाधिकार को नए सिरे से परिभाषित किए जाने पर बल दिया है। दूसरे, उन सिद्धां तकारों के विचार जो विभिन्न राष्ट्र की सामाजिक-सांस्कृतिक विशिष्टता के संदर्भ में मानवाधिकार को परिभाषित किए जाने पर बल देते हैं। उनका तर्क है कि मानवाधिकार का ऐसा कोई सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं हो सकता जिसे समान रूप से सभी देशों पर लागू किया जा सके।

वैचारिक दृष्टि से मानवाधिकार संबंधी तृतीय विश्व की धारणा मानवाधिकार की संकल्पना को विभिन्न देशों की विशिष्ट सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में सैद्धां तीकरण की बात करती है। इसका प्रमुख तर्क है कि Þमूल्यों को जटिल समग्र के अंग के रूप में समझा जाना चाहिए और यही जटिल समग्र संस्कृति है। जब हम मानवाधिकार के सार्वभौमीकरण की बात करते हैं तो हमें किसी देश की संस्कृति विशेष पर उसके प्रभाव को भी देखना होगा। कुछ संस्कृति विशेष के लिए वे अधिकार केन्द्रीय हो सकते हैं किंतु कुछ देशों में उन्हें कुछ संसोधन के बाद ही लागू किया जा सकता है, तािक उस संस्कृति के साथ उसका तादात्म्य स्थापित हो पाये; तथा कुछ देशों के लिए वे बिल्कुल महत्वहीन हो सकते हैं इस प्रकार मानवाधिकार संबंधी तृतीय विश्व के दृष्टिकोण का मुख्य तत्व 'सांस्कृतिक सापेक्षवाद का सिद्धांत है। इसका सामान्य निहितार्थ है कि मानवाधिकार को कभी भी इसके सार्वभौमीकरण के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता।

मानवाधिकार संबंधी तृतीय विष्व के परिप्रेक्ष्य का सार यह है कि मानवाधिकारों को राष्ट्रों के संस्कृतिके सापेक्ष होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई अपने माता-पिता की असमर्थता को देखते हुए अपने परिवार के जीवन यापन के लिए कार्य करता है तो उसे बाल श्रम की श्रेणी में रख दिया जाता है, इसकी मानवाधिकार की पाश्चात्य धारणा अनुमित नहीं देता। दूसरी तरफ, विकासशील देशों की सामाजिक-आर्थिक प्रणाली ऐसी है कि सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। बीमार माता-पिता के इलाज एवं परिवार का खर्च वहन करने के लिए यहां बच्चों को कार्य करना पड़ता है। अत: इसे भी बाल श्रम की श्रेणी में रख देना न्याय संगत नहीं लगता। अत: इस दृष्टिकोण के समर्थकों का कहना है कि मानवाधिकार के संदर्भ में सभी देशों के बारे में समान मापदंड अपनाना असंगत है।

इसका अर्थ यह नहीं कि इस दृष्टिकोण के समर्थक मानवाधिकार के नैतिक पहलू को नजरअंदाज करते हैं। उनका तर्क है कि मानवाधिकार की नैतिकता का सार्वभौमीकरण स्वीकार्य है, किन्तु इस संदर्भ में राष्ट्रों की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विशिष्टताओं को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार, उनका मुख्य विरोधी मानवाधिकार के सार्वभौमिक कार्यान्वयन से है।

संक्षेप में, मानवाधिकार की तृतीय विश्व की धारणा पाश्चात्य यूरोपीय धारणा के वर्चस्ववाद का विरोध करती है जो विकासशील देशों में मानवाधिकार के हनन एवं खराब स्थिति का धौंस देकर वहां हस्तक्षेप करते हैं। उल्लेखनीय है कि यूरोपीय देशों की परिस्थितयां विकासशील देशों से भिन्न है। अधिकतर यूरोपीय देशों में सामाजिक एकरूपता, आर्थिक स्मृद्धि, राजनीति लोकतंत्र तथा न्यूनाधिक सांस्कृतिक एकता का तत्व विधमान है, अत: वे अपनी परिस्थितियों के अनुकूल मानवाधिकार के ढांचे को लागू कर

सकते हैं। किंतु मानवाधिकार के इसी ढांचे को विकासशील देशों पर लागू करना अतार्किक है क्योंकि इन देशों की संस्कृतियां यूरोपीय देशों से भिन्न एवं अलग हैं। ऐसी स्थिति में मानवाधिकार का नैतिक आदर्श ही धूमिल पड़ जाता है। यही कारण है कि कई विकासशील देशों ने मानवाधिकार की पाश्चात्य यूरोपीय धारणा पर सवालिया निशान लगाया है तथा मानवाधिकार की एक वैकलिपक प्रणाली की खोज पर बल दिया है जो उनकी सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक-सांस्कृतिक प्रणाली के अनुरूप हो।

### निष्कर्षात्मक अवलोकन

समग्रतयह कहा जा सकता है कि समसामयिक युग में मानवाधिकार का विचार राजनीतिक सिद्धांत के : नअंतर्गत एक सशक्त एवं महत्वपूर्ण संकल्पना के रूप में उभरा है। हालां कि मावाधिकार के अर्थान्वयन, पिरभाषा एवं स्वरूप के संदर्भ में यूरोपीय एवं गैरयूरोपीय विद्वानों के बीच एकमतता का अभाव रहा है। - संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणापत्र को अपनाये जाने के बावजूद विश्व के अन्य पनअ-भागों में इसके सिद्धां तकार इसे अपनी विचारधारात्मक पिरप्रेक्ष्य में पिरभाषित करते हैं। यही कारण है कि मानवाधिकार के संदर्भ में कई प्रकार के दृष्टिकोणों का विकास हुआ है। इससे मानवाधिकार के संदर्भ में व्यापक समझ विकसित करने में पर्याप्त सहायता मिलती है। यह सच है कि मानवाधिकार के संदर्भ में जितने दृष्टिकोणों का विकास हुआ है, सभी की अपनीअपनी निशिचत सीमाएं हैं। आज - नवाधिकार के विमर्श के प्रति एक ऐसा समान आवश्यकता इस बात की है कि मादृष्टिकोणका प्रतिपादन किया जाए जो यूरोपीय देशों के लिए भी स्वीकार्य हो और गैर यूरोपीय देशों के लिए भी।

### मानवाधिकार शिक्षा

मानवाधिकारों से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों में शिक्षा के अधिकार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उनमें मानवाधिकारों के अभिवर्षन में शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में "मानवाधिकारों की इस सार्वजनिक घोषणा का लक्ष्य" यह बताया है कि

"प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अग .... अध्यापन और शिक्षा द्वारा इन अधिकारों व स्वतत्रताओं क्रे प्रति सम्मान की भावना का अभिवधर्न करेगा। "

भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ सामाजिक, सां स्कृतिक व आर्थिक विषमताएँ अत्यधिक हैं। मानवाधिकार शिक्षा की आवश्यकता अधिक अनुभव की जा रही है। प्रात: दिन का प्रारम्भ होते ही समाचार—पत्र अथवा दूर्दर्शन पर आने वाले कार्यक्रम एवं समाचारों से मानवाधिकारों के हनन की समस्या को उजागर करने वाले तथ्य हमें इस दिशा में सोचने के लिए बाध्य करते हैं कि इस शिक्षा को प्रदान करने के लिए किन लक्ष्यों का निर्धारण किया जाना प्राथमिकता है? ऐसे ही कतिपय लक्ष्यों का वर्णन प्रस्तुत है

# 3.8 मानवाधिकार शिक्षा के लक्ष्य

मानवाधिकार शिक्षा के मूलभूत मूल्य आध्यात्मिकता, अहिंसा तथा नैतिकता हैं। इन्हीं के आधार पर इस शिक्षा के लक्ष्यों को भी निर्धारित किया जा सकता है :

- 1. शांतिस्थापना हेतु सामाजिक मूल्यों को प्रतिस्थापित करना।
- 2. सामाजिक मूल्यों के विकास हेतु ज्ञान, भावना एवं कौशलात्मक परिवर्तन लाना।
- 3. व्यक्ति की गरिमा को समझने की क्षमता उत्पन्न करना।

- 4. पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करने की निपुणता का विकास करना।
- 5. विवेकयुक्त एवं समाज सम्मत व्यवहार में कुशलता की प्राप्ति करना।
- 6. व्यक्तिगत विकास के साथ दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितों का संरक्षण करने की संवेदनशीलता उत्पन्न करना।
- 7. शोषण मुक्त समाज के निर्माण की आवश्यकता के प्रति अभिवृत्यात्मक का परिर्वतन करना।
- 8. सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान प्राप्त कर अधिकार व कर्तव्य में समन्वय स्थापित करना।
- 9. मौलिक स्वतन्त्रताओं का आदर करना सिखाना।
- 10. पूर्वाग्रहों क्रो त्यागने एवं दूसरों के प्रति दुर्भावनाओं को समाप्त करने हेतु तैयार करना।
- 11. कार्य—संस्कृति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, व्यक्तियों की गतिविधियों में सहयोग करना सिखाना।

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लालन—पालन और गोद लेने की व्यवस्था के विशेष संदर्भ में बच्चों के संरक्षण एवं कल्याण के बारे में सामाजिक तथा कानूनी सिद्धान्तों से संबंधित घोषणा बाल न्याय प्रशासन संबंधी संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमों (बेजिंग नियमों) तथा आपात और सशस्त्र संघर्ष की स्थितियों में महिलाओं एवं बच्चों के संरक्षण सम्बन्धी घोषणा की व्यावस्थाओं को सम्मिलित किया गया। प्रत्येक देश में, खास तौर से विकासशील देशों में, बच्चों के जिवन की अवस्थाओं को सुधारने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को स्वीकार किया।

वर्तमान अभिसमय के प्रयोजनों के लिए बच्चे का अर्थ अठारह साल से कम उम्र का प्रत्येक मनुष्य है, बशर्ते कि बच्चों के लिए लागू कानून के अनुसार वह इससे कम उस में ही वयस्क नहीं माना गया :

- 1. प्रत्येक राज्य अपने—अपने अधिकार क्षेत्र के अन्दर, अभिसमय में उल्लिखित अधिकारों को प्रत्येक बच्चे के संदर्भ में बच्चे की याद उसके माता—पिता या कानूनी अभिभावक की नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य मत, राष्ट्रीय, नृजातीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, नियोग्यता जन्म या अन्य स्थितियों के आधार पर कोई विभेद किए बिना, सम्मान देगे और सुनिश्चित करेंगे।
- 2. बच्चों से सम्बन्धित सभी कार्यवाइयों में, चाहे वे कार्यवाहियां सरकारी या समाज कल्याण संस्थाओं द्वारा की जाए या न्यायालयों द्वारा अथवा प्रशासनिक प्राधिकारियों या विधायक संस्थाओं द्वारा, बच्चों के वास्तविक हित मुख्य विचारणीय तत्व होंगे।
- 3.सभी राज्यों का कर्त्तव्य है कि वे बच्चे के माता—िपता, कानूनी अभिभावकों या उसके लिए कानूनन अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के अधिकारों तथा कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए उसके लिए ऐसा संरक्षण और देखभाल सुनिश्चित करेंगे जो उसके कल्याण के लिए आवश्यक हो और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी उपयुक्त वैधानिक तथा प्रशासनिक उपाय करेंगे।
- 4.राज्य यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे को उसके माता—िपता की इच्छा के विरूद्ध उनसे अलग नहीं किया जाएगा, जिसका अपवाद मात्र वह स्थिति होगी जब सक्षम प्राधिकारी लागू किए जाने योग्य कानून और प्रक्रियाओं के अनुसार यह निर्णय करें।

- 5. बच्चे की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इस अधिकार में किसी प्रकार की सीमाओं की कोई बाधा माने बिना, मौखिक या लिखित अथवा मुद्रित रूप में या कला के रूप में या बच्चे की पसंद के अन्य माध्यमों से सभी प्रकार की जानकारी और विचार प्राप्त करने और संप्रेषित करने का प्रयत्न करने तथा उन्हें प्राप्त और संप्रेषित करने की स्वतंत्रता के अधिकार का समावेश होगा।
- 6. किसी भी बच्चे के निजीपन, परिवार या घर या पत्र—व्यवहार में मनमाना या गैर कानूनी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और न उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर कोई गैर—कानूनी प्रहार किया जाएगा।
- 7. बच्चे के अपने माता या पिता या दोनों या कानूनी अभिभावकों या उसकी देखभाल के लिए जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति की देख—रेख में रहते हुए उसे सभी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हिंसा से, चोट या दुरूपयोग से, उपेक्षा या उदासीन व्यवहार से, दुर्व्यवहार या शोषण से, जिसमें लैगिक दुर्व्यवहार भी शामिल है, बचाने के लिए पक्षकार राज्य सभी उपयुक्त वैधानिक प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षिक उपाय करेंगे।

### 3.9 भारतीय शिक्षा पर मानवाधिकार का प्रभाव

मानव अधिकार में ज्ञान की आधारशिला या भावना का बीजारोपण प्राथमिक स्तर पर ही करना आवश्यक है क्योंकि इस अवस्था का प्रभाव बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व व कृतित्व पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस तथ्य पर ध्यान केन्द्रित किया गया कि शिक्षण का आधार बाल केन्द्रित शिक्षा होना चाहिये। शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में प्रारम्भिक चरणों में सीखने के अभिन्न अंग के रूप में खेल विधि, क्रिया विधि ज्यादा प्रभावी रहती है। प्रारम्भिक स्तर पर उच्च कक्षा स्तर पर विद्यार्थियों कों वीर और राष्ट्रभक्तों के संदर्भ में वीरांगनाओं की कथाऐं, अधिकार, कर्त्तव्य की जानकारी, लोकतन्त्र, समाजवाद, धर्मिनरपेक्ष राष्ट्र आदि के संदर्भ में सम्पूर्ण जानकारी दी जाती हे। मानवाधिकार शिक्षा से सम्बद्ध जागृति व जानकारी उपलब्ध करवाने के लिये जनसंचार साधनों का भी अधिकतम उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सेमीनार, विचार-विमर्श, वाद-विवाद प्रतियोगिता, प्रतिवेदन तैयार करना आदि के माध्यम से भी मानवाधिकार की शिक्षा दी जा सकती है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, इस हेतु क्षेत्रीय भाषण के अनुरूप इनको तैयार करने पर बल दिया जाता है।

# उच्च स्तर पर विद्यार्थियों में मानवाधिकार का निर्माण कैसे हो?

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उच्च शिक्षा के समय बालक किशोरावस्था को पार कर युवावस्था में प्रवेश करता है जिस कारण उसमें जिम्मेदारी व दायित्व बोध की भावना का पूर्णतया विकास हो जाता है। ऐसे में मानवाधिकारों की सही जानकारी व समझ विकसित करने में यह महत्वपूर्ण अवस्था है। उच्च स्तर शिक्षा में मानवाधिकार शिक्षा की विचारधारा उत्पन्न करने के लिये निम्न कार्य किये जा सकते हैं:-

1. शिक्षकों का आचरण एवं व्यवहार मर्यादित गरिमापूर्ण हो। राजनैतिक गुटबन्दी व दलवादी या पक्षपातपूर्ण विचारधारा को महाविद्यालय में स्थान ना दिया जाये।

- 2. पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकता. एवं माँग को ध्यान में रखकर तैयार किया जाये व समाज के सभी स्तर के व्यक्तियों रो सहयोग लिया जाये।
- 3. उच्च स्तर पर अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षकों को भी मानवाधिकार के प्रति चेतना रखनी चाहिये।
- 4. महाविद्यालय का वातावरण पूर्णत: प्रजातान्त्रिक, सामाजिक समरसता पर आधारित होना चाहिये। महाविद्यालय में पाठ्य सहगामी प्रवृतियों का आयोजन कर विद्यार्थी अन्तःक्रिया को मजबूत करने का प्रयास किया जाना चाहिये।
- 5. विद्यालय स्तर के समान ही महाविद्यालय स्तर पर समाज की सहभागी हेतु महाविद्यालय अभिभावक सम्पर्क समय-समय पर किया जाना चाहिये।
- 6. मानवाधिकार के संदर्भ में नुक्कड-नाटक, संगोष्ठी, वाद विवाद, विचार विमर्श आदि का आयोजन भी समय-समय पर किया जाना चाहिये।
- 7. महाविद्यालय में शिक्षण विधियों का चयन करते समय अध्यापक को स्वयं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिये। विद्यार्थियों को समस्या समाधान व स्व किया द्वारा सीखने पर बल दिया जाना चाहिये।

### मानवाधिकार एवं शांति की ओर संक्रमण

1993 में मानवाधिकार संबंधी वैशिवक सम्मेलन ने एक तरफ अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा तथा दूसरी तरफ विधि के शासन एवं मानवाधिकार के बीच महत्वपूर्ण संबंध जोड़ने का प्रयास किया। इसने खूनी विद्रोह तथा मानव निर्मित तबाही में तेजी से वृद्धि को रोकने हेतु जरूरी उपंबंधों को पुन: लागू करने पर व्यापक बल दिया। टकराव तथा मानवीय संकट के मूल कारण में मानवाधिकारों के हनन की पहचान करने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने पूर्व चेतावनी क्षमता को मजबूत करने का कदम उठाया। मानवाधिकार हनन के मामलों के आरोपों को निपटाने हेतु शांति कायम रखने की प्रक्रिया में मानवाधिकार के एकी करण द्वारा इसकी योग्यता में वृद्धि करने का प्रयास किया गया है। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय संयुक्त राष्ट्र के विभागों, कार्यालयों तथा कार्यक्रमों के साथ गहरा संपर्क बनाते हैं जो मानवीय सहायता तथा शांति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। इन विभागों में प्रमुख हैं - शांति बनाए रखने के अभियान का विभाग (डी.पी.के.ओ.), मानवीय मामले पर नियंत्रण का विभाग (ओ.सी.एच.ए.) एवं शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय (यू.एन.एच.सी.आर.) इत्यादि।

हाल के वर्षों में कई शांतिपूर्ण अभियान तथा अन्य राजनीतिक प्रयत्नों द्वारा मानवाधिकार के संघटकों का ध्यान रखा गया है, जैसे - कम्बोडिया, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और हैती में मानवाधिकार के मामले को बनाए रखने हेतु शांति प्रक्रिया अपनायी गई। हैती में अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक अभियान 1993 के फरवरी से ही मानवाधिकार के सम्मान को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। अक्टूबर 1994 के दौरान मिशन ने अपने कार्यों का विस्तार करते हुए मानवाधिकार को प्रोत्साहन, नागरिक शिक्षा, चुनावी सहायता तथा संस्था निर्माण आदि के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभानी शुरू की। इसने राष्ट्रीय सत्य एवं न्याय आयोग को समर्थन दिया और हैती के न्यायिक एवं पैनल पद्धित में मजबूती लाने में मदद की।

मानवाधिकार आयोग अल सल्वाडोर एवं ग्वाटेमाला में सैन्य विद्रोह के बाद विश्वास एवं सदभावना के वातावरण को पुन: बनाने में तथा मानवाधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभायी। ग्वाटेमाला में सरकार तथा विपक्षी खेमा के बीच शांति समझौता के अंतिम रूप में आने से दो वर्ष पहले ही 1994 में मानवाधिकार जांच मिशन का गठन किया गया। संयुक्त राष्ट्र का यह जांच मिशन 13 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय कार्यालय तथा 245 अन्तर्राष्ट्रीय स्टाफ के साथ जुड़कर और बड़ा हो गया, मिनुगुआ की क्षेत्रीय उपस्थिति ग्वाटेमाला के अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं से अधिक व्यापक हो गया। हाल के वर्षों में मिशन ने यातना की शिकायतों, अपहरण करना तथा गैरकानूनी गिरफ्तारी के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता पाई।

मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कई मानवाधिकार क्षेत्रीय अभियान स्थापित किए हैं, उदाहरणत: बुरूण्डी, रवांडा, पूर्व यूगोस्लाविया एवं कांगो गणतंत्र आदि में। प्रत्येक मामले में जहां भी मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत या घटना की रिपोर्ट आई, विद्रोहात्मक स्थिति के बाद वहां इनमें विश्वास का वातावरण तैयार करने हेतु तथा मानवाधिकार के सम्मान के लिए प्रयास किए गये। 1990 के दशक के दौरान संयुक्त राष्ट्र के लिए यह एक दुरूह विषय था।

### मानव आधिकार एवं शांति शिक्षा

वर्तमान समय वैश्विक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और वैयक्तिक स्तर पर विभिन्न तनाव और संघर्ष से गुजर रहा है। वैश्विक स्तर पर तेजी से फैलता हुआ उग्रवाद, सामाजिक अलगाव, तनाव, नस्लवाद इत्यादि समस्याएं आज विश्व जगत के समक्ष हैं। मानवाधिकार न सिर्फ वैयक्तिक स्वतंत्रता और गिरमा की रक्षा करता है, अपितु सामाजिक स्तर पर एक समरुपता का भाव भी पैदा करता है। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के मानवाधिकार का सम्मान, सामाजिक समरसता के लिये आवश्यक है। आज की ज्वलंत समस्याओं के केन्द्र में कहीं न कहीं मानवाधिकार की समस्या निहित है, चाहे वह नस्लवाद के रुप में हो अथवा बढ़ते हुये उग्रवाद के रुप में। व्यक्ति के वैयक्तिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सामूहिक अधिकारों का अतिक्रमण कहीं न कहीं उसे नकारात्मक दिशा की ओर ले जाता है। परन्तु यहां यह भी कहना समीचीन होगा कि, सिर्फ यही पक्ष समस्याओं के लिये उत्तरदायी नहीं है अपितु यह एक महत्वपूर्ण कारकों में एक है।

व्यक्ति और समाज का विकास उसकी सुरक्षा से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा विकास के लिये आवश्यक है, और सुरक्षा के लिये विकास। वास्तव में यह विभिन्न बहुलताओं द्वारा, अपनी इच्छाओं और मांगोका विभिन्न स्तरों पर उचित स्थान के लिये संघर्ष के रुप में प्रस्फुटित और परिलक्षित होता है। समुदाय की इच्छाओं और मूल्यों को राजनैतिक और सामाजिक संरचनाओं से जोड़कर एक सुरक्षा का भाव पैदा करना चाहिये, और ये सुरक्षा का एहसास मानवाधिकारों के उचित सम्मान द्वारा ही सम्भव है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर भी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सुरक्षा और वैश्विक मानवाधिकारों के मध्य गहरे सम्बन्ध को दर्शाता है।

मानवाधिकारों का संरक्षण और उसको बढ़ावा देना संयुक्त राष्ट्रसंघ के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में रहा है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में भी यह आधारभूत सिद्धान्त के रुप में रहा है। चार्टर की प्रस्तावना, व्यक्ति के मूलभूत मानवाधिकार, उनके गरिमा, उनके अस्तित्व और पुरुष तथा महिला के समान अधिकारों के प्रति अपना विश्वास प्रकट करती है। मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र मानवाधिकारों के प्रति सम्मान और व्यक्ति के गरिमा को विश्व में स्वतंत्रता न्याय और शान्ति का आधार मानता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अपने अस्तित्व के समय से ही (1945 से) यह निरंतर प्रयास रहा है कि. विभिन्न माध्यमों से आर्थिक. सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य मानवीय उपायों द्वारा मानवाधिकार को पुष्ट करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का सकारात्मक समाधान ढूंढा जाय। वैश्विक समाज के व्यक्ति को "भय से स्वतंत्रता" तभी प्राप्त हो सकती है, जब व्यक्ति के मानवाधिकार को सुरक्षित रखा जाय। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 55 और 56 सदस्य राष्ट्रों को मानवाधिकार को मानने और उनके प्रति सम्मान के लिए बाध्य करते हैं। चार्टर का अनुच्छेद 62 और 68 भी संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता और विश्वास को दर्राता है। यद्यपि संयुक्ता राष्ट्र का चार्टर और उसके अंतर्निहित सिद्धांत मानवाधिकारों के प्रति विश्वास और निष्ठा को दर्शाते हैं और अपने विभिन्न उपबंधों में सदस्य राष्ट्रों को मानवाधिकार के प्रति सजग रहने को कहते हैं, तथापि व 1976 के मानवाधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा ¼ International Bill of Human Rights) के अस्तित्व में आने तक संयुक्त राष्ट्र चार्टर में मानवाधिकार के विभिन्न उपबंध विधिक प्रकृति के नहीं थे। इस कमी को दूर करने के लिए, मानवाधिकारों के विभिन्न उपबंधों को जोड़ते हुए 1976 में मानवाधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंगीकृत और लागू किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न निकायों की स्थापना कर मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं को संरक्षित करने का यत्न करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न संस्थाएं जो मानवाधिकारों से संबंधितहैं, निम्नवत हैं-

मानवाधिकार आयोग - इस आयोग की स्थापना आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा फरवरी 1946 में हुयी। इस आयोग की स्थापना का उद्देश्य मानवाधिकार संबंधितमुद्दों पर अपनी रखना है। यह उन छह कार्यकारी आयोगों में से एक है, जिसकी स्थापना आर्थिक और सामाजिक ने की है। आयोग को निम्न बिन्दुओं पर सुझाव और रिपोर्ट देने को निर्देशित किया गया-

- मानवाधिकार की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (International Bill of Human Rights)।
- नागरिक स्वतंत्रता संबंधी जिसमें विशेष रूप से महिलाओं की स्थिति, सूचना की स्वतंत्रता
   और अन्य ऐसे मामले ।
- अल्पसंख्यकवर्ग की सुरक्षा के संबंधमें।
- जाति, धर्म, रंग, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर विभेद से सुरक्षा संबंधी।

- अन्य मानवाधिकार संबंधितमामले।
   वर्तमान में इस आयोग में 53 सदस्य हैं। आयोग में बहुमत के आधार पर निर्णय लिए। जाते हैं।
- अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु उप-आयोग।
- महिलाओं की स्थिति हेतु आयोग।
- संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार आयुक्त यह सामान्य सभा द्वारा 20 दिसम्बर 1993 के
   प्रस्ताव द्वारा अस्तित्व में आया ।

मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के प्रमुख उपबंध - 10 दिसम्बर 1948, का मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र आम जनमानस की उसके मानवाधिकारों के संघर्ष की विजय थी। इस घोषणा पत्र में 30 अनु0 हैं। इसके विभिन्न उपबन्धों को निम्न भागों में बाँटकर, मानवाधिकार के पक्ष देख सकते हैं-

- सामान्य- अनु0 1 सभी व्यक्तियों के स्वतंत्र जन्म लेने और गरिमा तथा अधिकारों के समान होने की बात करता है। अनु०2 इस घोषणा पत्र के विभिन्न अधिकारों को सभी व्यक्तियों के जाति, रंग धर्म, भाषा, राजनीति और विचार आदि के विभेद के बिना समान रुप से सभी के लिये लागू करने की बात करता है।
- नागरिक एवं राजनैतिक जीवन जीने का अधिकार एवम् स्वतंत्रता(अनु03), दास प्रथा और देह व्यापार का निषेध (अनु04), अमानवीय व्यवहार पर प्रतिषेध (अनु05), विधि के समक्ष समानता (06 से 11), आने-जाने की स्वतंत्रता (अनु013), विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनु019),इत्यादि एवम् राजनीतिक मानवाधिकार में सम्मिलित है।
- आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक अधिकार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार(अनु022) काम का अधिकार एवम् रोजगार चयन स्वतंत्रता(अनु023), शिक्षा का अधिकार (अनु026) इत्यादि सम्मिलित हैं।
- मानवाधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के अन्तर्गत निम्न समाहित हैं-
- 1. मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948;
- 2. नागरिक और राजनैतिक अधिकारों का कोवेनान्ट, 1966 (कुल 53, उानु0);
- 3. आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का कोवेनान्ट 1966 (कुल 31 अनु0);
- 4. नागरिक और राजनैतिक अधिकारों का अतिरिक्त प्रोटोकाल।

अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की प्रसंविदा 3 जनवरी 1976 से कार्य कर रही है। अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की प्रसंविदा, सार्वभौमिक घोषणापत्र के विधिक प्रकृत के न होने की कमी को दूर करता है। यह एक ऐसी मशीनरी उपलब्ध कराता है जिसमें व्यक्ति मानवाधिकार सम्बन्धी अपनी शिकायत कर सकता है। मानवाधिकारों का संरक्षित एवम् पृष्ट करने की दिशा में 25 जून 1993 का वियना घोषणा पत्र

भी एक महत्वपूर्ण कदम है जो मानवाधिकारों के सर्वमान्यता और अविभाज्यता की वकालत करता है और सबसे महत्वपूर्ण; विकास के अधिकार को मानवाधिकार के रूप में स्वीकार करता है। इसके अतिरिक्त इस दिशा में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रयास किये गये हैं, जिसमें महत्वपूर्ण हैं- मानवाधिकारों का अमेरीकी कन्वेन्शन(1969), यूरोपीय सामाजिक चार्टर, मानवाधिकारों का अफ्रीकी चार्टर (1981), यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग के लिये हेलसिंकी एक्ट (1975)तथा अरब मानवाधिकार आयोग इत्यादि।

### 3.10 सारांश

मानव होने के नाते जैविक एवं अजैविक आवश्यकताओं का होना स्वाभाविक है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक (मानव संसाधन) स्रोतों पर निर्भर रहता है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों की व्यवस्था रहती है और सामाजिक व्यवस्था के सारांश के रूप में मानवाधिकार एक ऐसा अधिकार है, जिसके बिना लिए यह आवश्यक भी होता है। एक मानवीय समुदाय का समुचित विकास सम्भव नहीं है। मानवाधिकार एक ऐसा अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव प्राणी होने के नाते प्राप्त हैं। इनके माध्यम से ही व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत. सामाजिक, आर्थिक और आत्मिक आवश्यकताएं पूरी कर पाता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करने में समर्थ हो पाता है।मानव समाज के विकास के वर्तमान स्तर पर ज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास ने भौगोलिक एवं सामाजिक गतिशीलता में तीव्र वृद्धि की है। संचार एवं यातायात के साधनों की गति में तीव्र वृद्धि हो रही है। ज्ञान का अकल्पनीय भंडार इंटरनेट के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। और इसमें निरतंर वृद्धि हो रही है। ज्ञान का स्रोत जन—जन तक पहँचने और पहंचाने का कार्य शिक्षा के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए शिक्षा मानवाधिकार के रूप में स्वीकृत किया जा चुका है। प्रजातत्रीय व्यवस्थाओं में बच्चों को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में आते हैं। भारत में भी बच्चों के इस अधिकार को संवैधानिक रूप से स्वीकार ही नहीं किया गया है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इसका क्रियान्वयन भी किया जा चुका है। मानव अधिकार से आशय सभी व्यक्तियों को बोलने, विचार करने व भ्रमण करने की स्वतंत्रता से है। अर्थात मनुष्यों होने के नाते जो अधिकार दिये जाते हैं उन्हें हम मानव अधिकार कहते है। शिक्षा भी एक मानव अधिकार है जिसका उद्देश्य बालक में मानवता के मूल्यों के संदर्भ में विशिष्ट गुणों का विकास करना है जिससे बालक में विश्व समस्याओं को लेकर उनके समाधान के संदर्भ में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग, सद्भाव व सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जा सके। संयुक्त राष्ट्र चार्टर (1945) में मानव अधिकारों के संदर्भ में विस्तृत व्यवस्था दी गई है जिसका उद्देश्य शिक्षा के अधिकार को समानता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के देश में लागू कर मानव अधिकार चेतना को विकसित करना है। निष्कर्षत: हम कह सकतें हैं कि, मानवाधिकारों के अभाव में समतामूलक समाज का निर्माण नहीं हो सकता और बिना समतामूलक समाज के शान्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। स्थायी और सकारात्मक शान्ति के लिये मानवाधिकार एक आवश्यक शर्त है। मानवाधिकार मानव गरिमा को सुनिश्चित करने और व्यक्ति की अन्तर्निहित क्षमताओं के विकास के लिये आवश्यक है। मानवाधिकारों का पुष्ट एवम् संरक्षित कर हम उग्रवाद एवम् नस्तवाद जैसी समस्याओं को बहुत हद तक कम कर सकतें हैं। मानव विकास एवम् सुरक्षा के लिये मानवाधिकार एक आवश्यक शर्त है। अन्तत: हम कह सकते हैं कि, वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर शान्ति एवम् विकास के लिये, मानव गरिमा और स्वतंत्रता को बनाये रखने तथा मूल्यों के संवर्धन के लिये मानवाधिकार एक आवश्यक शर्त है।

#### 3.12 अभ्यास प्रश्न

- 1. भारतीय संविधान में कौनसे मूल अधिकार दिये गये हैं? मूल अधिकारों की शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं?
- 2. बाल अधिकार एवं शिक्षा के अधिकार के बारे में आप क्या जानते हैं? लिखें।
- 3. मानवाधिकार के विभिन्न अर्थ क्यों हैं? मानवाधिकार के बारे में अपनी समझ का विश्लेषण करें।
- 4. गैर औपनिवेशिक संघर्षों के विशेष संदर्भ में मानवाधिकार की संकल्पना के अभ्युदय की विवेचना करें।
- 5. मानवाधिकार की संकल्पना के महत्वपूर्ण सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य का अवलोकन करें।
- 6. मानव अधिकार शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिये।
- 7. मानव अधिकारों का शिक्षण मानव के लिये क्यों अनिवार्य है' स्पष्ट कीजिये।
- 8. संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945 के अनुसार बालकों के अधिकारों से सम्बन्धित घोषणाओं को बताइये।
- 9. आप महाविद्यालय स्तर पर मानव पर मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिये क्या प्रयास करेंगे? स्पष्ट कीजिये।
- 10. मानवाधिकार क्या है? इसके विकास के विभिन्न चरणों को बतायें।
- 11. विभिन्न पीढ़ी के मानवाधिकारों की विवेचना करें ?
- 12. 3. मनवाधिकार, समतामूलक विकास की आवश्यक शर्त है। विवेचना करें।
- 13. मानवाधिकार व शान्ति का अंतर्सम्बन्ध क्या है ?
- 14. वैश्विक शान्ति और विकास के लिये मानवाधिकार कैसे और क्यों आवश्यक हैं?
- 15. संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संरक्षण की भूमिका पर टिप्पणी करें।

# 3.13 संदर्भ ग्रंथ सूची

- Shestack, Jerome J., 'The Philosophical Foundations of Human Rights' in Symonides, Janusz (ed.), *Human Rights: Concept and Standards*, Paris: UNESCO Publishing, 2002.
- Kashyap, Subhash C., *Human Right and Parliament*, Delhi : Metropolitan Book Co., 1978.
- Bennett, A. Leroy, *International Organizations : Principles and Issues*, Fourth Edition, New Jersey : Prentice Hall International Editions, 1988.
- Guha Roy, Jayatilak, *Human Rights for the Twenty first Century*, New Delhi: IIPA, 2004.

- Kamenka, Eugene and Tary, A.E.S. (eds.), *Human Rights*, London: Edward Arnold, 1978.
- Browning, Gary K., 'Political Ideologies' in Axford, Barrie, Browning, Gary K., Huggins, Richard and Rosamond, Ben, *Politics : An Introduction*, London: Routledge, 2002.
- Hoffman, John and Graham, Paul, Introduction to Political Theory, New Delhi: Person Education, 2006.
- Brown, Educational Sociology
- Rich Johan Martin, Education and Human Values.
- Thomson, A Modern Philosophy of Education.
- Mathur, S.S., A Sociology Approach to Indian Education.
- पाण्डे रामशुक्ल एवं मिश्र करूणाशंक मूल्य शिक्षण
- Govt. of India: Ministry of Education: Challangers of Education Policy prespective, New Delhi
- Director, Primary & Secondary Education, Rajasthan: Education on Human Rights.
- दाधीच, नरेश (सम्पादित), दुवर्डस् ए मोर पीसफुल वर्ल्ड इन्टरनेशनल एण्ड इन्डियन परस्पेक्टिव, आलेख पब्लिशर्स, जयपुर, 2004
- मिश्रा, ए. डी., एवं एस. नारायानासामी, वर्ल्ड क्राईसिस एण्ड द गाँधीयन वे, कॉनसेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2009
- कृष्ण कुमार रितु एवं कमला रत्तू समग्र गाँधी दर्शन : गाँधी चिन्तन और वर्तमान प्रसंग, अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2009
- रितुप्रिया शर्मा, गाँधी और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2008
- मोहन्ती, जगन्नाथ, ह्यूमन राइटस एडुकेशन, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2008
- दाधीच, नरेश (सम्पादित), विमन, काँफ्लिक्ट रेसोल्यूशन एण्ड कल्चर : गाँधीयन परस्पेक्टिव, अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2003
- कुमार, महेन्द्र, थ्योरिटिकल आस्पेक्ट्स ऑफ इन्टरनेशनल पॉलिटिक्स, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा, 1981
- गौतम, रमेश प्रसाद, मानव अधिकार: विविध आयाम, विश्वविद्यालय प्रकाशन म.प्र. वर्ष 2003.

- राय, अरूणा, भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, वर्ष 2005
- श्रीवास्तव, मुकुल, मानवाधिकार और मीडिया, अटलां टिक पब्लिसर्श, नई दिल्ली, 2007.
- अवस्थी, एस0 के0, मानव अधिकार विधि, ओरियेन्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, 2013.
- सिंह, सुरेन्द्र, मिश्र, पी॰ डी॰, समाज कार्य इतिहास, दर्शन एवं प्रणालियाँ, न्यू राॅयल बुक कम्पनी लखनऊ, वर्ष 2009
- सिंह, सुरेन्द्र, वर्मा, आर॰ बी॰ एस॰, भारत में समाज कार्य का क्षेत्र, राॅयल बुक कम्पनी लखनऊ, वर्ष 2009.

# इकाई – 4

# महात्मा गाँधी और शांति शिक्षा

# Mahatma Gandhi and Peace Education

### इकाई की रुपरेखा

- 4.1 प्रस्तावना
- 4.2 उद्देश्य
- 4.3 गाँधी और शांति शिक्षा
- 4.4 सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर : शांति का वृहद स्वरूप
- 4.5 शांति स्थापना के लिए अपरिहार्य मूल्य
- 4.6 शान्ति के लिये गाँधीवादी विचारधारा
- **4.7** सारांश
- 4.8 अभ्यास प्रश्न
- 4.9 संदर्भ ग्रंथ सूची

### 4.1 प्रस्तावना

विश्व शिक्षक, अक्षर के उपासक, युग विचारक, ब्रह्म के ग्याता, अमरलोक के संदेशवाहक, असत से सत, मृत्यु से अमृत की ओर ले जानेवाला, पर पीड़ा से पीड़ित,देश के सच्चे भक्त,हमारे राष्ट्रपिता, महात्मा गाँधी, अमृतत्व का उपदेशक बनकर, यहाँ जनम लिये। उन्होंने विश्व के जन-समुदाय से कहा,' प्रेम, ग्यान के ग्रंथ को खोलने से नहीं, बल्कि हृदय- ग्रंथि को खोलने से होता है, और वहीं आदमी छोटे-छोटे जीव-जन्तुओं से लेकर बड़े से बड़े प्राणियों के प्रति दया भाव रख सकता है, अन्यथा किसी और के लिए यह संभव नहीं।

हमारे राष्ट्रिपिता, महात्मा गाँधी का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही आदर्शवादी रहा है। उनका मानना था, किसी भी देश और समाज की उन्नित और अवनित, उस देश के प्रयोजनवादी विचारधारा पर आधारित, शिक्षा पर निर्भर करता है। गाँधीजी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, महज साक्षर होना नहीं बिल्क शिक्षा का उद्देश्य, आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति का जिरया होना चाहिये। यह तभी संभव है, जब शिक्षा प्रयोजनवादी विचारधारा पर आधारित होगी। गाँधीजी वर्तमान शिक्षा पद्धित से दुखी रहा करते थे। उनका मानना था, वर्तमान शिक्षा में अध्यापक, विद्यार्थी को योग्य बनाने के दायित्व से रहित हैं। आज के अध्यापक पर विद्यार्थी को योग्य बनाने का भार जितना होना चाहिये, उतना नहीं है। अध्यापक

को प्रशिक्षण एवं चयन में हर विद्यार्थी के गुण, शील-चिरत्र तथा शिक्षण कार्य के प्रति उसके समर्पण भाव का आंकलन करना चाहिये तथा उसके अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिये। मानवीय चिरत्र — निर्माण के लिये भी शिक्षा में आवश्यक पाठ्यक्रम का विकास होना चाहिये। वे चाहते थे, विद्यार्थी के मिस्तिष्क पर किताबों का बोझ कम हो। स्कूल- कालेज़ के प्रवेश एवं नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। विद्यार्थी और शिक्षक, दोनों को ही राजनीति से अलग हो। उनके अनुसार वर्तमान शिक्षा में यित आधारभूत शिक्षादर्शन का सिद्धान्त हो, तो विद्यार्थियों के भटकने से काफ़ी हद तक रोका जा सकता है क्योंकि एक चिंतामुक्त व्यक्ति ही देश का उत्तम नागरिक बनकर अपने परिवार को सुख, समाज को समृद्धि और राष्ट्र को शांति दे सकता है। उनके अनुसार सुंदर-स्वस्थ जीवन बिताने के लिये, शिक्षा में योगशिक्षा का होना अति आवश्यक है। इससे शरीर, मन और हृदय का सामंजस्य बना रहता है जो किसी भी राष्ट्र के स्वास्थ्य से सीधा सम्बन्ध रखता है। भारतीय चिंतकों, ऋषियों- मुनियों ने पृथ्वी के आरम्भकाल में ही इसकी नीव रख दी थी और कहा था,' यह शिक्षा समाज की अलग- अलग परम्पराओं में रहकर भी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तां तरित होती हुई, देश की एक विशिष्ट पहचान के रूप में बनी रहेगी। युख की बात कहिये, भारत का स्वर्णिम अतीत और भारतीयों की अद्भुत जीवंत अभिव्यक्ति का पर्याय यह योगशिक्षा, धीरे-धीरे हमारे समाज से बिल्कुल विलुप्त होती चली गई; कारण, गरीबी,बेकारी जो भी हो।

महात्मा गाँधी एक कर्मठ कार्यकर्ता और महान मानवतावादी थे जिन्होंने पीड़ित मानवता के प्रति अपनी संवेदना और प्रेम को अभिव्यक्त किया और शोषित और पददिलत व्यक्तियों की पीड़ाओं को कम करने की दिशा में सिक्रय कार्य किया। उनका सारा जीवन और कार्य मानव अस्तित्व की सार्वभौमिक समस्याओं का विश्लेषण करने और उनका निराकरण करने के प्रयासों में बीता। इस प्रकार मानवता के लिये किये गये उनके कार्यों ने व्यक्तिगत और सामाजिक बंधनों एवं क्षेत्रीय परिधि से परे सम्पूर्ण विश्व को लाभान्वित किया। शांति सम्बन्धी गाँधीजी का दृष्टिकोण एक सम्पूर्ण, गतिशील एवं प्रासंगिक है। थॉमस वेबर ने ठीक ही कहा है कि गाँधीजी नैतिक जीवन के एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं जिन्होंने हमें मूल्यवान आत्मदृष्टि प्रदान की तािक हम अपने जीवन को स्वयं समाज को अथवा राष्ट्र तक केन्द्रित नहीं रखकर सार्वभौमिक जीवन के प्रति उत्तरदायी व्यवहार करना सीखें।

गाँधीजी के लिये शांति शैथिल्य की स्थिर परिस्थित नहीं है बल्कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें सिक्रय अहिंसा और सत्य पर दृढ़ता के साथ संघर्ष की परिस्थितियों के निराकरण का मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में उन्नित की ओर अग्रसर होता है। शांति के बारे में उनका दृष्टिकोण था कि मनुष्य आत्मिक रूप से जागृत होकर सत्य के मार्ग पर चले एवं हर प्रकार के अत्याचार एवं शोषण से मुक्त जीवन जिए। गाँधीजी के अनुसार इसके लिये आवश्यक है कि व्यक्ति में साहस, अहिंसा के प्रति समर्पण का भाव, नैतिकता एवं सर्वजन हिताय जैसे मूल्य हों और वह घृणा एवं हिंसा को सिद्धान्तत: त्याग दे।

गाँधीजी ने बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत ,शिल्प जैसे करघे पर सूत कातना, बुनाई करना, लकड़ी-चमड़े-मिट्टी का काम, पुस्तक कला, मछली पालना, बागवानी, शारीरिक शिक्षा, बालिकाओं के लिये गृहविग्यान अनिवार्य रूप से आधारित किया। उनके अनुसार,

शिक्षा जब तक व्यवहारिक नहीं होगी, तब तक शिक्षा अधूरी रहेगी। गाँधीजी की यह आदर्शवादी शिक्षा ,जीवन — लक्ष्य की प्राप्ति की प्रेरणा देती है। उनका सोचना था, बालक की रूचि के अनुसार प्रयोजनवादी शिक्षा जो कि उनके भविष्य से सीधा जुड़ा होता है। अगर नहीं दी जाती है तो ऐसी शिक्षा सिर्फ़ साक्षरता को दर्शाती है। उन्होंने लिखा बुनियादी शिक्षा नि:शुल्क हो, जिससे देश का बच्चा- बच्चा ,इससे लाभान्वित हो सके। खर्चीली शिक्षा, समाज के कुछ स्तर के बच्चों तक ही पहुँच पाती है, इसलिए कम से कम बुनियादी शिक्षा मुफ़्त होनी चाहिये। उनके अनुसार—-

- (१) बेसिक शिक्षा की उम्र, सात साल हो,
- (२) शिक्षा का माध्यम, उनकी अपनी मातृभाषा हो, और बालक- बालिकाएँ, दोनों के लिए शिक्षा अनिवार्य हो, (३) सम्पूर्ण शिक्षा आधारभूत हो। शिक्षा आगे चलकर जीवनोपार्जन का जरिया बने।
- (४) बालक और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में कोई अंतर नहीं हो तथा
- (५) सात से चौदह साल के बच्चों की शिक्षा नि:शुल्क हो।

गाँधीजी ने लिखा है कि हमें दुख है कि हम हिन्दुस्तानी होकर भी हिन्दी बोलने से परहेज़ करते हैं। हमारे बच्चों की शुरूआती शिक्षा अँग्रेजी में हो; इस कोशिश में हम लगे रहते हैं। गाँधीजी ने कहा,' अँग्रेजी सीखना बुरी बात नहीं है; पर जब बालक पुख्ता उम्र का हो, तब अँग्रेजी सीखने में कोई हर्ज नहीं; लेकिन शुरूआती शिक्षा अँग्रेजी में हो, यह हम हिन्दुस्तानियों के लिये, अपमान की बात है। हमें अँग्रेजी नहीं अँग्रेजियत से डरना चाहिये लेकिन पश्चिमी सभ्यता वाली शिक्षा, सभ्य समाज के लिये खतरनाक है। लेकिन जिस बात का हमें डर था, आखिर वही हुआ, अँग्रेज तो यहाँ से चले गये लेकिन उनकी अँग्रेजियत रह गई; जो कि आगे चलकर, हमारे समाज के लिये भयावह हो सकती है।

गाँधीजी ने लिखा है,' भारत में सुव्यवस्थित शिक्षा हजारों साल पहले, उत्तर वैदिक काल से ही रही है ; जहाँ शिक्षा का उद्देश्य ,अविद्या का नाश और विद्या की प्राप्ति था। विद्या सुख का पर्याय थी। महात्मा बुद्ध ने समस्त दुखों और पुनर्जन्म का कारण , अविद्या को बताया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद , अर्थवेद तथा नक्षत्रविद्या, सर्प, देवजन आदि कई वेदों के ग्याता होकर भी ,नारद अशांत रहा करते थे। शांति उन्हें तब मिली, जब उपनिषद में सनत कुमार द्वारा उनकी हृदयग्रंथी खुली। अर्थात कोई भी आदमी ग्यानग्रंथ पढ़कर, शांति को पा जायेगा— यह धारणा गलत है। शांति और सुख तब मिलेंगे, जब उसकी ग्रंथी खुलेगी; इसलिए डिग्री / सर्टिफ़िकेट से अधिक हमें व्यक्ति विशेष की योग्यता पर ध्यान देना चाहिये। यही शिक्षा का सच्चा महत्व होगा।

### 4.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप -

- गाँधी और शांति शिक्षा
- शां ति के लिए अपरिहार्य मूल्य
- शांति के लिए गांधीवादी विचारधारा

# 4.2 गाँधी और शांति शिक्षा

गाँधी और शांति एक दूसरे के पर्याय हैं | अत: गाँधी जी के शांति से संबंधित विचारों को जानना आवश्यक है | गाँधी जी, शांति के सम्बन्ध में सम्पूर्ण दृष्टि अपनाते हैं और इसमें व्यक्ति समाज राष्ट्र एवं विश्व एक इकाई के रूप में स्थित होकर आन्तरिक स्तर पर एवं बाह्य स्तर पर शांति की वृद्धि करते हैं।

# व्यक्ति के स्तर पर नैतिक उन्नति के लिये लक्ष्यपूर्ण जीवन

गाँधी दर्शन एवं गाँधीजी के कार्यों का एक महत्वपूर्ण घटक है मानव अस्तित्व एवं उसकी प्रकृति की गहरी समझ। अपने कई पूर्ववर्तियों के समान गाँधी का विश्वास था कि एक व्यक्ति का सम्पूर्ण 'स्व' बाह्य स्व और आन्तरिक स्व से मिलकर बना है। उनके मतानुसार मनुष्य की दो विरासतें होती है - जीव वैज्ञानिक और सामाजिक आध्यात्मिक। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य जानवरों का विकसित स्वरूप होने के साथ-साथ उसके जैविक और सामाजिक के अंदर दैवीय गुण विद्यमान है। चूंकि गाँधीजी का दृष्टिकोण आध्यात्मिक था अत: उनका मानना था कि जैविक और सामाजिक प्रभाव मानव अस्तित्व के नैतिक आचरण के अधीन होते हैं। यद्यपि गाँधी जी वैज्ञानिकों के इस तर्क से सहमत थे कि मनुष्य जानवर का ही विकसित स्वरूप है, वे इस बात से सहमत नहीं थे कि मनुष्य मात्र विकसित जानवर है क्योंकि यह स्वरूप मनुष्य के आत्मिक गुणों एवं दैवीय स्वरूप को प्रकट नहीं करता। गाँधीजी का विचार था कि मनुष्य जानवरों से भिन्न है क्योंकि उसके पास आत्मिक शक्ति है जो उसे सही मार्ग एवं सामाजिक जीवन की ओर ले जाती है। गाँधीजी मानते थे कि यही आत्मिक शक्ति वह परम दैवीय शक्ति है जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में स्थित है एवं जो सभी वस्तुओं और जीवों के अस्तित्व का कारण है। इस प्रकार गाँधी जी के अनुसार मनुष्य का दैवीय स्वरूप उसे एक विशिष्टता प्रदान करता है। गाँधीजी के अनुसार "खाने, सोने और अन्य शारीरिक क्रियाओं में मनुष्य पशु से भिन्न नहीं है नैतिक स्तरों पर पशुओं से ऊपर स्थान प्राप्त करने का अथक् संघर्ष ही ऐसे पशुओं से मनुष्य को भिन्नता प्रदान करता है।"

ईश्वर के प्रति गाँधीजी की आस्था ने मानव जीवन के प्रति उनके विचारों का निर्धारण किया। दैवीयता और आत्मा की श्रेष्ठता पर विश्वास के कारण ही उनके मानव एवं मानव जीवन के बारे में विचारों को आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त हुआ। चूंकि गाँधीजी मानते थे कि मनुष्य का देवत्व ही उसे अन्य प्राणियों से अलग करता है अत: वे इस बात पर हमेशा बल देते थे मनुष्य अपने देवत्व को समझने का प्रयास करें। गाँधीजी मानते थे कि मनुष्य में दैवीयता उसकी आत्मा के रूप में निवास करती है। वे इस बात पर जोर

देते थे कि मनुष्य अपने आत्मिक स्वरूप को पहचाने एवं उसी के अनुसार अपने कार्यो एवं विचारों का निर्धारण करें।

इस प्रकार गाँधीजी का मानना था कि मानव जीवन का लक्ष्य नैतिक गुण जैसे सत्य, अहिंसा, परोपकार, त्याग आदि का विकास करें। गाँधीजी चाहते थे कि मनुष्य स्वयं की शक्तियों को पहचान कर आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्रता का अनुभव करें। बाह्य स्वतंत्रता एवं आंतरिक स्वतंत्रता के अंतर को स्पष्ट करते हुए गाँधीजी का विचार था कि वास्तविक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसमें मनुष्य स्वयं पर शासन करे। उन्होंने इसे "स्वराज" कहा। उनका मानना था कि इस प्रकार की स्वतंत्रता किसी बाह्य माध्यम या परिस्थित से प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके लिये मनुष्य को अपने भीतर ईश्वरीय अस्तित्व को पहचानना होगा और प्रार्थना एवं नैतिक गुणों के विकास के द्वारा इस स्वतंत्रता का अनुभव करना होगा। आत्मिक जीवन जीना और भौतिक समाज का हिस्सा बनना ये दोनों बातें परस्पर विरोधाभासी प्रतीत होती हैं। गाँधीजी का विचार था कि इन दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सीख लें। इस नियंत्रण का प्रभाव उनके अनुसार यह होगा कि मनुष्य भौतिक वस्तुओं के आकर्षण में बंध कर आध्यात्मिक के मार्ग से प्रथक नहीं होगा।

गाँधीजी पूर्व और पश्चिमी दोनों समाजों में फैलती हुई बुराईयों से काफी विचलित थे। उनका विश्लेषण था कि जब तक ये दोनों समाज कुछ निश्चित नैतिक सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं ढल पाते तब तक वास्तविक विकास और मानव की प्रसन्नता का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। इस संदर्भ मे गाँधीजी ने कुछ सिद्धान्तों और मूल्यों का प्रतिपादन किया। गाँधीजी चाहते थे कि लोग अपने निजी एवं सार्वजनिक जीवन में इन सिद्धान्तों के अनुसार व्यवहार करें। उनका मत था कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करने पर मनुष्य स्वयं को आध्यात्मिक रूप से उन्नत और विकसित महसूस करेगा। ये सभी आत्म अनुशासनात्मक मूल्य गाँधीजी की दृष्टि में सच्चा स्वराज स्थापित करने के साधन हैं।

# 4.3 सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर : शांति का वृहद स्वरूप

सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाँधीजी ने कुछ निश्चित सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक कार्यक्रमों की परिकल्पना की और एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, समाज सुधारक और जन नेता के रूप में उन्हें व्यवहारिक स्वरूप दिया। उन्होंने आत्म सुधार को सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सुधारों का प्रारम्भिक चरण माना।

सामाजिक स्तर पर गाँधीजी ने एक सुव्यवस्थिति सामाजिक जीवन की कल्पना की जिसमें उन्होंने समानता, भाईचारा, सहनशीलता और न्याय जैसे मूल्यों को महत्व दिया। अपने 'समुद्रीय तरंग' सिद्धान्त द्वारा व्यक्ति और समाज के पारस्परिक सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों के आधार पर उन्होंने ऐसा समाज स्थापित करना चाहा जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों स्वयं और अपने पास्परिक सम्बन्धों के संदर्भ में शांतिपूर्ण ढंग से रह सकें। उनके अनुसार समाज मनुष्य का पूर्ण स्वरूप है जो नैतिक सिद्धान्तों पर आधारित है। इस समाज में शोषण और बल प्रयोग की मानसिकता नहीं होनी चाहिए समाज सभी लोगों के कल्याण और उन्नति के लिए प्रतिबद्ध होता है। ऐसे समाज में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर सम्पूर्ण समाज के बारे में विचारपूर्ण कार्य करता है। धनी व्यक्ति स्वयं को धन का स्वामी ने मानकर संरक्षक मानता है एवं अपने संसाधनों का उपयोग सभी की भलाई के लिये करता है। उसके सादगीपूर्ण और

नैतिक जीवन में भौतिकवाद का त्याग स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। समेकित विकास का मार्ग अपनाकर लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसे समाज में उत्पादन आवश्यकताओं के अनुरूप होता है और उसमें स्वदेशी, खादी और लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादन जैसे सोच सम्मिलित होते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र एक दूसरे के पूरक होते हैं और अन्त में जब कभी मतभेद उत्पन्न होते हैं तो उनका निराकरण अहिंसात्मक माध्यमों के द्वारा किया जाता है।

राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में राजनीति की क्षेत्र और प्रकृति के पारंपरिक धारणाओं को गाँधीजी के विचारों ने चुनौती दी। उन्होंने राजनीतिक शक्ति के वृहद स्वरूप को ने केवल विचार बल्कि निजी और सार्वजनिक धारणाओं के बीच बनाये गये भेदभावों को भी जमकर विरोध किया। इसके साथ-साथ धार्मिक मूल्यों और राजनैतिक में विरोधाभास नियमों नैतिक सिद्धान्तों तथा राजनैतिक कार्यसाधकता में पृथक्करण का भी विरोध किया।

वे इस बात को अच्छी तरह समझ चुके थे कि आधुनिक समय की राजनीति व्यक्तिगत जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर चुकी थी, यह व्यक्ति के लिये अति आवश्यक हो चुका था फिर भी उनका सोचना था कि धर्म से वंचित राजनीति ने केवल मृत शरीर के समान अनुपयोगी था बल्कि मानव के अस्तित्व के लिये भी घातक था। इसी के परिणामस्वरूप उन्होंने राजनीति में धर्म पर बल दिया अथवा राजनीति के आध्यात्मीकरण पर बल दिया। गाँधीजी के लिये धर्म और राजनीति एक-दूसरे के पूरक थे। धर्म और राजनीति के बीच इस सामंजस्य का अर्थ राजनीति, धर्म और नैतिकता पर आधारित होना चाहिये और इसका अर्थ है कि राजनीति धर्म के सिद्धान्तों द्वारा चलायमान होनी चाहिये। इसका अर्थ यह भी है कि राजनीति को मानव अस्तित्व के लिये मूलभूत मूल्यों एवं सिद्धान्तों को परिलक्षित करना चाहिये। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राज्य का लक्ष्य सर्वोदय होना चाहिये ओर सर्वोदय का अर्थ है राज्य के नागरिकों का विकास, कल्याण और सुधार।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाँधी का मत था कि विश्व व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि सभी राष्ट्र एक-दूसरे से भयभीत ना होकर सह-मित्रभाव से रहें। सभी राष्ट्रों का लक्ष्य होना चाहिए कि किसी प्रकार का शोषण न हो और मानवता के कल्याण के लिये सहयोग और मैत्रीपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना विकसित हो। कोई राष्ट्र पारम्परिक सैना न रखे, सभी देश विवादों के निवारण के लिये युद्ध और अन्य हिंसक माध्यमों को छोड़कर अहिंसा द्वारा समस्याओं का निराकरण करें।

# 4.4 शांति स्थापना के लिए अपरिहार्य मूल्य

गाँधीजी के चिन्तन मे शां तिका विचार मौलिक रूप एक मनोवृति है। विशेष इसका संबंध उचित उद्देश्यों को सिद्ध करने, त्रुटियों को सही करने और गलत काम करने वाले विरोधियों को स्वेच्छा पूर्वक स्वयं गलत रास्ता त्याग देने हेतु प्रेरित करना है। यह आत्मपीडा सहने तथा अहिंसापूर्ण साधनों को धैर्यपूर्वक एवं सिक्रिय प्रयोग करने की दृढ़ इच्छा पर आधारित नैतिक जीवन जीने का मार्ग है।

इसका तात्पर्य है अच्छाई के द्वारा बुराई के विरूद्ध सिक्रय प्रतिरोध तथा संघर्ष का निवारण। गाँधीजी सत्याग्रह के प्रयासों को सर्वथा उचित समझते थे और इसे निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग बताते थे। उनका कहना था कि सत्याग्रह नैतिक रूप से बलवान, साहसी एवं सिक्रय लोगों का हथियार है न कि कमजोर,

कायर निहत्थे तथा असहाय लोगों का। यह नैतिक रूप से कमजोर एवं डरपोक लोगों का संसाधन नहीं है। यह घृणा और हिंसा के त्याग पर आधारित है।

### सत्य की अवधारणा

सत्य की अवधारणा गाँधी-दर्शन का सबसे महत्वूपर्ण आधार है उनके लिये सत्य जीवन का आधार है। अत: सत्य गाँधी चिन्तन का सबसे विशिष्ट और प्रथम सिद्धान्त है। गाँधीजी के अनुसार सत्य को विचारों, सम्भाषणों एवं कार्यों तक विस्तृत किया जा सकता है। गाँधीजी ने सत्य को मात्र आदर्श ही नहीं माना बल्कि उसे व्यावहारिक जीवन में उतारने पर भी बल दिया।

कोई भी व्यक्ति जो सत्य और अहिंसा को अपने जीवन में व्यवहार रूप में उपयोग में लाता है गाँधीजी के अनुसार वही सत्याग्रही है। गाँधीजी ने सत्य की खोज करने और उसके अनुरूप समर्पित रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति को सत्याग्रही माना है। सत्य की खोज के लिये आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि, अनुभव और विश्वास को आधार बनाये। गाँधीजी ने स्वयं अपने जीवन में इन बातों को उतारा और अपने विचारों और कार्यों से सम्पूर्ण मानवता को प्रभावित किया। गाँधीजी के अनुसार सत्य की खोज एक निरंतर प्रयास है जिसका लक्ष्य परम सत्य को प्राप्त करना है। इसी परम सत्य को गाँधीजी ने ईश्वरतुल्य माना है उनके अनुसार प्रत्येक सत्याग्राही को अपने सामने इसी परम सत्य को प्राप्त करने का आदर्श खना चाहिये। चूंकि सत्य सापेक्ष होता है। अत: उन्होंने समय-समय पर अपने दृष्टिकोण का परीक्षण करने पर जोर दिया। इसका अर्थ है कि गाँधीजी के अनुसार सत्य एक गतिशील, बहुआयामी और निरंतर विकासशील प्रकृति का है। उनके अनुसार मनुष्यों में कुछ कमजोरियाँ होना स्वाभाविक है साथ ही उन्होंने यह भी माना कि अंतिम अथवा परम सत्य को प्राप्त करना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। अत: व्यक्ति को सदैव अहिंसा का पालन करना चाहिये। गाँधी जी का मत था कि बिना अहिंसा के सत्य, सत्य नहीं बल्कि असत्य होता है। गाँधीजी ने अहिंसा और सत्य को एक ही सिक्के के दो पहलू माना है अर्थात एक के बिना दूसरे की कल्पना असंभव है।

### अहिंसा का सप्रत्यय

गाँधीजी के अनुसार सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, अहिंसा के सिद्धान्त पर आधारित है। अहिंसा की अवधारणा काफी विस्तृत है। उनके अनुसार मात्र हिंसा की अनुपस्थित ही अहिंसा नहीं है विरोधी पक्ष के प्रति प्रेम और उसके आक्रमणों को बिना किसी बदले की भावना (वाणी, कार्य अथवा विचार) के सहन करना भी अहिंसा है।

गाँधीजी का विश्वास था कि इस प्रकार की दृष्टि तभी उत्पन्न हो सकती है जब अहिंसा को मात्र एक नीति न मानकर अपने जीवन का विश्वास अथवा सिद्धान्त बना ले। निस्वार्थ भाव, और संघर्षों का निवारण करने के लिये सिक्रय प्रयास ही सत्याग्रह को निष्क्रिय प्रतिरोध से भिन्न करता है।

#### नैतिकता

गाँधीजी के विचार में सत्य और अहिंसा की तरह नैतिकता भी शांति के प्रत्येक साधन का अभिन्न अंग है। सत्य और नैतिकता के बीच घनिष्ठ सम्बद्ध की व्याख्या करते हुए गाँधीजी ने सत्य को सम्पूर्ण नैतिकता का आधार बताया। नैतिक नियमों की अनुपालना में गाँधीजी समस्त मूल्यों को अंतर्निहित करते है। सत्य के द्वारा अन्तर्निहित मूल्य सहनशीलता, ईमानदारी, अहिंसा, सार्वजनहित की भावना, जीवन

आत्मनियंत्रण, निष्ठा और अनुशासन आदि हैं। गाँधीजी ने नैतिकता का पालन करने के साथ-साथ ही इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया कि साधन और साध्य दोनों ही पिवत्र होने चाहिये। उन्होंने अपिवत्र साधनों द्वारा पिवत्र साध्य को प्राप्त करना असंभव है। इस प्रकार साधन एवं साध्य की पिवत्रता का आत्म-अनुशासन और आत्म नियंत्रण पर भी बल देता है। इस संदर्भ में उन्होंने इस बात पर जोर दिया सत्याप्रहियों को आस्तेय, अपिर्ग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये। गाँधीजी ने विवादों के निवारण का प्रयास करते समय सत्याग्रहियों के लिये कुछ कठोर शर्ते रखी। इनमें से एक शर्त थी कि सत्याग्रह हमेशा उचित उद्देश्यों के लिये किया जायेगा। सत्याग्रह का अर्थ था सत्य के प्रति समर्पण। अत: उनका मानना था कि असत्य से किसी भी प्रकार का गठबंधन संभव नहीं है। गाँधीजी के अनुसार सत्याग्रह के लिये और कर्तव्य-निष्ठा अत्यावश्यक हैं। कर्तव्यनिष्ठा से तात्पर्य नैतिक मूल्यों पर ना केवल अत्यधिक दृढ़ रहने से था बल्क उसकी उपयोगिता को स्वीकार करने से भी था। उनका मानना था कि सत्याग्रही वही हो सकता है जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो क्योंकि केवल एक व्यक्ति स्वयं को तथा अपने -पास के लोगों को तभी परिवर्तित कर सकता है। जब उसमें नैतिक बल हो और जिसका उपयोग वह को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हो। गाँधीजी सत्याग्रह को एक ऐसा हथियार मानते थे जिसका उपयोग केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास स्थिर बुद्धि, अदम्य साहस और मानसिक शक्ति हो। उन्होंने सत्याग्रहियों को पर्याप्त प्रशिक्षण और रचनात्मक कार्यों से जुड़ने की आवश्यकता बताई।

#### सजगता की अवधारणा

गाँधीजी इस बात पर दृढ़ थे कि शोषित व्यक्ति अपने प्रति होने वाले अन्याय और शोषण के प्रति सजग हो न इसीलिये उन्होंने शोषित व्यक्तियों को अपनी आत्मा की आवाज सुनकर अन्यायपूर्ण परिस्थितियों को बदलने के लिये उत्साहित किया उनका यह भी मानना था कि शोषण एवं अत्याचार के विरूद्ध जनमत का निर्माण किया जाये जो अहिंसक साधनों द्वारा शोषण और अन्याय से मुक्ति का प्रयास कर सकें। उनका विचार था कि न्याय और समता की स्थापना के लिये जनमत का निर्माण सत्याग्रहियों कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि जब यह जनमत सामाजिक शोषण के विरूद्ध प्रबल होगा तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अन्याय करने या उसे समर्थन करने की हिम्मत नहीं जुटा पायेगा। इस प्रकार संघर्ष निवारण के लिये गाँधीजी का तरीका था कि सामूहिक प्रयासों एवं जन जागृति। गाँधीजी ने विवाद निवारण के लिए प्रतीक्षा करो और देखों, तथ्यों की पड़ताल करो, यात्रा करो, वार्तालाप करो, मध्यस्थता करो, विरोध सभाएं करो, प्रदर्शन करो, जैसे अनेक उपायों के अपनाने की बात कही।

# सभी के कल्याण की कामना का उद्देश्य

गाँधी के अनुसार विवाद-निवारण का उद्देश्य विरोधियों का कल्याण भी है। इसमें यह बात महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति स्वयं अपना ही नहीं बल्कि अपने विरोधियों का भी शुभचितं कहोता है। विवाद-निवारण के इस तकनीक में इस बात पर बल दिया जाता है कि स्वयं और विरोधी दोनों पक्ष एक-दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव न रखकर विवाद को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हों। गाँधीजी का विश्वास था कि यदि बुरे व्यक्ति के हृदय से बुराई समाप्त की जाए तो इसका परिणाम अत्यन्त शांतिपूर्ण और फलदायी होगा और इसकी अन्तिम परिणित हिंसा में कमी होगी। गाँधीजी के अनुसार शस्त्रों से अधिक शक्ति अहिंसा में होती है और इसके द्वारा किसी संघर्ष में बिना घृणा और कटुता के विजय प्राप्त की जा सकती है। प्रेम की ही

शक्ति है क्योंकि घृणा कभी भी घृणा से नष्ट नहीं की जा सकती। गाँधीजी ने कभी भी विरोधियों को अपमानित करने या हराने के बारे में नहीं सोचा बल्कि प्रेमपूर्वक उनका हृदय परिवर्तन करने के प्रयास किये और अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त की। सत्याग्रह में प्रतिद्वंद्वी को भी अपने समान मनुष्य ही माना जाता है और इसका लक्ष्य भी सभी पक्षों के लिये सर्वमान्य हल निकालना होता है, न कि किसी को अपमानित करने या एकल पक्षीय स्वार्थ पूर्ति का। उन्होंने प्रतिशोध की भावना त्यागने को कहा चाहे इसलिए उसे कितना ही कष्ट क्यों न सहना पड़े। विरोधियों से प्रेम करो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, विरोधियों को अपमानित करने, पीडा पहुंचाने, नीचा दिखाने अथवा हराने की बजाय प्रेमपूर्वक उनके हृदय परिवर्तन करो पीड़ा को अपने कार्य का एक अंग समझो क्योंकि सत्याग्रह पीड़ा को स्वयं सहन करने की प्रवृत्ति हीजन्म देता है न कि किसी ओर को कष्ट पहुंचाने की।

### साहस की अवधारणा

दक्षिण अफ्रीका में गाँधीजी के सत्याग्रह आंदोलन के दौरान हॉस्किन नाम का एक यूरोपियन ने सत्याग्रह को कमजोर लोगों का शस्त्र बताया था। गाँधीजी ने इसे निष्क्रिय प्रतिरोध से भिन्न बताते हुए कहा था, सत्याग्रह एक वृहद अवधारणा है। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह कमजोर लोगों का शस्त्र नहीं है और शारीरिक बल का उपयोग करने वाले लोग साहस का अर्थ नहीं जानते। इस सम्बन्ध में उन्होंने कुछ मौलिक प्रश्न उठाये, जैसे "क्या आप विश्वास करेंगे कि कोई कायर व्यक्ति उस कानून का विरोध करेगा जिसे वह नापंसद करता है? साहस की आवश्यकता कहां है? एक तोप के पीछे खड़े होकर दूसरों के परखच्चे उड़ाने में या मुस्कुराते हुए तोप के सामने जाकर अपने परखच्चे उड़वाने में? वास्तविक योद्धा कौन है? जो मृत्यु को अपने अभिन्न मित्र की तरह साथ रखता हो या जो दूसरों की मृत्यु को नियंत्रित करता हो। उनका मानना था सत्याग्रह बहादुरों का हथियार है, न कि कायरों का। केवल बहादुर व्यक्ति ही सत्य की राह पर अहिंसा अपनाते हुए बढ़ सकता है।

### साधन और साध्य की पवित्रता

गाँधीजी के अनुसार विवाद-निवारण में हमें लक्ष्य प्राप्ति के साधन के प्रति भी सतर्क रहना चाहिये। उनका मानना था कि यदि हम माध्यम का ध्यान रखेंगे, तो लक्ष्य स्वयं अपना ध्यान रखेगा। गाँधीजी ने हमेशा लक्ष्य प्राप्ति के लिये अपनाये जाने वाले साधनों की शुद्धता पर जोर दिया। शुद्ध साधन उपयोग करने वाले व्यक्ति को निराशा अथवा पराजय का सामना नहीं कराता। उनका मानना था कि सफलता का एक लक्षण यह है कि वह बिना कष्ट सहे नहीं मिलती।

# 4.5 शान्ति के लिये गाँधीवादी विचारधारा

गाँधी और उनकी तरह मार्टिन लूथर किंग और अन्य कई लोगों ने अहिंसा के सिद्वान्त के महत्व को समझा और उसकी आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि साधन और साध्य को अलग नहीं किया जा सकता। वे दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। सामाजिक परिवर्तन के लिये उचित माध्यमों का चुनाव करना भी उतना ही आवश्यक है जितना सामाजिक उन्नित के लक्ष्य का प्राप्त करना। गाँधीजी के अनुसार मानव समाज में हिंसा के द्वारा शान्ति स्थापित नहीं हो सकती और ना ही सशस्त्र संघर्षों के बीच लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है। शान्ति को न्याय से अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ न्याय का अर्थ है शोषण

की अनुपस्थित । चाहे यह शोषण अप्रत्यक्ष रूप से ढांचागत असमानताओं के कारण हो रहा हो अथवा प्रत्यक्ष रूप से शस्त्र प्रयोग द्वारा । दूसरे शब्दों में शान्ति का अर्थ है हिंसा की अनुपस्थित । हिंसा मानवीय आवश्यकताओं का अपमान है । वास्तिवक शान्ति, शान्तिपूर्ण (न्यायपूर्ण एवं अहिंसात्मक) माध्यमों द्वारा ही संभव है । इन माध्यमों का लक्ष्य है उन परिस्थितियों का निवारण जो मनुष्य को तुच्छ बनाते हैं और बदले की भावना (जो मानव जीवन को सस्ता बनाती है) के चक्रव्यूह को तोडना है । गाँधीजी मानते थे कि सच्ची और स्थायी शान्ति तब तक संभव नहीं है जब तक लोगों को समान अवसर उपलब्ध नहीं होतें । इस संदर्भमें उन्होंने कहा था :

"आपके पास एक अच्छी सामाजिक प्रणाली तब तक नहीं हो सकती जब तक आप स्वंय को राजनैतिक पैमाने पर कमतर पाते है और आप राजनैतिक अधिकारों के उपयोग के लिये तब तक तैयार नहीं होते है जब तक आपकी सामाजिक प्रणाली बुद्धि और न्याय पर आधारित ना हो। आप की आर्थिक प्रणाली भी तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक आपकी सामाजिक व्यवस्थायें, मापदण्डों के अनुरूप ना हों। अगर आपके धार्मिक विचार निम्न श्रेणी के है तो आप महिलाओं के लिये समान स्थान सुनिश्चित नहीं कर सकते। हम भारत के लोगों को तब तक स्वतंत्र नहीं कर सकते जब तक हम उन्हें समान अवसर प्रदान ना करें"

जब हम गाँधीजी की दृष्टि से शान्ति की बात करते हैं तो हमें गाँधीजी के दर्शन पर ध्यान देना होगा। जॉन रस्किन के अनुसार उनके जीवन दर्शन के तीन प्रमुख सिद्वान्त इस प्रकार :

- शान्ति और लोकतंत्र के लिये संघर्ष का लक्ष्य है सार्वजनिक हित, ना कि सिर्फ बहुसंख्यकों का हिता
- हमें शान्ति स्थापित करने एवं उसे बनाये रखने के लिये त्याग करने की भी आवश्यकता है।
- मात्र राजनैतिक शक्ति ही शान्ति और लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकती। हमें इसके लिये लगातार कार्य करते रहना होगा।

गाँधीजी जब दक्षिण अफ्रीका गये तो उन्होंने देखा कि लोग बुरे-व्यवहार के सामने हार मान चुके थे। अपने नियोक्ताओं के बुरे व्यवहार के कारण कई बंधुआ मजदूर या तो भाग जाते थे या आत्महत्या कर लेते थे। भारत में भी खेतिहर मजदूर इसी प्रकार का व्यवहार सहन करने के लिए अपने आप को अभिशप्त मानते थे और वे इसे अपना प्रारब्ध मान चुके थे। गाँधीजी ने उनमें गरिमा की भावना का विकास किया और उन्हें उचित दिशा देने का प्रयत्न किया। उन्होंने उनकी आत्मा को जगाकर उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाया ओर शोषण से लड़ने के लिये प्रेरित किया। गाँधीजी के इन चुनौतीपूर्ण अभियानों के समान ही दक्षिण अफ्रीका और भारत में स्वतंत्रता के लिये संघर्षों के प्रति वही प्रतिक्रिया दिखाई दी। हजारों लोग अपनी दयनीय दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये सडकों पर उतर आये। यह विचार करने योग्य बात है कि दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार के कार्यो को हिंसक बताया गया जबिक वहां जारी शोषण और हजारों लोगों की मृत्यु पर बहुत कम प्रतिक्रिया हुई। हम देखते हैं कि विभिन्न दल शान्ति-समझौते के लिये तत्पर होते है किन्तु इनमें बहुत सी मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं होता।

आज जब हम 21 वीं सदी में पहुंच चुके हैं तो ऐसी अवस्था में सम्पूर्ण विश्व में शान्ति की अत्यधिक आवश्यकता है। अत: गाँधीजी का जीवन और उनका दर्शन आज और अधिक प्रासंगिक एवं सामयिक हो गया है। पिछले विश्व युद्ध के समय गाँधीजी ने इंग्लैण्ड को सलाह दी कि वे शस्त्रों से हिटलर का मुकाबला ना करें। उन्होंने कहा इसका परिणाम यह होगा कि हिटलर की सेना इंग्लैण्ड में प्रवेश कर जायेगी। वह उन्हें इंग्लैण्ड में प्रवेश करने दें किन्तु हर इंग्लैण्डवासी को आक्रामक सेना के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना होगा। गाँधीजी का मानना था कि कोई भी शासक जनता के सहयोग के बिना लम्बे समय शासन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इसके लिये लोगों को स्वयं को व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा के लिए तैयार करना होगा।

गाँधीजी ने भारत के विकास के लिये इन लक्ष्यों को निर्धारित किया और ये लक्ष्य आज भी उतने व्यावहारिक हैं। जब हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे तभी हम कह सकते है कि हमने अपने देश में शान्ति स्थापित कर ली है। यह वह शान्ति होगी जिसके लिये गाँधीजी जीये, जिसके लिये गाँधीजी ने कार्य किया और जिसके लिये गाँधीजी ने स्वयं का बलिदान दिया।

#### 4.6 सारांश

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गाँधीजी ने शान्ति की एक समग्र दृष्टि अपनायी है। उन्होंने इसे व्यक्ति के मूल अस्तित्व को पहचान उसके सद्गुणों के विकास की बात की। इसके साथ-साथ सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे ही सद्गुणी व्यवस्थाओं का मूर्तिकृत रूप प्रतिपादित किया। शान्ति-निर्माण की दृष्टि से ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण और अपिरहार्य हैं। उन्होंने शान्ति को किसी सीमा की पिरिध में नहीं बांधा बल्कि शान्ति को सिक्रय एवं अहिंसक सहभागिता के द्वारा संघर्षों के निवारण की प्रक्रिया के रूप में देखा और इसे कुछ निश्चित नैतिक सिद्धान्तों के साथ जोड़ा जो विभिन्न प्रकार के संघर्षों के स्थायी एवं प्रभावी समाधान उपलब्ध कराते हैं। शान्ति स्थापना की दृष्टि से ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण और अपिरहार्य हैं। इस प्रकार शान्ति प्राप्त करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण दो कार्य, शान्ति-निर्माण और शान्ति-स्थापना के सम्बन्ध मे गाँधी एक उपयोगी एवं व्यावहारिक दृष्टि प्रदान करते है।

# 4.7 अभ्यास प्रश्न

- 1. गाँधी के शान्ति सम्बन्धी विभिन्न आयामों पर एक लेख लिखिए।
- 2. शान्ति स्थापना के लिए आवश्यक गाँधीवादी मूल्यों पर एक लेख लिखिए।
- 3. संघर्ष निवारण और शान्ति की विभिन्न सत्याग्रही तकनीकों का वर्णन कीजिए।

# 4.8 संदर्भग्रंथसूची

- दाधीच, नरेश (सम्पादित), टुवर्डस् ए मोर पीसफुल वर्ल्ड : इन्टरनेशनल एण्ड इन्डियन परस्पेक्टिव, आलेख पब्लिशर्स, जयपुर, 2004
- अय्यर, राघवन, द मोरल एण्ड पोलिटीकल थॉट ऑफ महात्मा गाँधी, ओ. यू पी., दिल्ली,
   1973

- धवन, पी. एन, "द पोलिटीकल फिलास्फी ऑफ महात्मा गाँधी", सस्ता साहित्य मण्डल, मुम्बई, 1990
- दास, रतन, द ग्लोबल विशन ऑफ महात्मा गाँधी, सरूप एण्ड सन्स, नई दिल्ली, 2005
- अय्यर, राघवन, एवं अन्य, गाँधी एण्ड ग्लोबल नॉनवायलेन्ट ट्रान्सफोर्मेशन, गाँधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली, 1994
- मिश्रा, ए.डी. एवं नारायानासामी एस., वर्ल्ड क्राईसिस एण्ड द गाँधीयन वे. कॉनसेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2009
- कुमार, बी. अरूण, गाँधीयन प्रोटेस्ट, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर, 2008
- सिंह, रामजी, गाँधी और भावी विश्व व्यवस्था, कामनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2000
- ऑस्टरगार्ड, जेफरी, नानवायलेन्ट रेवल्यूशन इन इण्डिया, गाँधी पीस फाऊण्डेशन, नई दिल्ली, 1985
- शंकधीर एम.एम., अण्डरस्टेंडिना गाँधी टुडे, दीप एण्ड दीप पब्लिशिंग, नई दिल्ली, 1996

# इकाई -5

# शान्ति शिक्षा और विद्यालय में संघर्ष निवारण Peace Education and Conflict Resolution in Schools

# इकाई की रूपरेखा:-

- 5.1 प्रस्तावना
- 5.2 उद्देश्य
- 5.3 परिभाषा
- 5.4 शान्ति शिक्षा का संप्रत्यय
- 5.5 विद्यालय संघर्ष क्या है?
- 5.6 विद्यालय में संघर्ष के कारण
- 5.7 विद्यालय में संघर्ष के निवारण
- 5.8 संघर्ष निवारण हेतु सुझाव
- **5.9** सारांश
- 5.10 अभ्यास प्रश्न
- 5.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

#### 5.1 प्रस्तावना

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है | प्रत्येक मनुष्य को अपना अधिकांश समय समाज के साथ गुजारना होता है | समाज मनुष्य के लिए रीति रिवाज तय करता है तथा उन्हीं रीति रिवाजों के आधार पर व्यक्ति अपनी दिनचर्या निर्धारित करता है | धीरे-धीरे समाज का विकास होता है | उसमें नई-नई गतिविधियां एवं समय के अनुसार विकास होता है | आज मनुष्य का सामाजिक जीवन अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गया है तथा उसे अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है |

आज विश्व की भौतिक प्रगति ने दिन प्रतिदिन आने वाली कठिनाइयों से लड़ने के लिए मनुष्य को दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है | आज प्रत्येक परिवार एवं युवा के सामने अपने परिवार का पालन पोषण करने तथा आत्मिनर्भर बनाने के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर दी है | कुछ जागरूक व्यक्ति एवं स्वयं सेवी संगठन अथवा विपक्षी दल सरकार के विरोध में अपनी आवाज भी उठाते हैं लेकिन सरकारी दमन चक्र के कारण इनकी आवाजें दबकर रह जाती है |

हमारा देश विश्व का एक महत्त्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा लोकतंत्र है लेकिन हमारी राजनीतिक व्यवस्था ने देश में सामाजिक अशांति और संघर्ष का वातावरण बना रखा है। सामाजिक संघर्ष और तनाव के कई महत्त्वपूर्ण पहलू है जिससे पूरे देश की प्रगति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है | समाज में नैतिक मूल्यों का व्यावहारिक रूप में उपयोग किया जाय तो इससे एक अच्छे समाज की रचना की जा सकती है | प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सामाजिक एवं एक दूसरे से सौहार्द्रपूर्ण संबंध नितांत आवश्यक है | एक अच्छे समाज का तथा अच्छे समाज से अच्छे व्यक्ति का निर्माण होता है |

तनाव या संघर्ष व्यक्ति की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है | यह उसमें उत्तेजना एवं असंतुलन उत्पन्न कर देता है एवं उसे परिस्थिति का सामना करने के लिए क्रियाशील बना देता है | इस प्रकार देखा जाए तो संघर्ष या तनाव कोई बुरी अवस्था नहीं अपितु समस्या समाधान को जन्म देने वाला उपकरण है | इस संघर्ष /तनाव के कई रूप होते हैं | उनमें से सामाजिक , मनोवैज्ञानिक एवं राजनैतिक संघर्ष /तनाव मुख्य है |

भारतीय समाज बंद व्यवस्था वाला समाज है | जिससे जाति , धर्म , वर्ग आदि विभिन्नताओं का बोलबाला है | जिससे समाज में कई प्रकार के संघर्ष उत्पन्न हो गए है | इन संघर्षों के कारण व्यक्ति अपने अस्तित्व को पाने एवं उसे उभारने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है | इस संघर्ष से उसमें समाज के प्रति एक असंतुलन उत्पन्न हो रहा है , जो उसमें तनाव या द्वंद्व उत्पन्न कर रहा है | इन्हें सामाजिक संघर्ष/तनाव की संज्ञा दी जा सकती है|

समाज में बढ़ते तनाव व द्वंद्व का मुख्य कारण है मनुष्य में असुरक्षा का भाव अर्थात समाज में अपने प्रतिष्ठा , सम्मान ,रुतबे के लिए निरंतर भौतिक , आर्थिक विकास के लिए तत्पर व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा के टूटने की असुरक्षा से तनाव होता है | मानसिक रूप से जब उसे उच्चता का भ्रम हो जाता है तो उसे अपने भ्रम के टूटने से तनाव होता है | भौतिकता की चकाचौंध में व्यक्ति अधिकाधिक धन , शौहरत , शान , प्रतिष्ठा , उच्च पद की परस्पर हौड में लगा है , जिनके पूरा ना होने पर उसमें मानसिक तनाव , पारिवारिक खिंचाव , असामाजिक प्रवृतियां जैसी समस्याओं का जन्म हो जाता है |

इसके साथ ही समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ता राजनैतिक हस्तक्षेप भी सामाजिक संघर्ष को जन्म दे रहा है। प्रत्येक स्तर पर आरक्षण की मार , भ्रष्टाचार , अनैतिक कार्यों के फलस्वरूप आम आदमी स्वयं को समाज में असुरक्षित महसूस करता है । उसे घर परिवार , नौकरी ,प्रतिष्ठा की असुरक्षा भावना निरंतर तनाव , कुण्ठा , भय , अवसाद इत्यादि की और ढकेलती है जो धीरे-धीरे समाज में शारीरिक व मानसिक व्याधियों को उत्पन्न कर रही है । लेकिन ऐसा तभी होता है जब तनाव का समुचित सुनियोजन नहीं हो पाता । यदि सुनियोजन की रीति नीति अपनाई जावे तो व्याधियों के अभिशाप पैदा करने वाला तनाव उपलिब्धियों के वरदान में बदल जाता है बस इसके लिए हमें समुचित जीवन रस , विधेयात्मक चिंतन और उपयुक्त जीवन शैली इस्तेमाल करनी होगी।

भारतीय समाज में सामाजिक, आर्थिक ,राजनैतिक संघर्ष के अलावा जो मुख्य संघर्ष या तनाव है वो है विद्यालय में चलने वाला संघर्ष। विद्यार्थियों के साथ अध्यापकों व अभिभावकों को भी उस संघर्ष का सामना करना पड़ता है जिसका मूल कारण होता है विदयार्थियों का अमर्यादित व्यवहार, उनकी संवेगांत्मक अस्थिरता, जिम्मेदारी की भावना का अभाव तथा सम्प्रेषण की कमी आदि।

बालक का विकास सुव्यवस्थित वातावरण में ही संभव है तथा बालक के आस-पास का वातावरण उसे अनेक प्रकार से प्रभावित करता है | आज प्राय: देखा जा रहा है कि बालक के आसपास का वातावरण जितना सुव्यवस्थित होना चाहिए वह नहीं है जिससे विभिन्न प्रकार के विचार बालक के मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं और उनके मायूस मन में अशांति उत्पन्न करते हैं | अशांति अनिर्णय कि परिणित है ऐसी स्थित में बालक भटक जाता है और वह समझ ही नहीं आता की उसके लिए क्या गलत है और क्या सही | भावी राष्ट्र निर्माता विद्यार्थी ही है | लेकिन उनके मानसिक दवंद की स्थिति में ये कहना बहुत मश्किल है कि वो राष्ट्र व समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण को स्थापित कर सकेगे या नहीं जिससे सुविकसित राष्ट्र के स्वप्न को ग्रहण लगता नजर आ रहा है | जब तक द्वेष , तनाव तथा संघर्ष जैसी स्थितियों को तथा अनसुलझे विवादों को सुलझाने के लिए अहिंसात्मक अर्थात् शांति के उपाय खोजने के कौशलों पर आधारित पाठ्यक्रमों का निर्माण नहीं होगा तब तक सामाजिक तनावों से ग्रसित भारत अशांत और ठगा सा महसूस कर कमजोर होता जायेगा | समय रहते यदि शांति का मूल्य नहीं पहचाना तो वर्तमान आधुनिक समाज में हिंसा का स्वरूप निःसंदेह सामने जाता रहेगा | शांति शिक्षा का फैसला कर विश्व में परिवर्तन लाना चाहिए | हमारी शिक्षा प्रेम , जीवन कौशल व मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए | बालमन में अहिंसा व शांति के बीजों का अंकुरण एक शिक्षक ही कर सकता है |

# 5.2 उद्देश्य

- विद्यार्थी शान्ति शिक्षा के संप्रत्य को समझ सकेंगे ?
- विद्यार्थी विद्यालय संघर्ष क्या है, को समझ सकेंगे ?
- विद्यार्थी विद्यालय संघर्ष के कारणों को ज्ञात कर सकेंगे?
- विद्यालय संघर्ष के कारणों के निवारणों को समझ सकेंगे ?
- विद्यालय में संघर्ष निवारण हेतु अपने सुझाव व्यक्त कर सकेंगे ?

# 5.3 परिभाषा

1. "Since war begins in the mind of men, it is in the minds of men that the defense of peace must be constructed."

-- Preamble to constitution of UNESCO

2. "Peace is not the absence of war but the presence of justice".

---Martin Luther King

3. "If we have to teach real peace in the World we shall have to begin with children".

--M.K. Gandhi

4. "शान्ति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोण और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो प्रकृति और मानव जगत के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए आवश्यक है"

----National Curriculum Framework –2005

### 5.4 शान्ति शिक्षा का संप्रत्यय

शान्ति शिक्षा का संप्रत्य मनुष्य के चित्त (मन) व कर्म दोनों का प्रतिनिधित्व करता है| अशांत व अवसादग्रस्त चित्त और सकारात्मक पिरणामों को अनदेखा करता कर्म , शान्ति का पर्याय नहीं हो सकता| शान्ति का पर्याय विशालता लिए मन और मस्तिष्क से है जिसमे दूसरों के लिए अपार स्नेह, करुणा, मानवीयता , दया हो और स्विहतकारी की भावना हो | शान्ति शिक्षा का आशय उन नियमों, निर्देशों आदि से है जो समाज में शाित व्यवस्था को बनाये रखने में सहायता करते है | इसके अंतर्गत वे सभी उपाय एवं गतिविधियाँ आती है जो समाजिक व्यवस्था को कलह व विवाद से बचाने में सहायता करती है | शान्ति शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है इसे शब्दों में बाँधना बहुत किन है | शान्ति शिक्षा का आशय शिक्षण के उन सभी प्रयासों से भी है जो शान्ति की इच्छा की पूर्ति करते है, संघर्षों को समाप्त करने के लिए अहिंसक उपाय बताते है तथा असमानता एवं अन्याय को उत्पन्न होने से रोकने के लिए मानव में विभिन्न कौशलों का विकास करते है | शान्ति शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति विशेष का शान्ति के समर्थको के मध्य आत्मविश्वास उत्पन्न किया जाता है , जो कि छात्रों को युद्ध एवं सामाजिक न्याय के प्रभाव , शान्ति के मूल्यों ,एवं सामाजिक सरंचना के आदर्श स्वरूप का ज्ञान , सम्पूर्ण विश्व के प्रति प्रेम , शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण तथा स्वयं एवं अन्य लोगों की देखभाल संबंधी गतिविधियों एवं सूचनाओं को प्रदान करते है |

शान्ति शिक्षा की अवधारणा हमारी शिक्षा व्यवस्था में प्राचीन काल से ही है |

शान्ति शिक्षा एक ऐसी प्रभावी आचार संहिता है जो प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, राजनैतिक , पर्यावरणीय एवं आध्यात्मिक आचरण का आदर्श रूप दिखाती है , जिसके आधार पर व्यक्ति मानसिक शान्ति प्राप्त करता है तथा दूसरे लोगों की देखभाल करने में सक्षम होता है |

शान्ति शिक्षा के द्वारा बालकों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है | तथा बुनियादी ढाँचे को रूप देने के लिए शान्ति शिक्षा की शिक्षा प्रारंम्भिक अवस्था से ही आवश्यक है | जो कि उसके आचरण को व व्यवहार कौशल को श्रेष्ट बनाती है, जिससे सामाजिक एकता के विकास को बल मिलता है | शान्ति शिक्षा का लक्ष्य समाज की महत्वाकाक्षाओ व आवश्यकता के साथ नैतिक मूल्यों, संस्कारों , शीलगुणों सिहत मानवीय आदर्शों को भी प्रतिबिम्बित करना है | शान्ति की सलाह प्रत्येक शिक्षित एवं योग्य व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती थी | वर्तमान समय में अशांति की स्थिति ने इस शिक्षा को प्राथमिक स्तर से ही प्रारम्भ करने के लिये विवश कर दिया है | बालक के मन मस्तिष्क पर प्राथमिक स्तर से ही शान्ति एवं अहिंसा की भावना का बीज रोपित कर दिया जाए तो निकट भविष्य में सम्पूर्ण विश्व में शान्ति का साम्राज्य होगा | सामान्य रूप से शिक्षा ही शान्ति का प्रमुख साधन मानी जाती है | शिक्षित व्यक्ति से ही मर्यादित आचरण की अपेक्षा की जाती है | जब शिक्षा का स्वरूप शान्ति व्यवस्था स्थापित करने के लिए निर्धारित किया जाता है तो उसमे विशेष प्रकार की गतिविधियों का समावेश किया जाता है | इन गतिविधियों से शिक्षा को शान्ति शिक्षा में परिवर्तित कर दिया जाता है | जैसे शिक्षा के पाठ्यक्रम में आदर्शवादी मूल्यों तथा नैतिक एवं मानवीय शिक्षा का समावेश कर दिया जाता है तो सामान्य शिक्षा ही शान्ति शिक्षा का रूप धारण कर लेती है | शिक्षा का उपयोग शान्ति के लिए करना वर्तमान युग की शान्ति शिक्षा का रूप धारण कर लेती है | शिक्षा का उपयोग शान्ति के लिए करना वर्तमान युग की

महत्वपूर्ण आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान समय में समाज में बढ़ती हुई हिंसा , आराजकता , विद्यार्थियों में बढ़ता हुआ असंतोष , तनाव से समाज व राष्ट्र पतन की और बढ़ रहा है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शान्ति शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है इसमें उन सभी प्रयासों को सिम्मिलित किया गया है जो कि मानव के सर्वांगीण विकास का आधार प्रस्तुत करते है तथा समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अन्याय, असमानता, विवाद एवं कलह को समाप्त करते है।

# 5.5 विद्यालय संघर्ष क्या है?

आज विश्व में जहां चारो और अशांति का वातावरण बना हुआ है, जाति एवं धर्म के नाम पर हिंसात्मक संघर्ष हो रहा है, वहाँ शान्ति की भूमिका अहम् है | हिंसा बालको के नैतिक मूल्यों के विकास में बाधा उत्पन्न करती है| शान्ति स्थापित करने की इस प्रक्रिया में शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है | शान्ति शिक्षा का आधार समाज, परिवार, राष्ट्र और मुख्यत: विद्यालय में व्याप्त होने वाले अनसुलझे विवादों तथा हिंसा को रोकने से है | शान्ति शिक्षा दुनिया भर में लोकप्रिय है तथा इसको स्थापित करने में राष्ट्र के नागरिको, समाज व शिक्षक संगठनों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है | बालको में सामाजिक एकता को दृढ बनाने के लिए बालकों में शान्ति शिक्षा के माध्यम से ज्ञान कौशल विकसित करना तथा व्यवहार को प्राप्त करने में शान्ति को एक वैश्विक संस्कृति बनाए रखने की जरुरत है |

आधुनिक युग में विद्यालयों में बढ़ती हिंसा, अश्लीलता, प्रदूषित राजनैतिक वातावरण, पाश्चात्य सभ्यता के कुप्रभाव आदि कारणों से प्राय: बालको के नैतिक मूल्यों का पतन होता जा है | प्रतिस्पर्धा व हिंसात्मक वातावरण बालकों में आक्रोश, तनाव व अवसाद उत्पन्न कर देता है जिसका सीधा प्रभाव समाज व राष्ट्र के उत्थान में बाधा उत्पन्न करता है | आज के युग की शिक्षा की प्रक्रिया शिक्षक या शिक्षण पर केन्द्रित नहीं है वरना यह सीखने वाले (शिक्षार्थी)और सीखने की प्रक्रिया (अधिगम )पर केन्द्रित है | युग की मांग के अनुरूप शिक्षा प्रक्रिया व पाठ्यक्रम होना चाहिये।

शान्ति की शिक्षा में आने वाली प्रमुख बाध्यों के रूप में उन तथ्यों को सम्मिलित किया गया है, जो कि एक शिक्षक एवं योग्य व्यक्ति को जिसको समाज के लिये शांतिदूत का कार्य करना चाहिये, पशु बना देते हैं | अर्थात् ये बाधाएँ मानव की विचार शक्ति को नष्ट कर देती है, जिससे व्यक्ति शिक्षित होते हुए भी गलत कार्य करने लगता है | उदाहरण के लिये पाकिस्तान द्वारा पढ़े-लिखे कश्मीरी युवकों को जाति एवं धर्म के नाम पर निर्मिमता से लोगों की हत्या करना सिखाया जाता है तथा उनमें धार्मिक एवं जातिगत उन्माद पैदा कर दिया जाता है जिससे शिक्षा का प्रभाव शून्य हो जाता है | इसी प्रकार की अन्य बाधाएँ भी हैं जो शान्ति शिक्षा को प्रभावित करती हैं |

विद्यालयों में भी ऐसी बहुत सी समस्याओं और संघर्षों का सामना विद्यार्थी, उनके अभिभावकों ,स्कूल प्रशासन और विशेषत: शिक्षकों को करना पड़ता है | विद्यालय में चलने वाले संघर्षों के बहुत से कारण हो सकते है जैसे कि विद्यालय में छात्रों में आपसी सम्प्रेषण कौशल की कमी, सहन शक्ति की कमी ,सह-अस्तित्व के विकास का अभाव , हिंसा में लिप्त होना, समायोजन की कमी आदि।

# 5.6 विद्यालय में संघर्ष के कारण

विद्यालय में संघर्ष के बहुत से कारण पाए जाते है। जैसे भाषावाद , जातिवाद ,गरीबी, छात्रों में अनुशासन की कमी , मूल्यों व आदर्शों की कमी,अन्धविश्वास,स्वार्थवादिता , नैतिक शिक्षा के महत्व का अभाव, शिक्षा के समन्वित रूप का अभाव , धार्मिक संकीर्णता आदि।

विद्यालय में संघर्ष के कई कारण उपजते है जो कि समाज की शांति में कठिनता उत्पन्न करते है | इस प्रकार की शांति शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का वर्णन निम्नलिखित रूप में किया जाता है।

- 1. स्वार्थवादिता: अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है कि बालकों में स्वार्थवादिता की स्थिति पायी जाती है | बालक विभिन्न परिवारों से विद्यालय में आते है | उनके परिवारों की छाया बालक के कार्य एवं व्यवहार में होती है | दूसरी स्थिति में स्वार्थवादिता मानव का स्वभाव होता है | इसे शिक्षा के माध्यम से ही बदला जा सकता है | स्वर्थववादिता के कारण ही समाज में संघर्ष होते हैं | विद्यालयी व्यवस्था में शिक्षको की स्वार्थवादिता भी शिक्षा के मार्ग की प्रमुख बाधा मानी जाती है | इससे शान्ति व्यवस्था की स्थापना समाज में कुप्रभावित होती है |
- 2. अंधिवश्वास: समाज में अनेक प्रकार की परम्पराएँ चलती हैं, जिनके कारण समाज में शान्ति स्थापित करने में शिक्षा व्यवस्था पूर्णत: असमर्थ रहती है| अनेक समाजों में बिल प्रथा का प्रचलन होता है| इससे व्यक्तियों द्वारा निरीह जानवरों की हत्या कर दी जाती है| इस स्थिति में शिक्षक व्यक्ति भी कभी-कभी बिल प्रथा में संलिप्त हो जाते हैं| इस प्रकार के अन्ध- विश्वासों को शिक्षा व्यवस्था आज तक समाप्त नहीं कर पायी है|
- 3. मूल्यों एवं आदर्श का अभाव : समाज में मूल्य एवं आदर्शों का अभाव पाया जाता है | आज प्रत्येक अभिभावक अपने बालक को आदर्शवादी आचरण की शिक्षा देने के स्थान पर धन कमाने एवं अनैतिक आचरण के लिए प्रेरित करता है | सिद्धां तों एवं आदर्शों से किसी का पेट नहीं भरता | इस अवधारणा से बालकों का आचरण भी अनैतिक हो गया है | विद्यालय में भी बालक अपने गुरुओं के प्रति छल-कपट का व्यवहार करते हैं | शिक्षक द्वारा सदाचार की शिक्षा बालकों को उचित नहीं लगती | परिणामस्वरूप छात्र का व्यवहार आदर्श एवं मूल्यों से रहित होता है | इससे समाज में अशांति उत्पन्न होती है |
- 4. नैतिक शिक्षा का अभाव:- छात्रों में नैतिक शिक्षा के प्रति लगाव नहीं देखा जाता | समाज में भी नैतिकता का आचरण करने वाले व्यक्ति को सम्मान प्रदान नहीं किया जाता | इस स्थिति में शिक्षक भी नैतिकता से युक्त आचरण की शिक्षा के प्रति उदासीन हो जाते हैं | इससे समाज में शांति की स्थिति कुप्रभावित होती है |
- 5. शिक्षा के समन्वित रूप का अभाव:- शिक्षा का उद्देश्य सम्पूर्ण राष्ट्र एवं विश्व में शांति स्थापित करना है | इसके लिये शिक्षा के समन्वित रूप की आवश्यकता होती है | भारत में प्राथमिक शिक्षा का समन्वित रूप दृष्टिगोचर नहीं होता | प्रत्येक राज्य प्राथमिक शिक्षा को

- अपने स्तर से ही संचालित करता है| इससे शान्ति शिक्षा के लिए एक समग्र रुपरेखा तैयार नहीं हो पाती तथा समाज में अशांति की स्थिति होती है|
- 6. भाषावाद:- सभी जानते है की भाषा व्यक्ति का मौलिक अधिकार है प्राय: हमारे देश में भाषा के पक्ष में आन्दोलन होते है इससे राष्ट्रीय एकता तथा सौहार्द को ख़तरा हो गया है | अत: ऐसे भाषावाद को विद्यालय तथा शिक्षा के माध्यम से रोकने का भरसक प्रयास करना चाहिए | भाषावाद का स्वरूप सकारात्मक होना चाहिए और इसमें भारतीय समाज का सहयोग वां छनीय तथा अपेक्षित है|
- 7. जातिवाद:-समान्य रूप से जातिवाद का संबंध उन विशेषताओं के आधार पर होता है जो किसी व्यक्ति के कुटुंब , परिवार ,वंश एवं जाति के आधार पर आंकी जाती है जैसे एक विद्वान के पुत्र से अपेक्षा की जाती है कि वह विद्वान ही होगा क्योंकि वह विद्वान की जाति या वंश में पैदा हुआ है | कुछ विद्वान जातिवाद को उसके कार्य एवं व्यवहार के रूप में परिभाषित करते है | जातिवाद को शान्ति के मार्ग में प्रमुख बाधा के रूप में माना जाता है | शिक्षा द्वारा शान्ति के लिए किये जाने वाले प्रयासों को जातिवाद द्वारा अप्रभावी कर दिया जाता है | इसी तरह विद्यालय में भी विद्यार्थिओ की बीच जातिवाद हावी रहती है | जिससे बालको की शिक्षा प्रभावित होती है वह उनमे हीनभावना बनी रहती है|

#### बोध प्रश्र

- 1. शान्ति शिक्षा का संप्रत्यय क्या है ?
- 2. विद्यालय संघर्ष क्या है ?
- 3. विद्यालय संघर्ष के क्या कारण है ?

# 5.7 विद्यालय में संघर्ष निवारण के उपाय

### 1. मर्यादित व्यवहार:-

संघर्ष निवारण की सबसे प्रभावी विधि मर्यादित व्यवहार है | जब विद्यार्थियों द्वारा नियमों एवं परम्पराओं के विरुद्ध व्यवहार किया जाता है तब विद्यालय में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है | जब विद्यार्थी अपने दायित्वों व जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं करते तब विद्यालय में अशांति उत्पन्न हो जाती है | इसलिए बालको को प्राथमिक स्तर से ही मर्यादित व्यवहार करने की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए |

### 2. सामाजिक संबंधों का सर्वोत्तम स्वरूपः-

अनेक अवसरों पर पाया जाता है कि जब विद्यार्थियों में आपसी संबंध अच्छे नहीं होते संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती रहती है | इसलिए शिक्षा के माध्यम से यह प्रयास होना चाहिए कि छात्रों में सर्वोतम संबंध स्थापित करने की योग्यता विकसित की जाए, जिससे कि संघर्षों से बचा जा सकें |

# 3. सामूहिक परिचर्चा:-

सामूहिक परिचर्चा से भी संघर्षों से बचा जा सकता है | अनेक अवसरों पर छात्र सही तथ्यों एवं निष्कर्षों पर नहीं पहुँच पाते तथा मानसिक संघर्ष की अवस्था में पहुँच जाते है | ऐसी स्थिति में सामूहिक परिचर्चा बहुत जरुरी है |

#### 4. संवेगात्मक स्थिरता:-

शिक्षा के माध्यम से संवेगात्मक सिथरता का विकास बालक में प्राथमिक स्तर से ही कर दिया जाए तो बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना तथा दूसरों के संवेगों एवं भावनाओं का सम्मान करना सीख जाएगा। इस स्थिति में संघर्ष का वातावरण नहीं बनेगा।

#### 5. मनन या चिंतन:-

विद्यालय में किसी संघर्ष उत्पन्न करने वाली स्थिति पर मनन या चिंतन किया जाता है तो उस पर सार्थक विचार उत्पन्न होने लगते है इससे अशान्तिप्रद एवं संघर्ष प्रदान करने वाली परिस्थितियों को समाप्त किया जा सकता है।

# 6. प्रवृत्तियों में परिवर्तन:-

सामान्य रूप से आरंभिक काल में बालक की प्रवृतियां पशु तुल्य होती है वह अपने हित के बारे में सोचता है जब वह बड़ा होता है तो पारिवारिक शिक्षा व विद्यालीय शिक्षा के माध्यम से उसकी प्रवृतियों में परिवर्तन किया जाता है इससे समाज में शान्ति उत्पन्न होगी।

#### 7. व्यावहारिक परिवर्तन:-

विद्यार्थियों का व्यवहार किशोरावस्था में प्रतिकूल व अमर्यादित होता है | शिक्षा के माध्यम से बालको के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है | शिक्षा जगत में व्यवहार परिवर्तन की अनेक विधियां प्रचलित है |

#### 8. व्यापक सोच का विकास:-

सामान्यत: संकीर्ण सोच एवं स्वार्थवादिता से समाज में अशांति उत्पन्न होती है | इसलिए विद्यालय में प्राम्भिक अवस्था में ही बालको में व्यापक सोच व दृष्टिकोण विकसित कर देना चाहिए |

### 9. सर्वोत्तम सम्प्रेषण:-

सर्वोतम मानवीय व्यवहार एवं सामाजिक शान्ति के लिए सर्वोतम सम्प्रेषण की आवश्यकता होती है | शिक्षा के माध्यम से प्रारम्भिक अवस्था में ही सभी छात्रों में सम्प्रेषण कौशल को विकसित कर दिया जाता है | इससे विद्यालय के वातावरण में शान्ति बनी रहती है |

# 10. आवश्यकताओं की पहचान:-

शिक्षा के माध्यम से छात्रों का मानसिक स्तर इतना ऊँचा अवश्य उठा देना चाहिए जिससे छात्र एक दूसरे की आवश्यकता को पहचान सकें तथा उसके अनुसार ही अपने कार्य एवं व्यवहार को निर्धारित कर सकें | इस प्रकार छात्र मानसिक संघर्ष से दूर रहेंगे तथा एक दूसरे के लिए उपयोगी कार्य कर सकेंगे |

#### 11. सकारात्मक सोच का विकास:-

शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में परिवर्तित कर देना चाहिए, जिससे कि बालक संघर्ष की परिस्थितियों में भी अपने आप को सुरक्षित कर सकें | इससे उसका व्यवहार एवं कार्य उपयुक्त होगा |

#### 12. उत्तरदायित्व की भावना का विकास:-

शिक्षा के माध्यम से अगर बालकों में उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य निष्ठा की भावना विकसित कर दी जाए तो वह पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करने लगेगा | इस स्थिति में विद्यालय में किसी प्रकार का संघर्ष उत्पन्न नहीं होगा |

# 5.8 संघर्ष निवारण हेतु सुझाव

विद्यालय में शिक्षा के मार्ग में आने वाली आने वाली अनेक बाधाओं को विभिन्न उपायों/सुझावों से दूर किया जा सकता है , जिससे शिक्षा शांति उत्पन्न करने में समर्थ हो सकती है | शिक्षा को शांति के लिये सक्षम बनाने के लिये निम्नलिखित उपाय/सुझाव अपनाने चाहिये —

- 1. समाज में व्याप्त सम्प्रदायवाद को पूर्णत: समाप्त कर देना चाहिये | इसके लिये शिक्षक को विद्यालय एवं समाज के मध्य सहयोग एवं सहभागिता को बढ़ावा देने चाहिये।
- 2. समाज में व्याप्त जातिवाद को पूर्णत: समाप्त करना चाहिये | इससे समाज को विभिन्न भागों में बंटने से रोका जा सके | इसके लिये विद्यालय में समग्र एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिये जो विभिन्न संस्कृतियों में एकता स्थापित कर सकें |
- 3. समाज में व्याप्त भाषावाद की समाप्ति करनी चाहिये | शिक्षा व्यवस्था में सभी भाषाओं को समाज की आवश्यकता के अनुसार स्थान प्रदान करना चाहिये तथा एक राष्ट्रभाषा का विकास करना चाहिये जो कि सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त की जाती हो | विदेशी भाषाओं को भी पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिये |
- 4. धार्मिक मूल भावना को मानवता एवं नैतिकता का अर्थ समझाना चाहिये , जिससे की समाज में शान्ति स्थापित हो सके | शिक्षा व्यवस्था में अहिंसावादी गतिविधियों को प्रमुख रूप से सिम्मिलत किया जाना चाहिये |
- 5. समाज में अंधविश्वास एवं रुढ़िवादिता के लिये कोई स्थान नहीं होना चाहिये | विद्यालयों द्वारा समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर इसमें अभिभावकों को बुलाया जाय तथा उनकों रूढियों से होने वाली सामाजिक एवं मानसिक हानियों के बारे में समझाया जाए |
- 6. आज का समाज जिन मूल्यों एवं आदर्शों को खोखला कहकर समाज की शांति भंग कर रहा है , शिक्षा के माध्यम से उन आदर्शों को समाज में स्थापित किया जाये , जिससे समाज का आदर्श स्वरूप विकसित हो सके तथा समाज में शां ति स्थापित हो सकती है।
- 7. बालको को प्राथमिक स्तर से ही नैतिक शिक्षा प्रदान की जाय | छात्रों को नैतिक कार्यों के लिये पुरस्कार समाज के गणमान्य व्यक्तियों से वितरित कराये जायें, जिससे समाज में भी नैतिक वातावरण का सृजन हो सके |

- 8. शिक्षा को ज्ञान से ही जोड़ना चाहिये | छात्र विद्यालय में ज्ञान प्राप्ति के लिये जाता है न कि किसी प्रकार के धनार्जन की क्रियाएँ सीखने के लिये | ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही धनार्जन संभव होता है | इससे मानसिक शांति एवं सामाजिक शांति उत्पन्न होती है | इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा के द्वारा शांति स्थापित करने में जितने भी कारण हैं उनको सामुदायिक सहभागिता, सामाजिक सहयोग एवं शिक्षा के व्यवस्थित स्वरूप द्वारा ही दूर किया जा सकता है | इसके लिये शिक्षा व्यवस्था को सारगर्भित एवं नैतिक आदर्शों के अनुरूप बनाना होगा |
- 9. शिक्षा को समाज में समग्र रूप से विकसित किया जाए, जिससे शिक्षा प्रणाली एवं उसके उद्देश्यों में एकरूपता का उदय हो सके तथा समाज में विखंडन की भावना खत्म हो जाए | क्योंकि विखंडन की स्थित में समाज में अशांति उत्पन्न होती है।

इस प्रकार स्पष्ट होता है की शिक्षा के द्वारा शान्ति स्थापित करने में जितने भी कारण है उनको सामुदायिक सहभागिता, सामाजिक सहयोग एवं शिक्षा के व्यवस्थित स्वरूप द्वारा ही दूर किया जा सकता है | इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को सारगर्भित एवं नैतिक आदर्शों के अनुरूप बनाना होगा |

#### बोध प्रश्र:-

- 1. विद्यालय संघर्ष के निवारण हेतु क्या उपाय है?
- 2. विद्यालय में संघर्ष निवारण हेतु सुझाव बताये?
- 3. शान्ति शिक्षा के माध्यम से संघर्ष का निवारण कैसे हो सकता है ?

#### 5.9 सारांश

राष्ट्र विकास में शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है | शिक्षा को हम सामाजिक , सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूपांतरण का साधन भी मानते है | शिक्षा का संबंध प्रत्यक्षत: उत्पादन से होगा , आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से निर्देशित होगा और चिरत्र निर्माण की और उन्मुख होगा | समाज बदलता रहता है और आने वाला युग शिक्षा के द्वारा ही बदलता है | हम जैसी शिक्षा देगें , वैसा ही मनुष्य बनेगा और मनुष्य के विकास से राष्ट्र का विकास होता है | इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा का संबंध राष्ट्र के जीवन , आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं से हो , वैश्विक स्तर पर हमारे मानक हो एवं जनशक्ति की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के समान अवसर प्रदान किये जाएँ |

John Dewey ने कहा है कि स्कूल एक अच्छे समाज का मॉडल है| स्कूल वह जगह है जहां पर सैदान्तिक रूप से समुदाय आधारित समाजिक न्याय और मानव अधिकारों को लागू कर सकते है | 1975 और 1988 की एन .सी. आर .टी . ई. की पाठ्यचर्या की रूपरेखा में भी मानव अधिकारों के अध्यापन पर बल दिया है | नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भी 'सामान्य केन्द्रिक' को पाठ्यचर्या में महत्त्व दिया है तथा समानता की और शिक्षा की संचेतना जगाई है | राममूर्ति समिति 1990 ई॰ के विचार में शिक्षा के सभी स्तरों पर एक जैसे मूल्य कायम रहने चाहिए और समान स्कूल का विचार किये बिना सभी बच्चों को यह मूल्य सुलभ हो जिससे अच्छी शिक्षा का अवसर प्राप्त करना धन या वर्ग पर निर्भर ना रहकर प्रतिभा पर निर्भर रहे | एन .सी . आर . टी .ई. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शान्ति शिक्षा के संबंध में विस्तार से चर्चा की गयी है |

वर्तमान समय में जब समाज में अनेक प्रकार के संघर्ष, तनाव, जिटलताये व अव्यावहारिकता दृष्टिगोचर हो रही है | भ्रातृत्व, स्नेह, भाईचारा जैसी भावनाए सहम गयी है | हर कोई अपने लिए ही सोच रहा है और सामाजिक समरसता अस्तित्वहीन हो रही है या अपना अस्तित्व तलाश रही है \ अब प्रश्न यह उठता है कि किस माध्यम से समाज में व्याप्त अशांति दूर की जाए और समाजिक विकास की राह आसान की जाए | इस अशांति को दूर करने का एक उपयुक्त माध्यम है शान्ति शिक्षा | समाज में व्याप्त कई विघटनकारी तत्वों के कारण अशांति का वातावरण है | ऐसे में यदि शान्ति शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाये तो यह एक मील के पत्थर के रूप में साबित होगी | बालक के विकास में व संघर्ष निवारण के लिए परिवार, समाज के साथ –साथ विद्यालय का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है |

आज के वातावरण में जब बच्चों के ऊपर प्रतिस्पर्धा का तनाव है तो मानसिक द्वन्द से घिरे रहने के कारण उनमे संघर्ष की स्थिति बनी रहती है | ये संघर्ष कई प्रकार का हो सकता है | इस स्थिति में छात्रों में मूल्यों और आदर्शों के प्रतिपादन के लिए शान्ति शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होगा | विद्यालय में पढाये जाने वाले पाठ्यक्रम में ऐसी बातो का समावेश हो जो उनमे अपने अधिकारों के साथ –साथ उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक बनाये |

विद्यालय में शान्ति की शिक्षा बहुत जरुरी है क्योंकि यही बच्चें कल के युवा, मतदाता, अध्यापक और पुलिस अधिकारी बनेगें | युवा व बच्चों को लोकतंत्र का अनुकूलन शान्ति की शिक्षा और मानव अधिकारों की शिक्षा व सरंक्षण करने की शिक्षा देना वास्तव में एक भविष्य के समाज में सकारात्मक निवेश है | विद्यालय केवल बुनियादी शिक्षा ही उपलब्ध नहीं कराता बल्कि यह बच्चे को संसार के बारे में विचार प्रकट करने का मौका भी देता है और यह ज्ञान उन्हें अपने वातावरण व संस्कृति में सोचने की तर्कसंगत सोच देता है |

#### 5.10 अभ्यास प्रश्न

- 1. शान्ति शिक्षा को परिभाषित करते हुए विद्यालय संघर्ष को बताये ?
- 2. विद्यालय में संघर्षों के कारणों को बताते हुए उनकी व्याख्या कीजिये?
- 3. संघर्ष निवारण हेतु क्या उपाय हो सकते है ?
- 4. विद्यालय में संघर्ष निवारण हेतु आप क्या सुझाव देगे |

# 5.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- UNESCO (1996) Learning: The Treasure Within, Report of the International Commission of Education for the Twenty First Century.
- N.C.E.R.T. (2004) Peace Education.
- UNESCO (20001) Learning the way of Peace, A Teacher's Guide to Peace Education.
- N.C.E.R.T. (2000) National Curriculum Frameworks for School Education, New Delhi.

- N.C.E.R.T. (2005) National Curriculum Framework
- N.C.E.R.T. (2000) Position Paper on Peace Education
- Brown, G. (1971) Human Teaching for Human Learning, New York.
- Katrina, Abrams, G. (2001) Education for Peace, Miyami.
- Balasurya , A. S. (1994) Teaching peace to children, National institute of Education, Sri Lanka.
- Balasurya, A. S.(2000) Mediation Process, Sri Lanka.
- Daivy, J. 1916 Democracy and Education, London, The Free Process.
- हैरिस , आई. एम. (1988): एजुकेशन फार पीस, लन्दन: मैकफारलैंड एंड कंपनी
- मारिया, डी.(2003): वैल्यू एजुकेशन फॉर पीस, द सी.टी.ई.जर्नल
- पांडे , एस . (2004): एजुकेशन फॉर पीस: सेल्फ इंस्ट्रक्शनल पैकज फॉर टीचर एडूकेटर्स
- भारत सरकार (1993):लर्निंग विदाउट बर्डन नई दिल्ली:मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग
- दाधीच, नरेश.(2004):Towards A more peaceful, Jaipur, Article
- कुमार ,बी.अरुण (2008): Gandhian Protest , Rawat publications , Jaipur
- kriplaani, J. B(1970:Gandhi His Life and Thoughts, prakaashan vibhaag Bharat Sarkaar, New Delhi.
- Prbaha, R.K.And Rao, The Mind of M. G. Navjeevan Publishing House,
   New Delhi.
- Gandhi, M.K. (1995):Satyagraha in South Africa, Navjeevan Publishing House, Ahmedabad.

# इकाई -6

कार्यक्रम निर्माण--पाठ्यक्रम में शान्ति शिक्षा का स्थान, विद्यालय शान्ति के रूप में, शिक्षक शान्ति वाहक के रूप में, पाठ्यक्रम में कौशल और तरीके, कक्षा –कक्ष में शान्ति

Designing Programmes – Ways of
Integrating Peace into the Curriculum,
Practices that Make School a place of Peace,
Teacher as peace builders, Pedagogical skills
and strategies, integrating Peace Concerns
as Classroom Transactions.

### इकाई की रूपरेखा

- 6.1 प्रस्तावना
- **6.2** उद्देश्य
- 6.3 परिभाषा
- 6.4 पाठ्यक्रम में शान्ति शिक्षा का स्थान
  - 6.4.1 प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम
  - 6.4.2 माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम
  - 6.4.3. उच्च माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम
- 6.5 विद्यालय में शान्ति शिक्षा
- 6.6 शान्ति शिक्षा में अध्यापक की भूमिका
- 6.7 पाठ्यक्रम में शान्ति शिक्षा के कौशल
- 6.8 पाठ्यक्रम में शान्ति शिक्षा की अभिवृतिया
- 6.9 कक्षा कक्ष में शान्ति शिक्षा की विभिन्न युक्तियाँ

- 6.10 सारांश
- 6.11 निबंधात्मक प्रश्न
- 6.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

#### 6.1 प्रस्तावना

शान्ति शिक्षा का आशय उन नियमो, आदर्शो व सिद्धां तो से है जो समाज में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने में सहायता करते है | इसके अंतर्गत वे सभी उपाय व गतिविधियाँ आती है जो समाजिक व्यवस्था को कलह व विवाद से बचाने में सहायता करती है | शान्ति शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है | इसलिए इसको शब्दों में बाँधना कठिन है | शान्ति शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमे ज्ञान की प्राप्ति, मूल्यों, अभिवृतियो, कौशलो, पर्यावरणीय संतुलन एवं समाजिक शान्ति का विकास संभव होता है जो कि एक आदर्श एवं अध्यात्मिक समाज के निर्माण का आधार होती है |

शान्ति शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है | इसमें उन सभी प्रयासों को सिम्मिलित किया जाता है कि मानव के सर्वांगीण विकास का आधार प्रस्तुत करते है तथा समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अन्याय , असमानता , विवाद एवं कलह को समाप्त करते है | शान्ति की शिक्षा समाज व राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सहायता करती है | पिछडापन , गरीबी , जनसंख्या , वृद्धि , पर्यावरण , प्रदूषण , साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद वे समस्याए है जिनके समाधान के लिए जनशिक्षा की भी व्यवस्था है | यह बात सर्वमान्य है कि कोई भी समाज अपनी आकांक्षाओं और लक्ष्यों की पूर्ति शान्ति शिक्षा की सहायता से ही कर सकता है |

शांति शिक्षा निश्चित रूप से मानव जाति की रक्षा और कल्याण में सहयोग देती है | शांति शिक्षा के अभाव में ही संवेदना अमानवीय रूप लेती जा रही है ऐसी परिस्थियों में हमारी प्रथम आवश्यकता इस गंभीर समस्या के मूल तक जाना है | विश्व में शांति और बंधुत्व की भावना का विकास तभी हो सकेंगा जब शांति शिक्षा के महत्व को शिक्षा जगत के प्रत्येक स्तर से जोड़ा जायेगा | शिक्षक, भावी शिक्षक तथा शिक्षा जगत से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को अपने दायित्व को पहचानते हुए मानवता को बचाने के लिए समर्पित भाव से आगे बढ़ना होगा | हमारे सम्मिलित प्रयास ही 'वसुधैव कुटुम्बकम' एवं 'सर्वे भवंतुन सुखिन:' के दर्शन को सही अर्थ में रूपान्तरित कर सकेंगे |

विविध स्तरों पर शांति पर दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कि शां ति संस्कृति काविकास मानवीय मूल्यों के विकास से ही संभव है | मूल्यों का विकास विद्यालयी स्तर की शिक्षा पद्धित के माध्यम से ही किया जाना आज की महत्ती आवश्यकता है | शिक्षा पद्धित के माध्यम से शिक्षक के द्वारा हमेशा धार्मिक विचार धारा में समुदाय विशेष से सम्बंधित देने पर बल दिया गया | जिसके मूल में विभिन्न धर्मों व जाति के अनुसार शास्त्रों में सन्निहित मूल्यों की शिक्षा देने की बात कही गई | युनेस्को में मूल्यों के सन्दर्भ में कहा गया है की-' सधर्मी आचरण , शांति प्रेम और अहिंसा में सभी सार्वभौमिक मूल है' जो कि मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रमों के निर्माण के लिए नीवं बन सकते हैं |

# 6.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी शान्ति शिक्षा के सन्दर्भ में कार्यक्रम निर्माण के निम्न उद्देश्यों को समझ सकेंगे

- कार्यक्रम निर्माण प्रक्रिया को समझ सकेंगे।
- शांति शिक्षा के पाठ्यक्रम के सम्प्रत्य को समझ सकेंगे।
- पाठ्यक्रम में शांति का क्या स्थान है ? यह जान सकेंगे |
- पाठ्यक्रम में शांति के विस्तरीय ढाचे का अवबोध कर सकेंगे |
- विद्यालय में शां ति शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कर सकेंगे।
- शांति शिक्षा को स्थापित करने में अध्यापक की भूमिका बता सकेंगे |
- पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा के कौशलो को विकसित कर सकेंगे
- पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा की अभिवृतियो को समझ सकेंगे |
- कक्षा कक्ष में शांति शिक्षा की विभिन्न युक्तियो को पहचान सकेंगे।
- कक्षा कक्ष में शां ति शिक्षा की विभिन्न युक्तियो को अपना सकेंगे |

### 6.3 परिभाषा

- 1. "The road of peace begins with an effort of understand others and established a set of shared values" ---Comenius
- 2. "अकादिमक अलगाव, विद्यालयी अलगाव शिक्षा में सिद्धांत और व्यवहार में अलगाव ही अशांति को जन्म देता है"

-कोठारी कमीशन -1966

- 3. "भारत शांति और सिहण्णुता का इतिहास है" --डा. अर्नाल्ड
- 4 'शां ति शक्ति से नहीं वरन आपसी सदभाव से स्थापित की जा सकती है"

----अल्बर्ट आइंस्टाइन

5 . 'शां ति केवल युद्ध का अभाव है नहीं अपितु न्याय एवं भाईचारे की विश्व में उपस्थिति भी है"

----मार्टिन लूथर किंग

6 "आध्यात्मिक जीवन का विकास ही वह शक्ति है जो पडोसी को प्रेम करने की क्षमता प्रदान कर सकती है! यह शांति द्वारा ही संभव है" --डा. राधाकृष्ण

# 6.4 पाठ्यक्रम में शान्ति शिक्षा का स्थान

आज सम्पूर्ण विश्व अशांति की ज्वाला से भभक रहा है इस अशांति की ज्वाला प्रशांति हेतु विद्यालय स्तर से विधार्थियों को शान्ति का पाठ पढ़ा कर समाज , राष्ट्र के साथ सम्पूर्ण विश्व में शान्ति स्थापना की परिकल्पना की जाए| इसके लिए जरुरी है कि विद्यालयों में पढाया जाने वाला पाठ्यक्रम इस प्रकार से निर्धारित हो कि उसमे मूल्यों का समावेश हो |

शान्ति शिक्षा में पाठ्यक्रम को एक प्रभावी एवं आवश्यक अंग माना गया है| पाठ्यक्रम के नवीनीकरण के लिए निरंतर प्रयास किये जाते है| किन्तु इसके गतिशील परिवेश के कारण अनेक प्रयास अर्थहीन हो जाते है| किसी भी देश का पाठ्यक्रम उसकी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि अवस्थाओं से प्रभावित होता है और इन अवस्थाओं की निरंतरता एवं गतिशीलता के साथ - साथ उसको भी परिवर्तित होना पड़ता है|

आज के परिप्रेक्ष्य में यह स्वीकारा जाता है कि विद्यालीय पाठ्यक्रम देश की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है | उन सभी कार्यो का मूल्यां कन पाठ्यक्रम द्वारा ही होता है जिनसे अपेक्षित शैक्षिक उद्देश्यों की उपलब्धि का ज्ञान होता है |

पाठ्यक्रम में शान्ति शिक्षा का क्या स्थान होना चाहिए इसको स्पष्ट करने का प्रयास दार्शनिको, समाजशास्त्रियो और मनोवैज्ञानिको ने भी किया है उनके अनुसार पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ उन क्रियाओं एवं परिस्थितियों से होता है जिनका नियोजन एवं सम्पादन विद्यालय द्वारा बालकों के विकास के लिए किया जाता है | शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहे है | इसलिए पाठ्यक्रम का नियोजन एवं उसका पारूप भी बदलता रहा है इसलिए पाठ्यक्रम का अर्थ भी बदलता रहा है | आज के सन्दर्भ में पाठ्यक्रम का अधिक व्यापक अर्थ है |

आज पाठ्यक्रम में शान्ति शिक्षा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है | पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालको को केवल ज्ञान देने तक ही सीमित ना रहे बल्कि उन्हें भावी जीवन के लिए भी तैयार कर सके | पाठ्यक्रम में ऐसे मूल्यों का समावेश होना चाहिए जो बालको के व्यक्तित्व विकास में सहायक हो | पाठ्यक्रम का संबंध बालक के सम्पूर्ण विकास से होता है | जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, शारीरिक, एवं सामाजिक विकास को सम्मिलित किया जाता है | विद्यालय के अंतर्गत शिक्षण क्रिया का संबंध ज्ञानात्मक पक्ष से होता है | खेलकूद तथा शारीरिक प्रशिक्षण का संबंध शारीरिक विकास से होता है | सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय पर्वो पर जिन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है उनसे सामाजिक गुणों का विकास होता है | इस प्रकार पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय की सभी क्रियाओं को पाठ्यक्रम का अंग माना जाता है |

शान्ति शिक्षा का पाठ्यक्रम आयोजन करने के सन्दर्भ में नित्य नव उद्देश्यों पर विचार समय —समय प्रस्तुत किये गए है | इसी सन्दर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन . सी . आर . टी ., 2005 ) में शान्ति शिक्षा के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किये गए है वे इस प्रकार है :-

- 1. व्यक्तियों को शान्ति का रास्ता चुनने के लिए सशक्त बनाना |
- 2. मानव गरिमा के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न करना
- 3. आंतरिक शान्ति की खोज व समूह में रहने की सीख देना ।।
- 4. सच्चे और गंभीर विचारधारा को विकसित करना।
- 5. शान्ति के उपभोक्ताओं की बजाय शान्ति के निर्माता बनाने के योग्य बनाना |

पाठ्यक्रम में शान्ति शिक्षा व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण के लिए जोर देने के लिए होनी चाहिए | साथ ही पाठ्यक्रम में शान्ति शिक्षा जिम्मेदार एवं संवेदनशील नागरिक की भूमिका के निर्माण पर जोर देने वाली होनी चाहिए |

#### 6.4.1. प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम

मानव अपनी स्वार्थपूर्ति हेतु दौड़ता जा रहा है | मानव की इस दौड़ को रोकने हेतु शांति शिक्षा की अनिवार्यता महसूस की जा रही है, जिससे मानव को सही राह पर लाया जा सके | परन्तु इसके लिए शिक्षा को जोड़ना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि शिक्षा के अलावा कोई अन्य माध्यम इतने प्रभावी रूप से वर्तमान पीढ़ी व भावी पीढ़ी को शान्ति से जोड नहीं सकता है |

प्राथमिक स्तर पर ऐसी विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे उनमें एकता की भावना, सहयोग की भावना आदि विकसित हो | इस स्तर पर प्रेरक कहानियों को भी कक्षा कक्ष में प्रस्तुत किया जाए जिससे बालक के मन में सभी मूल्यों को स्थापित किया जाए |

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है की शांति शिक्षा वर्तमान समाज के लिये परमावश्यक है | शांति शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलाप एवं गतिविधियां सम्पूर्ण समाज एवं विद्यालय में प्रचलित होनी चाहिये, जिससे समाज में व्याप्त अव्यवस्था एवं घोर भ्रष्टाचार को समाप्त िकया जा सके | इसके लिए शांति शिक्षा की प्राथमिक स्तर से अनिवार्यता के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं हैं | जिस प्रकार समाज के विकास के लिये विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता है, उसी प्रकार शान्ति शिक्षा की भी आवश्यकता है | शांति शिक्षा के अभाव में मानव विकास एवं वैश्विक विकास के सभी स्पप्त निरर्थक सिध्द होंगे | अत: प्राथमिक स्तर से ही शांति शिक्षा की अनिवार्य विषय के रूप में मान्यता प्रदान की जाय

# 6.4.2. माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम

माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में सामाजिक ,सांस्कृतिक औ नैतिक मूल्यों पर बल देते हुए सामाजिक अध्ययन की शिक्षा देनी चाहिए | सामाजिक संयोजन के आदर्श प्राप्त करने के लिए यह वांछनीय है कि पाठ्यक्रम का आधार विस्तृत हो | पाठ्यक्रम में कठोरता नहीं बल्कि विविधता और नवीनता होनी चाहिए | माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में ऐसी गतिविधियो को शामिल किया जाना चाहिए कि बालको में प्रेम , सहयोग, परोपकार , सामाजिक समरसता आदि गुणों का समावेश हो सके | माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में निम्न गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है |

- वाद-विवाद, संगोष्ठी और द्रश्य-श्रव्य आयोजन में शांति को शामिल कर छात्रों को शांति निर्माण का कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
- भूमिका निभाने , नाटकों , शांति कविताओं का सृजन , शांति गीत इत्यादि में बच्चों की भागीदारी |
- अंतर्राष्ट्रीय दिवसों जैसे मानवाधिकार दिवस , बाल दिवस , संयुक्त राष्ट्र दिवस , विकलांग दिवस , पर्यावरण दिवस इत्यादि में भागीदारी |

- दूसरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना | बच्चों को वृध्दाश्रमों , अन्य पीड़ित संगठनों के दौर के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है जिससे उनमें उनके कल्याण की भावना का विकास हो सके |
- स्कूल और पड़ोस में धार्मिक उत्सवों और राष्ट्रीय दिवसों को मनाना |
- सहनशीलता और समझ को बढ़ावा देना।

### 6.4.3. उच्च माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम

उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में ऐसे मूल्यों व गतिविधियों का समावेश होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों में प्रजातां त्रिक व् शाश्वत मूल्यों, धर्मिनरपेक्षता, समानता आदि गुणों का विकास हो सकें | इस स्तर पर उनकी मूल्यपरक शिक्षा उसके विशिष्ट सामाजिक तथा सांस्कृतिक सन्दर्भ से जुडी होनी चाहिए | उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समानता, पर्यावरण सरंक्षण, प्रजातां त्रिक मूल्यों, समाजवाद तथा विश्व बन्धुत्व आदि मूल्यों का समावेश होना चाहिए |

आज समाज में चारों और नैतिक, सामाजिक ,सांस्कृतिक तथा अध्यात्मिक मूल्यों में गिरावट देखने को मिल रही है | ईमानदार व्यक्ति को मूर्ख माना जाता है | इस धारणा ने शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासनहीनता , श्रम के प्रति अनास्था, कर्तव्य के प्रति उदासहीनता आदि को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है |

उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना व द्वंदात्मक विचारों को शान्ति शिक्षा के माध्यम से संतुष्ट किया जा सकता है | शान्ति शिक्षा के माध्यम से इस स्तर के विद्यार्थियों में वाद — विवाद, संगोष्टियों आदि के आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है | इस स्तर का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों में साकारत्मक व व्यापक दृष्टिकोण का विकास कर सके और वे सहनशीलता व सहयोग की भावना से ऐसी सहशैक्षिक गतिविधियों का नेतृत्व व संचालन कर सके | विद्यालयों में नाटकों,निबंध प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से और सामाजिक अध्ययन , भूगोल आदि विषयों के द्वारा राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय संबंधो को परिभाषित कर सके | छात्रों में आपसी सहयोग ,परोपकार , सहिष्णुता संबर्धन की भावना का विकास भी इस के द्वारा हो सकेगा | इसमें शिक्षक की भूमिका भी साकारत्मक होनी चाहिए | क्योंकि शिक्षक शान्ति का अग्रदूत कहलाता है | संत –महात्माओ, महापुरुषों आदि के उपदेशों व विचारों के द्वारा छात्रों के जीवन में शान्ति का साकारत्मक प्रयास होगा | महापुरुषों व देशभक्तों की जीवनी व जयंती मनाने से छात्रों में भी देशभक्ति की भावना का विकास हो सकेगा | इसलिए उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय विद्यार्थियों की आयु , मानसिक स्तर को ध्यान में रखना चाहिए जिससे उनमे एक जिम्मेदार और अच्छे नागरिक के गुणों का विकास किया जा सके |

उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम के निर्माण से सीखने वालों के मस्तिष्क में आत्मिक संतोष के लिए अध्यात्मिक विकास , मानवाधिकार , मानवीय मूल्यों , सहयोगात्मक भाव से सीखना , अहिंसा को ऊदवेलित करना आवश्यक है | साथ ही करुणा, ममता ,प्रेम , दया , बंधुत्व आदि आंतरिक शांति के लिए आवश्यक है | आन्तरिक शान्ति प्राप्त करने पर विद्यार्थी परिवार , समाज, राष्ट्र व विश्व शान्ति में

योगदान दे सकता है | अशांत व्यक्तित्व को पहचाना जा सकता है | परन्तु वह कितना अशांत है , इसका पिरशुद्ध मूल्यांकन त्रुटिहीन होकर नहीं किया जा सकता है | अत: देश के भावी कर्णधारों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास शांतिपूर्ण व शान्त मस्तिष्क के साथ हो, इसके लिए पाठ्यक्रम में शान्ति शिक्षा अनिवार्य हो गयी है |

उद्देश्यों के अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए | सामाजिक जुड़ाव के लिए शिक्षा के सभी स्तरों पर सामाजिक विषयों की अनिवार्यता की जाये | प्राथमिक स्तर पर विभिन्न भाषा , धर्म और संस्कृतियों से सम्बंधित कहानी , कविता और गीतों को स्थान दिया जाए , माध्यमिक स्तर पर शान्ति शिक्षा में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा का विधान किया जाए तथा सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय महत्त्व की सह पाठ्यचरी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाए | उच्च प्राथमिक स्तर पर शान्ति शिक्षा तथा अन्य शिक्षा व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए | इस स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से बालको में राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय भावना का समावेश किया जाए |

पाठ्यक्रम में ऐसी विधियों का चुनाव करना चाहिए जिनमे बालक समूह में रहकर सहयोग द्वारा स्वयं का निर्माण कर सके | इससे उनमे सामाजिक जुड़ाव की भावना जागृत होगी | पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा बालको में नैतिक मूल्यों , संस्कारों ,उत्तरदायित्व , सदाचारिता का विकास हो सके|

अगर लोगों में स्वार्थ की जगह परमार्थ की भावना हो तो एक सुंदर एवं सुखी समाज का निर्माण होगा और इसके लिए हर व्यक्ति को सत्य , अहिंसा व सेवा से जोड़ना होगा | आज के समय मनुष्य आधुनिक एवं भागदौड भरी जिन्दगी में ज्यादा असिहष्णु व हिसंक हो गया है तथा चारो तरफ टी.वी ,अखबारों में हिंसा का बोलबाला है क्योंकि जो दिखता है वही मनुष्य सीखता है ऐसे में सत्य , अहिंसा , व सेवा की नितांत आवश्यकता बन जाती है जिसको कि पाठ्यक्रम से जोड़ना अति आवश्यक हो गया है | जिससे हर व्यक्ति , समाज , राष्ट्र व अखिल विश्व पूर्ण सुख व शान्ति को प्राप्त कर सके |

#### बोध प्रश्न 1

- 1. शान्ति शिक्षा को परिभाषित कीजिये?
- 2. पाठ्यक्रम में शान्ति शिक्षा का क्या स्थान है ?
- 3. प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए?

## 6.5 विद्यालय में शान्ति शिक्षा

बालक परिवार में रहकर जो संस्कार , शिक्षा प्राप्त करना है उसकी पूर्णता विद्यालय में ही होती है , विद्यालय शिक्षा का बालक के जीवन निर्माण में अद्वितीय योगदान होता है , विद्यालय लघु समाज का प्रतिरूप होता है | बालक विद्यालय में रहकर ही शांति शिक्षा एवं मिलजुल कर रहने की प्रवृति को आत्मसात करता है |

विद्यालय में विभिन्न धर्म , जाति व वर्ग के विद्यार्थी अध्ययन करते है , इसके बावजूद बालको में परस्पर स्नेह सौहार्द इस उम्र ने अपने चरम पर होता है | विद्यालय में बालक अपने हमउम्र एवं गुरुजनों के प्रति समन्वय , सम्मान , सहयोग एवं सौहार्द के गुणों को अपने व्यक्तित्व में अपनाता है | निसन्देह भारतीय

समाज की एकता इसकी समरसता के महान गुणों में निहित हैं | विद्यालय समरसता की प्रथम पाठशाला है जहां बालक भेदभावों से मुक्त होकर परस्पर स्नेह व समानता के आधार पर आपस में व्यवहार करते हैं | इस प्रकार विद्यालयी जीवनचर्या ,प्रार्थना सभा ,खेल के मैदान , कक्षा कक्ष , पुस्तकालय आदि ऐसे स्थान है जहाँ बालक सामाजिक समरसता के गुणों को सीखता है जो आजीवन उसकी समाजिकरण की प्रकिया एवं सफल जीवन की पूर्णता में अनुपम सहयोग प्रदान करता है | शांति हेतु शिक्षा की बुनियादी आवश्यकता है कि विद्यालय का परिवेश शान्त, आकर्षक तथा श्रेष्ठ हो | शान्ति का भाव अर्थात प्रार्थना स्थल से ले कर खेल के मैदान तक , कक्षा शिक्षण से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम तक फैला होना चाहिए | हमारी शिक्षण विधियों में अध्ययन हेतु दी जाने वाली प्रेरणा में छात्रों के मूल्यांकन के तरीके में परिवर्तन की आवश्यकता है अध्ययन और अध्यापन की समस्त प्रकिया में समग्र उपागम में शान्ति का ऐसा दृष्टि कोण समाहित होना चाहिए जिससे मानवाधिकार व शांति पूर्ण सहअस्तित्व की भावनाएँ फल फूल सकें |

# 6.6 शान्ति शिक्षा में अध्यापक की भूमिका

आज देश में सामजिक कुरीतियों, सांस्कृतिक धरोहर के प्रति नफरत, भाषावाद, जातिवाद, प्रांतीयता, साम्प्रदायिता जैसी संकीर्ण भावनाओं के दलदल में बुरी तरह फँसा हुआ है | कैसी विडम्बना है; मनीषियों के भारत के नागरिकों का अंत:करण सुषुप्त व असहाय अवस्था में निद्रालीन है | इस अवस्था में मानव को पहुँचाने का श्रेय घर तथा समुदाय अर्थात् माता-पिता, भाई-बहन, पास पड़ौस व साथियों और विशेषत: शिक्षक को जाता है | अत: शिक्षकों द्वारा भावी पीढ़ी को व्यावहारिक व सामाजिक मूल्यों से अवगत करना एक जटिल कार्य है | स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में बाल मन में अहिंसा व शांति के बीजों का अंकुरण एक शिक्षक ही कर सकता है | भविष्य के शांतिदूतों को प्रशिक्षित करने की नैतिक जिम्मेदारी जिसके कंधों पर है, उनकी भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं |

शान्ति शिक्षा के समुचित विकास तथा प्रचार-प्रसार में शिक्षक की भूमिका होती है | शिक्षक ही शांति शिक्षा नामक नवीन विधा का आधार स्तम्भ है | शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था का एवं उत्तरोतर प्रगति का उत्तरदायित्व भी शिक्षक पर ही है | अत: शांति शिक्षा को बढ़ावा देने में शिक्षक के अतिरिक्त किसी अन्य साधन या नियम की कल्पना भी नहीं की जा सकती है | शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों में शांति शिक्षा की अलख जगाता है | तथा वैश्विक स्तर पर इसकी आवश्यकता , अपिरहार्यता , औचित्य तथा प्रभाव को विद्यार्थियों के समक्ष स्पष्ट करता है | शिक्षक विद्यार्थियों को नवीन विधियों , प्रविधियों , पद्धतियों , प्रारूपों , तकनीकों , रणनीतियों और सिद्धांतों के माध्यम से शांति शिक्षा का ज्ञान प्रदान करता है तथा उनमें अवबोध , ज्ञानोपयोग ,कौशल अभिवृति और अभिरुचि का भी विकास करता है | अतएव शिक्षक और शान्ति शिक्षा के मध्य अन्योंयाश्रितता पर आधारित सम्बन्ध विद्यमान है |

अत: इसके लिए शिक्षक को अध्यापक ही नहीं, मित्र व सलाहकार बनना होगा जिससे वह बालक की भावनाओं को समझ सके | शिक्षा के माध्यम से शांति की कल्पना करना तथा इसको स्थापित करने के लिए शिक्षक कार्य को मधुर तथा प्रभावी बनाने व पढ़ाने के साथ- साथ अभिमुखता की भावना तथा शांति का मार्ग प्रशस्त करने के मानवीय मूल्यों के साथ-साथ शिक्षण तकनीकी को भी अपनाना होगा |

अध्यापक अपने कर्तव्यो व दायित्वों का निर्वाह पूर्ण ईमानदारी व निष्ठा से करे| बालको को धर्म से न जोड़ कर मानव से जोड़ें | वह समाज के हित के लिए मानव कल्याण के लिए कार्य करें | इसके लिए एक अध्यापक व् शिक्षा ही उत्तरदायी हो सकती है | इसके लिए शिक्षण संस्थाए व अध्यापक मिलकर ही सच्चे राष्ट्र व समाज का निर्माण कर सकते है |

# 6.7 पाठ्यक्रम में शान्ति शिक्षा के कौशल

कौशलों का समावेश पाठ्यक्रम में सामाजिक समरसता पूर्ण वातावरण को बढावा देने में केवल मात्र एक सीढ़ी हो सकती है , लेकिन सीढ़ी का प्रथम सोपान मंजिलों के फासले तय करने का सामर्थ्य प्रदान करेगा।

मानव का व्यवहार कौशलों से रहित होने पर अशांति उत्पन्न करने वाला होता है। प्रत्येक मानव का व्यवहार एवं कार्य भिन्न प्रकार का होता है, उसे उचित एवं सार्थक रूप में परिवर्तित करना कुशलता का ही कार्य है। साधुओं द्वारा अपनी कुशलता के आधार पर ही बुरा आचरण करने वाले वाल्मीिक को ऋषि वाल्मीिक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। आज वाल्मीिक ऋषि को सम्पूर्ण विश्व में आदर्श महापुरुष के रूप में देखा जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि कौशलों के द्वारा हम सम्पूर्ण मानव समाज को विकास पथ पर ले जा सकते हैं। जीवन सम्बन्धी कौशल प्राथमिक स्तर से ही शांति शिक्षा द्वारा बालकों के हदय में रोपित कर दिये जाते हैं जो बालकों के विकास के साथ-साथ वृद्धि को प्राप्त करते हैं, जिससे समाज में चारों ओर शांतिप्रद एवं सुखद वातावरण का सूजन होता है।

प्रजातान्त्रिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को विभिन्न जीवन कौशलो से सम्पन्न बनाया जाता है, जिससे छात्र का कार्य एवं व्यवहार पूर्णत: मर्यादित हो तथा उसके माध्यम से समाज में किसी प्रकार की ऐसी स्थित उत्पन्न न हो , जिससे समाज में अशांति उत्पन्न हो | छात्रों में विद्यालयी गतिविधियों के माध्यम से निर्णय लेने की क्षमता , विचार अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास किया जाता है | इस स्थिति में समाज में अशांति उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि जीवन कौशलो से युक्त उत्तरदायी नागरिक मर्यादित व्यवहार करने वाला होता है |

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविक रूप से यदि विद्यालयों एवं शिक्षा व्यस्था में प्रजातान्त्रिक मूल्य एवं शिक्षा को समावेशित कर दिया जाये तो समाज में पूर्णत: शान्ति व्यवस्था स्थापित हो सकेगी क्योंकि इससे प्रत्येक व्यक्ति को उसके मूल अधिकार प्राप्त हो सकेंगे तथा वह समाज में अपनी भूमिका एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में निभा सकेगा।

पाठ्यक्रम और विद्यालय में निम्न कौशलों को शामिल किया जा सकता है:-

- सक्रिय श्रवण , संप्रेषण और चिंतन (मनन /विमर्श)
- सहयोग और सहानुभूति
- आलोचनात्मक सोच और समस्या चिंतन
- द्वंद्वो का निपटारा
- पाठ्यपुस्तक की विषयपुस्तक की पहचान और सकारात्मक व्याख्या

- सहभागी अध्ययन- अध्यापन प्रणाली का प्रयोग
- नेतृत्व और निर्णय लेना

#### बोध प्रश्न 2

- 1. विद्यालय में शान्ति शिक्षा का क्या स्थान है ?
- 2. शान्ति शिक्षा में एक अध्यापक की भूमिका कैसी होनी चाहिए?
- 3. पाठ्यक्रम में शान्ति शिक्षा के कौन से कौशलो का समावेश होना चाहिए?

# 6.8 पाठ्यक्रम में शान्ति शिक्षा की अभिवृतिया

शिक्षा आयोग ( 1964-66) ने अपनी रिपोर्ट में विद्यार्थियों में मूल्यों को रोपित करने के लिए विद्यालयों के वातावरण के महत्त्व पर जोर दिया था | स्कूल का वातावरण , शिक्षकों का व्यक्तित्व और व्यवहार विद्यालय में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाए विद्यार्थियों में मूल्यों का विकास के सन्दर्भ में बहुत महत्त्व रखते है | विद्यालय के माहौल को शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज का सूक्ष्म जगत होना चाहिए और यही शांति के लिए शिक्षा का मूल उद्देश्य भी है | स्कूल व्यवस्था द्वारा पाठ्यचर्या के सदेशों को पुनर्बिलत किया जा सकता है और वैधता प्रदान की जा सकती है | इस संबंध में कुछ महत्त्वपूर्ण मसले हैं कैसे बच्चों के अधिकारों और ज़रूरतों को विद्यालय में दबाया जाता है , अनुशासन को कैसे समझा जाता है और किस प्रकार प्रयोग में लिया जाता है , निर्णय किस तरह लिए जाते हैं और कक्षा में शिक्षक हस्तां तरण कैसे किया जाता है |

पाठ्यक्रम और विद्यालय में निम्न अभिवृतियो कों शामिल किया जा सकता है:-

- सहनशीलता
- मानव प्रतिष्ठा और मतभेद के लिए आदर
- लिंग और जाति संवेदनशीलता
- पर्यावरणीय जागरूक
- देखभाल और सहानुभूति
- निष्पक्ष निर्णय लेना
- सामाजिक जिम्मेदारी एवं जवाबदेही
- आत्मसम्मान
- बदलाव की ओर रुझान (बदलाव के लिए तत्परता )

# 6.9 कक्षा कक्ष में शान्ति शिक्षा की विभिन्न युक्तियाँ

शांति मानव के समग्र जीवन का आधार स्तम्भ है | शिक्षक के द्वारा बालक के अन्दर अंतर्निहित मानसिक, शारीरिक, धार्मिक, नैतिक, भावात्मक, चारित्रिक, सांस्कृतिक शक्तियों का खोज कर उन्हें उनकी वास्तविक शक्ति का अहसास कराया जा सकता है |

आज का बालक कल का भविष्य है | यदि बालक का विकास पथ सुसभ्य , अनुशासित , संस्कारित एवं मानवीय दृष्टिकोण से प्रभावशाली होगा तो अच्छा स्वास्थय , स्वच्छ आदर्श समाज एवं सास्कृतिक दृष्टिकोण वाले परिपक्व समाज की कल्पना कर सकते है | जिसमे सामाजिक समरसता बनी रहे तथा आने वाली राष्ट्र पीढ़ी को इतिहास पटल पर सुशोभित किया जा सके | अत: विद्यार्थियों में समरसता लाने हेतु शिक्षण संस्थाये विभिन्न युक्तियों को आयोजित कर एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकती है |

- ये युक्तियाँ निम्न प्रकार है :-
- 1. राष्ट्रीय पर्वो का आयोजन।
- 2. कक्षा-कक्षों का आदर्श नामकरण।
- 3. प्रात:कालीन आदर्श प्रार्थनाए एवं गीत |
- 4. श्रमदान एवं सामूहिक कार्य।
- 5. खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- 6. राष्ट्रीय स्तर पर शान्ति रैली का आयोजन।
- 7. विभिन्न वाद विवाद एवं संगोष्ठियोंका आयोजन।
- 8. महाविद्यालय सामग्री पर आदर्श लेखन।
- 10. कक्षा के विभिन्न स्तरों में सामाजिक मुद्दों से जुड़े पाठ्यक्रम को अनिवार्य करना |
- 11. नाटक व सांस्कृतिक कार्यक्रम।
- 12.एस यु.पी. डब्ल्यू कार्यक्रम का आयोजन

उपरोक्त युक्तियों से स्पष्ट होता है कि विद्यालय में शान्ति शिक्षा के लिए किसी विशेष प्रकार की युक्तियों की आवश्यकता नहीं होती वरना जो सामान्य गतिविधियाँ विद्यालय में संचालित होती है उनका स्वरूप शान्ति शिक्षा के अनुरूप परिवर्तित करना होता है, जिससे सभी छात्र शान्ति शिक्षा की अवधारणा के बारे में समझ जाते है | इससे भावी समाज का मार्ग तैयार होता है तथा आदर्श एवं शांतियुक्त समाज की स्थापना होती है |

#### बोध प्रश्न 3

- 1. पाठ्यक्रम में शान्ति शिक्षा की कौन सी अभिवृतिया शामिल होनी चाहिए ?
- 2. कक्षा कक्ष में शान्ति शिक्षा से सम्बंधित विभिन्न युक्तियाँ कौन सी है ?
- 3. उच्च माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए?

# 6.10 सारांश

वर्तमान परिदृश्य में सम्पूर्ण विश्व के संदर्भ में शांति शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण तथा चिन्तनीय विषय के रूप में उभर रहा है | इसी आधार पर वैश्विक स्तर पर शान्ति शिक्षा की आवश्यकता , औचित्य , भूमिका तथा प्रभाव पर विचार विर्मश एवं मंथन हेतु अनेक सम्मेलनों , कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है | भारत में भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में शांति के लिये शिक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित

किया गया है | विचारणीय पहलु यह है कि किस प्रकार शांति शिक्षा को वर्तमान शिक्षक वातावरण तथा व्यवस्था के साथ समायोजित किया जाए और विशेषत: शिक्षक शिक्षा संस्थानों के माध्यम से किस प्रकार शांति का संस्कृतियुक्त वातावरण का निर्माण किया जाए ?

यूनिसेफ के अनुसार शान्ति शिक्षा ज्ञान, कौशल, मुद्रा तथा मूल्यों को विकसित करने की प्रक्रिया है | इसके माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन आता है | जो बालक, युवा तथा वयस्कों को संघर्षों, युद्धों से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से बचाता है | शान्ति शिक्षा के माध्यम से संघर्षों को सुलझाया जा सकता है तथा दो व्यक्तियों के मध्य, व्यक्ति के अन्दर, समूह के अन्दर, राष्ट्रीय, तथा अन्तराष्ट्रीय स्तर पर शान्ति में मददगार स्थितियों का निर्माण किया जा सकता है |

शान्ति शिक्षा को प्रोत्साहित करने में विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है | जो भावी पीढ़ी को शान्ति शिक्षा का पाठ पढायेंगे | इन शिक्षण संस्थाओं को अपने पाठ्यक्रम में भी ऐसी गतिविधियों को सम्मिलित करना चाहिए जिससे शान्ति शिक्षा को बढावा मिल सके | जो क्रिया पाठ्यक्रम से हटकर छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए की जाती है वे पाठ्य सहगामी क्रियाए कहलाती है | इन क्रियाओं के माध्यम से भी शान्ति शिक्षा दी जा सकती है |

हालांकि प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम में महत्त्वपूर्ण स्थान होता है लेकिन शान्ति शिक्षा के सन्दर्भ में पाठ्यक्रम प्रभावकारी आधारस्तंभ का निर्माण करता है | पाठ्यक्रम समाज और समाज से सम्बंधित विभिन्न पक्षों की जानकारी प्रदान करता है पाठ्यक्रम के माध्यम से जिन महत्वपूर्ण बिन्दुओं, तथ्यों, मुद्दों, समस्याओं, आवश्यकताओं आदि पर विचार-विमर्श तथा चर्चा की जाती है, उनके अभाव में शांति की स्थापना की कल्पना भी नहीं की जा सकती है | इस प्रकार पाठ्यक्रम के माध्यम से शांति शिक्षा का प्रयास निश्चित ही प्रभावपूर्ण सहसंबंध को स्पष्ट करता है | शिक्षक शिक्षा संस्थानों की राष्ट्र निर्माण में अप्रत्याशित तथा महत्त्वपूर्ण भूमिका है | इन संस्थानों के माध्यम से ज्ञान का प्रचार क्रमशः अध्यापक शिक्षक से छात्र अध्यापक को तथा वास्तविक अध्यापक से विद्यार्थी को किया जाता है अतः शिक्षक शिक्षा संस्थान तथा शान्ति शिक्षा से मध्य अन्योन्याश्रित संबंध विद्यमान है | शिक्षक शिक्षा संस्थानों के माध्यम से शिक्षण की विधियों, प्रविधियों, रणनीतियों एवं प्रतिमानों में परिवर्तन किया जाए तािक शांति शिक्षा को वास्तविकता के धरातल पर लागू किया जाए | अतः कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम के माध्यम से शांति शिक्षा का प्रयास निश्चित ही प्रभावपूर्ण सहसंबंध को स्पष्ट करता है |

### 6.11 निबंधात्मक प्रश्न

- 1. पाठ्यक्रम में शान्ति शिक्षा की भूमिका बताते हुए उसके विभिन्न स्तरों की व्याख्या करें ?
- 2. विद्यालय में शान्ति शिक्षा की भूमिका बताते हुए अध्यापक के योगदान की व्याख्या करें ?
- 3. पाठ्यक्रम में शान्ति शिक्षा के कौशलो और अभिवृतियो की व्याख्या करें ?
- 4. कक्षा कक्ष में प्रयोग होने वाली विभिन्न युक्तियो पर प्रकाश डालिए?
- 5. शान्ति शिक्षा के सन्दर्भ में विभिन्न स्तरों के पाठ्क्रम की व्याख्या करें ?

# 6.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- UNESCO (1996) Learning: The Treasure Within, Report of the International Commission of Education for the Twenty First Century.
- N.C.E.R.T. (2004) Peace Education.
- UNESCO (20001) Learning the way of Peace, A Teacher's Guide to Peace Education.
- N.C.E.R.T. (2000) National Curriculum Frameworks for School Education, New Delhi.
- N.C.E.R.T. (2005) National Curriculum Framework
- N.C.E.R.T. (2000) Position Paper on Peace Education
- Brown, G. (1971) Human Teaching for Human Learning, New York.
- Katrina, Abrams, G. (2001) Education for Peace, Miyami.
- Balasurya, A. S. (1994) Teaching peace to children, National institute of Education, Sri Lanka.
- Balasurya, A. S.(2000) Mediation Process, Sri Lanka.
- Daivy, J. 1916 Democracy and Education, London, The Free Process.

# इकाई-7

# शिक्षा में शान्ति का निहितार्थ—व्यक्तित्व निर्माण , सौहार्दपूर्ण वातावरण ,जिम्मेदार नागरिक , शिक्षा शान्ति के लिए

Frontiers of education for peace--personality formation, living together in
harmony, responsible citizenship, National
integration, education for peace as a life
style movement

# इकाई की रूपरेखा

- 7.1 प्रस्तावना
- 7.2 उद्देश्य
- 7.3 परिभाषा
- 7.4 शांति शिक्षा की अवधारणा
- 7.5 शांति शिक्षा में मूल्यों का विकास
  - 7.5.1 व्यक्तित्व निर्माण
  - 7 .5.2 सौहार्दपूर्ण वातावरण
  - 7.5.3 जिम्मेदार नागरिक की भावना
  - 7.5.4 राष्ट्रीय एकता
  - 7.5.5 जीवन शैली में आन्दोलन के रूप में शान्ति शिक्षा
- 7.6 शिक्षा शांति के लिए
- 7.7 शांति शिक्षा का महत्व
- 7.8 सारांश
- 7.9 अभ्यास प्रश्न

# 7.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

#### 7.1 प्रस्तावना

शांति शिक्षा से तात्पर्य है कि ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति में मानवीयता, दया, प्रेम, स्नेह, सहयोग, सदभाव, साम्जयस्य, अभय, नैतिकता और अहिंसा की भावना जागृत कर सके और उसकी व्यवहार में परिणिति हो सके | शान्ति शिक्षा एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा हम समाज मे विद्यमान समस्त द्वंदों को समाप्त कर सकते है |

शान्ति शिक्षा तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर सार्थक और दृढ़ प्रयास न किये जाये | शान्ति शिक्षा के लिये हर देश प्रयत्नशील है और चिंतित भी है वे देश भी अब शान्ति के लिये तरस रहे है जिन्होंने कभी आतंक फ़ैलाने में सहयोग दिया था शान्ति के लिए पहल तो हर देश को करनी ही चाहिए क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि युद्ध से , हथियारों से या आतंकवाद से कोई मुद्दे नहीं सुलझते | हाल की कुछ घटनाओं से यह साफ़ हो गया है कि भारत को शांति के लिए पहल में सबसे आगे रहना चाहिए क्योंकि हमारे देश में बुद्ध , महावीर , गांधी जी जैसे महान आत्माओं ने शांति का सन्देश दिया है |

सामान्यत: युद्ध, हिंसा व अत्याचार की अनुपस्थित को ही शां ति मान लिया जाता है किन्तु ऐसा नहीं है क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि जहां हिंसा व युद्ध न हो वहां के व्यक्तियों में प्रेम, सौहार्द, सद्भावना, सहयोग आदि के गुण पाए जाते हैं | चूँकि प्रेम, सहयोग, मित्रता, सौहार्द, सद्भावना, अपनत्व आदि शां ति के ही प्रतीक हैं किसी भी व्यक्ति को आरामदायक जीवन यापन करने के लिए शान्ति की ही सबसे अधिक आवश्यकता होती है | शान्ति मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन को प्रभावित करती है | शान्ति के स्वरूप से परिचित होने के बाद हमें इसको प्राप्त करने के साधनों पर भी विचार करना होगा |

# 7.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात विधार्थी शान्ति शिक्षा के सन्दर्भ में निम्न उद्देश्यों को समझ सकेंगे ।

- शान्ति शिक्षा के अर्थ व अवधारणा को जान सकेंगे||
- शान्ति शिक्षा के मूल्यों को विकसित कर सकेंगे |
- शान्ति शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व का निर्माण कर सकेंगे |
- शान्ति शिक्षा के द्वारा सौहार्दपूर्ण वातावरण व राष्ट्रीय एकता को विकसित कर सकेंगे।
- जीवन शैली में आन्दोलन के रूप में शान्ति शिक्षा का निर्धारण कर सकेंगे |
- शान्ति शिक्षा के द्वारा जिम्मेदार नागरिक की भावना को विकसित कर सकेंगे।
- शान्ति को स्थापित करने में शिक्षा की भूमिका को समझ सकेंगे ।
- शान्ति शिक्षा के महत्व को समझ सकेंगे |

### 7.3 परिभाषा

व्यक्ति हो या समाज राष्ट्र हो या विश्व| शांति के सभी इच्छुक होते है क्योंकि शांति काल में ही सभ्यता का विकास होता है| शांति को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है ----"मनुष्य द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए अपनाई गई वह विधि जिसके द्वारा वह बिना किसी संघर्ष के अपने शरीर को अधिक से अधिक समय तक स्थिर बनाये रखने की चेष्टा करता है"

अत: कहा जा सकता है कि शांति मनुष्य का साकारात्मक पहलू है ! यह उसे पशुवृत्ति से निकाल कर प्रेम, दया व सहानुभूति इत्यादि सिखलाती है ,मगर यह तभी संभव है जब इसकी खोज जड़ो की ओर से करेंगे !

शांति को निम्नलिखित परिभाषाओं से समझा जा सकता है:-

- 1. "Set peace of mind as your highest goal, and organize your life around it"
  - ---Brain Tracy
- 2. ''मैं शांति में विश्वास रखता हूँ यदि आज शांति नहीं है तो कल कोई जीवन नहीं होगा'' ---गांधीजी
- "Establishing a lasting peace is the work of education, all politics can do is keep us out of war"
   Montessori
- 4. The road of peace begins with an effort to understand others and established a set of shared values" ---Comenius

# 7.4 शान्ति शिक्षा की अवधारणा

शान्ति शिक्षा लोगों को मानव अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है | शान्ति शिक्षा वह शिक्षा है जो अशोषित, अहिंसक तथा न्यायप्रिय समाज का निर्माण करती है | शान्ति शिक्षा की अवधारणा से अर्थ है कि सम्पूर्ण मानव जाति के ऊपर मंडराते युद्ध के बादलों को खत्म किया जाए जिससे हरेक मनुष्य के मन को शान्ति मिल सके | समाज के शोषित और कमजोर तबके को शोषण एवं अन्याय से मुक्ति मिले | शांति शिक्षा शांतिप्रिय लोगो की शिक्षा है जो कि इस पृथ्वी पर शान्ति कायम करने के योग्य होगे | शान्ति शिक्षा मुक्ति की शिक्षा है | शान्ति शिक्षा सीखने की प्रक्रिया है | शांति शिक्षा एक जीवन शैली है | शांति की अवधारणा मानवीय जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक है, जितनी हवा, पानी ,भोजन की आवश्यकता है | भारत शांतिदूत , स्वर्ण चिड़िया व विश्व गुरु के पद पर विभूषित रहा है | भारत ने हमेशा से ही शान्ति का संदेश दिया है | प्राचीन विद्याश्रमो में भी शान्ति,आचरण व दर्शन का पाठ पढाया जाता था | गुरुकुल में भी शान्ति,अहिंसा ,प्रेम का पाठ पढाया जाता था |

वास्तव में शान्ति शिक्षा कोई विचार या प्रणाली नहीं है, न ही इसका सम्बन्ध किसी क़ानूनी व्यवस्था से है | यह वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया समझने के योग्य बनाती है | दूसरे शब्दों में शान्ति शिक्षा वह जीवन शैली है, जो शोषण रहित, हिंसा रहित तथा न्यायप्रिय समाज की सरंचना करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है एवं मनुष्य का मनुष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है | प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं विचारक श्री जे. कृष्णमूर्ति जी का शान्ति के संबंध में यह वक्तव्य अत्यंत सटीक प्रतीत होता है कि —'शांति का समारंभ तो स्वयं अपने अवबोध से होता है इसके लिए संगठनो ,सत्ताधारियों या सरकारों पर निर्भर करना, और अधिक एवं व्यापक द्वद्वं को उत्पन्न करना है ! यदि हम वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें पहले अपने में परिवर्तन करना होगा !'

हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में भी प्रारंभ से है शांति की अवधारणा 'वसुधैव कुटुम्बकम' के उदघोष के रूप में देखी जा सकता है! समस्त पृथ्वी ही एक परिवार है, यह वाक्य शांति की भावना के आदर्श को इंगित करता रहा है! वेदों में भी शांति एवं जनकल्याण की भावना के विकास पर जोर दिया गया है! वेदों में मन्त्र रूप में वर्णित समस्त प्रार्थनाए विश्वबन्धुत्व की उदात्त भावनाओं से अनुप्राणित है! इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे प्राचीन संतो,महात्माओं एवं मनीषियों ने भी शांति और अहिंसा का प्रतिदान करने में कहीं भी चूक नहीं की! आधुनिक भारत के विचारकों ने भी शांनित ,अहिंसा पर ही जोर दिया था। २०वी शताब्दी के पूर्वार्द्ध में महात्मा गाँधी के सत्याग्रही विचारों ने एक बार फिर से लोगों को शांति और अहिंसा की ओर उन्मुख करने का प्रयास किया! उन्होंने 'बहुजनहित' एवं 'सर्वजनहित' के द्वारा ही शान्ति शिक्षा को अंगीकृत एवं आत्मसात किया! इन्होंने हिंसा को शांति का मार्ग मानने से इंकार किया और सत्याग्रह की वकालत की! उनका कहना था कि भारत का अहिंसा का मार्ग अपनाने का कारण यह नहीं कि भारत कमजोर है अपितु भारत इस बात को पहचान ले कि वह शरीर नहीं ,अमर आत्मा है।

शान्ति शिक्षा के सन्दर्भ में नित्य नव उद्देश्यों पर विचार समय-समय पर प्रस्तुत किये गए है| इसी सन्दर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा (N.C.E.R.T.-2005 P.188) में शान्ति शिक्षा के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किये गये है वे इस प्रकार है:-

- 1. व्यक्तियों को शांति का रास्ता चुनने के लिए सशक्त बनाना |
- 2. शांति के उपभोक्ताओं के बजाए शांति के निर्माता बनाने के योग्य बनाना |
- 3. मानव गरिमा के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न करना
- 4. आंतरिक शांति की खोज व समूह में रहने की सीख देना |
- 5. सच्ची , अहिंसक और गंभीर विचारधारा को विकसित करना|
- 6. छात्रों को धार्मिक सिहण्णुता ,अन्य प्रजातियों का आदर तथा धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों को आदर की दृष्टि से देखने के योग्य बनाना !
- 7. छात्रों में उदार मस्तिष्क ,विवेकपूर्ण चिंतन तथा विश्वव्यापी ज्ञान की खोज के लिए रूचि विकसित करना !

# 7.5 शान्ति शिक्षा में मूल्यों का विकास

शिक्षा के द्वारा सुसंस्कृत एवं चिंतनशील समाज का निर्माण कर शान्ति स्थापित की जा सकती है। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शान्ति शिक्षा के द्वारा जीवन मूल्यों को प्रतिस्थापित करना आज की महत्ती आवश्यकता है। किसी भी राष्ट्र का कल्याण एवं शान्ति वहां के नागरिको पर निर्भर करती है। यदि किसी राष्ट्र के व्यक्तियों में मूल्यों का अभाव है तो उस राष्ट्र में कदापि शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। मूल्य ही व्यक्ति को पारिवारिक एवं समाजिक जीवन के अनुरूप तथा सुसंगत तरीके से जीवन यापन करना सिखाते है।

आज हमें उस शान्ति शिक्षा की आवश्यकता है जिससे व्यक्ति मूल्यों को आत्मसात कर सके और आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग व्यक्तिगत संघर्ष, सामाजिक संघर्ष, पारिवारिक संघर्ष, जातीय संघर्ष, राज्य एवं राष्ट्रीय संघर्ष से मुक्ति पा सके और समाज ,प्रांत, राष्ट्र को विघटनकारी तत्त्वों से बचा सके समाज में रहते हुए व्यक्ति अपने विचारों एवं व्यवहारों से दूसरों के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करता है। हम वातावरण में जो कुछ सीखते है उस सीखने की प्रक्रिया के प्रमुख साधन है---(1) परिवार (2) समाज तथा (3) शिक्षण संस्थाए। यदि हम शान्ति शिक्षा सम्बंधित मूल्यों को विकसित करना चाहते है तो आवश्यक है कि हम सर्वप्रथम अपने विचारों में परिवर्तन करे। अपने प्रतिदिन के जीवन में कार्य के प्रतिमानों, भावनाओं, विचारों के प्रति जागरूक हो। हम बौद्धिक उपलब्धियों पर जोर ना देकर अध्यात्मिक मूल्यों को जीवन में अपनाने का प्रयास करे निस्संदेह शांति स्थापित करने के लक्ष्य में शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इसलिए आज इस बात पर प्राथमिकता देनी होगी कि शिक्षा द्वारा भगवान् बुद्ध ,नानक, कबीर, गांधी, मदर टेरेसा आदि के विचारों से आने वाली पीढ़ी को अवगत कराया जाए। महान पुरुषों ने अपने विचारों से, अपने उपदेशों द्वारा जो सन्देश दिए है उन सब को अपने जीवन में उतार कर ही हम उनके प्रति सच्ची श्र्दां जिल दे सकते है

आज कही मूल्य जीवत है तो वह देश भारत ही है | भारत में मूल्यों की शिक्षा देने में गौतम बुद्ध , महावीर स्वामी ,गांधी जी, विनोबा भावे , बाबा रामदेव , आचार्य तुलसी , रविशंकर जी आदि संत्रमहात्माओं तथा महा पुरुषों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है |

अन्याय ,अशांति , संघर्ष ,व अलगाव के युग के अंत के लिए यह जरुरी है कि परिवार तथा समाज के सदस्य बच्चों में मूल्यों को विकसित करने हेतु न केवल स्वयं प्रयास करे अपितु विद्यालय में मिलने वाली मूल्य शिक्षा के समर्थन हेतु उपयुक्तवातावरण सृजित करे |

शान्ति शिक्षा में मूल्यों के विकास में परिवार का योगदान अति महत्वपूर्ण है | परिवार संबंधो की एक व्यवस्था है जो माता-पिता व उनकी संतानों के बीच पायी जाती है | माता परिवार में एक आदर्श अध्यापिका मानी जाती है तथा घर पर दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही अधिक प्रभावशाली होती है | वास्तव में मूल्यों की शिक्षा घर पर ही शुरू होती है | अगर घर का वातावरण शान्ति पूर्ण होगा तो इसका विशेष प्रभाव बालक पर भी पडेगा | क्योंकि बालक जो देखता व सुनता है उसका ही अनुकरण करता है |

रेमांट ने ठीक ही कहा है कि "परिवार वह स्थान है जहां महान गुण उत्पन्न होते है, प्रेम का विकास होता है, न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य, परिश्रम और आलस्य में अंतर करके बालक अच्छी आदते ग्रहण करता है | यदि परिवार का वातावरण अच्छा होता है तो व्यक्ति की विचारधारा और उसके विकास पर प्रशसनीय प्रभाव पड़ता है |

इसी प्रकार शांति शिक्षा में मूल्यों के विकास में समाज का भी योगदान अति महत्वपूर्ण है। समाज संबंधी संकल्पना सामाजिक संबंधों में परिलक्षित होती है। ये संबंध मनुष्य के क्रियाकलापों से उत्पन्न व विकसित होते है। व्यक्ति व समाज का गहरा संबंध है किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय—समय पर उसी प्रकार बदलती रहती है जिस प्रकार समाज बदलता है। यह भी सही है कि शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप समाज के

स्वरूप को भी प्रभावित व निर्धारित करता है | परिवार, समाज के योगदान के साथ —साथ विद्यालय की भूमिका भी अति महत्वपूर्ण है | शिक्षक की भूमिका विद्यार्थियों में मूल्यों के विकास में बहुत मायने रखती है | इसलिए शान्ति शिक्षा में मूल्यों के विकास में परिवार, समाज एवं विद्यालय की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है | विद्यालय, परिवार और समाज तीनों अभिकरणों को मूल्यों की शिक्षा में रूचि लेनी चाहिए, मूल्यों के विकास के लिए अधिगम अनुभव प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए तथा मूल्य आधारित आचरण को स्वीकृत, पुरस्कृत, अनुमोदित तथा संभव बनाने के लिए अथक प्रयत्न करने चाहिए | निर्धनता के अभिशाप से भारतवासी को मुक्त कराना तथा मूल्यों में आस्था न रखने वालों से देश को बचाना है | परिवार व समाज मूल्यों के विकास में विद्यालयी प्रयासों के समर्थक, प्रेरक व पूक की भूमिका प्रभावशाली ढंग से निभा सकते हैं |

#### 7.5.1 व्यक्तित्व निर्माण

शिक्षा मानव समुदाय के लिए एक अमृत कलश है | इस शिक्षा रूपी अमृत का रसास्वादन करके ही मानव अपने सर्वागीण विकास की नींव को मजबूत करता है | युगों —युगों से चली आ रही गंगा की पावनता की तरह अविरल धारा केवल मानव समुदाय को ही नहीं बल्कि सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को पावनता व समाजिक समरसता से जीवन यापन करने व विश्व शांन्ति स्थापित करने का सन्देश देती है |

लेकिन समय परिवर्तन की धारा में आज सम्पूर्ण मानव जाति अपने आप को असहाय,तनावयुक्त, बेसहारा महसूस कर रहा है | आज विद्यार्थी के सर्वागीण विकास पर भी प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है कि उसका विकास कहाँ जा कर रुकेगा कह नहीं सकते | विधार्थी के व्यक्तित्व निर्माण में विद्यालय व शिक्षक द्वारा प्रदान की गयी शिक्षा बहुत महत्व रखती है | बालको में नैतिक मूल्यों का भी बहुत महत्व है | आज विद्यार्थी के जीवन को प्रभावशाली व आनन्ददायी बनाना हो तो सर्वप्रथम शिक्षक को अध्ययन-अध्यापन को आदर्श बनाना होगा | बालक के व्यक्तित्व निर्माण को सदृढ़ व सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयास नितात आवश्यक है जिससे संकीर्ण सम्प्रदाय , धार्मिक अन्धविश्वास , हिंसा , जातिवाद , क्षेत्रीयवाद आदि को समाप्त किया जा सके | व्यक्तित्व विकास की शिक्षा बालक के जीवन के व्यवहारिक सन्दर्भ से जुडी हुई होनी चाहिए | जिससे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण , समानता , प्रजातंत्र , स्वतंत्रता ,धर्मनिरपेक्षता , बंधुत्व आदि में सकारात्मक वैचारिक दृष्टिकोण आये जिससे वसुधैव कुटुम्बकम की भावना इतिहास पटल पर साक्षी बन सके तथा बालक के व्यक्तित्व निर्माण में कोई बाधा उत्पन्न ना हो सके |

शिक्षा मानव के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करती है और शिक्षा को विद्यालियों या महाविद्यालियों के द्वारा मुख्यतः प्राप्त किया जाता है इसलिए शांति के प्रचास प्रसार के लिए विद्यालय या महाविद्यालियों की सम्पूर्ण भूमिका है | शांति के लिए शिक्षा जीवन के लिए शिक्षा है न की जीवन जीने के तिरके जताने के लिए इस शिक्षा का अहम् उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के मानवीय मूल्यों का विकास करना व उसकी योग्यता और व्यवहार से पिरपूर्ण करना है |

#### बोध प्रश्न

- 1. शान्ति शिक्षा से क्या अभिप्राय है ?
- 2. शान्ति शिक्षा की अवधारणा क्या है?
- 3. शान्ति शिक्षा में मूल्यों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है ?
- 4. व्यक्तित्व निर्माण में शान्ति शिक्षा का क्या योगदान है ?

# 7.5.2. सौहार्दपूर्ण वातावरण

सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए जरुरी है कि हमें परिवार, समाज, प्रांत एवं देश में शान्ति स्थापित कर "वसुधैव कुटुम्बकम" की भावना जागृत करना, वर्ग संघर्ष, जातीय संघर्ष से मुक्ति दिलाना तथा मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म के भाव को विकसित करना, परोपकार, सेवा, सहानुभूति, , सौहार्दपूर्ण भाव विकसित कर देश- विदेशों के झगड़ों को परस्पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुलह कराने की भावना विकसित करना, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का पोषण एवं सुरक्षा करना तथा विभिन्नताओं में एकता के भाव हेतु प्रोत्साहित करना तथा 'जियो और जीने दो' के सिद्धांत पर अमल कर विश्व की समस्याओं से विधार्थियों को अवगत करा सुलह हेतु समाधान के लिए प्रेरित करना |

वर्तमान शिक्षा सौहार्द से मिलजुल कर जीने की कला को प्रोत्साहित करने के लिए अपर्याप्त है | हम समाजिक जीव है,आत्मिनर्भर द्वीप नहीं | गांधी जी ने आत्मिनर्भरता की बात कही थी लेकिन इसे सम्पूर्ण समझने की गलती नहीं करनी चाहिए | हमे एक दूसरे की जरुरत है | परस्पर –िनर्भरता स्वावलंबन का मानवीय चेहरा है | हम दूसरो से अपने को कैसे जोड़ते है और कैसा व्यवहार करते है , यही हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करता है | इसलिए वर्तमान में ऐसी शिक्षा की जरुरत है जो विद्यार्थियों में ऐसे मूल्य और कौशल के बीज बो सके जो उन्हें दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सिखाए | "सौहार्द के साथ मिलजुल कर रहना" शिक्षा के चार स्तंभों में से एक है |

आज की शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है | तथ्यों और वस्तुओं के साथ जुड़ने के लिए शुरू से ही विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा की भावना में प्रशिक्षित और पोषित किया जाता है | सीखना ऐसे परिवेश में स्थान पाता है जो आपसी संबंधों और रिश्तों की वास्तविकता से कोसों दूर है | इसलिए हमें शुरुआत घर से ही करनी पड़ेगी | बचपन से ही बालक को आपसी संबंधों और रिश्तों के महत्व से परिचित कराना होगा कि हमें आपसी संबंधों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में कैसे निभाना है | यह सीखना होगा |

#### 7.5.3 जिम्मेदार नागरिक की भावना

सभी भारतीय जो आपस में जो सांझा करते है, वह धर्म नहीं नागरिकता है | नागरिकता राष्ट्रीय एकता और अस्मिता का ढांचा है | जिम्मेदार नागरिकता सामूहिक शान्ति के लिए साँचा भी है | जिम्मेदार नागरिको की निष्ठा और चेतना के विस्तारण के इर्द-गिर्द घूमती है | इसे हल्के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिये इसकी शुरुआत समुचित शिक्षा के माध्यम से की जा सकती है एक जिम्मेदार नागरिक खुद को एक परिवार, पास-पड़ोस, गाँव, नगर, एक धार्मिक समुदाय एवं एक राष्ट्र और इन सबसे परे विश्व के सदस्य के रूप में पहचानने लगता है |

नागरिक की पहली निष्ठा सिवधान के प्रति है | जब धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के नागरिक राष्ट्रीय हितों के लिए वंश, जाति या धर्म के प्रति निष्ठा के ऊपर ना उठे, तो यह एक गंभीर समस्या है।

# 7.5.4 राष्ट्रीय एकता

राष्ट्र का जीवन हर समय क्रमिक विकास की स्थिती में रहता है| धार्मिक ,भाषिक और सांस्कृतिक बहुरूपता हमारे इतिहास और धरोहर में अंतर्निहित है | आज हमें इस विलक्षण नीव पर निर्माण करना है |

राष्ट्र को सशक्त व सुदृढ़ बनाने के लिए शांति शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे भारतीयजन में राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़े और संकीर्ण सम्प्रदायवाद , धार्मिक अतिवाद , हिंसा , अंधविश्वास व भाग्यवाद को समाप्त किया जा सके | वस्तुतः शांति शिक्षा बालक की विशिष्ठ सामाजिक तथा सांस्क्रतिक संदर्भ से जुड़ी हुई होनी चाहिए | और विश्व समुदाय व आदर्श मूल्यों से भी उसका सम्बंध होना चाहिए | वैज्ञानिक द्रष्टिकोण , समानता , प्रजातंत्र , स्वातंत्रता , बंधुत्व, धम्मिरपेक्षता आदि में वैचारिक सकारात्मक द्रष्टिकोण लाने के लिए

शांति शिक्षा सभी स्तरों के लिए आवश्यक हैं। जिससे 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना इतिहास पटल पर साक्षी बन सके।

#### 7.5.5 जीवन शैली में आन्दोलन के रूप में शान्ति शिक्षा

युद्ध और हिंसा जीवन शैली के उपोत्पाद हैं| हिंसा की जड़ें जरुरतो की कभी न ख़त्म होने वाली इच्छाओं में तब्दील होने में गड़ी हुई हैं जो अस्थिर जीवन शैली को जन्म देती हैं | शांति के आधार तैयार करने के लिए मुख्य रणनीति जीवन शैली को पुनःस्थापित करने की जरुरत होनी चाहिए न की असीमित लालच को कम करने की | धनलोलुपता वह एकतरफा संबंध है जो देखभाल के तर्क का विरोध करती है | यह प्रकृति से एक निर्जीव वस्तु सा व्यवहार करती है जिसका जितना दोहन किया जाए कम है | इस तरह विकास लूट -खसोट में बदल जाता है | लालसाओं से संचालित विकास हिंसक और अस्थिर होगा | मौजूदा पर्यावरणीय संकट इसी के कारण से है | भूमं डलीकरण, लालच या भूख को ईश्वर मानता है | आसक्त और उभोक्तावादी जीवन शैली की पहचान भावशून्यता और निष्ठुरता है | ये शांति की संस्कृति के सबसे बड़े दुश्मन हैं |

# 7.6 शिक्षा शान्ति के लिए

आज की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है की मानव का सर्वागीण विकास (संज्ञानात्मक, भावात्मक, एवं क्रियात्मक) करना| क्योंकि आज विश्व एक वैश्विक गाँव सा बन गया है | उसकी मांगो को पूरा करने के लिए मानव का बहुपक्षीय विकास होना आवश्यक है | लेकिन वैश्वीकरण के साथ ही चारो और प्रतिस्पर्धा का वातावरण भी अत्यंत तीव्र गित से बढ़ रहा है | जिससे समस्त मानव मनो में अशांति फ़ैल गई है | जिसका प्रमुख कारण द्वन्द,तनाव, अवसाद की स्थितिया है | चारो तरफ प्रतिस्पर्धा की भावना, कदम – कदम पर चुनौती भरी जिन्दगी, हर व्यक्ति को पहले पाने की आतुरता, प्रतिदिन एक नई समस्या, नए दौर में मशीनीकृत जिन्दगी का सफ़र ,समय की सुइयों का रफ़्तार से चलना व उससे से भी अधिक रफ़्तार चारो और है जो तनाव पूर्ण परिस्थितियों को उत्पन्न कर अशांति फैला रही है |

अब प्रश्न यह है की इस अशांति को दूर कैसे किया जाये ?शान्ति की स्थापना हेतु किसे सशक्त माध्यम के रूप में चुना जाए।

हमारी अपनी सोच है कि शिक्षा के माध्यम से शान्ति की स्थापना आसानी से की जा सकती है | शिक्षा से तात्पर्य है ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति में मानवीयता, दया,प्रेम ,स्नेह, सहयोग ,सदभाव , सामजस्य , अभय , नैतिकता और अहिंसा की भावना जागृत कर सके और उसकी व्यवहार में परिणिति हो सके | शांति शिक्षा एक एसा प्रयास है जिसके द्वारा हम समाज में विद्यमान समस्त द्वंद्वों को समाप्त कर सकते हैं किन्तु यह प्रारम्भ कहाँ से हो यह कौन सी पुस्तक में किस प्रकार लिख दिया जाए कि यह युवा वर्ग व बालक के ज्ञान की नींव बन जाये | शांति शिक्षा तब तक सफल नहीं हो सकती , जब तक व्यक्ति , राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर सार्थक और दृढ प्रयास न किये जाये | साथ ही विश्व शान्ति स्थापित करने के लिए सिर्फ चिंत की शांति या सामाजिक शांति में से किसी एक स्तर पर प्रयास न करके दोनों स्तरों पर प्रयास अपेक्षित है |

शान्ति को बालक के संस्कारों में डाला जाये। संस्कार प्राप्त होते है माँ, से परिवार से, विद्यालय में अध्यापक से। निःसंदेह इसमें अध्यापक की भूमिका विशिष्ट है।

शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टि कोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है, जो प्रकृति व मानव जगत के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है| एक अबोध बालक की प्रथम गुरु माता होती है| वह जब विद्यालय में प्रवेश लेता है तब वह परिवार से जो भी सीखता है, अपने साथ लेकर विद्यालय में आता है, वहाँ शिक्षक का दायित्व बनता है की उसके स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास करे | एक शिक्षक जैसा चाहे वैसा व्यक्तित्व – निर्माण बालक का कर सकता है | बालको की जिम्मेदारी जिन शिक्षकों को सौंपी गई हैं | प्रथमत: उन्हें ही शांति शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए | बी. एड. के पाठ्यक्रम में भी शान्ति के लिए शिक्षा – प्रशिक्षण को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए जिससे वे यह जान सकें की विश्व – शांति किस प्रकार स्थापित होती है ?

समाजिक सिहण्णुता और सामंजस्य के संवर्धन में शान्ति शिक्षा की अहम भूमिका है शांति शिक्षा का प्रयास मात्र शिक्षक का ही दायित्व नहीं है अपितु समाज के हर प्राणी का है जो विवेकशील है, सजीव है सरोकारी है फिर चाहे वह अभिभावक समाज के या राजनीति के पहरेदार है क्योंकि प्रयास अगर सिम्मिलत होगें तभी सफलता की दिशा में अग्रसर हो पाएँगे | बूंद-बूंद से सागर बनता है और क्षण —क्षण से जीवन | बूंद को जो पहचान ले, वह सागर को जान लेता है और शान्ति के क्षण को जो पा ले, वह वह जीवन को पा लेता है | क्षण में शाश्वत की पहचान ही शांति का रहस्य है शांति की शिक्षा से कैसी भी परिस्थिति में फंसा व्यक्ति अपने आप के साथ समायोजन साध लेता है | शांति , शांति की शिक्षा के माध्यम से ही हो सकती है | ऐसी शिक्षा जो न्याय , क्षमता तथा अहिंसा आदि मूल्यों का रोपण करने वाली हो | जिससे कलियुग में सतयुग का निर्माण हो सके |

शान्ति के लिए शिक्षा के मुख्य कार्यक्षेत्र हो सकते हैं | जैसे शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों में शान्ति के प्रति झुकाव पैदा किया जा सकता है | विद्यार्थियों के भीतर उन सामाजिक कौशलो और अभिरुचियो का पोषण करके दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्वक जीने के तरीके सिखाए जा सकते है | सृजन की निरंतरता और समाज की स्थिरता के लिए सहायक जीवन शैली निर्मित करने की जरूरत के प्रति विद्यार्थियों को जागरुक बनाया जा सकता हैं |

### 7.7) शान्ति शिक्षा का महत्व

विज्ञान प्रधान युग में समाज में शान्ति की स्थापना आज की महती आवश्यकता है | इसका महत्व और भी बढ़ जाता है जब हम अपने चारों और देखते है कि आज का मनुष्य कितना स्वार्थी,चालबाज , लालची,जातीय द्वेष ,भेदभाव , पक्षपात ,नस्लवाद , आतं कवाद , नरसंहार , पर्यावरण विनाश और हिंसा जैसी कुत्सित प्रवृतियों में लिप्त है | व्यवहार और जीवनशैली में संवेदनाये टूटती जा रही है | विश्व में जो अशांति, अपराध, भ्रष्टाचार है , संस्कारों की कमी से हो रहा है | आज पूरा विश्व दौड़ता दिखाई दे रहा है | जीवनशैली में गित के लिए भी ठहराव जरुरी है | अध्यात्मिक व नैतिक मूल्यों का तीव्रता से पतन होने के कारण वर्तमान समय में समाज का सम्पूर्ण परिदृश्य तीव्रता से परिवर्तित हो रहा है |

इसलिए आज के परिदृश्य को देखते हुए शान्ति शिक्षा का महत्त्व बहुत अधिक महसूस होता है | शान्ति ही समाज में व्याप्त अनेक अपराधो व दोषों पर नियंत्रण व अंकुश लगा सकती है | शान्ति की शिक्षा से आत्मसयम व आत्मनियंत्रण के अभ्यास द्वारा अनेक मनोवैज्ञानिक रोग —तनाव, अवसाद, कुंठा में भी कमी आ सकती है | हमें शान्ति शिक्षा के माध्यम से बालको में उन आदतों व प्रवृतियों का विकास करना होगा जिनसे वह परिवार, समाज, जीव —जंतु तथा प्रकृति के साथ एकता से रह सके शान्ति मनुष्य का महान गुण है | शान्ति की स्थापना सकारात्मक विचारों से ही हो सकती है | शान्ति और शिक्षा मानव जीवन का अनिवार्य अंग बन गयी है | अत: शान्ति शिक्षा से आने वाली पीढ़ी को चरित्रवान बनाया जा सकता है |

#### बोध प्रश्न -2.

- 1. सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने में शान्ति शिक्षा कैसे सहायक हो सकती है ?
- 2. शान्ति शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकता को कैसे स्थापित किया जा सकता है ?

- 3. जीवन शैली में आन्दोलन के रूप में शान्ति शिक्षा की क्या भूमिका है ?
- 4. जीवन में शान्ति शिक्षा का क्या महत्व है ?

#### **7.8 सारांश**

निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि शान्ति शिक्षा निश्चित रूप से मानव जाति की रक्षा और कल्याण में अपना सहयोग देगी | शान्ति शिक्षा के अभाव में ही मानव संवेदना अमानवीय रूप लेती जा रही है | ऐसी परिस्थितियों में हमारी प्रथम आवश्यकता इस गंभीर समस्या के मूल तक जाना है | विश्व में शान्ति और बंधुत्व की भावना का विकास तभी हो सकेगा जब शान्ति शिक्षा के महत्व को शिक्षा जगत के प्रत्येक स्तर से जोड़ा जाये | शिक्षा जगत से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को अपने दायित्व पहचानते हुए मानवता को बचाने के समर्पित भाव से आगे बढना होगा | हमारे सम्मिलित प्रयास ही 'वसुधैव कुटुम्बकम' एवं 'सर्वे भवन्तु सुखिन:' के दर्शन को सही अर्थ में रूपांतरित कर सकेगे।

वर्ष 2001 में नोबल शान्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपित ओबामा ने बेझिझक कहा—" मैं शान्ति दूत महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानता हूँ" सच है , हमे गौरवान्वित होना चाहिए कि भारत भूमि में कई ऐसी हस्तियों ने जन्म पाया है , जिन्होंने विश्व को शान्ति एवं अहिंसा का पाठ पढाया है | स्वयं महात्मा गांधी ने कहाँ था —"शिक्षा का अंतिम उद्देश्य 'चिरित्र निर्माण' है | जहां व्यक्ति का मन समस्त कष्टों से मुक्त हो और उसका मस्तक सदा उंचा रहे | ऐसा तभी संभव है जब सम्बंधित समाज एवं राष्ट्र ही नहीं वरना समस्त विश्व में शान्ति की स्थापना हो |

स्थाई शांति स्थापित करने के लिए सम्पूर्ण विश्व को आगे आना होगा विश्व के समस्त नागरिको को इसमें अपना योगदान देना होगा | औपचारिक शिक्षा प्रणाली में 'शान्ति शिक्षा' को शामिल किये बिना किसी भी राष्ट्र के नागरिको के चिरत्र निर्माण की परिकल्पना मिथ्या मात्र ही होगी| आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी शान्ति शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया है और अपने सदस्य राष्ट्रों से आग्रह किया है कि छात्रों को शान्ति का पाठ अनिवार्य रूप से पढाया जाए, फलस्वरूप हर व्यक्ति को शान्ति की महत्ता का आभास होगा और वह अशांति एवं युद्ध के दुष्परिणाम से अवगत होगे | आज विश्व में बढ़ता आतंकवाद स्पष्ट रूप से अशिक्षा ,बेरोजगारी , निराशा एवं अराजकता का ही दुष्परिणाम है | अमेरिका , भारत ,रूस व पाकिस्तान आदि आज हर राष्ट्र आतकवाद का सामना कर रहा है | 'युद्ध का समाधान युद्ध' कदापि नहीं हो सकता | अत: शान्ति शिक्षा ही यह पावन साधन है जिसके बल पर हम समस्त विश्व में 'वसुधैव कुटुम्बकम' के स्वप्न को साकार कर सकते है |

#### 7.9 अभ्यास प्रश्न

- 1. शान्ति शिक्षा को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए?
- 2. शान्ति शिक्षा में मूल्यों के विकास में परिवार, समाज व विद्यालय की भूमिका पर प्रकाश डालिए?
- 3. आज की जीवन शैली में शान्ति शिक्षा का क्या महत्व है? इसके द्वारा सौहार्दपूर्ण वातावरण कैसे स्थापित किया जा सकता है?
- 4. जिम्मेदार नागरिक की भूमिका व राष्ट्रीय एकता विकसित करने में शान्ति शिक्षा की क्या भूमिका है?

## 7.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- N.C.E.R.T. (2005): National Curriculum Framework.
- N.C.E.R.T.(2000): Position Paper on Peace Education.

- UNESCO (2001): Learning the way of Peace, A Teacher's Guide to Peace Education.
- मारिया मोंटेस्सरी (1972):एजुकेशन एण्ड पीस, रेजन्सी, यूनिवर्सिटी आफ मिशिगन
- सोलोमन और नेवो (2000): पीस एजुकेशन,प्रैक्टिस अराउंड दा वर्ल्ड, लन्दन
- ट्रू माइकल , (2007): पीपल पॉवर: फिफ्टी पीस मेकर एण्ड देयर कम्युनिटीज, रावत पब्लिकेशन , जयपुर .
- भारत सरकार (1949): रिपोर्ट आफ़ दा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन,नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय
- भारत सरकार (1953): रिपोर्ट आफ डा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय
- हांडा, एम. एल. (1983): मेनिफेस्टो फार ए पीसफुल वर्ल्ड आर्डर: ए गांधियन पर्सपेक्टिव, नई दिल्ली: गांधी भवन
- हैरिस , आई. एम. (1988): एजुकेशन फार पीस, लन्दन: मैकफारलैंड एंड कंपनी
- मारिया, डी.(2003): वैल्यू एजुकेशन फॉर पीस, द सी.टी.ई.जर्नल
- पांडे, एस . (2004): एजुकेशन फॉर पीस: सेल्फ इंस्ट्रक्शनल पैकज फॉर टीचर एडूकेटर्स
- भारत सरकार (1993): लर्निंग विदाउट बर्डन, नई दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय , शिक्षा विभाग

## इकाई-8

# शांति शिक्षा में आलोचनात्मक मुद्दे

## **Critical Issues in Peace Education**

## इकाई की रूपरेखा

- 8.1 प्रस्तावना
- 8.2 उद्देश्य
- 8.3 परिभाषा
- 8.4 पाठ्यक्रम भार
  - 8.4.1 पाठ्यक्रम भार को बढ़ाने वाले कारक
- 8.5 पाठ्यपुस्तक लेखन
  - 8.5.1 पाठ्यपुस्तक और अध्यापक
- 8.6 मूल्यांकन और परीक्षा
  - 8.6.1 विद्यालय समुदाय द्वारा समीक्षा
- 8.7 अध्यापक शिक्षा
- 8.8 विद्यालय वातावरण
- 8.9 मीडिया और हिंसा
- 8.10 शिक्षक-अभिभावक रिश्ते और शांति शिक्षा
- 8.11 सारांश
- 8.12 अभ्यास प्रश्न
- 8.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

#### 8.1 प्रस्तावना

मनुष्य मूलतः अहिंसक व शांतिमय वातावरण में रहने वाला सामाजिक प्राणी है। मानव ही क्यों ? प्राणी मात्र का स्वभाव शांतिपूर्ण व अहिंसक ही होता है। इसी बात की पुष्टि करते हुए गांधी जी, हरिजन के एक अंक में लिखते हैं '' पशु रूप में मनुष्य हिंसक है, पर आत्मा रूप में वह अहिंसक है। उस के भीतर की आत्मा जाग्रत होते ही वह हिंसक नहीं रह सकता। या तो वह अहिंसा की ओर प्रगति करता है या फिर विनाश की ओर।'' गांधी जी मानते हैं कि हिंसा मनुष्य में छिपे पशु का स्वभाव हो सकती है, पर मनुष्य का मूल स्वभाव नहीं हो सकती। मनुष्य का मूल स्वभाव तो अहिंसा ही रही है। ''मानवीय चेतना के

विकास का अर्थ है मनुष्य का निरंतर अहिंसक होते जाना। जीवन मात्र के,अस्तित्व मात्र के प्रति लगाव, प्रेम, करूणा, अनुकम्पा की सूक्ष्मतर अनुभूति अहिंसा के भाव की ही गुणाभिव्यक्तियां हैं। अहिंसक होना ही वास्तिवक अर्थों में मनुष्य होना है।

और जीवन के विकास की गति में सार्थक भूमिका निबाहना है।

वर्तमान समय में मनुष्य को हिंसक बनने से रोकने के लिए शांति शिक्षा की ज़रूरत है। और इसकी शुरुआत हमें विद्यालयों से करनी होगी। वर्तमान समय के शांति शिक्षा के आलोचनात्मक मुद्दों को पहचानना होगा। तथा उनको शांति शिक्षा के अनुरूप सुधार करना होगा।

## 8.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् आप शांति शिक्षा में आलोचनात्मक मुद्दे के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। जैसे –

- शांति शिक्षा के आलोचनात्मक मुद्दे कौन-कौन से है इसे समझ सकेंगे।
- पाठ्यक्रम भार के अर्थ को समझ सकेंगे।
- शां ति शिक्षा में पाठ्यपुस्तक लेखन और मूल्यांकन और परीक्षा के महत्त्व को समझ सकेंगे।
- विद्यालय वातावरण और मीडिया और हिंसा में शांति शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कर सकेंगे।
- शांति शिक्षा के सन्दर्भ में शिक्षक अभिभावक रिश्ते– को समझा सकेंगे।

## 8.3 परिभाषा

''शाश्वत शान्ति की प्राप्ति के लिए शान्ति की इच्छा नहीं बल्कि आवश्यक है इच्छाओं की शान्ति''

- स्वामी ज्ञानानन्द

"घृणा घृणा से नहीं प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है"

- भगवान गौतम बुद्ध

"यदि मानव दानव बन जाता है तो ये उसकी हार है, यदि मानव महामानव बन जाता है तो ये उसका चमत्कार है, यदि मनुष्य मानव बन जाता है तो ये उसके जीत है" -

सर्वपल्ली राधाकृष्णन

## 8.4 पाठ्यक्रम भार (Curriculum load)

बालक के चहुंमुखी विकास के लिए आवश्यक है कि उसको सभी प्रकार का ज्ञान दिया जाये। आज के माता पिता चाहते हैं की उनका बच्चा पड़ोसी के बच्चे से आगे रहे अतः वे अपने बच्चे का एडिमशन ऐसे स्कूल में करवाना चाहतें है जहाँ पर विद्यालय का पाठ्यक्रम विस्तृत हो। इसी विस्तृत पाठ्यक्रम की वजह से बच्चों पर बोझ आ जाता है। आज के समय जब छोट-छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके बैग का वजन और आकार देख कर किसी का भी दिल दुखी हो जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि बच्चों पर पाठ्यक्रम का भार शारीरिक (पुस्तकों के बेग का विद्यार्थी पर वजन) और मानसिक

(पाठ्यक्रम में अधिक संख्या में पुस्तकों का होना) दोनो ही परिपेक्ष्य में होता है। अतः इसे देखकर कई सवाल उठते हैं जैसे –

उन बड़े-बड़े बैगों में कितनी सारी पुस्तकें होगीं और क्या उन सभी पुस्तकों की ज़रूरत बच्चों को है? क्या इतनी सारी पुस्तकों से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जायेगा?

क्या शिक्षा की गुणवत्ता पुस्तकों की संख्या पर निर्भर करती है?

अगर बालक का सर्वांगीण विकास करना है तो पाठ्यपुस्तकों की संख्या बढ़ाने की अपेक्षा हमे पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। शिक्षा की गुणवत्ता को उसमे शामिल सूचना की मात्र से तुलना करना गलत है। सिर्फ पाठ्यपुस्तकों के भार के जिरए "पाठ्यक्रम बोझ का अनुमान लगाना ठीक नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि "बोझ"का प्रश्न समझ में ना आने वाली विषयवस्तु के भार को शामिल करता है। लेकिन ये इससे भी आगे जाता है। "बोझ" जितना "मात्रात्मक" है उतना ही "खैये से सम्बंधित" भी। कोई छोटी सी जिम्मेदारी भी उस समय बोझ लगती है, जब कोई उसे पसंद नहीं करता हो।

#### 8.4.1 पाठ्यक्रम भार को बढ़ाने वाले कारक -

पाठ्यक्रम के मात्रात्मक पहलू से अलग, सिखाने को बोझ में बदलने वाले कारक निम्नलिखित हैं –

- 1. अध्यापक पाठ्यक्रम को बोझ की तरह लेते हैं और यही बोझ का भाव विद्यार्थियों में अनजाने में ही चला जाता है।
- 2. संज्ञानात्मक की विशिष्ट तानाशाही विद्यार्थियों के लिए सिखाने को श्रमसाध्य अनुभव बना देती है ना कि आनंदपूर्ण। आनंद बोझ के भाव को कम कर देता है।
- 3. गहन प्रतिस्पर्धा के सन्दर्भ में अभिभावकों की अत्यधिक महत्त्वाकां क्षाएँ।
- 4. वर्तमान में शिक्षा प्रचलित उपागम के तहत व्यक्तित्व और भीतरी संसाधनों का विकास तनाव और दबाव से निपटने के अयोग्य बनाता है।

शांति के लिए शिक्षा को लागु करने के मामले में पाठ्यक्रम का बोझ गंभीर व्यवहारिक निहितार्थ लिए हुए है। पाठ्यक्रम के बोझ के भाव चलते अगर हम पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा को शामिल करें तो कहीं ये भी पाठयक्रम के बोझ का एक हिस्सा ना बन जाए। चूँिक शांति के लिए शिक्षा को पाठ्यक्रम में समेकित रूप से शामिल करना है, ऐसे में बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि नये पहलू को व्यवहार में उतारने के लिए उन्हें प्रयाप्त शैक्षणिक समय उपलब्ध है या नहीं। शिक्षकों को अपने शैक्षणिक रवैये में रचनात्मक नवाचारी तथा शिक्षाशास्त्रीय दृष्टि से उधमी होना होगा, ये सभी गुण बोझ और वंचित होने के अहसास से दबाए जा सकते हैं।

## 8.5 पाठ्यपुस्तक लेखन(Textbook writing)

पुस्तकों के माध्यम से ही कक्षा कक्ष में शिक्षक व छात्रों के मध्य विचारों का आदान प्रदान कर अन्तः क्रिया की जाती है। पाठ्यपुस्तकें एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा शिक्षक विद्यालय में अपने उद्धेश्यों और कुशलताओं का विकास, चारित्रिक विकास, भावात्मक विकास कर सकता है।

पुस्तकें एक योजक कड़ी होती हैं जिसके माध्यम से शिक्षक तथा बालक आपस में जुड़े होते हैं। पाठ्यपुस्तक वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक सूचनाओं को बालक तक पहुचाता है तथा उनका व्यक्तित्व तथा बौध्दिक विकास करता है। अतः पुस्तकों में ऐसी सूचनाओं को शामिल करना चाहिए जो बालक को हिंसा से अहिंसा के मार्ग पर ले जाये। पाठ्यपुस्तकों में ऐसी सूचनाओं का समावेश नहीं होना चाहिए जो उनमे अलगाव, हिंसा, भेदभाव, लैंगिक मतभेद आदि का विकास करे। पाठ्यपुस्तक की विषयवस्तु ऐसी होनी चाहिये जो उनमे मिलजुल कर रहने की शिक्षा, सौहार्द की भावना का विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, मूल्यों का विकास कर सके। भौतिकतावादी तथा इस अलगाववादी संसार में वह खुद को समायोजित कर खुद का तथा भारत वर्ष का विकास कर सके।

पाठ्यपुस्तकों में व्यवहार और मूल्यों को साफ-साफ एवं निष्ठा से व्यक्त करना चाहिए। यह ज़रूरी है कि पाठ्यपुस्तकों को शांति के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से लिखा और तैयार किया जाये।

## 8.5.1 पाठ्यपुस्तक लिखते समय सावधानियाँ

पाठ्यपुस्तक लिखते समय निम्न सावधानी बरतनी चाहिए।

#### - भाषा:-

पाठ्यपुस्तक की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से विषयवस्तु के स्पष्ट अर्थ को बालक तक पहुंचा सके। इसमे ऐसी शब्दशैली का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे हिंसा से बचा जा सके, भड़काऊ- उकसाऊ, मतभेद,हीनभावना उत्पन्न करने वाले शब्दों का उपयोग नही होना चाहिए। ऐसी भाषा उपयोग में लेनी चाहिए जो उनको एकता और शांति के पथ पर चलने को प्रेरित करे। जिससे कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहे।

## - सामग्री और प्रस्तुतीकरण:-

कई बार प्रभाव डालने के उद्धेश्य से दिए गए उदाहरण और चित्र हिंसापूर्ण और अतिनाटकीयता पक्ष को मजबूत करते है। हिंसा के अस्पष्ट रूप पाठ्यपुस्तक लेखन में आम है। वे पूर्वाग्रहों और भेदभाव की रूढ़ता को थोपते है। प्रोब. (पी.आर.ओ.बी.ई.) रिपोर्ट में सामने आये कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं —

- मध्यप्रदेश में सरकारी स्कूलों की कक्षा 4,5 और 6 की पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण किया गया।
   उसमे एक भी चिरत्र ऐसा नही था जो अनुसूचित जाित की पृष्टभूमि का हो। हालाँ कि इन स्कूलों में आने वाले विद्यार्थियों का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाित और अनुसूचित जनजाित का है।
   इस प्रकार का निष्कासन भी एक प्रकार की हिंसा है जो हीनता की भावना को जन्म देती है।
- उत्तरप्रदेश की कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक (ज्ञानभारती) में 49 चित्र पुरषों के हैं। इनमें वैज्ञानिक, सिपाही, दो डॉक्टर, एक अध्यापक, एक राजा और किव शामिल है। वही इसके विपरीत सिर्फ 14 महिलाओं और लड़िकयों को स्थान दिया गया है। लगभग सभी को सहयोगी भूमिकाओं या मानक "औरत" की भूमिका में पेश किया गया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के निर्देशों के खिलाफ है। जिसमें स्कूली पाठ्यचर्या में "लिंग रूढ़ता" से बचने की बात कही गयी है।

## - पाठ्यपुस्तक की नीरसता को दूर करना

पाठ्यपुस्तक लेख़न में शांति बोध को समाहित कर नीरसता को दूर किया जा सकता है। सूचना प्रदान करने के एक मात्र उद्धेश्य के साथ पाठ्यपुस्तक लेखन एक दम नीरस होता है और विद्यार्थियों में रूचि जगाने में भी असफल इस प्रक्रिया में शांति मूल्यों को बढ़ानें और शांति सम्बन्धी अंतर्दृष्टि को गहरा करने के बेशकीमती मौके खो जाते हैं। अतः आवश्यक है की पाठ्यपुस्तक को रुचिकर बनाने के लिए उसमे मूल्यों तथा शांति सम्बन्धी अंतर्दृष्टि को विकसित करने हेतु प्रयास किये जाये।

## - पाठ्यपुस्तक लेखन में व्यापक संदर्भों को सम्मिलित करना

पाठ्यपुस्तक लेखन की आदर्श स्थित तो यह है कि पाठ्यपुस्तक में व्यापक संदर्भों का समावेश किया जाना चाहिए, जिसमे विद्यार्थियों का शैक्षिक निर्माण स्थान लेता है। लेखन को सामाजिक, आर्थिक असमानताओ, नकारात्मक व्यवहारों,भेदभावपूर्ण रूढ़ता, जाति और लिंग आधारित पूर्वाग्रहों, उभरती लोक प्रचलित संस्कृति में व्यापक रुझान विशेषतः बढती हिंसा को मापना जिसमे शिक्षा का व्यापक परिप्रेक्ष्य भी शामिल है, की जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक विषय को लेते समय उन्हें रचनात्मक ढंग से "शांति अवसरों" का लाभ उठाना चाहिए।

#### - विद्यार्थियों को जागरुक करने के अवसर

विद्यार्थियों को वास्तविक यथार्थ के प्रति जागरुक करने के अवसरों का समावेश भी पाठ्यपुस्तकों में करना चाहिए। उनको उनकी जिम्मेदारी और कर्तव्यों के प्रति अवगत करना चाहिए। उदाहरण के लिए कक्षा 4 की पर्यावरण बोध की पाठ्यपुस्तक के अध्याय "भोजन की जरुरत" को लिया जा सकता है। इस अध्याय में लेखक सफाई, सम्पूर्ण भोजन को वरीयता और भोजन बर्बाद न हो, इस प्रकार की बातों पर ध्यान देने जैसे मूल्यों की सिफारिश करता है। लेकिन लेखक बच्चों को गरीबी और कुपोषण के बारे में बताने का कोई प्रयास नहीं करता, जिससे हमारे समाज के निचले वर्ग के हजारों बच्चे शिकार हैं।

## - पाठ्यपुस्तक में विविधताओं का समावेश

भारत असंख्य विविधताओं वाला एक विशाल राष्ट्र है। अधिकतर पाठ्यपुस्तक लेखक शहरी एवं उच्च पृष्ठभूमि से होते है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह पक्षपात पाठ्यपुस्तक लेखन में झलक जाता है। पाठ्यपुस्तकों में बमुश्किल ग्रामीण और जनजातीय वास्तविकता को चित्रित किया जाता है। इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

## 8.5.2 पाठ्यपुस्तक और अध्यापक

पाठ्यपुस्तक कितनी भी अच्छी क्यों न हो यह अध्यापक के हाथ में जाकर ही सफल होती है। अतः अध्यापक को शांति शिक्षा के ज्ञान और दृष्टिकोण का उपयोग करके पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु छात्रों तक पहुचाना चाहिए और पाठ्यपुस्तक को पढ़ते समय उसमे उपस्थित शांति तथा अहिंसा की विषयवस्तु पर ज़ोर देना और हिंसात्मक विषयवस्तु के दुष्परिणामों से अवगत कराना चाहिए।

प्रत्येक पाठ्यपुस्तक सामग्री की व्यवहार एवं सम्पूर्ण दृष्टि के आधार पर पूर्ण समीक्षा होनी चाहिए। नकारात्मक दृष्टि से पाठ्यपुस्तकों को शांति विरोधी विचारो और व्यवहारों से दूर रखने की जरुरत है। सकारात्मक दृष्टि से यह देखे जाने की जरुरत है कि इसमें शांति का अवसर प्रयाप्त है या नहीं। पाठ्यपुस्तकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा पर भी संवेदनशीलता से ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि यह

सुनिश्चित किया जा सके कि सौंदर्यात्मक रूप से संवेदनशील और सामाजिक रूप से जागरुक व्यक्तियों का निर्माण हो।

#### बोध प्रश्न –

- 1. पाठ्यक्रम के शारीरिक और मानसिक बोझ कौन से हैं?
- 2. क्या पुस्तकों के भार को ही पाठ्यक्रम भार माना जा सकता है?
- 3. शिक्षक तथा बालक के बीच की योजक कड़ी का नाम बताईये?

## 8.6 मूल्यांकन और परीक्षा(Assessment and Examination)

'मूल्यां कन शिक्षा की प्रक्रिया का वह अंग है जिसके द्वारा इस बात की जाँच की जाती है कि एक निश्चित समय में शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में कहाँ तक प्रगति हुई,विद्यार्थियों के अनुभव तथा योग्यता में कितनी वृद्धि हुई, उनके व्यवहार में कितना अंतर आया तथा शिक्षक ने इस दिशा में कहा तक सहयोग दिया" अतः मूल्यां कन की परिभाषा से स्पष्ट होता है की यह एक सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक और विधार्थी दोनों अपने परिश्रम तथा लाभ की मात्रा का मूल्य आंकते है। परन्तु वास्तविकता देखी जाये तो मूल्यां कन एक परीक्षा मात्र ही रह गया है। मूल्यां कन का अर्थ परीक्षा से लिया जाता है जो की किसी कक्षा स्तर से दूसरी कक्षा स्तर तक जाने का एक साधन बन गयी है। इसमे अध्यापकों का लक्ष्य होता है पाठ्यक्रम को पूरा करना और विद्यार्थियों का लक्ष्य होता है अंक तालिका में अच्छे अंक प्राप्त करना। माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे अंक लाये,कक्षा में उनके बच्चों का प्रतिशत अच्छा रहे। इस प्रकार विद्यार्थियों पर उनके माता-पिता की और से एक दबाव आ जाता है तथा बच्चे तनाव में चले जाते हैं। सभी विद्यार्थी अपने माता पिता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं। इस वजह से बालको का मुख्य उद्देश्य कक्षा में अच्छा स्तर प्राप्त करना रह जाता है और वो तनाव में आ जाते हैं। यह तनाव उस समय ज्यादा हो जाता है जब परीक्षा का समय नजदीक आता है। जो विद्यार्थी प्रारम्भ से ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं उनको तनाव कम होता है परन्तु जो विद्यार्थी अंत में जा कर चेतते हैं उन पर धीरे धीरे तनाव बढ़ता जाता है। वे किसी भी तरह से अच्छा प्रतिशत लाने के लिए रात दिन पढ़ाई करते हैं। वे इस वजह से तनाव और डर से बेचैन हो जाते हैं तथा वे परीक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए अनुचित तरीके अपनाते हैं और पथभ्रष्ट हो जाते हैं। कुछ पर तनाव इतना बढ़ जाता है कि वह बीमार हो जाते हैं तथा कुछ अपने परिणामो को लेकर इतनी चिंता में आ जाते हैं की कोई गलत कदम (जैसे किसी के साथ हिंसा या आत्महत्या ) उठा लेते हैं । परिणाम यह होता है कि बहुत से विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाते हैं या कम अंक लाते हैं। जिससे उन पर मानसिक तनाव और बढ़ जाता है और बालक अवसाद में आ जाते हैं। इस समय बालकों को उनके घर वाले,परिवार वाले,आस-पास के पड़ोसी , कक्षा सहपाठी आदि ताने मारते हैं या फिर मजाक उड़ाते हैं। जिससे बालकों में अलगाव उत्पन्न हो जाता है और बालक का स्वभाव चिड्चिडा आक्रामक या उदासीन हो जाता है। फिर बालक या तो पढ़ाई छोड़ देते है या बहुत से बालक घर छोड़कर भाग जाते है और कुछ आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। अतः शिक्षा का उद्देश्य बालक को जागरुक करना, चित्त को शांत करना,प्राप्त नहीं हो पाता है।

शांति के लिए शिक्षा के अंतर्गत मूल्यांकन हमारे सामने दो मुख्य आयामों के रूप में आता है-

- पाठ्यक्रम के बोझ से दबी वर्तमान परीक्षा व्यवस्था
- मूल्यां कन प्रणाली (हिंसा से दूषित)

सीखना जो की एक मनोरंजक अनुभव होना चाहिए, इसे बोझ और यहाँ तक कि इसे दमन में परिवर्तित कर दिया गया है। इसका कारण है इसका लक्ष्य जो कि परीक्षा आधारित श्रेष्ठता है जिसकी अपेक्षा रोज़गार के दौरान की जाती है। सख्त प्रतियोगिता तब और भी कड़ी हो जाती है जब उच्च शिक्षा के लिए प्रयाप्त अवसरों की अनदेखी की जाती है ऊपर से वो कलंक जो असफलता के कारण लगता है। जिसके कारण लाखों बच्चे दुख के सागर में डूब जाते हैं और कई तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। इस तरह की अति श्रेष्ठता के गलत अनुसरण ने शिक्षा से लाभान्वित होने वालों को उसके शिकार में बदल कर रख दिया है। सीखने की प्रक्रिया और इसकी मूल्यांकन व्यवस्था को पुनर्गठित करने और शांति समर्थक एवं छात्र हितकारी बनाने की ज़रूरत है।

यह पूरी तरह से गलत होगा कि विद्यार्थियों का अन्य विषयों की तरह शांति के लिए शिक्षा के सन्दर्भ में भी मूल्यांकन किया जाये। शांति के लिए शिक्षा मर्मस्पर्शी शिक्षा के तह त आती है। इसे मात्रात्मक रूप में नहीं आँका जा सकता। हालाँकि व्यावहारिक रूप में, मूल्यां कन की पूर्ण अनुपस्थिति के चलते शांति के लिए शिक्षा उत्तरदायित्त्व की भावना को समाप्त कर सकती है और इस तरह उसकी अपेक्षा का कारण बन सकती है। यह संभव भी है और जरुरी भी कि विद्यार्थियों को शांति के सिक्रय अभिकर्ता के रूप में शिक्षित किया जाये।

स्कूल के मिशन वक्तव्य में शांति और सम्बंधित मूल्यों एवं कौशलों के स्वर शामिल होने चाहिए। यह देखना भी ज़रूरी है कि विद्यालय जाति और लिंग आधारित भेदभावपूर्ण व्यवहार और प्रयोगों से मुक्त हो । इस सन्दर्भ में विद्यालयों की सामाजिक लेखा परीक्षा पर विचार किया जाना चाहिए।

## 8.6.1 विद्यालय समुदाय द्वारा समीक्षा

विद्यालय के मिशन वक्तव्य की निम्न लिखित मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत पुरे विद्यालय समुदाय द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए —

### - निजी स्तर पर -

निजी स्तर पर निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रख कर समीक्षा कि जानी चाहिए।

- विद्यार्थियों में सहनशीलता का कितना गुण पाया जाता है।
- सत्यनिष्ठा की भावना का विकास विद्यार्थियों में किस हद तक हुआ।
- दूसरो को आदर और सम्मान देने की भावना उसमे विकसित हुई या नही।
- विद्यार्थियों में समानता की भावना का विकास।
- विद्यार्थियों करुणा की भावना का विकास।
- विद्यार्थियों में प्रभावी सम्प्रेषण का विकास हुआ है या नही।
- क्या अब विद्यार्थी खुलकर रह पा रहे है।

- विद्यार्थियों में आपसी सां मजस्य करने की क्षमता का विकास।
- विद्यार्थियों में स्वयं को पूर्वाग्रह से मुक्त रखने की क्षमता का विकास।

#### - कक्षा स्तर पर -

कक्षा स्तर पर निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रख कर समीक्षा कि जानी चाहिए।

- शिक्षकों की कक्षा स्तर पर बालकों की विविधता और असमानताओं को पहचानने की क्षमता।
- सहकारी समूह की कार्यकुशलता की समीक्षा।
- कक्षा कक्ष में भेदभावपूर्ण व्यवहार एवं प्रयोगों की अनुपस्थित की समीक्षा।
- विद्यार्थियों और कर्मचारियों में खुले एवं सम्मानीय सम्बन्ध।
- किसी भी समस्या को शां तिपूर्ण तरीके से हल करने की अपेक्षा।

#### - विद्यालय स्तर पर –

विद्यालय स्तर पर निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रख कर समीक्षा की जानी चाहिए।

- विद्यालय में सुरक्षित एवं भयहीन वातावरण।
- विद्यालय नियमो में निष्पक्षता का भाव।
- विद्यालय में काउंसलिंग के लिए देखभालपूर्ण रुख एवं प्रवधान।
- विद्यालय में अध्यापक-अभिभावक सहभागिता प्रतिनिधित्व।
- विद्यालय में शां ति से जुडी उचित शैक्षणिक गतिविधियों का समावेश।
- शिक्षा के लिए शांति के सन्दर्भ में सार्थक कर्मचारी विकास कार्यक्रमों के साक्ष्य।

## - सामुदायिक स्तर पर-

सामुदायिक स्तर पर निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रख कर समीक्षा कि जानी चाहिए।

- विद्यार्थियों द्वारा सेवा कार्यक्रम का आयोजन या उसमे भाग लेना।
- विद्यार्थियों द्वारा व्यापक कार्यक्रम का आयोजन या उसमे भाग लेना।
- विद्यार्थियों द्वारा सामाजिक कार्यक्रमों में तथा सामाजिक समस्या को हल करने में नेतृत्व का प्रदर्शन।
- विद्यार्थियों की सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता एवं हल के लिए योगदान।
- विद्यार्थियों की विनिमय कुशलता।
- विद्यार्थियों की अन्य विद्यालयों और संसाधनों के साथ सां झेदारी।

## 8.7 अध्यापक शिक्षा (Teacher Education)

आज सम्पूर्ण विश्व अशां ति की ज्वाला से भभक रहा है। इस अशां ति की ज्वाला प्रशांति हेतु विद्यालय स्तर से भावी भारत को शां ति का पाठ पढ़ाकर समाज, राष्ट्र के साथ सम्पूर्ण विश्व में शां ति स्थापना की परिकल्पना की जावे उससे पहले भावी विश्व का निर्माण करने वालों को ही उनकी प्रशिक्षण अवधि के दौरान शां ति कायम करने वाली शिक्षा से शिक्षित कर दिया जावें एवं वर्तमान शिक्षण कर रहे शिक्षकों को भी शां ति शिक्षा विषयक तथ्यों से अवगत करवा दिया जावें तो विश्व शां ति की पारिकल्पना के सार्थक

परिणाम आप और हमारे सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। इस हेतु अध्यापक शिक्षा कार्यकर्म के अंतर्गत विविध स्तरों पर शांति शिक्षा विषयक प्रश्न पत्र अनिवार्यतः सिम्मिलत किया जाये एवं उस प्रश्न पत्र के माध्यम से भावी अध्यापकों एवं सेवारत अध्यापकों को शांति की संकल्पना एवं शांति स्थापना सम्बन्धी कुशलताओं से युक्त किया जाये तो हमारे राष्ट्र के साथ सम्पूर्ण विश्व पुनः शांतिमय सुख की श्वासोच्छवास करने में समर्थ हो सकेगा।

आज अध्यापक शिक्षा कि कमी यह है की आज भावी अध्यापकों को नवोत्पाद और कल्पना के अवसरों से दूर रखा जा रहा है। शिक्षक शिक्षा के द्वारा जिन कौशलों और दृष्टिकोणों का विकास किया जा रहा है वह वर्तमान समय में अप्रासंगिक और अव्यवहारिक है। अतः अगर हमें विद्यार्थियों को शांति के लिए शिक्षा दें तो यह आवश्यक है की हमें विद्यालयों में ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता होगी जो खुद शांति की शिक्षा ग्रहण करके आये हैं। अतः विश्व में शांति स्थापित करने के लिए था शांति वाहक के रूप में विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए शांतिदूत के रूप में अध्यापकों की ज़रूरत होगी। अध्यापकों को शांतिदूत के रूप में तैयार करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। क्योंकि ये ही ऐसे केंद्र हैं जो सेवापूर्व और सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा देश के शिक्षक समुदाय का निर्माण करते हैं।

सेवाकालीन अध्यापक जो की शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर कर आयें हैं। वहा पर वे शिक्षकों के मूल्यों, कौशलों, अच्छे अध्यापक के गुण, आदर्श अध्यापक, अध्यापक-विद्यार्थी संबंध आदि सब कुछ सिखने के बाद विद्यालयों में हिंसक घटनाये होती है, अध्यापक-विद्यार्थी सम्बन्ध मधुर नहीं है। अध्यापकों में हिंसा के प्रति बढ़ते विश्वास, छात्रों को शारीरिक और मानसिक दंड तथा जाति, लिंग आधारित भेदभाव एवं पूर्वाग्रहों आदि के रूप में सामने आ रहा है। अतः विद्यालयों में अध्यापकों के ऐसे व्यवहारों से स्पष्ट होता है की शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रहे हैं। अतः वर्तमान समय में यह आवश्यक हो गया है की शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आज की आवश्यकता के अनुसार नवीनीकरण करना और उनको शांति शिक्षा का प्रशिक्षण देना ताकि जब वो जब विद्यालयों में जाये तो खुद को विद्यार्थियों के सम्मुख शांति शिक्षाविद के रूप में प्रस्तुत कर सकें और विद्यार्थियों को शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे सकें।

NCERT के अनुसार अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सेवापूर्व और सेवाकालीन अध्यापकों को शांति शिक्षा के लिए निम्नलिखित बातों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए—

- अपनी और दूसरों की संस्कृतियों और राजनितिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकर बनें।
- उन्हें जाति, वर्ग, धर्म, अन्य संस्कृतियों और राष्ट्रीय समूहों पर अपना दृष्टिकोण संवैधानिक मूल्यों और अनुभवजन्य तत्वों पर आधारित करना चाहिए।
- दमन के सामाजिक ढाँचे और शांति पर इसके प्रभाव के प्रति जागरुक रहना चाहिए और मिल-जुलकर रहने की कला को प्रोत्साहन देना आना चाहिए।

- वैकित्पक शिक्षाशास्त्रीय कौशल में प्रशिक्षित होना होगा, जिससे विद्यार्थियों के विवादों, तनावों हिंसा और आक्रामकता से निपटने में मदद की जा सके और शांति को प्रोत्साहित किया जा सके।
- व्यवसाय और इसकी नैतिक आचार संहिता के प्रति प्रतिबध्द होना होगा।
- देश की शांति को स्थिर करने वाले कारकों जैसे लैंगिक असमानता, पूर्वाग्रह, संघर्ष की विचारधारा, मानवाधिकारों का उल्लंघन, कक्षा में और दो राष्ट्रों के बीच हिंसा और उत्पीड़न, पड़ोसी देशों से राजनीति संबंधो इत्यादि के प्रति जागरुक होना होगा।
- अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपनी संयुक्त संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान का प्रशंसक बनाना होगा।
- यह अनुभव करना कि वे उस व्यावसायिक समुदाय से हैं, जिसे राष्ट्र और विश्व के भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी है।
- छात्रों एवं साथियों से सहयोग एवं मानवीय संबंध बनाना है।

## 8.8 विद्यालय वातावरण (School Environment)

आज संसार में अनेक देश है और प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक विशिष्टता है, यह विशिष्टता उस देश के लोगों द्वारा निर्मित है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से निकलने वाले विद्यार्थियों की योग्यता और संख्या पर ही राष्ट्रीय निर्माण की उस महत्त्वपूर्ण कार्य की सफलता निर्भर करेगी जिनसे हमारे रहनसहन का स्तर - उच्च हो सकेगा। इसलिए यह दायित्व विद्यालयों पर और भी बढ़ जाता है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी हमारे देश की नींव हैं और इन विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों को प्रदत्त ज्ञान जितना उन्नत होगा हमारा देश उतनी ही तीव्रता से उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होगा।

## कोठारी आयोग के अनुसार –

''वर्तमान भारत के भविष्य का निर्माण उसके कक्षा कक्ष में हो रहा है परन्तु ऐसा लगता है यह निर्माण वांछित दिशाओं में नहीं हो रहा है"

शिक्षा आयोग(1964-66) ने अपनी रिपोर्ट में विद्यार्थियों में मूल्यों को रोपित करने के लिए विद्यालयों के वातावरण के महत्त्व पर जोर दिया है। 'विद्यालय का वातावरण,शिक्षकों के व्यक्तित्व और व्यवहार, विद्यालय में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएँ विद्यार्थियों में मूल्यों का विकास के सन्दर्भ में बहुत महत्त्व रखते हैं'

विद्यालय का वातावरण शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज का सूक्ष्म जगत होना चाहिए और यही शांति के लिए शिक्षा का मूल उद्देश्य भी है। स्कूली व्यवस्था द्वारा पाठ्यचर्या के संदेशों को पुनर्बलित किया जा सकता है और वैधता प्रदान की जा सकती है। शांति के लिए शिक्षा सभी संबंधों की माँग और उनमें सुधार की अपेक्षा रखती है। यह सम्बन्ध अध्यापक-प्रशासन, अध्यापक-छात्र, अध्यापक- अध्यापक, छात्र-छात्र और अध्यापक-अभिभावक के हो सकते हैं। विद्यालय के सभी कर्मचारिओं को विशेषतः निम्न वर्ग को विद्यालय परिवार के सदस्य के रूप में सम्मान देना चाहिए। किसी भी प्रकार के अनैतिक और अन्यायपूर्ण व्यवहार से बचना चाहिए। लोकतंत्र की संस्कृति में विद्यालयों को पोषित करने के लिए

व्यवस्थापरक प्रयास किये जाने चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों विद्यालयी अनुशासन व्यवस्थित करने का उत्तरदायित्व निभाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए।

शांति के लिए शिक्षा को विद्यालय के सह-पाठ्यक्रम के जिरए भी व्यवस्थित किया जा सकता है। NCERT के अनुसार शांति को साकार करने वाली कई गतिविधियाँ और परियोजनाएँ विद्यालय में आयोजित की जा सकती हैं।

- वाद-विवाद, संगोष्टी और दृश्य-श्रव्य आयोजन में शांति को शामिल कर छात्रों को शांति निर्माण का कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
- भूमिका निभाने, नाटकों, शांति कविताओं के सृजन, शांति गीत इत्यादि में बच्चों की भागीदारी।
- अंतर्राष्ट्रीय दिवसों जैसे मानवाधिकार दिवस, बाल दिवस, संयुक्तराष्ट्र दिवस, विकलांग दिवस, पर्यावरण दिवस इत्यादि में भागीदारी।
- दूसरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। बच्चों को वृध्दाश्रमों, अन्य पीड़ित संगठनों के दौरे के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है जिससे उनमें उनके कल्याण की भावना का विकास हो सके।
- स्कूल और पड़ोस में धार्मिक उत्सवों और राष्ट्रीय दिवसों को मनाना।
- सहनशीलता और समझ को बढ़ने के लिए कहानियों और चर्चाओं को बढ़ावा देना।

विद्यालय के बाद शांति शिक्षा से जुडी गतिविधियाँ में एकता शिविर, खेल, रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रम, शांति विषयों पर केन्द्रीय पत्रिकाएं, नुक्कड़ नाटक, अपने को व्यक्त करने और समुदाय को शिक्षित करने के लिए नृत्य नाटक और गीतों का प्रयोग निष्पक्षता, अहिंसा और सामाजिक सौहार्द की भावना को प्रबल करने के लिए, कठपुतली और एनिमेशन का प्रयोग आदि के माध्यम से बच्चों को शांति शिक्षा के लिए बढावा देने वाले कार्यक्रम तैयार किये जा सकते हैं।

#### बोध प्रश्र

- 1. अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में शांति शिक्षा की क्यों आवश्यकता है?
- 2. शांति के लिए शिक्षा के अंतर्गत मूल्यांकन के कौन-कौन से दो आयाम पाए जाते हैं?
- 3. मूल्यां कन को परिभाषित कीजिये?
- 4. विद्यालय के बाद शांति शिक्षा से जुडी कौन-कौन सी गतिविधियाँ हो सकती है?

## 8.9 मीडिया और हिंसा (Media and Violence)

टीवी सीरियल से लेकर रियिलटी शो तक बड़े पर्दे की फिल्मों से लेकर कार्टून और एनिमेशन फिल्मों तक हिंसक दृश्यों का इस्तेमाल मसाले के तौर पर किया जाता है। लेकिन इसका बच्चों के मन पर बुरा असर पड़ता है। मीडिया में दिखाए जाने वाले हिंसक दृश्यों का बच्चों के दिमाग पर असली हिंसा जैसा ही असर होता है। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में प्रकाशित हुई अपनी किताब में एक वैज्ञानिक ने ये दावा किया है। सिडनी के मैक्वेरी यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक वायेन वारबर्टन का कहना है कि हिंसा का बच्चों के

दिमाग में पड़ने वाले असर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। वारबर्टन का कहना है, " ऐसे दृश्यों के बाद बच्चों के व्यवहार में आक्रामकता आ जाती है और वो हिंसा के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। उन्हे दुनिया जरूरत से ज्यादा खराब लगने लगती है। जिन बच्चों ने टीवी पर हिंसा देखी है उनके दिमाग का चुंबकीय अनुनाद उन्ही बच्चों की तरह होता है जिन्होंने हिंसा के असली दृश्य देखे हैं।"

वारबर्टन के मुताबिक इन्सान का दिमाग मीडिया,टीवी और सच्ची घटनाओं के बीच अंतर कर पाने में बहुत समर्थ नहीं है। इसलिए हमें सभी तरह की मीडिया के एक ही तरह के असर देखने को मिलते हैं। वो कहते हैं, "जिन बच्चों ने हिंसा से भरे वीडियो गेम ज्यादा देखा है उनमे आक्रामकता की सम्भावना ज्यादा पाई जाती है। अगर यह लम्बे समय के लिए ज़ारी रहता है तो नुकसान देह हैं। ये बर्गर खाने की तरह हैं एक बर्गर खाना नुकसान दायक नहीं होता लेकिन लगातार खाने के प्रतिकूल असर हो सकता हैं।" यह निष्कर्ष उस समय सामने आया जब सरकार ने अगले साल की भी पहली तारीख से नाबालिंग को हिंसा या सेक्स वीडियो गेम बेचने पर रोक लगाने का ऐलान किया हैं।

टीवी से होने वाले दुष्प्रभावों को देखते हुए इस विषय पर वस्तुस्थित का जायजा लेकर उपाय खोजने की पहल करने में मदद देने के उद्देश्य से यूनेस्को ने एक अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट भारत सिहत 23 देशों के कुल 5000 बच्चों की राय के आधार पर तैयार की गई। रिपोर्ट के अध्ययन करने पर पता चला कि 91 फीसदी बच्चे औसतन तीन घंटे रोज टेलीविजन के सामने बिताते हैं। जिन क्षेत्रों में यह अध्ययन किया गया, वहां पाया गया कि टेलीविजन ही वहां सूचना और मनोरंजन कासबसे शक्तिशाली साधन है। बच्चों का तीन घंटे रोज टीवी के साथ बिताने का मतलब है कि स्कूल के अतिरिक्त जो वक्त उन्हें मिलता है, उसका आधा समय तो वे टीवी देखने में ही खर्च कर देते हैं, जबिक शेष कार्यों में होमवर्क के लिए दो घंटे, पारिवारिक कार्यों के लिए आधा घंटा, खेलकूद के लिए डेढ़घंटा, दोस्तों के साथ बिताने के लिए सवा घंटा, पढ़ाई और संगीत के लिए दो घंटे खर्च करते हैं। ज्यादातर बच्चे इस स्थिति से सामंजस्य कर बाहरी तौर पर खुश हैं। यह बात और है कि उनके अंतर्मन में कुछ और ही हो रहा है। कुछ बच्चे गहरी समस्याओं से उपजी भावनात्मक ऊहापोह से जूझते पाए गए हैं और कुछ गहरी तन्हाइयों में डूबे जीवन से सही मायने में जुड़ नहीं पाते, रिश्तों की मिठास महसूस नहीं करते।

बच्चों पर मीडिया के निम्नलिखित घातक परिणाम होते हैं -

- टेलीविजन पर हिंसा को आकर्षक, प्रभावी और अधिकतर संघर्षों के हल के रूप में दिखाया जाता है। जिसकी वजह से बच्चे आक्रामक अभिवृत्ति एवं व्यवहारों को सीखते हैं।
- टेलीविजन पर हिंसा देखने से बच्चों में वास्तविक सांसारिक हिंसा के प्रति असंवेदनशीलता उत्पन्न हो जाती है।
- वर्तमान समय में मीडिया ऐसे समाचार,सूचनाओं, दृश्यों, कहानियों को प्रस्तुत कर रहा है जिसकी वजह से बच्चे हिंसक, क्रोधी, और असामाजिक उपागमों का समस्याओं के समाधान के रूप में लेतें हैं। विश्व भर के बच्चे अपने को मारधाड़ वाली हिंसात्मक फ़िल्मों के हीरो की तरह बनाना चाहते हैं। क्योंकि वही उनका आदर्श भविष्य है। भविष्य की चिंता करना आज हर नागरिक का कर्तव्य है। बच्चों को स्वस्थ वातावरण मिलेगा, तभी उनकी सोच सही दिशा में होगी। उनके व्यक्तित्व का सही विकास ही देश को उन्नित के मार्ग पर अग्रसर करेगा। अत: बच्चों को मीडिया द्वारा परोसी जाने वाली हिंसा से बचाने के

लिए पहल अध्यापकों की और से की जाने की ज़रूरत है। अतःआवश्यक है की अध्यापक शांतिदूत, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में विद्यालय में खुद को प्रस्तुत करें ताकी विद्यार्थी उनको अपना आदर्श माने और उनकी तरह बनाने की कौशिश करें।

अध्यापक को मीडिया की वास्तविकता और सम्पूर्ण रूप से बच्चों को रु-बरु करा सकतें हैं। जिससे उनका हित होंगा और मीडिया के घातक प्रभाव कुछ कम होगें।

अतः अंत में हम यह कह सकतें हैं की भविष्य की चिंता करना आज हर नागरिक का कर्तव्य है। बच्चों को स्वस्थ वातावरण मिलेगा, तभी उनकी सोच सही दिशा में होगी। उनके व्यक्तित्व का सही विकास ही देश को उन्नित के मार्ग पर अग्रसर करेगा। अतः इस सम्बन्ध में बच्चों की शिक्षा में "मीडिया साक्षरता" को शामिल किया जाना चाहिए जिससे वह अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभा सकें। अभिभावकों को भी इस कार्य को करने में मुख्य भूमिका निभानी होगी। हिंसा के दुष्प्रभावों से बचने के लिए माता -िपता द्वारा पालन पोषण का कवच काम कर सकता है। साथ ही बच्चों से जुड़ीं सामाजिक संस्थाओं और साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संगठन महिला संगठन आदि को चर्चा, गोष्ठियों तथा सम्मेलनों द्वारा जनचेतना जगानी चाहिए।

# 8.10 शिक्षक-अभिभावक रिश्ते और शांति शिक्षा (Teacher-Parent relationship and Peace education)

वर्तमान समय में बच्चों में मूल्यों का हास्,नैतिकता में कमी, दूसरों को सम्मान ना देना आदि का कारण अभिभावकों का गैरजिम्मेदार होना है। बालक का प्रथम विद्यालय उसका घर होता है तथा प्रथम गुरु उसकी माता होती है,प्रथम आदर्श उसका पिता तथा परिवार उसको समाज परिचित करने वाला प्रथम माध्यम होता है। अतः बालक के विकास में अभिभावक और उसका परिवार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परन्तु आज के अभिभावक इन बातों को भुल गए हैं। आज के अभिभावक बच्चों का एडिमशन विद्यालयों में कराकर तथा ट्यूशन लगा कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं और बच्चों पर ध्यान नहीं देतें हैं तथा विद्यालय भी अपनी एडिमशन फ़ीस से सरोकार रखते है वह बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं देतें परिणाम यह होता है की बालक अपने स्वविवेक, बाहरी वातावरण से जो सीखता है उसीसे ही से अपना विकास करता है चाहे वो उसे पतन पर ले जाये या उत्थान पर।

वर्तमान समय में बच्चों और अभिभावकों में संस्कृति चिलत अलगाव बढ़ता जा रहा है। फ़िर भी शिक्षा में अभिभावक-अध्यापक सहभागिता के महत्त्व पर भाषण दिए जाने का चलन ज़ारी है। असल में अभिभावक बालक के शुरुआती विद्यालय जीवन पर ही ध्यान दे पातें है उसके बाद के विद्यालयी जीवन पर अभिभावकों का ध्यान कम ही रह पता है। आज पाठ्यचर्या का बालकों पर इतना अधिक बोझ हो गया है कि उनका दिनभर का समय विद्यालय, ट्यूशन और होमवर्क में ही चला जाता है। बच्चे केवल महमानों की तरह ही घर में रुकते हैं। अकादिमक उपलिब्धियों के अत्यधिक बोझ के चलते अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ने अभिभावक-बच्चे के संवाद को सिर्फ औपचारिक बना कर रख दिया है। बच्चे वास्तिवकता से अछूते और जीवन के प्रवाह से बहुत दूर रहते हैं। बच्चों के विकास के लिए शिक्षक अभिभावक रिश्तों का कैसे हो इसमें शांति शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षक अभिभावक रिश्तों के लिए शिक्षक अभिभावक

का समावेश करना और फिर इसे कक्षाओं तक ही सीमित रखना संभव नहीं है।शिक्षकों को यह जानना होगा की उन्हें उस नीव पर निर्माण करना है जिसे अभिभावकों ने रखा है व उन्हें जानना होगा की अभिभावक मददगार और ज़रूरी सहयोगी हो सकते हैं। शांति के मूल्यों और समस्या हल करने की विधियों को कक्षा में सीखाया जाना चाहिए। सीखाने की प्रक्रिया में रिश्तों सम्बन्धी अभिभावकों की भागीदारी बढ़ने से घर के जीवन की भावात्मक गुणवक्ता में भी सुधार देखने को मिलेगा। आज उच्च एवं मध्यवर्गीय परिवारों में बच्चों से बढ़ते अलगाव को लेकर अत्यधिक चिंता व्याप्त है। इसलिये शांति के लिए शिक्षा द्वारा प्रदान कराए जाने वाले अवसरों का उन्हें स्वागत करना चाहिए।

अतः बच्चों के सही विकास के लिए यह आवश्यक है की अभिभावक अपने बच्चों पर ध्यान दे और समय-समय पर विद्यालय में जा कर उनके बारे में जानकारी लें तथा उनके शिक्षकों से मिले। तथा शिक्षक की भी यह जिम्मेदारी बनती है की वह भी बच्चों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी अभिभावकों को दे तथा बच्चों के विकास के लिए शिक्षक और अभिभावक मिलकर प्रयत्न करें।

#### बोध प्रश्न -

- 1. जो बच्चे हिंसा भरे वीडियो गेम ज्यादा देखते हैं उनका व्यवहार कैसा हो जाता है?
- 2. मीडिया में दिखाए जाने वाले हिंसक दृश्यों का बच्चों के दिमाग पर किस प्रकार का प्रभाव होता है?
- 3. वर्तमान समय में बच्चों और अभिभावकों बीच कोन सा अलगाव बढ़ता जा रहा है?

#### 8.11 सारांश

वर्तमान समय में विद्यालयों के वातावरण को शांतिमय बनाने के लिए, विद्यार्थिओं और अध्यापकों को मानसिक तनाव, हिंसा की भावना को दूर करने के लिए शांति शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। आज के वर्तमान समय में लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुचाने को तैयार है। आज मनुष्य दूसरों से आगे बढ़ने की होड़ में दूसरों की भावनाओं की क़द्र करना भूल गया है वो पथभ्रष्ट हो गया है । जिस भारत को शांति संस्थापक के रूप में जाना जाता था आज वो खुद शांति की तलाश में भटक रहा है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि हमें आज एक ऐसी नोजवानो की फोज की जरुरत है जो भारत में शांति स्थापित कर सके । इसके लिए हमें विद्यालयों में, पाठ्यपुस्तकों में सुधार करना होगा। हमें विद्यालयों में विद्यार्थियों को शांति शिक्षा का ज्ञान देने से पहले शिक्षकों को भी शांति का पाठ पढाना होगा। इसके लिए शिक्षक शिक्षा में शांति शिक्षा को लाना होगा। हमें मीडिया की विषयवस्तु पर भी ध्यान देना होगा। क्यों की मीडिया आज निम्नवर्ग से लेके उच्चवर्ग छोटो से लेकर बडों सभी के संपर्क में है। अतः मीडिया जो परोस रहा है उस पर कड़ी निगाह रखनी होगी और उसके दुष्प्रभावों से भी बालकों को अवगत करना होगा। आज वर्तमान समय में अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बनती है की वे भी शांति शिक्षा को फेलाने में सहयोग दें। बालको में संस्कारों, मूल्यों, आदर्शों का विकास करें। उनको सही और गलत में भेद करना सीखाये। इसके अलावा अभिभावकों को विद्यालयों से भी संपर्क में रहना चाहिए तथा अध्यापकों से संपर्क बना कर रखना चाहिए और शांति शिक्षा के प्रसार तथा बालकों के विकास में भी अध्यापकों को सहयोग प्रदान करना चाहिए।

#### 8.12 अभ्यास प्रश्र

- 1. पाठ्यपुस्तक भार को बढाने वाले कारकों को स्पष्ट करो?
- 2. पाठ्यपुस्तक लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये?
- 3. मीडिया हिंसा को रोकने में अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट करे?
- 4. शांति शिक्षा में विद्यालय वातावरण के महत्त्व को बताईये?
- 5. शांति शिक्षा में विद्यार्थियों की भूमिका को स्पष्ट कीजिये?
- 6. शांति शिक्षा में मूल्यां कन के महत्त्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये?
- 7. "अगर छात्रों को शान्ति मार्ग पर चलाना है तो सबसे पहले शिक्षक को शांति पाठ पढ़ना होगा" इस कथन को स्पष्ट कीजिये?

## 8.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- यूनेस्को (2001), लर्निंग द वे ऑफ़ पीस, ए टीचर्स गाइड टू एजुकेशन फॉर पीस, नई दिल्ली: यूनेस्को।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.इ.आर.टी.) 2000, नेशनल कॅरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, नई दिल्ली: एन.सी.इ.आर.टी.।
- भारत सरकार (1993), लर्निंग विदाउट बर्डेन, नई दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, भारत सरकार।
- क्रिड़लर, डब्ल्यू, आई, (1991), क्रियेटिव कंफ्लिक्ट रिसोल्यूशन: मोर दैन 200 एक्टिविटीज फॉर कीपिंग पीस इन द क्लासरूम, फोरमैन, स्कॉट, ग्लेनिवयु

## इकाई-9

# शांति के लिए शिक्षा – मूल्य और कौशल

## **Education for Peace – Values and Skills**

## इकाई की रूपरेखा

- 9.1 प्रस्तावना
- 9.2 उद्देश्य
- 9.3 परिभाषा
- 9.4 शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों?
- 9.5 विद्यालय में मूल्यों का विकास
- 9.6 शांति के लिए मूल्य
- 9.7 मूल्यों का वर्गीकरण
  - 9.7.1.1 व्यक्तित्व निर्माण के लिए
  - 9.7.1.2 आध्यात्मिक विकास के लिए
  - 9.7.1.3 भारतीय संस्कृति के विकास के लिए
  - 9.7.1.4 मानवाधिकार और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए
  - 9.7.1.5 जीवनशैली को उन्नत बनाने के लिए
  - 9.7.1.6 राष्ट्रीय एकता के निर्माण के लिए
  - 9.7.1.7 शांति मूल्य वैश्वीकरण के लिए
- 9.8 शांति शिक्षा और कौशलों का विकास
- 9.9 शांति कौशल के प्रकार
  - 9.9.1 चिंतन कौशल
  - 9.9.2 संप्रेषण कौशल
  - 9.9.3 वैयक्तिक कौशल
- 9.10 शांति शिक्षा के लिए सुझाव
- 9.11 सारांश
- 9.12 अभ्यास प्रश्न
- 9.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

#### 9.1 प्रस्तावना

समाज जीवन को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं सभ्य बनाने के लिए मूल्यों का निर्माण करता है, क्योंकि मनुष्य समूहों में रहता है, इसलिए उसे किसी आचार-संहिता का पालन करना पड़ता है ताकि शांति पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। मूल्यों की उत्पति एक सामाजिक संरचना-विशेष के सदस्यों के बीच होने वाली अन्तः क्रियाओं के फलस्वरूप धीरे-धीरे होती है। वास्तव में, मनुष्य को अपने परिस्थितगत पर्यावरण से एक संतुलन बनाये रखने की आवश्यकता होती है, अपने जीवन-निर्वाह व भरण पोषण सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना होता है, अपने समाज या समूहों के अन्य लोगों के साथ सामाजिक जीवन में भागीदार बनना पड़ता है एवं अपने व्यक्तित्व और संस्कृति के बीच एक आदानप्रदान की प्रक्रिया में भी सिम्मिलित होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि समाज के सदस्यों के लिए समाज द्वारा कुछ अधिमानो, मानदण्डों तथा सामूहिक अभिलाषाओं को व्यवहार के आधार के रूप में प्रस्तुत न किया जाये तो समाज में अव्यवस्था, असुरक्षा और अशान्ति का ही राज्य होगा। इस स्थिति को टालने के लिए ही समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ मानदण्ड. इच्छाएँ एवं लक्ष्य विकसित किये जाते हैं और वे समाज में प्रचलित रहते हैं जिन्हें कि व्यक्ति सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान अपने व्यक्तित्व में सिम्मिलित कर लेता है। इसीलिए डाँ. मुकर्जी ने लिखा है कि मनुष्य को मूल्य अपने जीवन से, अपने पर्यावरण से, अपने आप से, समाज और संस्कृति से ही नहीं अपितु मानव-अस्तित्व व अनुभव से भी प्राप्त होते हैं।

एतिहासिक रूप से नैतिक शिक्षा और मूल्य शिक्षा शांति के लिए शिक्षा के पूर्वज हैं। इनमे काफी कुछ एक सा है। विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूप रेखा (एन. सी. एफ. एस. ई.) 2000 के मुताबिक, धर्म मूल्य-सृजन का एक स्त्रोत है। मूल्य और अभिवृतियाँ शांति की संस्कृति का निर्माण करने वाली भवन सामग्री की तरह है। शांति के लिए शिक्षा में मूल्य शिक्षा भी समाहित है, लेकिन दोनों एक नहीं हैं शांति मूल्यों को संगती के लिए प्रासंगिक तौर पर उपयुक्त और लाभदायक शिक्षाशास्त्रीय बिंदु है। शांति मूल्यों के उद्देश्यों को ठोस रूप देती है और उनके आन्तरीकरण को प्रेरित करती है। इस तरह के ढाँचे के अभाव में अधिगम प्रक्रिया में मूल्यों का समावेश हो ही नहीं पता। इस तरह शांति के लिए शिक्षित करना मूल्य-शिक्षा को सन्दर्भ प्रदान करने और संचालित करने की आदर्श रणनीति है। मूल्यों का आन्तरीकरण अनुभव के जरिये होता है, जिसका कक्षा-केन्द्रित शिक्षण और शिक्षण के पूर्णतया संज्ञानात्मक उपगाम में अभाव पाया जाता है। शांति के लिए शिक्षा सीखने की प्रक्रिया को क्लासरूम की सीमा से मुक्त करने और इसे खोज के आनंद से अनुप्रमाणित जागरूकता के उत्सव में बदलने की माँग कराती है। अतः विद्यार्थियों को ऐसे अवसर प्रदान करने होंगे जिससे वे अपनी महानतम संस्कृति को जान सके तथा अंतरमनन और चिंतन के द्वारा खुद को जान सके तथा अपनी आतंरिक शक्ति को जागृत कर शांति के मूल्यों और कौशल को धारण कर सके।

## 9.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् आप शांति शिक्षा में मूल्य और कौशल के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। जैसे-

- विद्यालय में मूल्यों के विकास के महत्त्व को जान सकेंगे।
- शांति शिक्षा के लिए मूल्य जैसे व्यक्तित्व निर्माण, आध्यात्मिक विकास, भारतीय संस्कृति के विकास, मानवाधिकार और लोकतंत्र, जीवनशैली राष्ट्रीय एकता के महत्त्व को जान सकेंगे।

- शांति शिक्षा में कौशलों के विकास जैसे चिंतन कौशलों, संप्रेषण कौशलों और वैयक्तिक कौशलों के महत्त्व को जान सकेंगे।
- शांति शिक्षा के लिए दिए गए सुझावों का अध्ययन कर सकेंगे।

#### 9.3 परिभाषा

#### 1. किनं घम-

"शिक्षा-मूल्य शिक्षा के उद्देश्य बन जाते हैं। किनंघम के अनुसार व्यक्ति के उन गुणों, योग्यताओं तथा क्षमताओं को विकसित किया जाता है जो वस्तुतः जीवन-मूल्यों में निहित होते हैं।"

#### 2. अर्बन –

"मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे"

## 3. एस. पी. कुलश्रेष्ठ -

''मूल्य आचरण को संघठित करने की प्रविधियाँ हैं, ये सार्थक सिद्धान्त हैं जो मानव कार्यों के निवेशित प्रारूपों को प्रभावक रूप से निर्देशित करते हैं"

#### 4. रामजी, एम. टी. -

'मूल्य वह हैं जो इच्छित जीवन सिद्धान्त हैं या जिसकी तलाश है। ये जीवन की परिलक्षित शैली हैं"

### 5. एलिजाबेथ हरलॉक -

"मूल्य वे संप्रत्यय हैं जिनके साथ संवेग घनिष्ठ रूप से जुड़े रहते हैं। ये वे संप्रत्यय हैं जो वांछित हैं, जिनका चयन बालक उपलब्ध संविधियों, साधनों तथा कार्यों के साध्यों से करता है। प्राथमिक रूप से ये विषयनिष्ठ होते हैं। इसलिए मानव व्यवहारों को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करते हैं।"

## 9.4 शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों ?

आज के समय में हर व्यक्ति, समाज,परिवार और राष्ट्र किसी न किसी रूप में हिंसा से प्रभावित हो रहा है। बच्चे-बूढ़े हों या पशु-पक्षी आज हिंसा के प्रभाव से सभी की मनोवृतियाँ दूषित हो गई हैं। एकता के साथ रहना, मिलजुलकर काम करना, दूसरों की मदद करना, आदर-सम्मान करना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, खुद के साथ-साथ दूसरों का भी विकास करने जैसी भावना कहीं खो सी गई हैं। आज व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलता है। वो दूसरों से खुद का सम्मान कराना चाहता है पर जब दूसरों के सम्मान करने का मौका आता है तो वो पीछे हट जाता है। आज मनुष्य ने मानवीय मूल्यों को खो कर पतन के मार्ग पर खुद को और इस विश्व को खड़ा कर दिया है। आज मनुष्यों के इन घटे हुए मूल्यों, नैतिकता व संस्कारों से दूरी अहिंसा पर से उठे विश्वास की वजह से ही आज सम्पूर्ण पृथ्वी पर हिंसा के बादलों की वजह से अन्धकार छाया हुआ है और ये हिंसा रूपी बादल अहिंसा रूपी सूर्य की शान्ति रूपी किरणों को रोके हुए है अतः हमें इन हिंसा रूपी बादलों को शिक्षा रूपी तेज हवा चलाकर हटाना होगा जिससे अहिंसा रूपी सूर्य से शान्ति रूपी किरणें पृथ्वी पर आ सकें और पृथ्वी पर फिर से अहिंसा और शांति स्थापित हो सके। अतः वर्तमान समय में हमें शांति शिक्षा की परम आवश्यकता है।

## 9.5 विद्यालय में मूल्यों का विकास


विद्यालय में प्रति क्षण किसी न किसी रूप में मूल्यों का शिक्षण होता रहता है। इसकी अभिव्यक्ति न केवल पाठ्यक्रम वरन विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के मध्य की अंतर्क्रियाओं में भी होती है। विद्यालय में दिए जाने वाले कुछ अनुभवों की योजना जान-बूझकर बनाई जाती है तथा उनके माध्यम से अभीष्ट तथा प्रायः सुपरिभाषित पाठ्यचर्या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये जाते हैं। औपचारिक पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय उसे मूल्यों से ओत-प्रोत बनाया जा सकता है। पाठ्यचर्या का कुछ भाग औपचारिक लिखित रूप से सुनिश्चित नहीं होता है। अनेक अनुभव योजना बनाने के बाद भी प्रदान किये जाते हैं।

मूल्यों की शिक्षा विभिन्न विद्यालयी कार्यकलापों में व्याप्त रहती है, यथा-अध्ययन के लिए चयनित गद्यांशों, पद्यांशों, नाटकों व उपन्यासों में, सामुदायिक सेवा में, क्रीड़ा स्थल के क्रिया-कलापों में, खेलों के चयन व विरोध में, विभिन्न खेलों को खेलते समय खिलाड़ी के रूप में, व्यवहार करने के निर्देशक नियमों में, उन ऐतिहासिक घटनाओं में जिन पर बल दिया जाता है, उन महान नेताओं व पुरुषों में जिनके माध्यम से महत्वपूर्ण व महत्वहीन मानवीय क्रिया-कलापों को समझाया जाता है, विद्यालय के सामाजिक जीवन में, सामाजिक मान्यताओं व परम्पराओं के शिक्षण में, तौर-तरीके सिखाने में, अनुमोदित तथा अस्वीकृत व्यवहार सिखाने में, विद्यालय की असामान्य बालकों की परिभाषा में तथा उनके प्रति व्यवहार करने में, प्रयोग करते समय विद्यार्थियों द्वारा अपनाई जाने वाली विधियों में, शिक्षकों की धारणाओं में, विद्यार्थियों द्वारा प्रयोगों के विवरण लिखने में, चर्चा हेतु चुनी गई सामाजिक समस्याओं में तथा उन पर चर्चा में, विद्यालय के संगठन तथा प्रशासन में, अध्यापक-अभिभावक सम्मेलन में, अभिभावकों व शिक्षकों के मध्य अंतर क्रियाओं में, प्राचार्य, समिति व विभागाध्यक्षों, शिक्षकों, छात्रसंघों के पदाधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा भूमिकाओं के निर्वहन में, राष्ट्रीय अवकाश के दिनों होने वाले आयोजनों में, शिक्षकों की कार्यदशाओं व उन्हें मिलने वाली स्वतंत्रता में, विद्यालयों के संचालन में, समुदाय के योगदान में, प्रबंधकों के साथ प्राचार्य, शिक्षकों व कर्मचारियों के संबंधों में मूल्य-शिक्षा व्याप्त रहती है।

## 9.6 शांति के लिए मूल्य

दुनिया में शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आपके दिल में शांति न हो। संभव है कि आप बौद्धिक रूप से उन्नत हो और आपके पास दुनियाभर का सामान हो लेकिन आप तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते और खुशी व आनंद का अनुभव नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास शांति न हो। शांति के लिए शिक्षा जीवन के लिए शिक्षा है। उसका मकसद है, लोगों को ऐसे मूल्यों, कौशलों और अभिवृतियों से लैस करना, जिनसे उन्हें दोस्तों के साथ सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार रखने वाले पूर्ण व्यक्ति और उत्तरदायी नागरिक बनने में मदद मिले। इसकी शुरुआत विद्यालयों से करनी होगी तथा विद्यार्थियों में शांति के लिए मूल्यों को विकसित कारना होगा। शांति के लिए मूल्यों के जैसे व्यक्तित्व निर्माण,आध्यात्मिक विकास, भारतीय संस्कृति, मानवाधिकार और लोकतंत्र, जीवनशैली को उन्नत बनाना, वैश्वीकरण और राष्ट्रीय एकता का विकास करना होगा।

## 9.7 मूल्यों का वर्गीकरण



## 9.7.1 व्यक्तित्व निर्माण के लिए

शांति के मूल्यों व्यक्तित्व निर्माण के अंतर्गत बालकों में निम्नलिखित विकास को शामिल किया गया है

1. बालक को प्यार और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना।

- 2. बालकों में शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विकास करना जिससे जो सही है वही सोचें, बोंले और करें।
- 3. बालक में देखभाल करने व सेवाभाव का विकास करना।
- 4. बालक में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना।
- 5. बालक में सही होने की तत्परता एवं गलती सुधारने के साहस की क्षमता द्वारा विनम्रता के गुणों का विकास करना।
- 6. शांति स्थापित करने के लिए या स्थिति में सुधार करने के लिए पहल करने के लिए बालक में नेतृत्व के गुणों का विकास करना।
- 7. बालकों में विभिन्नता के साथ सामना करने के कौशल और दूसरों के लिए सोचने तथा उनकी मदद करने की योग्यता का विकास करके बालकों को दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाना।
- 8. बालकों में सकारात्मक सोच, आशावादिता, अनुशासन, आत्म-नियंत्रण, एकाग्रता, परिश्रम आदि गुणों का विकास करना।

9. स्वयं के विकास के साथ-साथ दूसरों का विकास करने की भावना रखना।

#### 9.7.2 आध्यात्मिक विकास के लिए

शांति के मूल्यों आध्यात्मिकता के विकास के द्वारा बालकों में निम्नलिखित गुणों के विकास को शामिल किया गया है –

- 1. बालकों में आध्यात्मिकता के द्वारा आतंरिक संसाधनों का विकास करके आतंरिक शांति को प्राप्त करने में सक्षम बनाना।
- 2. बालकों में आध्यात्मिकता के विकास द्वारा सोच, आस्था और अन्तर्विवेक की स्वतंत्रता को विकसित करना।
- 3. बालकों में धार्मिक व्यवहार की आज़ादी की भावना को विकसित करना।
- 4. बालकों में दूसरों की धार्मिक भावनाओं और रीतियों को आदर-सम्मान देने की भावना को विकसित करना।
- 5. राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ व्यवहार में समानता तथा विद्यार्थियों में धर्म के बारे में तार्किक एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की ज़रूरत है। ऐसा प्रतिस्पर्धात्मक धार्मिकता को सांझी आध्यात्मिकता में और अन्धविश्वास को जिम्मेदारीपूर्ण तर्क-वितर्क की योग्यता में परिवर्तित करके ही किया जा सकता है।

## 9.7.3 भारतीय संस्कृति के विकास के लिए

इसके अंतर्गत बालकों को भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में बताकर शांति मूल्यों का विकास किया जाता है।

- 1. बालकों में शांति की सकारात्मक और नकारात्मक समझ को विकसित करना।
- 2. बालकों में वसुधेव कुटुम्बकम की भावना को विकसित करके एकीकृत दृष्टिकोण का विकास करना।
- 3. मध्यवर्ती रिवाजों और संस्कृतियों पर विशेष ज़ोर देना तथा विविधता, बहुलता और सह-अस्तित्व को स्वीकार करना।
- 4. शांति पर उपदेश जैसे अहिंसा सच्चाई और आतिथ्य को सुनना, समझना और स्वीकार करना।
- 5. शांति सम्बन्धी गांधीजी के विचारों को सुनना और अपने व्यवहार में लाना।
- 6. शांति आन्दोलन विशेषकर स्वतंत्रता आन्दोलन के बारे में पढ़ना और शांति के सन्दर्भमें अपनी सोच को विकसित करना।

## 9.7.4 मानवाधिकार और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए

इसके द्वारा विद्यार्थी मानवाधिकार में शांति मूल्यों को और लोकतंत्र में शांति मूल्यों के योगदान को समझ सकेंगे।

- 1. बालकों में भारत गरिमा को बनाये रखने के दायित्व को का विकास करना।
- 2. बालकों में समानता और न्याय की भावना को विकसित करना।

- 3. बालक में ऐसे शां ति मूल्यों का विकास करना जिससे वे सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे।
- 4. बालकों में इस मूल्यों के विकास द्वारा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विकास किया जायेगा।
- 5. बालकों को आस्था की स्वतंत्रता मिल सकेगी।
- 6. बालक भारतीय संविधान को जान सकेंगे तथा भारतीय संविधान के प्राक्कथन, अधिकार और कर्त्तव्य, विशेष प्रावधान, अपूर्णकार्य सूची, राज्य निति निदेशक सिद्धान्त को जान सकेंगे और समझ सकेंगे।

## 9.7.5 जीवनशैली को उन्नत बनाने के लिए

बालकों की जीवनशैली को शांति मूल्यों की शिक्षा द्वारा उन्नत बनाया जाता है। जीवनशैली को उन्नत बनाने के लिए उसमे प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का गुण विकसित किया जाता है। बालकों में शांति शिक्षा के द्वारा जीवन जीने के तरीके को समझाया जाता है यह बताया जाता है की मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है इसे सत्मार्ग पर लेके चले। शांति के अनुसार अपने आचरण, जीवन जीने के तरीके को परिवर्तित करे। स्वयं सादगी से जियो जिससे अन्य लोग भी सादगी से जी सके। बालकों में उत्तरदायित्व-समुदाय में रहने का भाव, सृजन का एकीकरण एवं उपयोग को विकसित किया जाना चाहिए। बालकों में इन सभी बातों का विकास करके शांति शिक्षा के अनुरूप जीवनशैली को उन्नत बनाया जा सकता है।

## 9.7.6 राष्ट्रीय एकता के निर्माण के लिए

बालकों में शांति शिक्षा के द्वारा ऐसे मूल्यों का विकास किया जाये जिससे राष्ट्रीय एकता का निर्माण कर सके और राष्ट्र का विकास कर सके। राष्ट्रीय एकता के अंतर्गत बालक भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषायी विविधता में एकता को समझ सके तथा इसको बनाये रखने और इसके निर्माण में सहयोग प्रदान कर सके। मनुष्य की गरिमा को बनाये रखना और सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा,सामाजिक न्याय, सहभागिता और समानता की भावना का विकास कर सके। लोगों को भाषण और उनकी अभिव्यक्ति की आजादी में सहयोग दे सके आदि गुणों के विकास के द्वारा हम बालक में शांति के लिए मूल्यों का विकास कर राष्ट्रीय एकता की भावना का निर्माण कर सकेंगे।

## 9.7.7 शांति मूल्य वैश्वीकरण के लिए

आज हर राष्ट्र अशां ति-हिंसा से झुज रहा है। आज हमारे देश को ही नहीं पूरे विश्व को शां ति की ज़रूरत है। अतः बालकों में आज वैश्विक सन्दर्भ में शां ति मूल्यों को विकसित करने की ज़रूरत है। आज शांति आन्दोलन करने तथा उनकी पहल करनेके लिए विद्यार्थियों को तैयार करना होगा। आज बालकों को उदारीकरण, भूमंडलीकरण तथा निजीकरण में शांति के निहितार्थ को समझाना होगा। आज बालकों में वैश्विक शां ति के लिए सामाजिक न्याय व आतंकवाद को समझने तथा उनमे शां ति स्थापित करने में उनकी भूमिका बतानी होगी। "ड्रग और अल्कोहल" की कुप्रथा तथा एच. आई. वी. / एड्स के प्रति बालकों को जागृत करना होगा।

#### बोध प्रश्न -

1. मूल्यों के प्रकार बताईये?

- 2. विद्यार्थी में मानवाधिकार और लोकतंत्र में शांति मूल्यों के योगदान को समझाईये?
- 3. बालकों में शांति के लिए मूल्यों के विकास क्यों आवश्यक है?


## 9.8 शांति शिक्षा और कौशलों का विकास

वर्तमान समय बहुत ही दूषित हो गया है। आज व्यक्ति खुद के लिए जीता है। वो स्वार्थी हो गया है और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को हानि पहुंचा रहा है। आज वह अपनी भौतिक सुख-सुविधाओं के लिए और अंधाधुन्ध पैसा कमाने के लिए मशीन की तरह दिन-रात काम कर रहा है। इस वजह से वह भी मशीन की तरह भावना विहीन हो गया है और इस भाग दोड़ भरी ज़िन्दगी, उसकी बदती हुई महत्वकांक्षा उसे मानवीय मूल्यों से दूर करती जा रही है। आज वह दूसरों की खुशियों से जलने लगा है। इस वजह से उसका मस्तिष्क अशांत हो गया है। आज वह दूसरों की सफलता को खुद की असफलता मानने लगा है। आज मनुष्य की इन कुंठाओं और तनाव की वजह से हिंसा-क्लेश का साम्राज्य स्थापित हो गया है। पुरातन समय में जो भारत शांति का पाठ दुनिया को पढ़ाता था आज वह खुद अशांति-हिंसा के बोझ तले दबा जा रहा है। अतः वर्तमान परिपेक्ष को देखते हुए आज भारत देश को शांति वाहक और शांति दूत के रूप में नौजवानओं की फ़ौज की आवश्यकता है और इस फ़ौज का निमार्ण विद्यालयों में करना होगा। इसके लिए विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए शांति शिक्षा के कौशलों का विकास अति आवश्यक है। विद्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थियों में ऐसा कौशल और व्यवहार विकसित किया जाये जो उन्हें प्रभावी निर्माता बना सके।

## 9.9 शांति कौशलों के प्रकार

शांति कौशल को निम्न भागो में बांटा जा सकता है-

- 1. चिंतन कौशल
- 2. संप्रेषण कौशल
- 3. वैयक्तिक कौशल



#### 9.9.1 चिंतन कौशल

वर्तमान समय की शिक्षा पद्धित का सबसे बड़ा दोष यह है की वह बालकों को स्वतंत्र चिंतन के अवसर प्रदान नहीं करती है। इसका परिणाम यह होता है कि बालक सही और गलत को नहीं पहचान पाते हैं। उसे उसके आस-पास के वतावरण से जो सीखने को मिलता है उसे वैसे का वैसा ग्रहण कर लेता है चाहे वो सही हो या गलत। अतः यह आवश्यक है की बालक में चिंतन कौशल का विकास किया जाये। जिससे वह सही गलत की पहचान कर सके तथा चिंतन के द्वारा अपनी समस्याओं का उचित हल निकाल सके। अतः निम्नलिखित कौशलों का विकास बालक में किया जा सकता है।

#### - आलोचनात्मक चिंतन-

आलोचनात्मक चिंतन के द्वारा बालकों में निम्नलिखित कौशलों का विकास किया जा सकता है।

- तथ्य, विचारों और आस्था में भेद करने के कौशल का विकास।
- भेदभाव और पूर्वाग्रह को पहचानने के कौशल का विकास।
- तर्क या बहस में निहित पूर्वसूचना एवं विषयों और समस्याओं को पहचानने के कौशल का विकास।
- सही ढंग से तर्क करने के कौशल का विकास।

## - सूचना प्रबंध-

किसी समस्या को कैसे हल करना है उसकी सूचना कहाँ से प्राप्त हो इसके अंतर्गत आता है। जैसे –

- परिकल्पना को आकार देने एवं जाँच करने के कौशल का विकास।
- हल को खोजने और सूचना को कैसे स्वीकार और अस्वीकार किया जा सकता है के कौशल का विकास।
- प्रभावी ढंग से साक्ष्यों को आँकने के कौशल का विकास।

- सर्वाधिक उचित कार्यवाही के लिए सक्षम होने हेतु संभावित परिणामो को आँकने की समझ के कौशल का विकास।

#### - रचनात्मक चिंतन-

किसी समस्या को हल करने के कितने तरीके हो सकते हैं। इस प्रकार का चिंतन रचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आता है। रचनात्मक चिंतन के द्वारा बालकों में निम्नलिखित कौशलों का विकास किया जा सकता है।

- किसी समस्या का नूतन समाधान और हल तलाशने के कौशल का विकास।
- पारदर्शिता से सोचने के कौशल का विकास।
- समस्या को कई परिपेक्ष्यों में देखने के कौशल का विकास।

#### - प्रतिबिम्बन -

इस चिंतन के द्वारा विद्यार्थियों में निम्नलिखित कौशलों का विकास किया जाता है।

- समस्या से अलग रहना और उसके मुख्य हिस्सों को समझने के कौशल का विकास।
- चिंतन प्रक्रिया पर कड़ी नज़र रखने के कौशल का विकास।
- किसी भी समस्या विशेष से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के कौशल का विकास।

#### - द्वंद्वात्मक चिंतन-

इसमें विद्यार्थी में एक विशेष दृष्टिकोण का विकास किया जाता है। इस चिंतन के द्वारा विद्यार्थियों में निम्नलिखित कौशलों का विकास किया जाता है।

- किसी समस्या के विकास के बारे में एक से अधिक दृष्टिकोण से सोचने के कौशल का विकास।
- दोनों दृष्टिकोण के कौशल का विकास।
- दूसरे के ज्ञान के आधार पर किसी भी बिंदु से तर्क देने में सक्षम होने के कौशल का विकास।

#### 9.9.2 संप्रेषण कौशल

संप्रेषण वह माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी सूचनाओं, विचारों और भावो को पहुंचाते या ग्रहण करते हैं। अतः इस कौशल का विकास विद्यार्थियों में अतिआवश्यक है क्योंकि इसी के माध्यम से वह अपने विचारों, सूचनाओं और भावो का संप्रेषण कर सकता है। हिंसा का एक कारण संप्रेषण कौशल की कमी भी होती है। अगर किसी कारण सूचना का सही अर्थ स्पष्ट ना हो पाये तो सूचना का सही अर्थ संप्रेषित नहीं हो पाता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है फलस्वरूप हिंसा का जन्म हो जाता है। अतः शांति के लिए शिक्षा में संप्रेषण कौशल का विकास करना अतिआवश्यक है। संप्रेषण कौशल के द्वारा विद्यार्थियों में निम्नलिखित कौशलों का विकास किया जाता है।

## - प्रस्तुतिकरण-

इस कौशल के माध्यम से विद्यार्थी अपने विचारों को सुस्पष्ट तथा संगतिपूर्ण ढंग से व्याख्यायित करने में सक्षम होता है।

#### - सिक्रय श्रवणता -

अन्य के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना, समझना और पहचानना सिक्रिय श्रवणता कहलाता है। अधिकतर विद्यार्थियों में यह देखा जाता है की वह समस्याओं या सूचनाओं को ध्यानपूर्वक नहीं सुन पाते हैं तथा वे उसका गलत अर्थ ग्रहण कर लेते हैं और इस वजह से वो समस्या के गलत अर्थ पर पहुंचते हैं। अतः कक्षा-कक्ष में विद्यार्थियों का ध्यान केन्द्रित करने के लिए सिक्रय श्रवणता कौशल का विकास आवश्यक है।

#### - समझौता वार्ता -

किसी संघर्ष और विवाद को हल करने के लिए समझौता एक महत्वपूर्ण कदम होता है। विद्यार्थी किसी संघर्ष तथा विवाद की स्थिति को हल करने के लिए समझौता वार्ता को एक उपकरण के रूप में उपयोग ले सकते हैं। क्योंकि किसी विवाद को हल करने की दिशा में "सार्थक संवाद" ही सबसे बड़ा कदम होता है।

### - मूक सम्प्रेषण-

मूक वह साधन है जिसके द्वारा बिना बोले किसी व्यक्ति की बॉडी लेंग्वेज़ के द्वारा उसकी समस्याओं, उसके भावो-विचारों को पहचाना जाता है। अतः विद्यार्थी इस कौशल के माध्यम से ही बॉडी लेंग्वेज़ के अर्थ को और महत्त्व को पहचान सकेंगे।

#### 9.9.3 वैयक्तिक कौशल

इस कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विकास किये जाते हैं। जब विद्यार्थी का व्यक्तित्व उत्तम होगा तो वह शांति की और अग्रसर होगा और उसके व्यक्तित्व को देख कर अन्य लोग भी शांति की और अग्रसर होंगे। किसी भी सुधार की शुरुवात स्वयं से करनी होगी अतः शांति वाहक के रूप में विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास करना होगा तब ही वह इस अशांत समाज को शांति पथ पर ला सकेगा। वैयक्तिक कौशल के अंतर्गत सहयोग, अनुकूलनशीलता, आत्मानुशासन, उत्तरदायित्व और सम्मान आदि का विकास किया जाता है।

#### - सहयोग -

"मैं चाहती हूँ कि आप अपने पड़ोसी के बारे में चिंतित हों. क्या आप जानते हैं कि आपका पड़ोसी कौन है?"

#### मदर टेरेसा

इसके द्वारा विद्यार्थियों में किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्य करने तथा दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करने, उनको सहयोग करने की भावना का विकास किया जाता है।

## - अनुकूलनशीलता -

इस कौशल के विकास के द्वारा विधार्थी किसी भी पारिस्थिती में खुद को अनुकूलित कर सकेंगे। इस कौशल के द्वारा विद्यार्थियों में ऐसी योग्यता का विकास हो जायेगा जिसके द्वारा वह किसी भी समस्या के प्रति तर्क और साक्ष्य के आधार पर अपने विचारों को बदलने की क्षमता रख सकेंगे। वह किसी भी विकट परिस्थिति में शांति शिक्षा के ज्ञान के द्वारा स्वयं को अनुकूलित रख सकेंगे और आज के इस अशांत और हिंसक समाज में खुद को स्थिर रख सकेंगे।

#### - आत्मानुशासन –

आज के विद्यार्थियों में आत्मानुशासन का अभाव पाया जाता है। इस वजह से आज वो पथभ्रष्ट हो रहे हैं और धीरे-धीरे उनका आचरण दूषित होता जा रहा है। वे लक्ष्य विहीन हो गये हैं और व्यर्थ के कामो में अपना समय बर्बाद करते हैं। अतः आत्मानुशासन के द्वारा विद्यार्थियों अपने आचरण को उचित बनाये रखने और प्रभावकारी ढंग से समय का प्रबंध करने की योग्यता का विकास किया जा सकता है।

#### - उत्तरदायित्व –

आज हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहा है और वह गैरजिम्मेदार हो गया है। वह किसी भी कार्य को जिम्मेदारी से तब तक नहीं करता जब तक उसका उसमे फायदा न हो। अतः उत्तरदायित्व के गुण के विकास के द्वारा विद्यार्थियों में किसी काम का बीड़ा उठाने और उसे ठीक ढंग से पूरा करने की योग्यता का विकास किया जा सकता है। विद्यार्थियों को अपने दायित्व को पहचानने तथा उसका निर्वाह करने को तैयार रहना सिखाया जाना चाहिए।

#### - सम्मान –

इसके द्वारा विद्यार्थियों में दुसरों की भावना, विचारों को सम्मान देना सिखाया जाता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में दूसरों को ध्यान से सुनने, निष्पक्षता और समानता के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास किया जाता है। विद्यार्थियों में इस कौशल के द्वारा ऐसी योग्यता का विकास किया जायेगा जिसकी सहायता से वे अपने विचारों, दृष्टिकोण को दूसरों पर नही थोपेंगे और इस बात को पहचान पायेगें कि दूसरों की आस्था, विचार, दृष्टिकोण आप से अलग हो सकते हैं अतः हमें उनका सम्मान करना चाहिए।

#### बोध प्रश्र –

- 1. शांति शिक्षा में कौशलों को कितने भागो में बांटा गया है , नाम लिखिए?
- 2. बालकों में सक्रिय श्रवणता के कौशल के विकास की क्यों आवश्यकता है?
- 3. ''किसी व्यक्ति की बॉडी लैग्वेज़ के द्वारा उसकी समस्याओं, उसके भावो-विचारों को पहचाना'' को किस कौशल में सम्मिलित किया गया है?

## 9.10 शांति शिक्षा के लिए सुझाव

शांति के लिए शिक्षा हेतु एकीकृत उपागम के लिए आवश्यकता, उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए निम्न सुझाव दिए गए है :-

- (1) स्कूलो में शांति क्लब और शांति पुस्तकालयों की स्थापना करना । शांति मूल्यों और कौशल को प्रोत्साहित करने वाली अनुपूरक पाठ्यसामग्री तैयार करना ।
- (2) न्याय और शांति के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए फ़िल्मों, वृतचित्रो और फीचर फ़िल्मों का संग्रह तैयार करना और इन्हें विद्यालय में प्रदर्शित करना।

- (3) शांति के लिए शिक्षा हेतु मीडिया को हिस्सेदार के रूप में सहयोजित करना। अखबार जिस तरह आजकल धर्म के उपर लेख दे रहे है उसी तरह शांति कॉलम भी शुरू कर सकते है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को विद्यालयों में शांति के लिए शिक्षा की जरुरत के अनुसार शांति के कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए बढ़ावा दिया जा सकता है। इसी के अंतर्गत अध्यापको को शांति शिक्षकों के रूप में प्रोत्साहन देने तथा समर्थ करने की आवश्यकता है।
- (4) विद्यालयों में ऐसे प्रावधान करना जिससे बच्चे इस योग्य हो कि वे समझ सके तथा आयोजित कर सके:
  - (अ) भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता (ब) मानवाधिकार दिवस (स) बालिका दिवस (द) महिला दिवस (य) पर्यावरण दिवस और (र) भिन्न क्षमतावान व्यक्ति दिवस।
- (5) महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों को देखते हुए महिलाओं के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। यह अपराध सामाजिक बीमारूपन के संकेत है।
- (6) जिला स्तर पर विद्यालय विधार्थियों के लिए शां ति उत्सवों का आयोजन करे। इससे हम शांति को मनाने और विभिन्न प्रकार की बाधाओं से मुक्ति पाने जैसे दोहरे उद्देश्य पा सकेंगे।
- (7) विभिन्न धाराओं के विद्यार्थियों के बीच परस्पर विचार विनियम के कार्यक्रम आयोजित कराना जो उनको पूर्वाग्रहों, क्षेत्रीय, जाति और वर्गीय बाधाओं से उभरने में मदद करे।
- (8) स्थानीय गैरसरकारी संगठनों द्वारा चलायी जाने वाली शांति परियोजनाओं में स्वयंसेवक की भूमिका निभाने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना और उनके लिए अवसर उपलब्ध कराना । शांति के लिए शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह जस्री है की विद्यालय गैरसरकारी संगठनों के साथ भागीदारी करे । ऐसे में शांति सम्बन्धी स्वयंसेवी संगठनों की डायरेक्टरी उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- (9) शांति के लिए शिक्षा देने के लिए अध्यापकों और अभिभावकों की कार्यशालाएँ आयोजित की जाये।
- (10) राज्य स्तर की एजेंसियों की स्थापना : (क) शांति के लिए शिक्षा क्रियान्वयन की निगरानी के लिए विशेषकर पाठ्यपुस्तक लेखन, अध्यापक शिक्षा, कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा एवं विद्यालय व्यवस्था के सम्बन्ध में (ख) शांति के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त शोध को बढ़ावा देने के लिए ताकि आँकड़ो और अनुभवों के प्रकाश में पाठ्यचर्या की समीक्षा और सुधार हो सके।
- (11) विद्यालय से जुडी विभिन्न प्रणालियों में व्याप्त असमानताओं को कम करना जिससे शिक्षा में असमानता और सामाजिक विभाजन को बढावा न मिल सकें।
- (12) ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक अनदेखी में संशोधन के लिए सकारात्मक उठाना। इसमें पर्याप्त संख्या में विद्यालयों की स्थापना और मौजूदा विद्यालयों की स्थिति में सुधार की बात शामिल है।

- (13) अध्यापकों की भर्ती में व्याप्त भ्रष्ठाचार मिटाने के लिए तत्काल राष्ट्रव्यापी मुहिम शुरू की जानी चाहियें। भ्रष्टाचार भी हिंसा का ही एक रूप है। अध्यापकों के भ्रष्टाचार का शिकार होने से उनके शांति शिक्षक होने के उद्देश्य को धक्का पहुँचेगा।
- (14) विद्यालयों की संस्थानात्मक संस्कृति में सुधार की जरूरत के प्रति जागरूकता फैलाना। व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिकता के कार्यक्रमों के लिए पहल करना; जिसमे विद्यालय के परिवार के सभी सदस्यों खासकर वंचितों के लिए सम्मान और चिंता पर जोर दिया जाये।
- (15) शांति के लिए भविष्य में दी जाने वाली शिक्षा के समीक्षा या नीति में सुधार के लिए मजबूत उपकरण होने चाहियें। इसे शैक्षिक प्रशासकों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रत्येक बहस और अभिमुखीकरण / प्रशिक्षण कार्य में गंभीरता से शामिल किया जाये।
- (16) अभिभावक अध्यापक सम्बन्धों को स्थापित एवं मजबूत करना। विद्यालय में पैदा होने वाली समस्याओं और विवादों के प्रति अभिभावक और अध्यापकों शांति का रुख अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- (17) शांति के लिए शिक्षा के सभी संसाधन (इतिहास, लक्ष्य, उद्देश्य, लाभ) सेवापूर्व और सेवा के दौरान होने वाले अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हिस्सा हो।
- (18) पाठ्यचर्या निर्माण में शांति के लिए शिक्षा को समग्र रूप में रखे जाने की आवश्यकता है।
- (19) शांति के लिए शिक्षा के उद्देशों को प्रकट करने के लिए पाठ्क्रम और पाठ्यपुस्तकों के पुनर्गठित किये जाने की जरूरत है।
- (20) पाठ्यपुस्तक लेखकों को यह समझ दिए जाने की जरूरत है कि पाठ्यपुस्तकों में दी गई भाषा और चित्रों को गहराई से जांचकर उनका पुनः प्रस्तुतीकरण जरुरी है।
- (21) प्रत्येक स्तर पर अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को शिक्षा के स्वीकृत लक्ष्य के अंतर्गत तथा शांति के लिए शिक्षा की विशेष आवश्यकता के प्रकाश में संशोधित एवं पुनर्गठित किया जाना चाहियें।
- (22) विद्यालयी वातावरण को प्रत्येक प्रकार की हिंसा से अलग रखना चाहिए । यह अन्य चीजों के अलावा अनुशासन के रूप में हिंसा को भी शामिल करता है । शारीरिक सजा को गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता हैं और इसको पूर्ण रूप से समाप्त करना ज़रूरी हैं । विद्यार्थियों को इस योग्य बनाया जाये कि वे अनुशासन बनाये रखने और सुधारने की प्रक्रिया में भागीदार हो ।
- (23) अध्यापकों की समस्या पर ध्यान देने के लिए एक सक्षम और प्रभावी तंत्र की जरुरत हैं। प्रत्येक राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों में अध्यापकों के लिए ट्रिब्यूनल स्थापित किये जाने चाहिए। आसानी से सबकी पहुँच के लिए बड़े राज्यों में ट्रिब्यूनल की कई शाखाएँ खोलने की आवश्यकता हैं।
- (24) एक ऐसी पुस्तिका तैयार की जाये जिसमे शांति के लिए शिक्षा के एकीकृत रुख हेतु दिशा -िनर्देश हों । जिन्हें स्कूल में पढाये जाने वाले प्रत्येक विषय और अध्यापक शिक्षा संस्थानों में प्रत्येक अध्यापक, अध्यापक-प्रशिक्षक और पाठ्यपुस्तक लेखक द्वारा पालन किया जाना चाहिए।

(25) विद्यालयों में हिंसा के कारण और उपायों पर एक मैनुअल तैयार करना और उपलब्ध कराना। मैनुअल यह दिशा निर्देश दे कि हिंसा के बहुत से प्रकार हैं ( मौखिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, आपराधिक और ढांचागत) और विद्यालयी जीवन को शांति की संस्कृति की दिशा में बढाने में व्यावहारिक कदम लिए जा सकते हैं।

#### 9.11 सारांश

मानव जाति अपने प्रारम्भिक काल से ही निरन्तर सभ्यता की और ही प्रयाण करती रही है। संभवतः यही कारण होगा कि मनुष्य जाति का निरन्तर विकसित, चेतन और उन्नतशील होने का निश्चित रूप से मानव समुदाय में व्याप्त उदात्त मूल्यों ने उसकी इस विकास-यात्रा में अवश्य सहायता की होगी। इन उदात्त मूल्यों में अहिंसा का मूल्य शाश्वत व सर्वश्रेष्ठ है। इस उददात मूल्य की स्थापना तथा प्रतिष्ठा हेतु संसार के सभी प्रमुख धर्म मानवीय जीवन में मूल्यों की स्थापना के लिए प्रेम, करुणा, त्याग, सदभाव, दया जैसे अहिंसक मूल्यों पर बल देते हैं। अहिंसा प्रारम्भ काल से ही अपने विधेयात्मक रूप में प्रतिष्ठित रह कर मैत्री, करुणा, प्रेम, दया, सदभावना और विश्व उन्नयन की आकांक्षा का दिग्दर्शन कराती रही है। मित्रता का भाव अथवा संत्रस्तों के प्रति करुणा की भावना बिना अहिंसक-दृष्टि के संभव नहीं हो सकती। विश्व-बन्धुत्व के प्रति अनुराग अथवा प्राणी के प्रति अपनी आत्मा के समान सोचने का उपक्रम अहिंसा के आग्रही में ही देखा जा सकता है। शांति स्थापित करने में नौजवानो को अहम् भूमिका निभानी होगी। इसलिए विद्यालयों को इसमें अहम् भूमिका निभाते हुए शांति स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों में शांति के मूल्य और कौशल का विकास करना होगा। शांति स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों में प्यार, सच्चाई, उत्तरदायित्व, विनम्रता, नेतृत्व, आशावादिता, सकारात्मक सोच, दूसरों की धार्मिक भावनाओं और रीतियों के प्रति आदर-सम्मान, भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक विकास,मानवाधिकार और लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता, वैश्वीकरण , जीवनशैली आदि मूल्यों का विकास किया जाता है। विद्यार्थियों में शांति स्थापित करने वाले कौशल जैसे चिंतन कौशल, संप्रेषण कौशल तथा वैयक्तिक कौशल का विकास किया जाता है। अतः विद्यार्थियों में शांति के मूल्यों और कौशलों का विकास कर विश्व शांति में हमे अहम भूमिका निभानी होगी।

#### 9.12 अभ्यास प्रश्न

- 1. शांति के लिए मूल्य शिक्षा क्यों आवश्यक है, शांति के लिए मूल्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें ?
- 2. शांति शिक्षा के लिए विद्यार्थियों में कौन-कौन से कौशलो का विकास किया जा सकता है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये?
- 3. शांति शिक्षा के लिए दिए गये सुझावों को स्पष्ट कीजिये?
- 4. विद्यार्थियों में शांति कौशल के विकास में संप्रेषण कौशल की भूमिका को स्पष्ट कीजिये?
- 5. विद्यार्थियों के लिए शांति की शिक्षा क्यों ज़रूरी है को स्पष्ट करते हुए विद्यालयों में मूल्यों के विकास को समझाईये?
- 6. निम्न को स्पष्ट कीजिये
  - (a) द्वंद्वात्मक चिंतन (b) रचनात्मक चिंतन (c) प्रतिबिम्बन (d) मूक संप्रेषण (e) समझोता वार्ता

- 7. निम्न को स्पष्ट कीजिये –
- (a) वैश्वीकरण के लिए शांति मूल्य (b) राष्ट्रीय एकता के लिए शांति मूल्य
- (c) मानवाधिकार और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए शांति मूल्य (d) व्यक्तित्व निर्माण के लिए शांति मूल्य
- (e) जीवनशैली को उन्नत बनाने के लिए शां ति मूल्य

## 9.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- दाधीच, नरेश (सम्पादित), टुवर्ड्स ए मोर पीसफुल वर्ल्ड : इन्टरनेशनल एण्ड इण्डियन परस्पेक्टिव, आलेख पब्लिशर्स, जयपुर, 2004
- प्रसाद, देवी, पीस एडुकेशन ऑर एडुकेशन फॉर पीस, गाँधीपीस फाउंडेशन, नई दिल्ली, 1984
- बोस, अनिमा डायमेनशन्स ऑफ पीस एण्ड नान वायलेन्स, द गाँधीयन पर्सपैक्टिव, ज्ञान पिंक्लिशिंग हाऊस, दिल्ली, 1987
- यूनेस्को (2001), लर्निग द वे ऑफ़ पीस, ए टीचर्स गाइड टू एजुकेशन फॉर पीस, नयी दिल्ली: यूनेस्को।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.इ.आर.टी.) 2000, नेशनल कॅरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, नयी दिल्ली: एन.सी.इ.आर.टी.।
- मरिया, डी. (2003), 'वैल्यू एजुकेशन फॉर पीस', द सी. टी. ई. जर्नल, 2(3): 25
- ब्राउन, जी. (1971), ह्यूमन टीचिंग फॉर ह्यूमन लर्निंग, न्यूयार्क, वाइकिंग।
- भारत सरकार (1966), रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन कमीशन 1964-66 ऑन ''एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट'' नयी दिल्ली : शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ।

# इकाई-10

# "शांति के शिक्षाविद्"

## "Peace Educators"

## इकाई की रुपरेखा –

- 10.1 प्रस्तावना
- 10.2 उद्देश्य
- 10.3 परिभाषा
- 10.4 शांति शिक्षा के प्रमुख शिक्षाविद्
  - 10.4.1 महात्मा बुद्ध के अनुसार शांति शिक्षा
  - 10.4.2 महावीर स्वामी के अनुसार शांति शिक्षा
  - 10.4.3 महात्मा गाँधी के अनुसार शांति शिक्षा
  - 10.4.4 स्वामी विवेकानंद के अनुसार शांति शिक्षा
  - 10.4.5 मदर टेरेसा के अनुसार शांति शिक्षा
  - 10.4.6 दलाई लामा के अनुसार शांति शिक्षा
  - 10.4.7 विनोबाभावे के अनुसार शांति शिक्षा
  - 10.4.8 महर्षि अरविन्द के अनुसार शांति शिक्षा
  - 10.4.9 नेल्सन मंडेला के अनुसार शांति शिक्षा
  - 10.4.10 मार्टिन लूथर के अनुसार शांति शिक्षा
  - 10.4.11 स्टीफन बिको के अनुसार शांति शिक्षा
  - 10.4.12 मरिया मान्टेसरी के अनुसार शांति शिक्षा
  - 10.4.13 मलाला युसूफ के अनुसार शांति शिक्षा
  - 10.4.14 कैलाश सत्यार्थी के अनुसार शांति शिक्षा
- 10.5 सारांश
- 10.6 अभ्यास प्रश्न
- 10.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि

#### 10.1 प्रस्तावना

आज मानवता भौतिकवाद की अंधी दौड़, स्वार्थपरता, और विद्वेश के चौराहे पर खड़ी है और शांति व उदात्त जीवन जीने के लिए किसी मार्गदर्शक की तलाश में है। विश्व समाज एक तरह से विचारहीनता तथा आदर्शशून्यता के भंवरों में डूब रहा है। आतंकवाद समूची दुनिया में नया दैत्य बनकर लोगों के सुख- चैन को लील रहा है। हमारा देश भी इस अभिशाप का शिकार है और अनेक नवयुवक इस विनाशकारी रास्ते पर चल रहे हैं। आज का युवा दूसरों में बुराइयां देखने, सिस्टम को गरियाते रहने का काम करता है। उसका मकसद अपनी तरक्की और बेशुमार दौलत और शोहरत ही दिखाई पड़ता है। वैसे पूरी दुनिया की यही हालत है तो भारत इससे अछूता कैसे रह सकता है लेकिन हमारी संस्कृति में आज भी युवा शां तिद्तों को पढ़ता है और उनमें से कुछ उनको समझते भी हैं। आज के दौर में युवा शक्ति के क्षरण की वजह नशाखोरी बनती जा रही है। इस पर लगाम लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। हाल के दिनों में जो घिनौनी घटनाएं सामने आई हैं वो भी बताती है की नशा कैसे इंसान को जानवर बना देता है। साथ ही घरों में शुरूआत से बच्चों को किस किस्म की शिक्षा दी जा रही है ये भी बहुत अहम है। आज डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, गायक, पत्रकार और जाने क्या क्या बनाने का प्रयास तो किया जा रहा है लेकिन सभ्य नागरिक और समाज के लिए उपयोगी मनुष्य बनाने पर किसी का विचार नहीं। आज ये विचार 'आउटडेटेड' कहे जाने लगे है। लेकिन जरा गौर से सोचें तो क्या अब जीवन सहज होने के बजाय ज्यादा दूभर और परेशानियों से भरा दिखाई नहीं देता? क्या आज का युवा जल्दी हताश नहीं हो रहा है? क्या इनमें छोटी-छोटी बात पर थोड़ी-थोड़ी देर में खतरनाक गुस्सा नहीं देखने को मिल रहा है? आज बुद्ध, महावीर स्वामी, गाँधी, विवेकानंद, अरविन्द आदि की जरूरत पहले से ज्यादा है सच तो ये है कि वो होते तो युवाओं की देश में बढ़ती तादाद पर खुश होते लेकिन उनकी ऊर्जा के सकारात्मक इस्तेमाल को नहीं देखकर व्यथित भी होते।


## 10.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् आप विश्व में शांति स्थापित करने में शांतिदूतों द्वारा दिए गए उनके योगदान को जान सकेंगे। आप ये जान सकेंगे कि किस प्रकार उन्होंने दुनिया को शांति का मार्ग दिखाया। आप बुद्ध ,महावीर स्वामी, विवेकानन्द, गाँधीजी, मदर टेरेसा. दलाई लामा, विनोबाभावे, अरविन्द, नेलसन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, स्टीफन बिको, मिरया मान्टेसरी आदि की शांति स्थापित करने में भूमि का को स्पष्ट कर सकेंगे।

## 10.3 परिभाषा

- "अहिंसा का अर्थ किसी प्राणी को कष्ट न पहुँचाना या उसके प्राण नहीं लेना' है"
  - प्राचीन हिन्दू ग्रन्थों एवं मनोस्मृति
- 2. "भगवान् की पूजा नहीं होती बल्कि उन लोगों की पूजा होती है जो उनके के नाम पर बोलने का दावा करते हैं.पाप पवित्रता का उल्लंघन नहीं ऐसे लोगों की आज्ञा का उल्लंघन बन जाता है"
   सर्वपल्ली राधाकृष्णन
- 3. "प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है, इसलिए प्रेम जीवन का सिध्दांत है। वह जो प्रेम करता है जीता है, वह जो स्वार्थी है मर रहा है। इसलिए प्रेम के लिए प्रेम करो, क्योंकि जीने का यही एक मात्र सिध्दांत है, वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो"
  - स्वामी विवेकानंद
- 4. "घृणा घृणा से नहीं प्रेम से ख़तम होती है, यह शाश्वत सत्य है"

## 10.4 शांति शिक्षा के प्रमुख शिक्षाविद्



आज के वर्तमान आधुनिक समाज को तथा इस पथभ्रष्ट नोजवान पीढ़ी को सत् मार्ग, शांति-अहिंसा के मार्ग पर लाने के लिए शांतिदूतों के विचारों की बहुत आवश्यकता महसूस होती है। अतः इस पीढ़ी को उन महान शांतिदूतों के आदर्शों को जानने, समझने, जीवन में उतारने की आवश्यकता है। ये महान शांतिदूत निम्नलिखित हैं-

## 10.4.1 महात्मा बुद्ध के अनुसार शांति शिक्षा

गौतम बुद्ध और उनके धर्म के दर्शन का संसार में बहुत ऊंचा स्थान रहा है और यह दुनिया का एक मात्र धर्म है जो शांति पूर्वक अपने समय के अधिकांश देशों तथा सभ्यताओं में फैला। बुद्ध को 'गौतम बुद्ध', 'महात्मा बुद्ध' आदि नामों से भी जाना जाता है। वे संसार प्रसिद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। गौतम बुद्ध का मूल नाम 'सिद्धार्थ' था। सिंहली,अनुश्रुति, खारवेल के अभिलेख, अशोक के सिं हासनारोहण की तिथि, कैण्टन के अभिलेख आदि के आधार पर महात्मा बुद्ध की जन्म तिथि 563 ई.पूर्व स्वीकार की गयी है। इनका जन्म शाक्यवंश के राजा शुद्धोधन कीरानी महामाया के गर्भ से वैशाख पूर्णिमा के दिन शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं। गौतम का विवाह यशोधरा के साथ हुआ और उनका राहुल नामक पुत्र जन्मा। कथा है कि गौतम को संसार के दुःखद अनुभवों से बचाने के लिए उनके पिता ने पूरी सावधानी बरती थी किन्तु संयोग अथवा ईश्वरेच्छा ने उनके पथ में एक दुर्बल और जरा-जर्जर वृद्ध, एक रोगी, एक मृत मनुष्य और एक परिव्राजक संन्यासी को ला दिया। इन अनुभवों ने उन्हें धार्मिक जीवन द्वारा शांति और गम्भीरता प्राप्त करने की प्रेरणा दी। इससे ज्ञात होता है कि वे धार्मिक वृत्ति के थे और सांसारिक सुखः आकां क्षाएँ उन्हें तुष्ट नहीं कर सकीं। सांसारिकता की ओर उनका मन फेरने की उनके पिता की चेष्टाएँ असफल रहीं और उनतीस वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृहत्याग करके संन्यासी बाना धारण किया और परिव्राजक सत्यशोधी का जीवन प्रारम्भ किया। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह आज भी 'बोधिवृक्ष' के नाम से विख्यात है। ज्ञान प्राप्ति के समय उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। महात्मा बुद्ध ने कहा कि इन दो अतियों से सदैव बचना चाहिये-

- काम सुखों में अधिक लिप्त होना तथा
- शरीर से कठोर साधना करना। उन्हें छोड़ कर जो मध्यम मार्ग मैंने खोजा है, उसको अपनाना चाहिये।

यही उपदेश इनका 'धर्मचक्र प्रवर्तन' के रूप में पहला उपदेश था।

मनुष्य जिन दुःखों से पीड़ित है, उनमें बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे दुःखों का है, जिन्हें मनुष्य ने अपने अज्ञान, ग़लत ज्ञान या मिथ्या दृष्टियों से पैदा कर लिया हैं उन दुःखों की पहचान अपने सही ज्ञान द्वारा ही सम्भव है, किसी के आशीर्वाद या वरदान से उन्हें दू नहीं किया जा सकता। सत्य या यथार्थता का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। अतः सत्य की खोज दुःख, मोक्ष के लिए परमावश्यक है। खोज अज्ञात सत्य की ही की जा सकती है। यदि सत्य किसी शास्त्र, आगम या उपदेशक द्वारा ज्ञात हो गया है तो उसकी खोज, खोज नहीं। अतः बुद्ध ने अपने पूर्ववर्ती लोगों द्वारा या परम्परा द्वारा बताए सत्य को नकार दिया और अपने लिए नए सिरे से उसकी खोज की। बुद्ध स्वयं कहीं प्रतिबद्ध नहीं हुए और न तो अपने शिष्यों को उन्होंने कहीं बांधा। उन्होंने कहा कि मेरी बात को भी इसलिए चुपचाप न मान लो कि उसे बुद्ध ने कही है। उस पर भी सन्देह करो और विविध परीक्षाओं द्वारा उसकी परीक्षा करो। जीवन की कसौटी पर उन्हें परखो, अपने अनुभवों से मिलान करो, यदि तुम्हें सही जान पड़े तो स्वीकार करो, अन्यथा छोड़ दो। यही कारण था कि उनका धर्म रहस्याडम्बरों से मुक्त, मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत एवं हृदय को सीधे स्पर्श करता था।

जब हम उनके प्रवचन पढ़ते हैं तो उनकी तार्किकता से प्रभावित होते हैं। उनके नैतिक पथ का प्रथम चरण सद्विचार और बौद्धिक दृष्टिकोण था। वे मानव जाति के आत्म-दर्शन और भाग्य-विधान में बाधक भ्रमजाल को दूर करने में सचेष्ट हैं।

भगवान बुद्ध ने जो अंतिम शब्द अपने मुख से कहे थे, वे इस प्रकार थे-

"हे भिक्षुओं, इस समय आज तुमसे इतना ही कहता हूँ कि जितने भी <u>संस्कार</u> हैं, सब नाश होने वाले हैं, प्रमाद रहित हो कर अपना कल्याण करो।"

# 10.4.2 महावीर स्वामी के अनुसार शांति शिक्षा

जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक थे। उनका जीवन त्याग और तपस्या से ओतप्रोत था। उन्हें एक लँगोटी तक का परिग्रह नहीं था। हिंसा, पशुबलि, जाति-पाँति के भेदभाव जिस युग में बढ़ रहे थे, उसी युग में पैदा हुए महावीर और बुद्ध। दोनों ने इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाई। दोनों ने अहिंसा का भरपूर विकास किया। करीब ढाई हजार साल पुरानी बात है। ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुण्डलपुर में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ तीसरी संतान के रूप में चैत्र शुक्ल तेरस को वर्द्धमान का जन्म हुआ। यही वर्द्धमान बाद में महावीर स्वामी बने। महावीर को 'वीर', 'अतिवीर' और 'सन्मित' भी कहा जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का आज का जो बसाढ़ गाँव है वही उस समय का वैशाली था।

वर्द्धमान को लोग सज्जंस (श्रेयांस) भी कहते थे और जसस (यशस्वी) भी। वे ज्ञातृ वंश के थे। गोत्र था कश्यप। वर्द्धमान का बचपन राजमहल में बीता। वे बड़े निर्भीक थे। श्वेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यता है कि वर्द्धमान ने यशोदा से विवाह किया था। उनकी बेटी का नाम था अयोज्जा (अनवद्या) था। वर्द्धमान महावीर ने चातुर्याम धर्म में ब्रह्मचर्य जोड़कर पंच महाव्रत रूपी धर्म चलाया। वर्द्धमान सबसे प्रेम का व्यवहार करते थे। उन्हें इस बात का अनुभव हो गया था कि इन्द्रियों का सुख, विषय-वासनाओं का सुख, दूसरों को दुःख पहुँचा कर ही पाया जा सकता है। महावीरजी की 28 वर्ष की उम्र में इनके माता-पिता का देहान्त हो गया। ज्येष्ठ बंधु नंदिवर्धन के अनुरोध पर वे दो बरस तक घर पर रहे। बाद में तीस बरस की उम्र में वर्द्धमान ने श्रामणी दीक्षा ली। वे 'समण' बन गए। उनके शरीर पर परिग्रह के नाम पर एक लँगोटी भी नहीं रही। अधिकांश समय वे ध्यान में ही मग्न रहते। हाथ में ही भोजन कर लेते, गृहस्थों से कोई चीज नहीं माँगते थे। धीरे-धीरे उन्होंने पूर्ण आत्मसाधना प्राप्त कर ली।

वर्द्धमान महावीर ने 12 साल तक मौन तपस्या की और तरह-तरह के कष्ट झेले। अन्त में उन्हें 'केवलज्ञान' प्राप्त हुआ। केवलज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान महावीर ने जनकल्याण के लिए उपदेश देना शुरू किया। भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपिरग्रह पर सबसे अधिक जोर दिया। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का सार था। भगवान महावीर ने श्रमण और श्रमणी, श्रावक और श्राविका, सबको लेकर चतुर्विध संघ की स्थापना की। उन्होंने कहा- जो जिस अधिकार का हो, वह उसी वर्ग में आकर सम्यक्त्व पाने के लिए आगे बढ़े। जीवन का लक्ष्य है समता पाना। धीरे-धीरे संघ उन्नित करने लगा। देश के भिन्न-भिन्न भागों में घूमकर भगवान महावीर ने अपना पवित्र संदेश फैलाया।

"भगवान महावीर द्वारा प्रचारित सत्य और अहिंसा के पालने से ही संसार संघर्ष और हिंसा से अपनी सुरक्षा कर सकता है। भगवान महावीर का सन्देश किसी खास कौम या फिरके के लिए नहीं है, बिल्क समस्त संसार के लिए है। अगर जनता महावीर स्वामी के उपदेष के अनुसार चले तो वह अपने जीवन को आदर्श बना ले। संसार में सुख और शांति उसी सूरत में प्राप्त हो सकती है जबिक हम उनके बतलाये हुए मार्ग पर चलें"

- सरदार वल्लभ

#### भाई पटेल

भगवान महावीर ने 72 वर्ष की अवस्था में ईसापूर्व 527 में पावापुरी (बिहार) में कार्तिक (आश्विन) कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया। इनके निर्वाण दिवस पर घर-घर दीपक जलाकर दीपावली मनाई जाती है।

हमारा जीवन धन्य हो जाए यदि हम भगवान महावीर के इस छोटे से उपदेश का ही सच्चे मन से पालन करने लगें कि संसार के सभी छोटे-बड़े जीव हमारी ही तरह हैं, हमारी आत्मा का ही स्वरूप हैं।

भगवान महावीर का आदर्श वाक्य –

"सब प्राणियों से मेरी मैत्री है।"

## 10.4.3 महात्मा गाँधी के अनुसार शांति शिक्षा –

मोहनदास करमचन्द गांधी यानि राष्ट्रपिता, सत्य और अहिंसा के बूते भारत को अंग्रेजों की ग़ुलामी से मुक्त कराने में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक महात्मा थे। चमत्कारी व्यक्तित्व के धनी इस महात्मा ने अंग्रेजों की तोपों के साथ चल रही भारतीय देशभक्तों की लड़ाई की दिशा सत्याग्रह के माध्यम से अचानक बदल दी और अंतत: अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। गांधीजी ने अपना जीवन सत्य, या सच्चाई की व्यापक खोज में समर्पित कर दिया। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने करने के लिये अपनी स्वयं की गल्तियों और खुद पर प्रयोग करते हुए सीखने की कोशिश की। उन्होंने अपनी आत्मकथा को 'सत्य के प्रयोग' का नाम दिया। गांधीजी ने अपनी आत्मकथा ''द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्थ' में दर्शन और अपने जीवन के मार्ग का वर्णन किया है। उन्हें कहते हए बताया गया था- 'जब मैं निराश होता हूं तब मैं याद करता हूं कि हालां कि इतिहास सत्य का मार्ग होता है किंतु प्रेम इसे सदैव जीत लेता है"। गांधीजी ने प्रत्येक व्यक्ति को परामर्श दिया कि उन्हें अहिंसा को अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, खासतौर पर उस समय जब इसे कायरता के संरक्षण के लिए उपयोग में किया गया हो। गांधीजी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन में ऐसे लोगों को दूर ही रखा जो हथियार उठाने से डरते थे अथवा प्रतिरोध करने में स्वयं की अक्षमता का अनुभव करते थे। उन्होंने लिखा कि-'मैं मानता हूं कि जहां डरपोक और हिंसा में से किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा के पक्ष में अपनी राय दूंगा।' महात्मा गाँधी कहते हैं कि एकमात्र वस्तु जो हमें पशु से भिन्न करती है वह है अहिंसा। व्यक्ति हिंसक है तो फिर वह पशुवत है। मानव होने या बनने के लिए अहिंसा का भाव होना आवश्यक है।

गांधी जी की अहिंसा का अर्थ काफ़ी व्यापक है। उनके अनुसार किसी प्राणी के प्रति शारीरिक कष्ट पहुँचाना ही नहीं, बल्कि मन एवं वाणी के द्वारा भी किसी को दुख पहुँचाना हिंसा का रूप है। उनकी अहिंसा का अर्थ बुराई के बदले भलाई करना, घृणा के बदले प्यार लौटाना तथा शत्रुओं से प्रेम करना है। गाँधी जी कहते हैं कि हमारा समाजवाद अथवा साम्यवाद अहिंसा पर आधारित होना चाहिए जिसमें मालिक-मजदूर एवं जमींदार-किसान के मध्य परस्पर सन्द्रावपूर्ण सहयोग हो। नि:शस्त्र अहिंसा की शक्ति किसी भी परिस्थिति में सशस्त्र शक्ति से सर्वश्रेष्ठ होगी। सच्ची अहिंसा मृत्युशैया पर भी मुस्कराती रहेगी। बहादुरी, निर्भीकता, स्पष्टता, सत्यिनष्ठा, इस हद तक बढ़ा लेना कि तीर-तलवार उसके आगे तुच्छ जान पड़ें, यही अहिंसा की साधना है। शरीर की नश्वरता को समझते हुए, उसके न रहने का अवसर आने पर विचलित न होना अहिंसा है।

## 10.4.4 स्वामी विवेकानंद के अनुसार शांति शिक्षा

स्वामी विवेकानन्द (जन्म- 12 जनवरी, 1863, कलकत्ता (वतर्मान कोलकाता), भारत; मृत्यु- 4 जुलाई, 1902, रामकृष्ण मठ, बेलूर) एक युवा संन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगन्ध विदेशों में बिखरने वाले साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकाण्ड विद्वान थे। विवेकानन्द जी का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, जो कि आगे चलकर स्वामी विवेकानन्द के नाम से विख्यात हए।

स्वामी विवेकानन्द संभवतः भारत के एकमात्र ऐसे संत हैं जो अध्यात्म, दर्शन और देशभिक्त जैसे गंभीर गुणों के साथ-साथ युवा शक्ति के भी प्रतीक हैं। उनकी छिव भले ही एक धर्मपुरूष और कर्मयोगी की है किन्तु उनका वास्तविक उद्देश्य अपने देश के युवाओं को रचनात्मक कर्म का मार्ग दिखाकर विश्व में भारत के नाम का डंका बजाना था। उन्हें केवल 4 दशक का जीवन मिला और इसी अल्प अविध में उन्होंने न केवल अपने समय की युवा पीढ़ी में अपनी वाणी, कर्म एवं विचारों से नई ऊर्जा का संचार किया बल्कि बाद की पीढियों के लिए भी वे आदर्श बने हुए हैं। स्वामी विवेकानन्द ने धर्म, अध्यात्म, समाज, दर्शन, चिंतन, सभी स्तरों पर वही मार्ग अपनाया जिसे उन्होंने अपनी तर्क बुद्धि और विवेक की कसौटी पर परखने के बाद सही समझा।

स्वामी विवेकानन्द का सबसे बड़ा गुण था तर्कशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अपने इसी गुण के बल पर उन्होंने परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व को व्यवहार की तुला पर ही तोल कर सुलझाया। उनकी स्पष्ट धारणा थी कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान और कौशल के साथ लोगों में अच्छे संस्कार, आत्मविश्वास और उच्च विचार विकसित करना होना चाहिए। आज का युवा भटका हुआ दिखता है, हांलािक इसे पूरे देश के युवाओं की स्थिति कहना गलत होगा। लेिकन जिस तेजी से बाजारवाद ने युवाओं को बड़े शहरों में आकर्षित किया है वो चिंता का विषय है। ऐसा नहीं है कि युवाओं ने हमें शमर्सार ही किया हो बल्कि इन्ही युवाओं में वो भी शामिल है जो देश को गौरवान्वित भी करते हैं। खेल हो, राजनीित हो, साहित्य और कला जगत हो हर मोर्चे पर युवा अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। बदले माहौल में सामाजिक मुद्दों को सड़कों पर लाने का काम भी देश का यही युवा कर रहा है। प्रश्न ये है कि क्या उसकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया जा रहा है? जिस तरह से वो अपनी जड़ों से कटता जा रहा है और शराब और दूसरे नशों की जद में आता जा रहा है उससे चिंता बढ़नी लाज़मी है।

स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में भाषण देने के बाद भारत वापस आए तो उनका स्वागत एक विजेता कि तरह हुआ। उन्होंने विदेश यात्रा के दौरान दूसरी संस्कृतियों को जाना समझा और उनका सम्मान भी किया। इन देशों को लेकर बहुत सी नकारात्मक बातें उन्होंने भी सुन रखी थी लेकिन बचपन की बिना आजमाए किसी बात को न मानने वाली आदत कि वजह से वो कभी किसी सुने सुनाय पूर्वाग्रह से पीडित

नहीं रहे। आज के युवा के साथ बड़ी समस्या अंधानुकरण और बिना जांचे परखे बातों को मान लेना ही दिखाई पड़ती है। अंधी प्रतियोगिता के युग में सबको साथ लेकर चलने से ज्यादा जोर सबसे आगे निकलने पर है। बिना जांचे परखे हमारा युवा इस दौड़ में शामिल होता जा रहा है। अच्छी बात ये है कि हालात अभी बहुत नहीं बिगड़े हैं या ये कह सकते हैं कि ये हमारी संस्कृति की मजबूती है कि हम आज भी अपने नाम को बचाए रखने में कुछ हद तक कामयाब दिखाई पड़ते हैं लेकिन कब तक ? ये अहम सवाल है। स्वामी विवेकानंद का हमेशा मानना रहा कि हमारी परंपरा और संस्कृति का सम्मान सिर्फ हमारे लिए ही नहीं अपित पूरे विश्व के कल्याण के लिए आवश्यक है। ये बात और है कि अब हम खुद इस चिंता में हैं कि क्या हमारी ये धरोहर और स्वामी जी के ये विचार हमारे ही काम आ रहे हैं या नहीं? देश के गरीबों और जरूरतमंदों में ही भगवान का निवास है। इनकी सेवा करने का मतलब ही भगवान की सेवा करना है। महामारी से जूझ रहे लोगों की सेवा के लिए अपने आश्रम तक को बेच देने की बात कहने वाले स्वामीजी का ये मानना था कि इस देश के जरूरतमंदों की मदद को जब तक अपने जीवन का लक्ष्य नहीं माना जाएगा देश का कल्याण नहीं होगा। यही वजह थी कि युवाओं को वो हमेशा ऊर्जावान बने रहने और तमाम परेशानियों और कष्टों के बावजूद आगे बढ़ते रहने की सलाह देते थे। स्वामी विवेकानन्द दार्शनिक तथा युगदृष्टा के साथ-साथ समाज के उत्थान के प्रति समर्पित कर्मयोगी और समाजसेवी संत थे। उनका जीवन केवल आज की पीढ़ी ही नहीं, आने वाली पीढियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। स्वामी जी सच्चे युवा संन्यासी, समाज चिंतक तथा राष्ट्र सेवक थे, जिनका जीवन आज की पीढ़ी को दिशा देने में सहायक हो सकता है।

## 10.4.5 मदर टेरेसा के अनुसार शांति शिक्षा

27 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया के स्कॉप्जे में जन्मी एग्नेस गोंक्जा बोजाज्यू ही मदर टेरेसा बनी। मात्र अठारह वर्ष की उम्र में लोरेटो सिस्टर्स में दीक्षा लेकर वे सिस्टर टेरेसा बनीं थी। फिर वे भारत आकर ईसाई ननों की तरह अध्यापन से जुड़ गई। कोलकाता के सेंट मैरीज हाईस्कूल में पढ़ाने के दौरान एक दिन कॉवेंट की दीवारों के बाहर फैली दरिद्रता देख वे विचलित हो गई। वह पीड़ा उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और कच्ची बस्तियों में जाकर सेवा कार्य करने लगीं। उन्होंने स्वयं लिखा है कि - वह 10 सितम्बर 1940 का दिन था जब मैं अपने वार्षिक अवकाश पर दार्जिलिंग जा रही थी। उसी समय मेरी अन्तरात्मा से आवाज़ उठी थी कि "मुझे सब कुछ त्याग कर देना चाहिए और अपना जीवन ईश्वर एवं दिरद्र नारायण की सेवा कर कंगाल तन को समर्पित कर देना चाहिए।" इस दौरान 1948 में उन्होंने वहां के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला और तत्पश्चात 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' की स्थापना की थी। सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी निष्फल नहीं होता, यह कहावत मदर टेरेसा के साथ सच साबित हुई। काम इतना बढ़ता गया कि सन् 1996 तक उनकी संस्था ने करीब 125 देशों में 755 निराश्रित गृह खोले जिससे करीबन पांच लाख लोगों की भूख मिटने लगी। मदर टेरेसा का कहना था कि दुखी मानवता की सेवा ही जीवन का व्रत होना चाहिए। हर कोई किसी न किसी रूप में भगवान है। प्रेम का सबसे महान रूप है सेवा। यह उनके द्वारा कहे गए सिर्फ अनमोल वचन नहीं है बल्कि यह उस महान आत्मा के विचार हैं जिसने कुष्ठ और तपेदिक जैसे रोगियों की सेवा कर संपूर्ण विश्व में शांति और मानवता का संदेश दिया। मदर टेरेसा दलितो एवं पीडितों की सेवा में किसी प्रकार की पक्षपाती नहीं थी। उन्होने सदभाव बढाने के

लिए संसार का दौरा किया। उनकी मान्यता थी कि 'प्यार की भूख रोटी की भूख से कहीं बडी है।' उनके मिशन से प्रेरणा लेकर संसार के विभिन्न भागों से स्वयंसेवक भारत आये तन, मन, धन से गरीबों की सेवा में लग गये। मदर टेरेसा का कहना था कि सेवा का कार्य एक कठिन कार्य है और इसके लिए पूर्ण समर्थन की आवश्यकता है। वही लोग इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं जो प्यार एवं सांत्वना की वर्षा करें-भूखों को खिलायें, बेघर वालों को शरण दें, दम तोडने वाले बेबसों को प्यार से सहलायें, अपाहिजों को हर समय हृदय से लगाने के लिए तैयार रहें।

"शब्दों से मानव-जाति की सेवा नहीं होती, उसके लिए पूरी लगन से कार्य में जुट जाने की आवश्यकता है।"

- मदर टेरेसा

#### बोध प्रश्न -

- 1. महात्मा बुध्द के अनुसार किन दो अतियों से सदेव बचना चाहिए?
- 2. चतुर्विध संघ की स्थापना किसने की?
- 3. गांधी जी के अनुसार अहिंसा का क्या अर्थ है?

## 10.4.6 दलाई लामा के अनुसार शांति शिक्षा

बौद्ध धर्म दुनिया के धर्मों का चौथा सबसे बड़ा धर्म है जिसके 375 लाख अनुयायी है। बौद्ध धर्म के धर्मगुरु को दलाईलामा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 14वें दलाईलामा तिब्बती धर्मगुरु तेनजिन ग्यात्सो (Tenzin Gyatso) है। तेनजिन ग्यात्सो (Tenzin Gyatso) तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु हैं। दलाईलामा (Dalai Lama) का जन्म 6 जुलाई 1935 को पूर्वोत्तर तिब्बत के तक्तेसेर (Taktser) क्षेत्र में रहने वाले एक साधारण येओमान किसान परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम ल्हामो थोंडुप था जिसका अर्थ है मनोकामना पूरी करने वाली देवी। बाद में उनका नाम तेंजिन ग्यात्सो रखा गया। उन्हें मात्र दो साल की उम्र में 13वें दलाई लामा थुबटेन ज्ञायात्सो (13th Dalai Lama, Thubten Gyatso) का अवतार बताया गया था। छह साल की उम्र में ही मठ के अंदर उनको शिक्षा दी जाने लगी। अपने अध्ययन काल के दौरान से ही वह बहुत कर्मठ और समझदार व्यक्तित्व के स्वामी थे।

वर्ष 1949 में तिब्बत पर चीन के हमले के बाद परमपावन दलाई लामा से कहा गया कि वह पूर्ण राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले लें। 1954 में वह माओ जेडांग, डेंग जियोपिंग जैसे कई चीनी नेताओं से बातचीत करने के लिए बीजिंग भी गए। लेकिन आखिरकार वर्ष 1959 में ल्हासा में चीनी सेनाओं द्वारा तिब्बती राष्ट्रीय आंदोलन को बेरहमी से कुचले जाने के बाद वह निर्वासन में जाने को मजबूर हो गए। इसके बाद से ही वह उत्तर भारत के शहर धर्मशाला में रह रहे हैं जो केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का मुख्यालय है। तिब्बत की मुक्ति के लिए अहिंसक संघर्ष जारी रखने हेतु परमपावन दलाई लामा को वर्ष 1989 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने लगातार अहिंसा की नीति का समर्थन करना जारी रखा है, यहां तक कि अत्यधिक दमन की परिस्थिति में भी। शांति अहिंसा और हर सचेतन प्राणी की खुशी के लिए काम करना परमपावन दलाई लामा के जीवन का बुनियादी सिध्दांत है। वह वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं पर भी चिंता प्रकट करते रहते हैं।

परमपावन के शां ित संदेश, अहिंसा, अंतर धार्मिक मेलिमलाप, सार्वभौमिक उत्तरदायित्व और करूणा के विचारों को मान्यता के रूप में 1959 से अब तक उनको 60 मानद डॉक्टरेट, पुरस्कार, सम्मान आदि प्राप्त हुए हैं। परमपावन ने 50 से अधिक पुस्तकें लिखीं हैं। परमपावन अपने को एक साधारण बौध भिक्षु ही मानते हैं। दुनियाभर में अपनी यात्राओं और व्याख्यान के दौरान उनका साधारण व करूणामय स्वभाव उनसे मिलने वाले हर व्यक्ति को गहराई तक प्रभावित करता है। उनका संदेश है प्यार, करूणा और क्षमाशीलता।

#### दलाई लामा का संदेश -

"आज के समय की चुनौती का सामना करने के लिए मनुष्य को सार्वभौमिक उत्तरदायित्व की व्यापक भावना का विकास करना चाहिए। हम सबको यह सीखने की जरूरत है कि हम न केवल अपने लिए कार्य करें बल्कि पूरे मानवता के लाभ के लिए कार्य करें। मानव अस्तित्व की वास्तविक कुंजी सार्वभौमिक उत्तरदायित्व ही है। यह विश्व शांति, प्राकृतिक संसाधनों के समवितरण और भविष्य की पीढ़ी के हितों के लिए पर्यावरण की उचित देखभाल का सबसे अच्छा आधार है"

# 10.4.7 विनोबाभावे के अनुसार शांति शिक्षा-

अपने व्यक्तित्व विकास का रहस्य बतलाते हुए एक बार विनोबा भावे ने कहा कि ''मैंने अपने शिक्षा काल में एक क्षण भी खराब नहीं किया और न कभी निरर्थक का निरुपयोगी श्रम किया। जो पूँजी मैंने उस समय जमा की है वह मेरे आज तक काम आ रही है। परिश्रम करने से परिश्रमशीलता का विकास होता है और जीवन की सारी सुख-शान्ति का निवास परिश्रम की गोद में ही होता है।"

सन्त विनोबा का मूल नाम विनायक नरहिर भावे था। इनका जन्म बम्बई प्रान्त के कुलावा जिले में ग्यारह सितम्बर उन्नीस सौ पंचानवे में हुआ। विनायक नरहिर के माता-पिता बहुत ही धर्मात्मा और ईश्वर-भक्त थे। ब्राह्मणोचित गुणों से परिपूर्ण यह मराठा परिवार मध्यवर्ग का था।

विनोबा के जीवन पर माता-पिता के आचरण का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि धार्मिकता उनके रोम-रोम में बस गई। बहुत कुछ धार्मिक होने पर भी इनकी माता के विचार बड़े परिमार्जित एवं प्रगतिशील थे। हानिकर रूढ़ियों तथा निरर्थक परम्पराओं से उन्हें बहुत घृणा थी। माता की इस वैचारिक प्रगतिशीलता ने पुत्र की विचारधारा पर बड़ा ही वॉछित प्रभाव डाला जिससे उनमें बाल्यकाल से ही किसी विषय पर मौखिक रूप से विचार करने और उनकी उपयोगिता, अनुपयोगिता की विवेक बुद्धि का विकास हो गया। महात्मा गाँधी के साबरमती आश्रम के वातावरण तथा गाँधी जी के संपर्क में पहुँचने पर विनायक नरहरी भावे को जिनका कि नाम गाँधी जी ने विनोबा भावे रख दिया था, हार्दिक शान्ति मिली। वहाँ आकर उन्होंने अनुभव किया कि यही वह जगह है जहाँ संयमपूर्ण स्वावलम्बी तथा सच्ची सेवा भावना से ओत-प्रोत जीवन अपनाकर पूर्ण मनुष्य बनने का अवसर मिल सकता है।

विनोबा भावे का धार्मिक दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। वह सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखते और परखते थे. विनोबा भावे ने जन मानस को जागृत करने के लिए सर्वोदय आंदोलन शुरू किया था। विनोबा भावे का सबसे मुख्य योगदान वर्ष 1955 में भूदान आंदोलन की शुरूआत करना था। वर्ष 1951 में तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली ग्राम के दिलतों ने विनोबा भावे से उन्हें जीवन यापन करने के लिए भूमि देने की प्रार्थना की थी। विनोबा भावे ने क्षेत्र के धनवान भूमि मालिकों से अपनी जमीन का कुछ हिस्सा

दिलतों को देने का आग्रह किया। आश्चर्यजनक रूप से बिना किसी हिंसा के सभी भू स्वामी अपनी भूमि देने के लिए तैयार हो गए। यही से भूदान आंदोलन जैसे ऐति हासिक आंदोलन की शुरूआत हुई। भावे ने पूरे देश में यात्रा कर सभी लोगों से अपनी भूमि का सातवां हिस्सा, भूमि रहित और गरीब नागरिकों को देने का आग्रह किया। उनका यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसात्मक और शांत था। इस आंदोलन में मिली जमीन और संपत्ति से उन्होंने 1000 गांवों में निर्धन जनता के रहने की व्यवस्था की जिनमें से 175 गांव अकेले तमिलनाड़ में ही बनाए गए।

विनोबा भावे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें वर्ष 1958 में अंतरराष्ट्रीय रेमन मैगसेसे सम्मान प्राप्त हुआ था। उन्हें यह सम्मान सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। मरणोपरांत वर्ष 1983 में विनोबा भावे को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था।

नवंबर 1982 में विनोबा भावे अत्याधिक बीमार पड़ गए। उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करने का निश्चय किया। वह ना तो कुछ खाते थे और ना ही दवाई लेते थे जिसके परिणामस्वरूप 15 नवंबर 1982 को उनका निधन हो गया।

विनोबा भावे अपने जीवन में अहिंसा और त्याग को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। गांधी जी को अपना मार्गदर्शक समझने वाले विनोबा भावे ने समाज में जन-जागृति लाने के लिए कई महत्वपूर्ण और सफल प्रयास किए। उनके सम्मान में उनके निधन के पश्चात हज़ारीबाग विश्वविद्यालय का नाम विनोबा भावे विश्वविद्यालय रखा गया।

## 10.4.8 महर्षि अरविन्द के अनुसार शांति शिक्षा -

श्री अरविन्द ने भारतीय शिक्षा चिन्तन में महत्त्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने सर्वप्रथम घोषणा की कि मानव सां सारिक जीवन में भी दैवी शक्ति प्राप्त कर सकता है। वे मानते थे कि मानव भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए तथा अन्य मानवों की सेवा करते हुए अपने मानस को 'अति मानस' (super mind) तथा स्वयं को 'अति मानव' (Superman) में परिवर्तित कर सकता है। शिक्षा द्वारा यह संभव है।

आज की परिस्थितियों में जब हम अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं परम्परा को भूल कर भौतिकवादी सभ्यता का अंधानुकरण कर रहे हैं, अरविन्द का शिक्षा दर्शन हमें सही दिशा का निर्देश करता हैं। आज धार्मिक एवं अध्यात्मिक जागृति की नितान्त आवश्यकता है।

श्री वी आर तनेजा के शब्दों में-

"श्री अरिवन्द का शिक्षा-दर्शन लक्ष्य की दृष्टि से आदर्शवादी, उपागम की दृष्टि से यथार्थवादी, क्रिया की दृष्टि से प्रयोजनवादी तथा महत्त्वाकांक्षा की दृष्टि से मानवतावादी है। हमें इस दृष्टिकोण को शिक्षा में अपनाना चाहिए।"

श्री अरिवन्द के दर्शन का लक्ष्य "उदात्त सत्य का ज्ञान" (Realization of the sublime Truth) है जो "समग्र जीवन-दृष्टि" (Integral view of life) द्वारा प्राप्त होता है। समग्र जीवन-दृष्टि मानव के ब्रह्म में लीन या एकाकार होने पर विकसित होती है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण द्वारा मानव 'अति मानव' (superman) बन जाता है अर्थात् वह सत, रज व तम की प्रवृत्ति से ऊपर उठकर ज्ञानी बन जाता है। अतिमानव की स्थिति में व्यक्ति सभी प्राणियों को अपना ही रूप समझता है। जब व्यक्ति शारीरिक,

मानसिक तथा आत्मिक दृष्टि से एकाकार हो जाता है तो उसमें दैवी शक्ति (Devine Power) का प्रादुर्भाव होता है।

अरविन्द ने मस्तिष्क की धारणा स्पष्ट करते हुए कहा है कि मस्तिष्क के विचार-स्तर चित्त, मनस, बुद्धि तथा अन्तर्ज्ञान होते हैं जिनका क्रमश: विकास होता है। अरविन्द ने अन्तर्ज्ञान को विशेष महत्त्व दिया है अन्तर्ज्ञान द्वारा ही मानवता प्रगति की वर्तमान दशा को पहुँची है। अत: अरविन्द का आग्रह है कि शिक्षक को अपने शिष्य की प्रतिभा का नैत्यिक-कार्य (routine work) द्वारा दमन नहीं करना चाहिए। वर्तमान शिक्षा पद्धित से अरविन्द का असंतोष इसी कारण था कि उनमें विद्यार्थियों की प्रतिभा के विकास का अवसर नहीं दिया जाता। शिक्षक को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विद्यार्थियों की प्रतिभा के विकास हेतु उनके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

अरविन्द इस प्रकार की शिक्षापद्धित चाहते थे जो विद्यार्थी के ज्ञान-क्षेत्र का विस्तार करे, जो विद्यार्थियों की स्मृति, निर्णयन शक्ति एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास करे तथा जिसका माध्यम मातृभाषा हो। श्री अरविन्द राष्ट्रीय विचारों के थे, अत: वे शिक्षा-पद्धित को भारतीय परम्परानुसार ढ़ालना चाहते थे।

श्री अरविंद के अनुसार "शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य विकासशील आत्मा के सर्वागीण विकास में सहायक होना तथा उसे उच्च आदर्शों के लिए प्रयोग हेतु सक्षम बनाना है।" अरविंद के विचार महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के लक्ष्यों के समान है। अरविंद की धारणा थी कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में यह विश्वास जागृत करना है कि मानसिक तथा आत्मिक दृष्टि से वह पूर्ण सक्षम है तथा वह शनै: शनै: अतिमानव (superman) की स्थिति में आ रहा है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति की अन्तर्निहित बौद्धिक एवं नैतिक क्षमताओं का सर्वोच्च विकास होना चाहिए। अरविंद का विश्वास था कि मानव दैवी शक्ति से समन्वित है और शिक्षा का लक्ष्य इस चेतना शक्ति का विकास करना है। इसीलिए वे मस्तिष्क को 'छठी ज्ञानेन्द्रिय' मानते थे। शिक्षा का प्रयोजन इन छ: ज्ञानेन्द्रियों का सदुपयोग करना सिखाना होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि-"मस्तिष्क का उच्चतम सीमा तक पूर्ण प्रशिक्षण होना चाहिए अन्यथा बालक अपूर्ण तथा एकांगी रह जायेगा। अत: शिक्षा का लक्ष्य मानव-व्यक्तित्व के समेकित विकास हेतु अतिमानस (supermind) का उपयोग करना है।

अरविन्द बालक के बौद्धिक विकास के साथ उसका नैतिक एवं धार्मिक विकास भी करना चाहते थे। उनकी धारणा थी- "मानव की मानसिक प्रवृत्ति नैतिक प्रवृति पर आधारित है। बौद्धिक शिक्षा, जो नैतिक व भावनात्मक प्रगति से रहित हो, मानव के लिए हानिकारक है।" नैतिक शिक्षा हेतु अरविन्द गुरु की प्राचीन भारतीय परंपरा के पक्षधर थे जिसमें गुरु, शिष्य का मित्र, पथ प्रदर्शक तथा सहायक हो सकता था। अनुशासन द्वारा ही विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का निर्माण हो सकता है। नैतिक "संसूचन विधि" (method of suggestion) द्वारा दी जानी चाहिए जिसमें गुरु व्यक्तिगत आदर्श जीवन एवं प्राचीन महापुरुषों के उदाहरण द्वारा विद्यार्थियों को नैतिक विकास हेतु उत्प्रेरित करे।

# 10.4.9 नेल्सन मंडेला के अनुसार शांति शिक्षा –

मबासा नदी के किनारे ट्राँस्की के मवेजों गाँव में 'नेल्सन रोहिल्हाला मंडेला' का 18 जुलाई, 1918 को जन्म हुआ था। उनके पिता ने उन्हें नाम दिया 'रोहिल्हाला' अर्थ पेड़ की डालियों को तोड़ने वाला या फिर प्यारा शैतान बच्चा। नेल्सन के पिता 'गेडला हेनरी' गाँव के प्रधान थे। उनका परिवार परम्परा से ही गाँव

का प्रधान परिवार था। घर का कोई लड़का ही इस पद पर सुशोभित होता था। नेल्सन के परिवार का सम्बन्ध क्षेत्र के शाही परिवार से था। अठारहवीं शताब्दी में यह इस क्षेत्र का प्रमुख शासक परिवार रहा था, जब तक कि यूरोप ने इस क्षेत्र पर अधिकार नहीं कर लिया।

नेल्सन ने जीवनयापन के लिए एक क़ानूनी फ़र्म में लिपिक की नौकरी कर ली, लेकिन वे लगातार अपने आपसे लड़ रहे थे। वह देख रहे थे कि उनके अपने लोगों के साथ इसलिए भेद किया जा रहा था क्योंकि प्रकृति ने उनको दूसरों से अलग रंग दिया था। इस देश में अश्वेत होना अपराध की तरह था। वे सम्मान चाहते थे और उन्हें लगातार अपमानित किया जाता था। रोज कई बार याद दिलाया जाता कि वे अश्वेत हैं और ऐसा होना किसी अपराध से कम नहीं है।

नेल्सन 'अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस' में शामिल हो गए। जल्दी ही उन्होंने टाम्बो, सिसुलू और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर 'अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग' का निर्माण किया। कुछ ही समय में उनकी फर्म देश की 'पहली अश्वेतों' द्वारा चलाई जा रही फर्म हो गई। इसी दौरान उन्हें ट्रांन्सवाल कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया।

सरकार को नेल्सन की बढ़ती हुई लोकप्रियता बिल्कुल पसन्द नहीं आ रही थी और उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध के बावजूद नेल्सन भागकर क्लिप टाउन पहुँच गए और कांग्रेस के जलसों में भाग लेने लगे। लोगों की भीड़ की आड़ में बचते हुए उन्होंने उन तमाम संगठनों के साथ काम किया, जो अश्वेतों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें आम लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने का मौक़ा मिला और उनमें जनमानस को समझने की समझ विकसित हुई। धीरे-धीरे अश्वेतों के अधिकारों के लिय चलाए जा रहे आन्दोलन में उनकी सिक्रयता बढ़ती ही चली गई।

आन्दोलन और नेल्सन जीवनसंगी बन गए। नेल्सन के नेतृत्व में आन्दोलन की तीव्रता बढ़ती ही जा रही थी। सरकार बुरी तरह से घबराई हुई थी। इसी बीच ए.एन.सी. ने स्वतंत्रता का चार्टर स्वीकार किया और इस कदम ने सरकार का संयम तोड़ दिया। पूरे देश में गिरफ़्तारियों का दौर शुरू हो गया। ए.एन.सी. के अध्यक्ष और नेल्सन के साथ पूरे देश से रंगभेद का आन्दोलन का समर्थन करने वाले एक सौ छप्पन नेता गिरफ़्तार कर लिए गए। आन्दोलन नेतृत्व विहीन हो गया। नेल्सन और साथियों पर देश के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ने और देशद्रोह करने का आरोप लगाया गया। इस अपराध की सज़ा मृत्युदण्ड थी। इन सभी नेताओं के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाया गया और 1961 में नेल्सन और 29 साथियों को निर्दोष घोषित करते हुए रिहा कर दिया गया।

अश्वेतों को उनका अधिकार दिलवाने के लिए 1991 में 'कनवेंशन फॉर ए डेमोक्रेटिक साउथ अफ़्रीका' या 'कोडसा' का गठन कर दिया गया, जो देश के संविधान में आवश्यक परिवर्तन करने वाली थी। डी क्लार्क और मंडेला ने इस काम में अपनी समान भागीदारी निभाई। अपने इस उत्कृष्ट कार्य के लिए ही उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1990 में भारत सरकार की ओर से नेल्सन मंडेला को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया।

"अपने पूरे जीवन के दौरान मैंने अपना सबकुछ अफ़्रीकी लोगों के संघर्ष में झोंक दिया। मैं श्वेत रंगभेद के ख़िलाफ़ लड़ा हूँ, और में अश्वेत रंगभेद के ख़िलाफ़ भी लड़ा हूँ। मैंने हमेशा एक मुक्त और लोकतांत्रिक समाज का सपना देखा है। जहाँ सभी लोग एक साथ पूरे सम्मान, प्रेम और समान अवसर के साथ अपना

जीवन यापन कर पायेंगे। यही वह आदर्श है, जो मेरे लिए जीवन की आशा बनी और मैं इसी को पाने के लिए ज़िन्दा हूँ, और अगर कहीं ज़रूरत है कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मरना है तो मैं इसके लिए भी पूरी तरह से तैयार हूँ।" - **नेल्सन** 

"मैंने एक सपना देखा है, सबके लिए शान्ति हो, काम हो, रोटी हो, पानी और नमक हो। जहाँ हम सबकी आत्मा, शरीर और मस्तिष्क को समझ सके और एक—दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ऐसी दुनिया बनाने के लिए अभी मीलों चलना बाक़ी है। हमें अभी चलना है, चलते रहना है।" - नेल्सन

# 10.4.10 डॉ॰ मार्टिन लूथर किंग, जूनियर के अनुसार शांति शिक्षा-

डॉ॰ मार्टिन लूथर किंग, जूनियर (15 जनवरी 1929 - 4 अप्रैल 1968) अमेरिका के एक पादरी, आन्दोलनकारी (ऐक्टिविस्ट) एवं अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकारों के संघर्ष के प्रमुख नेता थे। उन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। उनके प्रयत्नों से अमेरिका में नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में प्रगति हुई; इसलिये उन्हें आज मानव अधिकारों के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। दो चर्चों ने उनको सन्त के रूप में भी मान्यता प्रदान की है। डॉ॰ मार्टिन लूथर किंग, जूनियर का जन्म सन् 1929 में अट्लांटा, अमेरिका में हुआ था। डॉ॰ किंग ने संयुक्त राज्य अमेरिका में नीग्रो समुदाय के प्रति होने वाले भेदभाव के विरुद्ध सफल अहिंसात्मक आंदोलन का संचालन किया। सन् 1955 का वर्ष उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। इसी वर्ष कोरेटा से उनका विवाह हुआ, उनको अमेरिका के दक्षिणी प्रांत अल्बामा के मांटगोमरी शहर में डेक्सटर एवेन्यू बॅपटिस्ट चर्च में प्रवचन देने बुलाया गया और इसी वर्ष मॉटगोमरी की सार्वजनिक बसों में काले-गोरे के भेद के विरुद्ध एक महिला श्रीमती रोज पार्क्स ने गिरफ्तारी दी। इसके बाद ही डॉ॰ किंग ने प्रसिद्ध बस आंदोलन चलाया। पूरे 381 दिनों तक चले इस सत्याग्रही आंदोलन के बाद अमेरिकी बसों में काले-गोरे यात्रियों के लिए अलग-अलग सीटें रखने का प्रावधान खत्म कर दिया गया। बाद में उन्होंने धार्मिक नेताओं की मदद से समान नागरिक कानून आंदोलन अमेरिका के उत्तरी भाग में भी फैलाया। उन्हें सन् 64 में विश्व शांति के लिए सबसे कम् उम्र मे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। कई अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियां दीं। धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं ने उन्हें मेडल प्रदान किए। 'टाइम' पत्रिका ने उन्हें 1963 का 'मैन ऑफ द इयर' चुना। वे गांधीजी के अहिंसक आंदोलन से बेहद प्रभावित थे। गांधीजी के आदर्शों पर चलकर ही डॉ॰ किंग ने अमेरिका में इतना सफल आंदोलन चलाया, जिसे अधिकां श गोरों का भी समर्थन मिला। 4 अप्रैल 1968 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई।

#### डॉ॰ किंग की प्रिय उक्ति-

"हम वह नहीं हैं, जो हमें होना चाहिए और हम वह नहीं हैं, जो होने वाले हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम वह भी नहीं हैं, जो हम थे'

#### बोध प्रश्न -

- 1. अरविन्द के अनुसार मनुष्य की छठी ज्ञानेन्द्री कोनसी है?
- 2. 1990 में भारत सरकार की ओर से नेल्सन मंडेला को कौन सा पुरुस्कार दिया गया?

3. किसने संयुक्त राज्य अमेरिका में नीग्रो समुदाय के प्रति होने वाले भेदभाव के विरुद्ध सफल अहिंसात्मक आंदोलन का संचालन किया?

# 10.4.11 स्टीफन बिको के अनुसार शांति शिक्षा-

स्टीफन बिको का जन्म 18 दिसम्बर,1942 को दक्षिण अफ्रीका के किंग विलियम कस्बे में हुआ था। बिको की प्राम्भिक शिक्षा किंग विलियम में और अश्वेत के लिए प्रसिध्द एक मिशनरी स्कूल लवडेल में हुई। लवडेल का स्कूल कुछ समय बाद छात्रों की हड़ताल के परिणामस्वरुप बंद हो गया मेरियन हिल (नटाल) के कैथोलिक हाई स्कूल में अपने अच्छे शैक्षणिक प्रदर्शन के बाद बिको ने मेडिसिन की पढाई करने का मन बनाया। इसी दौरान राजनीति में उनकी सिक्रयता शुरू हो गयी। लोगों ने उनके नेतृत्व में निष्ठा और प्रसन्नता जाहिर की। इस प्रकार बिको का राजनैतिक जीवन प्रारंभ हो गया। इसके बाद उन्होंने ने विश्वविद्यालय में अध्ययन प्रारंभ किया। जब अधिकारियों ने सन् 1972 में उन्हें विश्वविद्यालय छोड़ने को कहा तो उस समय तक बिको दक्षिण अफ्रीका के छात्र संगठन और अश्वेत समाज कार्यक्रम का मान्य नेता बन चुका था। एक कुशल संगठक के रूप में उसने अश्वेत चेतना आन्दोलन का प्रारंभ एवं प्रचास प्रसार किया। एक वर्ष के अन्दर ही डरबन, जहाँ वो काम करता था, में प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद वो अपने घर चला गया जहाँ वो वही कार्य करने लगा जब तक सन् 1975 में उस पर और अधिक प्रतिबन्ध नहीं लगाये गए। इसके बाद उसने अपने अनुयायिओं और प्रशंसकों (अश्वेत कार्यकर्ताओं और श्वेत समर्थकों) के सहयोग से कई गुप्त यात्राऐं की।

एक व्यक्ति जिसने असाधारण साहस का परिचय दिया और अतिरिक्त जोखिम उठाया, ऐसे महान व्यक्ति बिको का अंत शीघ्र एवं पाश्विक था । 6 दिसंबर, 1977 को बिको को गिरफ्तार कर पुलिस पोर्ट एलिजाबेथ की एक इमारत में ले गयी। जहाँ पुलिस ने उसके हाथ-पैर एक जाली से बांध कर 22 घटे तक उससे पूछताछ की। इस दौरान उसे बुरी तरह पीटा गया जिससे उसके सिर में चोट आई और वह कोमा में चला गया। 6 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गयी। बिको एक महान देशभक्त था जिसके नेतृत्व ने लोगों में धार्मिक जागरूकता का संचार किया तथा साथ ही साथ विश्व में सामाजिक परिवर्तन के लिए चल रहे आन्दोलन का मार्गदर्शक भी किया।

#### 10.4.12 मरिया मान्टेसरी के अनुसार शांति शिक्षा -

मान्टेसरी के अनुसार मनुष्य की वास्तविक शिक्षा विद्वता में नहीं, सद्-असद् विवेक शक्ति में निहित है। कल्पना शक्ति की मूल वास्तविकता है। बालक का मन सहज स्वभाव होता हे, अतः वास्तविकता से रहित जो कुछ भी होगा वह मन जब स्थिति अच्छी नहीं होगी, न ही उसके अच्छे परिणाम होंगे। अब तक शिक्षा का उद्देश्य या तो सुनागरिक बनना, राजिनष्ठ वफादार नागरिक बनना, अपने पैरों पर खड़ा रहने वाला आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र इन्सान बनाना आदि रहा है। इस पद्धित के शिक्षाविद इन तमाम उद्देश्यों को त्याग कर सिर्फ मानवीय विकास को ही शिक्षण के उद्देश्य के रूप में स्थापित करेगा और विकास को ही पाठ्यक्रम मानेगा और इसी को ही परीक्षा। इस प्रकार मान्टेसरी पद्धित सिर्फ शिक्षण पद्धित नही है, न ये शिक्षा जगत एक का क्रांतिकारी विचार है, न ये वैज्ञानिक जगत का नूतन सत्य, न आर्थिक समस्याओं का एकान्तारिक समाधान या सुझाव है। यह तो एक दृष्टि है एक सोच है।

मान्टेसरी के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करता है तथा उसका समग्र एवं सम्यक विकास संभव होता है। शिक्षा द्वारा बालक का शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास आवश्यक है। मान्टेसरी का मानना है कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, जो बालक को जीवन के कार्य-कलापों से परिचित कराती है। उसके व्यक्तित्व का सम्यक् विकास करती है और इस विकास का मानव-जाति के विकास से सामजस्य स्थापित करती है।

मान्टेसरी के अनुसार — "मानव-जाति अपनी समस्याओं का, जिनमे शांति एवं एक्ता है, तभी समाधान कर सकती है, जब उसका ध्यान एवं समस्त शक्तियाँ व्यक्तित्व की असीम सम्भावनाओं के विकास में लग जाये"

मान्टेसरी विद्यालयों की विशेषता यह थी की विद्यालय का वातावरण घर के समान ही था। स्कूल में स्नेह और सहानुभूति का वातावरण होता है। विद्यालय में छात्रों को उन्मुक्त वातावरण प्रदान किया जाता है। इस कारण उनमे वैचारिक शक्ति के विकास के साथ-साथ, आत्मनिर्भरता सम्बन्धी गुणों का भी विकास होता है। वे अपना और दूसरों का सम्मान करना सीखतें हैं। अतः मान्टेसरी के विद्यालयों में बालकों को घर जैसा वातावरण प्रदान कर प्यार और शांति से शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार मान्टेसरी ने हिंसात्मक वातावरण को स्कूल से दूर रखने तथा प्यार, स्नेह और शांति के साथ बालकों की शिक्षा देने पर बल दिया।

''सभी शिक्षा शांति के लिए है"

- मरिया मान्टेसरी

# 10.4.13 मलाल युसूफ के अनुसार शांति शिक्षा-

मलाला युसुफ़ज़ई (पश्तो: ملائه يوسفزى जन्म: 12 जुलाई 1997) को बच्चों के अधिकारों की कार्यकर्ता होने के लिए जाना जाता है। वह पाकिस्तान के ख़ैबर-पख़्तूनख़्वा प्रान्त के स्वात जिले में स्थित मिंगोरा शहर की एक छात्रा है। 13 साल की उम्र में ही वह तहरीक-ए-तालिबान शासन के अत्याचारों के बारे में एक छद्म नाम के तहत बीबीसी के लिए ब्लॉगिंग द्वारा स्वात के लोगों में नायिका बन गयी। अक्टूबर 2012 में, मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने उदारवादी प्रयासों के कारण वे आतंकवादियों के हमले का शिकार बनी, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गई और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आ गई।

मलाला युसुफ़ज़ई मिंगोरा, जो स्वात का मुख्य शहर है, में रहती है। मिंगोरा पर तालिबान ने मार्च 2009 से मई 2009 तक कब्जा कर रखा था, जब तक की पाकिस्तानी सेना ने क्षेत्र का नियंत्रण हासिल करने के लिए अभियान शुरू किया। संघर्ष के दौरान, 11 साल की उम्र में ही मलाला ने डायरी लिखनी शुरू कर दी थी। वर्ष 2009 में छद्म नाम "गुल मकई" के तहत बीबीसी ऊर्दू के लिए डायरी लिख मलाला पहली बार दुनिया की नजर में आई थी। जिसमें उसने स्वात में तालिबान के कुकृत्यों का वर्णन किया था और अपने दर्द को डायरी में बयां किया। डायरी लिखने की शौकीन मलाला ने अपनी डायरी में लिखा था, 'आज स्कूल का आखिरी दिन था इसलिए हमने मैदान पर कुछ ज्यादा देर खेलने का फ़ैसला किया। मेरा

मानना है कि एक दिन स्कूल खुलेगा लेकिन जाते समय मैंने स्कूल की इमारत को इस तरह देखा जैसे मैं यहां फिर कभी नहीं आऊंगी।

मलाला ने ब्लॉग और मीडिया में तालिबान की ज्यादितयों के बारे में जब से लिखना शुरू किया तब से उसे कई बार धमिकयां मिलीं। मलाला ने तालिबान के कहर फरमानों से जुड़ी दर्दनाक दास्तानों को महज 11 साल की उम्र में अपनी कलम के जिरए लोगों के सामने लाने का काम किया था। मलाला उन पीड़ित लड़िकयों में से है जो तालिबान के फरमान के कारण लंबे समय तक स्कूल जाने से वंचित रहीं। तीन साल पहले स्वात घाटी में तालिबान ने लड़िकयों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी थी। लड़िकयों को टीवी कार्यक्रम देखने की भी मनाही थी। स्वात घाटी में तालिबानियों का कब्जा था और स्कूल से लेकर कई चीजों पर पाबंदी थी। मलाला भी इसकी शिकार हुई। लेकिन अपनी डायरी के माध्यम से मलाला ने क्षेत्र के लोगों को न सिर्फ जागरुक किया बल्कि तालिबान के खिलाफ खड़ा भी किया। तालिबान ने वर्ष 2007 में स्वात को अपने कब्जे में ले लिया था। और लगातार कब्जे में रखा। तालिबानियों ने लड़िकयों के स्कूल बंद कर दिए थे। कार में म्यूजिक से लेकर सड़क पर खेलने तक पर पाबंदी लगा दी गई थी। उस दौर के अपने अनुभवों के आधार पर इस लड़िकी ने बीबीसी उर्दू सेवा के लिए जनवरी, 2009 में एक डायरी लिखी थी। इसमें उसने जिक्र किया था कि टीवी देखने पर रोक के चलते वह अपना पसंदीदा भारतीय सीरियल 'राजा की आएगी बारात'' नहीं देख पाती थी।

वर्ष 2009 में न्यूयार्क टाइम्स ने मलाला पर एक फिल्म भी बनाई थी। स्वात में तालिबान का आतं क और महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध विषय पर बनी इस फिल्म के दौरान मलाला खुद को रोक नहीं पाई और कैमरे के सामने ही रोने लगी। मलाला डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी और तालिबानियों ने उसे अपना निशाना बना दिया। उस दौरान दो सौ लड़िकयों के स्कूल को तालिबान से ढहा दिया था। वर्ष 2009 में तालिबान ने साफ कहा था कि 15 जनवरी के बाद एक भी लड़िकी स्कूल नहीं जाएगी। यदि कोई इस फतवे को मानने से इंकार करता है तो अपनी मौत के लिए वह खुद जिम्मेदार होगी।

जब स्वात में तालिबान का आतंक कम हुआ तो मलाला की पहचान दुनिया के सामने आई और उसे बहादुरी के लिए अवार्ड से नवाजा गया। इसी के साथ वह इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस अवार्ड (2011) के लिए भी नामित हुई। (2011 में वे नहीं जीत पाई, लेकिन बाद में 2013 में उन्हें यह अवार्ड भी मिला)। बच्चों और युवाओं के दमन के ख़िलाफ़ और सभी को शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले भारतीय समाजसेवी कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 10 दिसंबर 2014 को नॉर्वे मे आयोजित एक कार्यक्रम मे यह पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार प्रदान करते ही सभागृह में उपस्थित सभी ने खड़े होते ही तालियों की गुंज की। 17 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली मलाला दुनिया की सबसे कम उम्र वाली नोबेल विजेता बन गयी।

## 10.4.14 कैलाश सत्यार्थी के अनुसार शांति शिक्षा-

कैलाश सत्यार्थी (जन्म: 11 जनवरी 1954) एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल-श्रम के विरुद्ध पक्षधर हैं। उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आन्दोलनकी स्थापना की जिसके बाद से वे विश्व भर के 144 देशों के 83000 से अधिक बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर चुके हैं। सत्यार्थी के कार्यों के कारण ही वर्ष 1999 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ द्वारा बाल श्रम की निकृष्टतम श्रेणियों पर संधि सं

182 को अंगीकृत किया गया, जो अब दुनियाभर की सरकारों के लिए इस क्षेत्र में एक प्रमुख मार्गनिर्देशक है। उन्हें बाल श्रम के ख़िलाफ़ अभियान चलाकर हज़ारों बच्चों की ज़िंदिग़यां बचाने का श्रेय दिया जाता है। इस समय वे 'ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर' (बाल श्रम के ख़िलाफ़ वैश्विक अभियान) के अध्यक्ष भी हैं। पेशे से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रहे कैलाश सत्यार्थी ने 26 वर्ष की उम्र में ही करियर छोड़कर बच्चों के लिए काम करना शुरू कर दिया था।

कैलाश सत्यार्थी की वेबसाइट के मुताबिक़ बाल श्रमिकों को छुड़ाने के दौरान उन पर कई बार जानलेवा हमले भी हुए हैं। 17 मार्च 2011 में दिल्ली की एक कपड़ा फ़ैक्ट्री पर छापे के दौरान उन पर हमला किया गया. इससे पहले 2004 में ग्रेट रोमन सर्कस से बाल कलाकारों को छुड़ाने के दौरान उन पर हमला हुआ। उन्हें बच्चों और युवाओं के दमन के ख़िलाफ़ और सभी को शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने पाकिस्तान की मलाला युसुफ़ज़ई के साथ ये नोबेल पुरस्कार साझा किया है।

नोबेल सिमित ने बयान जारी करते हुए कहा है, "ये पुरस्कार सभी बच्चों के लिए शिक्षा और बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ किए गए उनके संघर्ष के लिए दिया जा रहा है. ये जरूरी है कि बच्चों का आर्थिक शोषण न हो और हर बच्चा स्कूल जरूर जाए. दुनिया भर में जितने भी गरीब देश हैं, उनकी 60 फीसदी आबादी की उम्र 25 साल से कम है. विशेष रूप से संघर्ष ग्रस्त देशों में, बच्चों की अनदेखी के कारण उनके साथ हो रही हिंसा की समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है."

नोबेल पुरस्कार से पहले उन्हें 1994 में जर्मनी का 'द एयकनर इंटरनेशनल पीस अवॉर्ड', 1995 में अमरीका का 'रॉबर्ट एफ़ कैनेडी ह्यूमन राइट्स अवॉर्ड', 2007 में 'मेडल ऑफ़ इटेलियन सीनेट' और 2009 में अमरीका के 'डिफ़ेंडर्स ऑफ़ डेमोक्रेसी अवॉर्ड' सिहत कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड मिल चुके हैं।

#### बोध पश्च 🗕

- 1. 10 दिसंबर 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला युसुफ़ज़ई को कोनसा पुरुस्कार मिला?
- 2. मान्टेसरी विद्यालयों की क्या विशेषता है?
- 3. स्टीफन बिको का जन्म कब और कहाँ हुआ?

#### 10.5 सारांश

आज वर्तमान समय बहुत बदल चुका है पर यह भी परम सत्य है कि बहुत कुछ नहीं बदला है। अगर सब कुछ बदल चुका होता, जो आज दुनिया भर में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की बातें, मानवीय मूल्यों कि चर्चाएँ तथा सांस्कृतिक गोष्ठयाँ ना हो रही होतीं। आज हम ऐसे विश्व में रह रहें हैं जहाँ आतंकवाद ने सबके सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। प्रतिदिन अनेकों ज़िन्दिगयाँ नफ़रत की भट्टी में झोंक दी जाती हैं। सुबह शाम टी.वी. चैनल्स और अखबारों में आज आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हादसों की खबरें मिल रही हैं। यह बढ़ रहा आतंकवाद, आधुनिक युग में समाप्त हो रहे मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। आज आवश्यकता है तो नई पीढ़ी में प्रेम भावना की नई चेतना जगाने की तथा उन्हें मानवीय मूल्यों और मान्यताओं की शिक्षा देने की। विश्व शान्ति और भातुभाव की आवश्यकता जितनी आज अनुभव

हो रही है उतनी पहले कभी नहीं हुई थी। इतिहास गवाह है कि सदियों से विश्व शान्ति का सन्देश फैलाने में भारत का कितना बड़ा योगदान रहा है। महान शान्तिद्तू, सम्राट अशोक, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानन्द आदि तथा इस कड़ी में जुड़े और भी आधुनिक युग के कई महापुरुषों के नाम इस बात के द्योतक हैं। अतः विश्व शांति को बनाने के लिए आज इन महान शांतिदूतों के शांति- ज्ञान की परम आवश्यकता है।

#### शांति मन्त्र

ॐ द्यौ: शांतिरन्तरिक्षँ शांति: पृथ्वी शांतिराप:

शां तिरोषधय: शांति:। वनस्पतय: शांतिर्विश्वे देवा:

शां तिर्ब्रह्म शांति: सर्वे शांति: शांतिरेव शां ति: सा मा

शांतिरेधि। ॐ शांति: शांति: शांति: ॥ सर्वे भवंतु सुखिन: सर्वे संतु निरामया:।

सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्।।

#### 10.6 अभ्यास प्रश्न

- 1. शांति स्थापक के रूप में महात्मा बुध्द का योगदान लिखिए?
- 2. शांति स्थापक के रूप में महावीर स्वामी का योगदान लिखिए?
- 3. शांति स्थापक के रूप में महर्षि अरविन्द का योगदान लिखिए?
- 4. शांति स्थापक के रूप में मदर टेरेसा और दलाई लामा के योगदान को स्पष्ट कीजिये?
- 5. शांति स्थापक के रूप में मार्टिन लूथर और स्टीफन बिको के योगदान को स्पष्ट कीजिये?
- 6. शांति स्थापक के रूप में नेलसन मंडेला का योगदान लिखिए?
- 7. शां ति स्थापक के रूप में मलाल युसूफ और कैलाश सत्यार्थी का योगदान लिखिए?
- 8. मान्टेसरी के अनुसार बालकों की शिक्षा तथा विद्यालय का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए?

# 10.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- जेम्स एम. वाशिगंटन (सम्पादित), ए टेस्टामेंट ऑफ होप : दी एसेंशियल राइटिंग्स ऑफ मार्टिन लूथर किंग, जूनियर हार्पर एण्ड राव, न्यूयार्क, 1986
- दू माइकल, पीपल पॉवर : फिफ्टी पिसमेकर्स एण्ड देयर कम्युनिटीज, रावत पिल्लिकेशन. जयपुर, 2007
- मिरया, डी.(2003): वैल्यू एजुकेशन फॉर पीस, द सी.टी.ई.जर्नल
- कुमार, बी.अरुण(2008): Gandhiyan Protest, Rawat publications, jaipur
- मरिया मान्टेसरी (1972):एजुकेशन एण्ड पीस, रेजन्सी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन

- Gandhi, M.K. (1995):satyagraha in South Africa, Navjeevan Publishing House, Ahmedabad.
- N.C.E.R.T.(2000) Position Paper on Peace Education
- www.dalailamahindi.com
- www.indi.webdunia.com
- www.hi.bharatdiscovery.org
- www.hi.wikipedia.org

1	शांति शिक्षा: अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र	1
2	शांति शिक्षा: एक दृष्टिकोण	21
3	मानव आधिकार और शांति शिक्षा	50
4	महात्मा गाँधी और शांति शिक्षा	94
5	शान्ति शिक्षा और विद्यालय में संघर्ष निवारण	106
6	कार्यक्रम निर्माणपाठ्यक्रम में शान्ति शिक्षा का स्थान , विद्यालय शान्ति के रूप में , शिक्षक शान्ति वाहक के रूप में , पाठ्यक्रम में कौशल और तरीके , कक्षा –कक्ष में शान्ति	118
7	शिक्षा में शान्ति का निहितार्थ—व्यक्तित्व निर्माण , सौहार्दपूर्ण वातावरण ,जिम्मेदार नागरिक , शिक्षा शान्ति के लिए	131
8	शांति शिक्षा में आलोचनात्मक मुद्दे	142
9	शांति के लिए शिक्षा – मूल्य और कौशल	157
10	"शांति के शिक्षाविद्"	173
11		